

एमएपीएस- 615
(MAPS- 615)

आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन
(Modern Indian Political Thought)



राजनीति विज्ञान विभाग
(समाज विज्ञान विद्याशाखा)

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

MAPS-615 (एम.ए.पी.एस - 615)

आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन
(Modern Indian Political Thought)



समाज विज्ञान विद्या शाखा

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

पाठ्यक्रम समिति

प्रो. गिरिजा प्रसाद पाण्डे निदेशक – समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल	प्रो० मदन मोहन जोशी निदेशक (कार्यवाहक) – समाज विज्ञान विद्या शाखा, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल
प्रो० एम.एम. सेमवाल राजनीति विज्ञान विभाग हेमवती नंदन बहुगुणा केन्द्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल	प्रो० दुर्गाकान्त चौधरी राजनीति विज्ञान विभाग श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश परिसर, ऋषिकेश
प्रो० सतीश कुमार राजनीति विज्ञान विभाग इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	डॉ घनश्याम जोशी असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल
डॉ लता जोशी असिस्टेंट प्रोफेसर (एसी) राजनीति विज्ञान उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	डॉ आरूशी असिस्टेंट प्रोफेसर (एसी) राजनीति विज्ञान उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल
पाठ्यक्रम संयोजन एवं सम्पादन हिमांशु पुनेठा , असिस्टेंट प्रोफेसर (एसी), राजनीति विज्ञान, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल	

इकाई लेखक	इकाई संख्या
डॉ. राजीव कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, केन्द्रीय वि.वि. हरियाणा	1,2,4,5
डॉ. अजीत कुमार – प्रवक्ता – आर.आर.पी.जी. कालेज. अमेठी	3
डॉ. अखिलेश पाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, ईश्वर शरण पी.जी. कालेज प्रयागराज	7
डॉ. डी.के.पी. चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर-राजनीति विज्ञान, एस.बी.एस. राजकीय महाविद्यालय रुद्रपुर	11,12
डॉ० गौरव त्रिपाठी असि० प्रोफेसर राज-० विज्ञान राजकीय पी० जी० कॉलेज, लालगंज मिरजापुर)	9,10
डॉ. संतोष कुमार सिंह -राजनीति विज्ञान प्रवक्ता -चौरी बेलहा महाविद्यालय तरवा आजमगढ़	6,8,13,14

आई.एस.बी.एन. -----

कापीराइट @ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रकाशन वर्ष -2026

Published by : उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी, नैनीताल 263139

Printed at :-----

संस्करण : 2026, सीमित वितरण हेतु पूर्व प्रकाशन की प्रति।

सर्वाधिकार सुरक्षित | इस प्रकाशन का कोई भी अंश उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है

मुद्रित प्रतियां

इकाई संख्या	इकाई का नाम	पेज संख्या
1	स्वामी विवेकानन्द	1 – 10
2	अरविन्द घोष	11 – 18
3	महात्मा गांधी	19 – 43
4	सुभाष चन्द्र बोस	45 – 51
5	जवाहर लाल नेहरू	52 – 60
6	आचार्य विनोबा भावे	61 – 78
7	सुरेन्द्रनाथ बनर्जी	79 – 87
8	दादाभाई नौरोज	88 - 103
9	विनायक दामोदर सावरकर	104 - 112
10	डॉ० भीमराव राम जी अम्बेडकर	113 - 122
11	मानवेन्द्र नाथ राय	123 - 138
12	जय प्रकाश नारायण	139 - 154
13	आचार्य नरेन्द्र देव	155 - 170
14	डॉ. राममनोहर लोहिया	171 - 187

इकाई 1: स्वामी विवेकानन्द

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 जीवन परिचय
- 1.4 प्रमुख कृतियां
- 1.5 रूढ़िवाद का विरोध
- 1.6 नव-वेदान्त का दर्शन
- 1.7 धर्म-सत्य एवं अहिंसा
- 1.8 धार्मिक राष्ट्रवाद
- 1.9 स्वतंत्रता एवं निर्भयता
- 1.10 शिक्षा दर्शन
- 1.11 नारी संदर्भ
- 1.12 सारांश
- 1.13 शब्दावली
- 1.14 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 1.15 सहायक/उपयोगी सामग्री
- 1.16 निबंधात्मक प्रश्न

1.1. प्रस्तावना

मानव जीवन के विभिन्न आयामों के अन्तर्निर्भरता तथा इनकी समग्रता के साथ एक आदर्श शक्ति, समाज एवं राज्य की कल्पना स्वामी विवेकानन्द के दर्शन की प्रमुख विशेषता रही है। वो अद्वैत वेदान्त के महान प्रतिपादक थे। ब्रजेन्द्रनाथ ने यह प्रमाणित किया है कि विवेकानन्द प्रारम्भ से ही 'परम सत्य' का साक्षात्कार के लिए बेचैन रहते थे। यद्यपि स्वामी जी अद्वैत वेदान्त के प्रतिष्ठित विद्वान थे, फिर भी उनके व्यक्तित्व में भक्ति की भावना का प्राधान्य था जैसा कि माधव, बल्लभ आदि वेदान्त के आचार्यों में देखने को मिलता है। विश्व उन्हें एक ऐसे विद्वान के रूप में जानता है, जिसका ज्ञान प्रकाण्ड था और जिसने अपनी इच्छाशक्ति को भारत के पुर्नउत्थान में लगा दिया था। वे ईश्वरीय नगरी के तीर्थ यात्री और दलितों के लिए संघर्ष करने वाले महान योद्धा थे।

1.2. उद्देश्य

1. विवेकानन्द को एक सामाजिक-राजनैतिक विचारक के रूप में चिन्हित कर सकेंगे।
2. नव वेदान्त के दर्शन को समझ सकेंगे।
3. विवेकानन्द का धर्म, व्यक्ति एवं मानव स्वतंत्रता संबंधी विचार को समझ सकेंगे।
4. विवेकानन्द के नारी सन्दर्भ एवं शिक्षा सम्बन्धी विचार को चिन्हित कर सकेंगे।

1.3. जीवन परिचय:

विवेकानन्द का जन्म 12 जनवरी, 1863 का कलकत्ता के एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेन्द्रनाथ दत्त था। वकालत का पेशा पिछली तीन पीढ़ियों से उनके परिवार के जीविकोपार्जन का साधन रहा था। वर्ष 1884 में स्नातक की उपाधि के बाद उन्होंने विधि की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया किन्तु युवा नरेन्द्र की बौद्धिक अभिलाषा इसमें पूर्ण नहीं होती और 1886 में उन्होंने भौतिक जीवन को त्याग एक संत की भांति जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। अपने स्नातक के दौरान वे श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ संबंध में आए और इसके बाद उनका अधिकतर समय उन्हीं के साथ ही बीता और परमहंस जी के प्रभाव से ही स्वामी जी ने भौतिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया और इसके बाद उनका जीवन एक सन्यासी के रूप में ही बीता है। 1893 के धर्म संसद में उनके भाषण ने उनकी विद्वता एवं दर्शन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान एवं स्थापना प्रदान किया। इसके बाद अपने जीवन का सात वर्ष वे विभिन्न सामाजिक कार्यों में व्यतीत करते हैं। वर्ष 1902, उनतालीस वर्ष की अल्पायु में उनका देहांत हो गया।

1.4 प्रमुख कृतियां:

1.कर्मयोग,2.भक्तियोग,3.राजयोग,4.प्रेमयोग,5.ज्ञानयोग,6.गीता और कृष्ण7. अ जर्नी टू अब्सोलूट (A Journey to Absolute)

1.5 रूढ़िवाद का विरोध:

विवेकानन्द का धार्मिक अध्यात्मवाद रूढ़िवाद की बेड़ियों से ग्रसित नहीं था। मानव जीवन में धर्म की अपरिहार्यता को स्वीकारते हुए तथा उसे मानव में निहित अध्यात्म के गुणों पर आधारित करते हुए, विवेकानन्द ने कर्मकाण्ड एवं भौतिकता से परे अध्यात्मवाद के दर्शन की नींव डाली। भारतीय धर्म स्वरूप के संकुचन से उपजी 'छुआछूत' एवं 'एकाधिकार' जैसी प्रवृत्तियों का उन्होंने खुले रूप से विरोध किया। भारतीय संस्कृति की महानता का प्रसार न केवल सम्पूर्ण भारत बल्कि मध्य एशिया एवं मिस्र तक फैला हुआ था और संस्कृति के इस विस्तार में सामाजिक विशेषीकरण, कठोर जातीय संरचना, छुआछूत जैसी कुप्रथा विद्यमान नहीं थी। हिंदू समाज को वृहद शास्त्रीय परम्परा के रूप में परिभाषित करते हुए, विवेकानन्द इन कुरीतियों को सामाजिक एवं आध्यात्मिक पतन का एक महत्वपूर्ण कारण मानते हैं, और समाज से इन कुरीतियों के खिलाफ उठ एक आपसी लेन-देन के आधार पर एक समतामूलक समाज की स्थापना का आह्वान किया और यही सोच एवं समानता की भावना, समाज की वैचारिक आधार का मूल तर्क होगी।

1.6 नव-वेदान्तवाद का दर्शन:

एक संकल्पना के रूप में 'वेदान्त' विभिन्न भारतीय मनीषियों जैसा कि शंकर, रामानुज, माधवचार्य एवं अन्य द्वारा प्रतिपादित विचारों की शृंखला को समाहित करता है। इसमें अद्वैत, विशिष्टवाद एवं द्वंद की शास्त्रीय परम्परा निहित है। 'वेदान्त' संबंधी विवेकानन्द के दर्शन के तीन प्रमुख स्रोत हैं। प्रथम वेदों तथा वेदान्त की महान परम्परा द्वितीय उनका रामकृष्ण (1836-1886) के साथ उनका सम्पर्क तथा तृतीय उनके जीवन का अनुभव।

विवेकानन्द की मेधा विशाल थी। उनको केवल भारत के साहित्य का ही गंभीर ज्ञान नहीं था बल्कि पश्चिम के विचारकों प्लेटो से स्पेंसर तक के तत्वशास्त्रीय साहित्य में भी उनकी अद्भुत गति थी। वे अद्वैत वेदान्त के संदेशवाहक थे और अद्वैत सम्प्रदाय के भाष्यकारों की परम्परा में उनका स्थान है। यद्यपि वे अद्वैतवादी तथा मायावादी थे किन्तु उनकी बुद्धि समन्वयकारी थी इसलिए उनकी व्याख्या की अपनी विशेषताएं हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनका सम्पर्क उनको बुद्ध की तरह रहस्यवादी की ओर उन्मुख किया। दोनों ने ही अपनी इन्द्रियों को वश में करने के लिए घोर निग्रह और तपस्या का मार्ग अपनाया था और दोनों ने सत्य का दर्शन करने के लिए तपस्या की थी।

विवेकानन्द के दर्शन का सार 'ब्रह्म' अथवा 'परम सत्य' की धारणा है। ब्रह्म परम सत्य और सर्वोच्च सत्ता है। वह अध्यात्मिक अनुभूतियों के रूप में ही अपने को व्यक्त करता है। विवेकानन्द ने जिस वेदान्त के ब्रह्म को स्वीकार किया, वह न तो हेगेल का स्थूल परमतत्त्व है, न ही माध्यमिकों का शून्य और न योगाचारियों का अल्पविज्ञान। स्वामी जी माया के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। अतः उनके अनुसार काल, प्रसर तथा कार्य-करण नियम की सार्थकता दृश्य जगत तक ही सीमित है। अपने 'ज्ञानयोग' में उन्होंने मायावाद का अनुप्रेरित तथा अलंकृत भाषा में समर्थन किया है। उनका कहना है कि माया कोई सिद्धांत नहीं है बल्कि तथ्य है किन्तु अनेक आलोचक माया के सिद्धांत को अद्वैत दर्शन का सबसे दुर्बल पक्ष मानते हैं। शुद्ध तर्क और विज्ञान के आधार पर माया के सिद्धांत का मण्डन करना असंभव प्रतीत होता है। विवेकानन्द ने माया के सिद्धांत का जो खण्डन किया वह भी बहुत कुछ वाक्चातुर्य पर आधारित है।

परमज्ञान की अवस्था में सत् का जिस रूप में दर्शन होता है वही ब्रह्म है। धार्मिक धारणा के स्तर पर वही सत् ईश्वर है। वे कहते हैं कि - अद्वैत दर्शन में सम्पूर्ण विश्व एक सत्ता है, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वही सत्ता जब विश्व के मूल में प्रकट होती है तो उसे ईश्वर कहा जाता है। वहीं सत्ता जब इस लघु विश्व अर्थात् शरीर के मूल में प्रकट होती है तो आत्मा कहलाती है।..... सार्वभौम आत्मा जो प्रकृति के सार्वभौम विचार से परे है। वहीं ईश्वर-परमेश्वर है।

विवेकानन्द पर सांख्य दर्शन का भी प्रभाव था। जीवों की अनेकता का सिद्धांत उन्होंने सांख्य से लिया, किन्तु सच्चे अद्वैतवादी की भांति उनका विश्वास है कि अन्ततोगत्वा सब जीव ब्रह्म ही हैं। भौतिक एवं मानसिक बंधनों में बंधे हुए आत्मा को जीव के संसर्ग से उनमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं किन्तु वह ईसाई धर्म की इस मान्यता को नहीं स्वीकारते कि आत्मा स्वभावतः पापी है। इसके विपरीत उनका यह मानना था कि मनुष्य के कर्मों से जो प्रभाव और प्रवृत्तियां (संस्कार) उत्पन्न होते हैं उनका समग्र ही उनका चरित्र है। इस प्रकार मनुष्य का कर्म ही उसका चरित्र है। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, इसलिए यदि आंतरिक और बाह्य प्रकृति को नियंत्रित करने का सतत् प्रयत्न किया जाए तो मनुष्य अवश्य ही ईश्वरत्व की प्राप्ति कर सकता है। उनका कहना था कि सृष्टि में मनुष्य उच्चतम प्राणी है, क्योंकि केवल वही स्वतंत्रता प्राप्त करने के योग्य है।

विवेकानन्द क्षराक्षर मूलक द्वैतवादी कपिल को भारत के बुद्धिवादी दर्शन का जनक मानते थे। उनका यह भी विश्वास था कि यूनानी दर्शन के विकास पर सांख्य का प्रभाव है। उन्होंने गुणों का अर्थ शक्तियां लगाया है और इस प्रकार सांख्य के कुछ अंशों की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। विवेकानन्द का विश्वास था कि इस सिद्धांत में वेदांत की उस प्रस्थापना की पुष्टि होती है कि विश्व में एकात्मक सर्वव्यापी ऊर्जा ही प्रधान है।

1.7 धर्म, सत्य एवं अहिंसा:

विवेकानन्द के अनुसार सभी धर्म में जो कुछ भी सुन्दर और महत्वपूर्ण तत्त्व हैं और भविष्य के धार्मिक आदर्शों को उन सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ईश्वर संबंधी सभी सिद्धांत - सगुण, निर्गुण, अनन्त, नैतिक नियम अथवा आदर्श मानव धर्म की परिभाषा के अन्तर्गत आना चाहिए। स्वामी विवेकानन्द ने सभी धर्मों में निहित मानवीय मूल्यों पर बल दिया है और इस आधार पर धर्मों की एकता पर विश्वास करते हैं। उन्होंने धार्मिक उदारता, समानता और सहयोग पर बल दिया है। उनका कहना है कि धर्म के मूल लक्ष्य के सन्दर्भ में सभी धर्म एकमत हैं। आत्मा की भाषा एक है जबकि राष्ट्रों की भाषाएँ विभिन्न हैं, उनकी परम्पराएँ और जीने की शैली भिन्न हैं। धर्म आत्मा से संबंधित है लेकिन वह विभिन्न राष्ट्रों, भाषाओं और परम्पराओं के माध्यम से प्रकट होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संसार के सभी धर्मों में मूल आधार एकता है, यद्यपि उनके स्वरूप भिन्न-भिन्न हैं।

स्वामी विवेकानन्द धर्म को भारत राष्ट्र का जीवन-केंद्र या प्रधान स्वर मानते हैं। वे मानते थे कि भारतवर्ष धर्म ही जीवन का केंद्र है और वही राष्ट्रीय जीवन रूपी संगीत का प्रधान स्वर है। यदि कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक जीवन शक्ति को दूर फेंक देने की चेष्टा करे तो वह राष्ट्र काल-कवलित हो जाता है।

अतः विवेकानन्द धर्म प्रचार को आवश्यक मानते थे। उनका कहना था कि भारतवर्ष में किसी प्रकार का सुधार या उन्नति की चेष्टा करने के पहले धर्म प्रचार आवश्यक है। वे कहते हैं “भारत को सामाजिक अथवा राजनीतिक विचारों से प्लवित करने से पहले आवश्यक है कि उसके आध्यात्मिक विचारों की बाढ़ ला दी जाए।”

विवेकानन्द के अनुसार, विश्व में सत्य एक है और मानव उसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं। अपने भाषण ‘मेरी कार्यविधि’ में स्वामी जी कहते हैं “हमें मानव गठन करने वाला धर्म चाहिए, हमें मनुष्य गठन करने वाले सिद्धांत चाहिए, चारों ओर हमें मानव गठन करने वाली शिक्षा चाहिए।” सत्य की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए विवेकानन्द कहते हैं ‘सत्य तो बलप्रद है, वह पवित्रता का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। सत्य तो वह है जो शक्ति दे, जो हृदय के अंधकार को दूर कर दे, जो हृदय में स्फूर्ति भर दे।’

विवेकानन्द अहिंसा को श्रेष्ठ मानते हैं पर हिंसा को सर्वथा त्याज्य नहीं। उनके अनुसार “गृहस्थ को अपने शत्रु के सामने दृढ़ होना चाहिए और गुरु तथा बन्धुओं के समक्ष नम्र।” विवेकानन्द के अनुसार अहिंसा की कसौटी है, ईर्ष्या का अभाव। स्वामी जी का दर्शन यह सीख देता है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। उससे मुहँ मोड़ना धर्म नहीं है। वे कहते थे अगर तुम्हें भगवान की सेवा करनी है तो

मानव की सेवा करो। वह भगवान ही रोगी मनुष्य, दरिद्र मनुष्य और सब प्रकार के मनुष्यों के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा है। इसलिए उन्होंने कहा - 'तुम्हें सिखाया गया है कि अतिथि देवो भव, पितर देवो भव, पर अब मैं तुमसे कहता हूँ दरिद्र देवो भव।'

1.8 धार्मिक राष्ट्रवाद:

हेगेल की विचारशैली की भाँति विवेकानन्द का विश्वास था कि राष्ट्र एक स्वायत्त ईकाई है तथा प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक प्रमुख तत्व की अभिव्यक्ति है। धर्म, भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण नियामक सिद्धांत रहा है। वे लिखते हैं कि “प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में एक प्रधान तत्व हुआ करता है, अन्य सब वस्तुएं गौण हैं।” इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद के एक धार्मिक सिद्धांत की नींव का निर्माण करने के लिए कार्य किया। विवेकानन्द ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन इसलिए किया कि वे समझते थे कि आगे चलकर धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरू-दण्ड बनेगा। उनका कहना था कि राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्ता की नींव पर ही किया जा सकता है। यदि हम इतिहास की उपेक्षा करते हैं तो हम राष्ट्र के वजूद की ही उपेक्षा करते हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर करना होगा। विवेकानन्द कहा करते थे कि अतीत में भारत की सृजनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति मुख्यतः धर्म के क्षेत्र में ही हुई थी। धर्म ने भारत में एकता तथा स्थिरता को बनाए रखने के लिए एक सृजनात्मक शक्ति का काम किया था; यहाँ तक कि जब कभी राजनीतिक सत्ता शिथिल और दुर्बल हो गई तो धर्म ने उसकी भी पुनः स्थापना में योग दिया। इसलिए विवेकानन्द ने घोषणा की राष्ट्रीय जीवन का धार्मिक आदेशों के आधार पर संगठन किया जाना चाहिए। उसके विचार में अध्यात्मिकता अथवा धर्म का अर्थ शाश्वत तत्व का साक्षात्कार करना था, सामाजिक मतवादी, धर्मसंघों द्वारा प्रतिपादित आचार संहिताओं और पुरानी रूढ़ियों को धर्म नहीं समझना चाहिए। वे कहा करते थे कि धर्म ही निरन्तर भारतीय जीवन का आधार रहा है। इसलिए सभी सुधार धर्म के माध्यम से ही किए जाने चाहिए। तभी देश की बहुसंख्यक जनता उन्हें अंगीकार कर सकेगी। अतः राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक अथवा धार्मिक सिद्धांत राजनीतिक चिन्तन को विवेकानन्द की प्रथम महत्वपूर्ण देन माना जा सकता है। बंकिम की विवेकानन्द भी भारत को एक आराध्य देवी मानते थे और उसकी देदीप्यमान प्रतिभा की कल्पना और स्मरण से उनकी आत्मा जगमगा उठती थी। यह कल्पना कि भारत माता की दृश्यमान विभूति है।

विवेकानन्द एक प्रखर राष्ट्र भक्त थे और वे सभी भारतीयों को राष्ट्र भक्ति की भावना से ओत-प्रोत देखना चाहते थे। वे भारतीय नवयुवकों को सम्बोधित करते हुए कहते हैं ‘मेरे भावी देशभक्तों, हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से यह अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतान आज पशु तुल्य हो गई हैं।..... यदि हाँ तो जानो कि तुमने देशभक्त होने होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा

है। इस समस्या के निवारण हेतु कतिपय पथ निश्चित करना स्वामी विवेकानन्द के अनुसार दूसरी सीढ़ी है और उस पद पर दृढ़ता से चलना देशभक्त की निशानी है।

1.9 स्वतंत्रता एवं निर्भयता:

राजनैतिक परिपेक्ष्य में 'स्वतंत्रता की धारणा' विवेकानन्द की एक महत्वपूर्ण देन है। उनकी स्वतंत्रता की संकल्पना अत्यन्त व्यापक है। उनका कहना था कि सम्पूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता को ही खोज रहा है। वे स्वतंत्रता के प्रकाश को वृद्धि की एकमात्र शर्त मानते थे। विवेकानन्द आध्यात्मिक स्वतंत्रता अथवा माया के बन्धनों और प्रलोभनों से मुक्ति के ही समर्थक नहीं थे, बल्कि वे मनुष्य के लिए भौतिक अथवा बाह्य स्वतंत्रता भी चाहते थे। जॉन लॉक की भाँति वे प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांत को मानते थे। उनके अनुसार "प्राकृतिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छानुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को कोई हानि न पहुँचाए तथा समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो।" विवेकानन्द के मतानुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था। उपनिषद्कारों ने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आदि स्वतंत्रता के सभी पक्षों का डटकर समर्थन किया था। उनको यह आशा थी कि जिस प्रकार अमेरिका की स्वतंत्रता के साथ 'व्यक्ति स्वतंत्रता' का प्रादुर्भाव हुआ उसी प्रकार एक दिन समस्त विश्व में मानव स्वतंत्रता प्रतिष्ठित हो जाएगी। उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता का सामाजिक न्याय की बात करने की अपेक्षा उन्होंने उससे भी अधिक बुनियादी आदर्श-शक्ति का संदेश दिया। बिना शक्ति के न हम अपने व्यक्तिगत अस्तित्व को कायम रख सकते हैं और न अपने अधिकारों की रक्षा करने में ही समर्थ हो सकते हैं। मनुष्य का चरित्र बाधाओं का प्रतिरोध करने से ही विकसित होता है। उनके विचार में शक्ति के संदेश का ओजपूर्ण समर्थन करना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का सबसे अच्छा मार्ग था। आत्मबल के आधार पर निर्भय होकर खड़ा होना अत्याचार तथा उत्पीड़न का सर्वोत्तम प्रतिकार था।

1.10 शिक्षा-दर्शन:

स्वामी विवेकानन्द के अनुसार शिक्षा मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मानव में शक्तियाँ जन्म से ही विद्यमान रहती हैं। शिक्षा उन्हीं शक्तियों या गुणों का विकास करती हैं। पूर्णतः बाहर से नहीं आती वरन् मनुष्य के भीतर छिपी रहती हैं। सभी प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपने प्रतिपादन के लिए न्यूटन की खोज की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। वह न्यूटन के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान था। जब समय आया तो न्यूटन ने केवल उसकी खोज की। अतएव सभी ज्ञान, चाहे वह संसारिक हो अथवा परमार्थिक, मनुष्य के मन में निहित है। वह जब आवरण धीरे-धीरे हटता है तो मनुष्य कहता है कि 'मुझे ज्ञान हो रहा है'।

स्वामी विवेकानन्द सर्वहिताकारी, सर्वव्यापी एवं मानव निर्माण करने वाली शिक्षा पर जोर देते थे। वे मानव की स्वतंत्रता को मूल बिंदु मानकर राजनीति से परे मानव निर्माण की योजना के समर्थक थे। शिक्षा को धर्म से जुड़ा मानकर विवेकानन्द ने दोनों की मानव के अंदर पाई जाने वाली प्रवृत्ति को उजागर करना ध्येय माना। मानव कल्याण का मूल बीज शिक्षा को मानकर विवेकानन्द ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की योजना बनाई। उन्होंने शिक्षा की एक उदार एवं संतुलित प्रारूप देश के सामने रखा।

शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वामी विवेकानन्द ने ज्ञान दान को श्रेष्ठ ज्ञान दान बताया। उनके अनुसार चार प्रकार की दान परम्पराएँ: धैर्य दान, ज्ञान दान, प्राण दान और अन्न दान ये प्रथम दोनो श्रेष्ठ हैं। वे ज्ञान विस्तार को भारत की सीमाओं से बाहर ले जाना चाहते थे। उन्नीसवीं शताब्दी में प्रचलित रहस्य या तांत्रिक विद्या की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि 'इन्होंने मानव विवेक को समाप्त कर दिया है। वे आदर्श व्यवस्था की कल्पना करते हुए कहते हैं 'हमें ऐसी सर्वांगसम्पन्न शिक्षा चाहिए, जो हमें मनुष्य बना सके।' वे केवल सूचनाओं के संग्रह को शिक्षा नहीं मानते थे। उनका कहना था 'यदि शिक्षा और जानकारी एक ही वस्तु होती तो पुस्तकालय सबसे बड़े संत और विश्व-कोश ही ऋषि बन सकते।' विवेकानन्द ने शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए हैं-

1. यह मानव में निहित पूर्णता का विकास करती है।
2. शिक्षा व्यक्तियों में मानवोचित गुणों को निर्माण करती है।
3. मानव पूर्णता प्राप्त कर सकता है यदि उसका शरीर स्वस्थ है।
4. स्वामी विवेकानन्द उसी शिक्षा को शिक्षा मानते थे जो चरित्रवान स्त्री-पुरुष को तैयार कर सके।
5. शिक्षा विद्यार्थी को भावी जीवन के लिए तैयार करती है। विवेकानन्द की दृष्टि में जीवन-संघर्ष की तैयारी के लिए तकनीकी एवं विज्ञान की शिक्षा आवश्यक है।
6. स्वामी जी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकास करना चाहते थे जो भारतीय विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर सके।

1.11 नारी संदर्भ:

अपने समय में स्वामी विवेकानन्द 'महिला सशक्तिकरण' के आयाम को मुख्यधारा में लाने वाले पहले विचारक हैं। उनका कहना था कि किसी भी समाज, सभ्यता या राष्ट्र के विकास का स्तर, वहां की महिलाओं की परिस्थिति से लगाया जा सकता है। एक माँ, शिक्षक, सैनिक एवं न्यायिक रूप में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। मध्यकाल में शिक्षा एवं अन्य सामाजिक

जीवन में महिलाओं को दूर रखा गया, जिसके कारण वर्तमान भारतीय समाज में सीता, गार्गी एवं अत्री जैसी विदुषियों का लोप दिखता है। विवेकानन्द स्त्री-पुरुष समानता के समर्थक थे इसलिए महिलाओं की शिक्षा भी उनकी शिक्षा संबंधी योजना में महत्वपूर्ण विषय है। उनका मानना था कि देश की उन्नति के लिए महिलाओं की शिक्षा अत्यन्त आवश्यक है। महिलाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने तपस्वी, ब्रह्मचारिणी तथा त्यागी महिलाओं को प्रशिक्षण देना आवश्यक माना ताकि ऐसी महिलाएं दूसरी महिलाओं को सम्यक शिक्षा प्रदान कर सकें।

महिलाओं की समुचित शिक्षा के लिए विवेकानन्द ने पुरुषों की भाँति महिलाओं के लिए अलग संघ स्थापित करने पर जोर दिया। उनका विचार था कि मठों की स्थापना के माध्यम से वहाँ प्रशिक्षित ब्रह्मचारी स्त्रियां, सन्यासी और सुशिक्षित बनकर नारी जाति को शिक्षा देने का प्रयास करेंगी। शिक्षित भले-बुरे का ज्ञान प्राप्त कर सकेगी और स्वतंत्र तथा स्वाभाविक रूप से प्रगतिपथ पर अग्रसर हो सकेगी। पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषयों तथा लौकिक विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वे दूसरों तक सम्यक रूप से प्रसारित कर सकें।

वे कहते हैं कि “जिस तरह माता-पिता अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं उसी तरह उसे पुत्रियों को भी शिक्षित करना चाहिए। जबकि हम उन्हें प्रारम्भ से ही दूसरों पर निर्भर रहकर परतंत्र रहने की शिक्षा देते हैं। विवेकानन्द के दृष्टि में शिक्षा अनिवार्य रूप से महिलाओं को मिलनी चाहिए, जिसमें वो दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकें। वे लड़कियों की शिक्षा के केंद्र में धर्म को रखने का सुझाव देते हैं। इसके अतिरिक्त इतिहास एवं पुराण, गृह व्यवस्था, कला एवं शिल्प, बच्चों की उचित देखभाल, पाक कला आदि आदि की शिक्षा देने का सुझाव देते हैं। वे कथाओं से ‘सीता’ के उज्ज्वल चरित्र से शिक्षा को लेने को कहते हैं।

1.12 सारांश:

हालांकि भारतीय चिंतन परस्पर मनिषियों एवं विचारकों के आह्वान से कभी भी निर्वात में नहीं रही है किन्तु स्वामी विवेकानन्द के दर्शन ने यूरोपीय एवं अमेरिकी महाद्वीप के बढ़ते बौद्धिक प्रभुत्व एवं उसके साथ भारतीय परम्पराओं पर लगी पिछड़ेपन की छाप को खत्म किया, बल्कि अपने वेदान्त दर्शन के माध्यम से एक उत्कृष्ट मानव समाज की कल्पना प्रस्तुत की, जिसका आधार बिंदु धर्म था, जो रूढ़िवादियों की गुलामी की जंजीर में नहीं जकड़ा होगा, जिसमें मानव स्वतंत्रता समाज का आधार होगी और इस स्वतंत्र चेतना के आधार जिस नए विचार प्रत्युस्फुटिक होंगे जो एक साकार राष्ट्रीय चेतना में अंगीकृत होंगे। स्वामी जी का दर्शन धर्म, अध्यात्म, मानव चेतना एवं कर्तव्यों का एक ऐसा ताना-बाना है जो समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारतीय अध्यात्म की एक नई परम्परा को स्थापित करता है।

1.13 शब्दावली:

वेदांत: यह ज्ञान योग की शाखा है जो व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करती है। इसकी तीन प्रचलित शाखाएं हैं - अद्वैत, विशिष्ट और द्वैत।

पूर्व-मीमांसा: शब्द का अर्थ है जिज्ञासा। जिसका मतलब है जानने की लालसा। अतः पूर्व-मीमांसा शब्द का अर्थ है जानने की प्रथम जिज्ञासा।

1.14 संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन - डॉ. वी.पी. वर्मा
2. भारतीय राजनीतिक चिन्तक – के. एस. पाण्डेय

1.15 सहायक/उपयोगी सामग्री:

१. स्वामी विवेकानंद- नरेन्द्र कोहली
२. कर्म योग – स्वामी विवेकानंद

1.16 निबंधात्मक प्रश्न:

1. विवेकानन्द ने भारतीय राष्ट्रवाद की एक भारतीय संकल्पना प्रस्तुत की. चर्चा कीजिये.
२. शिक्षा एवं नारी सशक्तिकरण पर स्वामी विवेकानंद के विचारों का परिक्षण कीजिये.

इकाई 2 :अरविंद घोष

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 जीवन परिचय
- 2.4 प्रमुख कृतियां
- 2.5 राजनीतिक लक्ष्य एवं पद्धति
- 2.6 तत्वशास्त्र
- 2.7 इतिहास एवं संस्कृति का दर्शन
- 2.8 राष्ट्रवाद तथा मानव एकता का सिद्धांत
- 2.9 राजनैतिक दृष्टिकोण
- 2.10 आध्यात्मिक स्वतंत्रता
- 2.11 सारांश
- 2.12 शब्दावली
- 2.13 अभ्यास प्रश्न
- 2.14 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 2.15 सहायक /उपयोगी सामग्री
- 2.16 निबंधात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना:

श्री अरविंद आधुनिक युग के साधक एवं भारतीय ऋषि परम्परा की उज्ज्वल कड़ी हैं। वे उपनिषदों के विवेचक नहीं हैं बल्कि स्वयं उपनिषादिक सत्य के दृष्टा हैं। उनकी नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों ने भारत के शिक्षित समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। उनका महाग्रंथ 'द लाइफ़ डिवीन' (The life Divine) के प्रकाशन के समय से संसार के प्रमुख विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ है। आचार्य रविन्द्र नाथ टैगोर कहते हैं कि 'उनके (अरविन्द) द्वारा भारत विश्व को अपना संदेश व्यक्त करेगा। रोम्या रोलॉ अरविन्द को एशिया की प्रतिभा तथा यूरोप की प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट समन्वयक मानते थे। उनकी रचनाओं से हमें भारत की नवीन तथा उदयीमान आत्मा का धनीभूत सार देखने को मिलता है, जिसमें मानव जाति के लिए उनमें आध्यात्मिक संदेश निहित है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में एक उग्र उपागम और उससे प्राप्त एक उच्च नैतिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया।

2.2 उद्देश्य:

1. अरविंद घोष के मूल ग्रंथों के आधार पर उनके दार्शनिक विचारों को जान सकेंगे।
2. अरविंद घोष के विचारों की पृष्ठभूमि एवं उनके भारतीय संदर्भ का ज्ञान हो सकेगा।
3. अरविंदों के राष्ट्रवाद के स्वरूप एवं इसमें समाहित मानवीय मूल्यों को रेखांकित कर सकेंगे।

2.3 जीवन परिचय

अरविंद घोष का जन्म बंगाल के कलकत्ता (वर्तमान में कोलकाता) में एक सम्पन्न परिवार में 15 अगस्त, 1872 को हुआ। उनके पिता का नाम डॉ. कृष्णधन घोष और माता का नाम स्वर्णलता देवी था। इनके पिता एक डाक्टर थे तथा पश्चिमी सभ्यता से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अरविंद को दोनों भाइयों के साथ दार्जिलिंग के अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। दो वर्ष बाद सात वर्ष की अवस्था में उनके पिता ने उन्हें आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया। अपने चौदह वर्ष के इंग्लैंड प्रवास के दौरान ग्रीक और लैटिन के प्राचीन साहित्य का गंभीर एवं सूक्ष्म अध्ययन किया है। उन्होंने होमर से लेकर गेटे तक यूरोप के कुछ महान आचार्य की रचनाएं मूल भाषा में पढ़ी। इंग्लैंड में अरविंदो बरोड़ा नरेश के संपर्क में आए। बड़ौदा नरेश उनकी प्रतिभा देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अरविंदो को अपना निजी सचिव नियुक्त कर लिया। 1892 में भारत लौटने पर उन्होंने बड़ौदा और कोलकाता के विभिन्न प्रशासकीय एवं प्राध्यापिका पदों पर कार्य किया। 1905 से 1910 तक अरविंदो ने बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में राजनीतिक कार्यों में अपना जीवन बिताया। अलीपुर जेल के एकांत निवास में उन्हें रहस्यवाद दृश्यों के दर्शन हुए थे जिसे उन्होंने

स्वीकार किया। राजनीतिक नेता एवं लेखक के रूप में वे प्राचीन वेदान्त एवं आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक दर्शन का समन्वय करना चाहते थे। उनका राजनीतिक वेदान्त एक पराधीन राष्ट्र के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन के पुनर्निर्माण का ठोस राजनीतिक दर्शन है।

2.4 प्रमुख कृतियां:

1. द लाइफ डिवाइन, 2. एसेज ऑन द गीता, 3. द सिन्थैसिस ऑफ योग, 4. सावित्री

2.5 राजनीतिक लक्ष्य एवं पद्धति:

अरविंद ने कांग्रेस की राजनीतिक पद्धतियों से हटकर जीन सूत्रीय कार्यक्रम की बात कही:

क) ब्रिटिश शासन का खुला विरोध

ख) विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार एवं

ग) छिपे रूप में सैन्य क्रांति की तैयारी

जब कांग्रेस पार्टी संवैधानिक सुधार की मांग का लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही थी, उसी समय अरविंद ने स्वतंत्र भारत के सपने को आगे रखा था और उनका मानना था कि यह सपना सिर्फ सैन्य क्रांति के द्वारा ही संभव है। अरविंद का कहना था कि यहां हिंसा को जायज ठहराया जाना चाहिए क्योंकि यह हिंसा एक राष्ट्र की स्थापना के लिए है न कि आतंक के लिए। यह हिंसा दो आयामों पर केंद्रित होगी - ब्रिटिश सम्पत्ति को जैसे कि पुल, इमारत आदि को नुकसान पहुंचाना, दूसरी चुनिन्दा ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। इस हिंसा के द्वारा भारतीयों में एक नई प्रकार की स्फूर्ति राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी, जिससे वो भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आगे आयेंगे। शायद यही कारण था कि एनी बेसेन्ट ने उन्हें भारतीय मनीषी की संज्ञा दी है।

अरविंद ने कांग्रेस पार्टी को सही मायने में एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया था। उनका कहना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता इस देश के मूल में है और इस संबंध में किसी भी अन्य प्रकार की युक्ति स्वीकार नहीं की जा सकती है। बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन के दौरान उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की एक खुली आवाज दी थी, जिसमें स्वदेशी बहिष्कार एवं सरकारी सेवाओं का बहिष्कार शामिल था। अरविंद एवं अन्य समान सोच के क्रांतिकारी की मंशा प्रशासन को पंगु करने की थी। अपने संक्षिप्त राजनैतिक जीवन में अरविंद भारतीयों में एक नई चेतना के संचार का प्रयास करते हैं, जो राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत थी।

2.6 तत्वशास्त्र:

दार्शनिक स्तर पर अरविंद भारतीय सन्यासवादी अद्वैतवादी एवं पश्चिम की भौतिकवाद के मध्य एक समन्वय स्थापित करते हैं। यद्यपि उसका मानना था कि भारतीय दर्शन परम्परा अधिक व्यवस्थित

एवं सुदृढ़ है किन्तु यह त्याग एवं मोक्ष के तत्व पर अधिक बल देती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि जीवन के शुद्ध लौकिक क्षेत्रों में भारत संसार के अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में सफल नहीं हो सका। वहीं पश्चिमी दर्शन पदार्थों का आनंद एवं भौतिकता पर अत्याधिक बल देता है। उनका मानना था कि भारतीय एवं यूरोपीय दर्शन परम्परा दोनों ही अपनी दृष्टि में चरम हैं और दोनों के मध्य एक समन्वय स्थापित करके एक मध्यम मार्ग स्थापित किया जा सकता है। इस प्रकार के समन्वय दर्शन में आत्मिक एवं भौतिक तथ्यों का समान महत्त्व होगा। अरविंद के अनुसार व्यक्ति संसारिक जीवन के विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के साथ-साथ मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो सकता है। उनके अनुसार परम सत्य एक आध्यात्मिक तत्व है। वह केवल अविचल, अलक्ष्य, अनिर्देश्य, अनुभावातीत और अपरिवर्तनशील सत्ता नहीं है अपितु उसमें गतिशील उत्परिवर्तन तथा बहुल (अनेकता) के बीज विद्यमान रहते हैं। अतः विविधता भी उतनी ही वास्तविक है। जितना की एकता। बाह्य जगत सत्ता की वास्तविक सृष्टि है, वह कल्पना की मनोगत सृष्टि नहीं है और न शून्य अथवा विराट अनस्तित्व है इसलिए पदार्थ अथवा जीवन के स्वतः दावों का निषेध उचित नहीं है। पदार्थ भी आवरणयुक्त आत्मा ही है। ब्रह्माण्ड के विकास हेतु आत्मा अपनी चेतना का विशेषतः परिसीमन करके अचेतन का रूप धारण कर लेता है। उस अवचेतना से ही विकास का क्रम आरम्भ होता है और उतरोत्तर दृव्य जीवन और चित्र (मन) प्रादुर्भूत होते हैं। इस प्रकार अरविंद के द्वारा तथा आत्मा का तत्त्वशास्त्रीय समन्वय कर दिया है।

2.7 इतिहास एवं संस्कृति का दर्शन:

एक राजनीतिक विचारक के रूप में अरविंद इतिहास में आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत की स्वीकार्य किया है। उनका मानना था कि आत्मा इतिहास के विभिन्न चरणों को निर्धारित करती है। इतिहास के माध्यम से अपनी दैवीय इच्छाओं को प्रकट करते हैं। इतिहास ब्रह्म की क्रमिक पुनराभिव्यक्ति है। अरविंद काली को परमात्मा की नियामक शक्ति का प्रतीक मानते थे। वे कहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न चरणों का निर्धारण ईश्वर द्वारा स्वयं किया गया है। यह ईश्वर की ही इच्छा है कि राष्ट्र बनने से पहले भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो, जिससे भारतीय हिन्दू स्वः नियंत्रण में प्रशिक्षित हो सके। विपिन चंद्र पाल की भांति उन्हें भी भारतीय पुनरुत्थान के मूल में ईश्वर की इच्छा दिखाई दी। अरविंद के अनुसार फ्रांस की क्रांति भी ईश्वर की इच्छा का ही परिणाम थी। जब क्रांति के नेताओं - मिराबो दांते, रोबिसपियेर, नेपोलियन आदि ने अपने कार्यकलाप में भास्वरा विश्वरूपी सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा स्वरूप काली कह इच्छा (युग की आत्मा) को व्यक्त किया है। तब तक उसने उसे कार्य करने दिया। इस प्रकार का दैवीय न्यायवाद (दैवी न्याय का सिद्धांत) श्रीमद्भगवद्गीता के विचारों एवं जर्मन प्रत्ययवाद का समन्वय का प्रतीक है।

अरविंद का मानव संस्कृति एवं सभ्यता का विकासवादी सिद्धांत कार्ल लैम्पनरेच से प्रभावित था हालांकि इस प्रकार की संकल्पना का उल्लेख वेदों और पुराणों में भी देखने को मिलता है। लैम्पनरेच (Lamprecht) ने जर्मनी के राजनैतिक विकास को पाँच चरणों में उकेरा है- 1) प्रारम्भिक चरण का जर्मनी 2) प्रारम्भिक मध्य युग 3) परिक्व मध्य युग 4) पुर्नउत्थान से पुनर्जागरण तक का व्यक्तिवादी युग 5) व्यक्तिपरक चरण जिसकी शुरूआत प्राकृतवाद से शुरू होती है। अरविंद ने लैम्पनरेच के प्रकार सिद्धांत को भारत में लागू किया। अपनी पुस्तक 'द ह्यूमन साईकिल' में अरविंद ने वैदिक युग को भारतीय इतिहास का प्रतीकात्मक युग बतलाया है। वर्ण को वह प्रकारात्मक सामाजिक संस्था मानते हैं और जाति को परम्पराबद्ध सामाजिक रूप। पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण पूर्व में भी व्यक्तिवाद का युग आया और अपने साथ बुद्धि तथा स्वतंत्रता का संदेश लाया किन्तु अरविंद का विचार था कि पूर्वी जगत में बौद्धिक युग लम्बा नहीं चल सकता क्योंकि अन्तोगत्वा पूर्व के परम्परागत आत्मनिष्ठावाद की विजय होगी। अरविंद ने सभ्यता एवं संस्कृति के बीच प्रत्यात्मक भेद पश्चिमी चिंतन से ग्रहण किया किन्तु उन्होंने उसकी व्याख्या औपनिषद दर्शन के आधार पर की। उनका कहना था कि सभ्यता अर्थात् संगठित अर्थतंत्र तथा राजनीति पर आधारित समाज की स्थिति प्राण की अभिव्यक्ति है।

2.8 राष्ट्रवाद एवं मानव एकता का सिद्धांत:

अरविंद का ऐसा मत था कि कोई भी देश महानता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है यदि उसके नागरिक, राष्ट्रभक्ति, परार्थवाद एवं निस्वार्थ भावना से राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। अरविंद का मत था कि भारत का पुर्नजागरण एवं राष्ट्रीय महता साधारण व्यक्तियों की शक्तियों को उभार कर ही प्राप्त की जा सकती है। वंदे मातरम के अपने एक लेख में वे लिखते हैं कि राष्ट्रवाद साधारण अर्थों में राष्ट्र के अंदर निहित उसे दैवीय एकता की प्राप्ति है, जिसमें इकाई के रूप में उस राष्ट्र के सभी व्यक्ति समान हों। यह समानता कार्यो या दैहिक समानता की ओर इंगित नहीं करती बल्कि राष्ट्र में विद्यमान विभिन्न स्वरूपों में नागरिक संलग्नता के साथ, नागरिक के रूप में एक समानता का प्रयास है। अरविंद का विचार था कि भारत का पुनर्जागरण तथा राष्ट्रीय महता साधारण जनता की शक्तियों को उभार कर ही प्राप्त की जा सकती है।

अरविंद का राष्ट्रवाद मानव/नागरिक समानता पर बल देता है और एथेंस और रोम के दर्शन की भांति नागरिकों के एक विराट हृदय स्वरूप (विराट-पुरुष) की संकल्पना को आगे बढ़ाते हैं जो जाति, वर्ग, लिंग आदि विभेदों से ऊपर उठकर राष्ट्र की चेतना की ओर उन्मुख होंगे। यही कारण था कि उन्होंने नरमपंथियों की कार्यप्रणाली की भर्त्सना की, जो ब्रिटिश शासन को भारत के ही कल्याण के लिए ईश्वरीय विद्यमान मानते थे। उनका कहना था कि देश नए उत्साह और उमंग से स्पंदित हो

रहा है, इसलिए जनता की उस विवशता और निष्क्रियता का अंत करने का समय आ गया है, जो विदेशी साम्राज्यवादी कुशासन के कारण उत्पन्न हो गई है।

हालांकि एक विचारधारा के रूप में राष्ट्रवाद पश्चिम में उत्पन्न होता है किंतु भारत में इस संकल्पना को सांस्कृतिक स्वचेतना एवं राजनैतिक रूप से विदेशी शासन के विरोध के रूप में देखा जा सकता है। एक धर्म के रूप में राष्ट्रवाद आध्यात्मिक है न कि उग्र एवं संकुचित। अरविंद का राष्ट्रवाद संकीर्ण और कट्टरतापूर्ण नहीं था बल्कि उसका विस्तृत व्यापक और महासंधिक था। वे कहा करते थे कि राष्ट्रवाद मानव के सामाजिक एवं राजनीतिक विकास के लिए आवश्यक है। अंततोगत्वा एक विश्व संघ के द्वारा मानव की एकता स्थापित होनी चाहिए और इस आदर्श की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक नींव का निर्माण मानव धर्म एवं आंतरिक एकता की भावना के द्वारा किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र का एक परिसंघ स्थापित किया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रों के मध्य संबंध का आधार समानता होनी चाहिए न कि एक दूसरे पर नियंत्रण। इस प्रकार का मानवता आधारित राष्ट्रवाद विश्व में एक लम्बे समय तक शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

2.9 राजनैतिक दृष्टिकोण

बेन्थम के उपयोगितावाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया आधुनिक भारतीय राजनीतिक दर्शन की एक बड़ी विशेषता रही है। स्वामी विवेकानन्द एवं तिलक की भांति अरविंद ने 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख' के स्थान पर, भारतीय धर्म परम्परा से प्रभावित 'सबके कल्याण' या सर्वभूतहित के आदर्श का प्रतिपादन किया है। अरविंद के अनुसार सत्य की सत्ता आध्यात्मिक है। इसकी भौतिकता के अनुसार वस्तुपरक नहीं बनाया जा सकता है। चूंकि सत्य की सत्ता आध्यात्मिक है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में सभी प्राणियों के कल्याण को साक्षात् करने का प्रयास करें।

अरविंद आधुनिक पूंजीवाद के आलोचक थे। दादा भाई नौरोजी की भांति उन्होंने भारत के वित्तीय संसाधनों का विदेशों में निर्मम एवं साम्राज्यवादी शोषण की निंदा की है। अरविंद के अनुसार आधुनिक पूंजीवाद धन के केंद्रीयकरण को बढ़ाती है। साथ ही इसके कारण सर्वशक्तिमान निरंकुश राज्य का विकास होता है। यह दोनों ही प्रवृत्तियां मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण को बढ़ावा देती हैं। साथ ही यह सभी व्यक्तियों के कल्याण में बाधा उत्पन्न करती है। राज्य के कार्यों के प्रकार से नौकरशाही की वृद्धि होगी और उससे अत्याधिक नियमन और प्रोत्साहन मिलता है।

2.10 आध्यात्मिक स्वतंत्रता

स्वतंत्रता की मानव जीवन में महत्ता को अरविंद ने स्वीकार किया है। भारतीय परम्परा का पालन करते हुए अरविंद ने आध्यात्मिक स्वतंत्रता को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार

आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति ही वास्तविक रूप से स्वतंत्र है। मनुष्य प्रकृति की यांत्रिक आवश्यकता से तभी मुक्ति पा सकता है। जब तक वह अपने को मानसातीत आध्यात्मिक शक्ति का अभिकर्ता मात्र मानकर कार्य करने लगे। हालांकि अरविंद ने राजनैतिक तथा सामाजिक स्वतंत्रता की महता को भी स्वीकार किया है किंतु उनका मानना था कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता के बिना यह दोनों प्रकार की स्वतंत्रता मूल्यहीन है। रविंद्रनाथ टैगोर तथा अरविंद दोनों का ही मानना था कि यदि मनुष्य आध्यात्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेता है तो उसे सामाजिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता स्वतः उपलब्ध होती है। अरविंद के अनुसार अपने जीवन के नियमों का पालन करना ही स्वतंत्रता है और चूंकि मनुष्य का वास्तविक आत्म उसका बाह्य व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा है इसलिए ईश्वरीय नियमों का पालन तथा अपने जीवन के नियमों का पालन एक ही बात है। स्वतंत्रता की इस धारणा में रूसों और भगवाद्गीता के विचारों का समन्वय देखने को मिलता है।

अरविंद का मानना था कि वर्तमान समाज में अत्याधिक गिरावट आई है, जिसके कारण राजनीतिक तथा सामाजिक अराजकता उत्पन्न कर रखी है और उसका निवारण तभी हो सकता है, जब व्यक्तियों में श्रेष्ठ मानवीय गुणों को आरोपित किया जाए। एक उत्कृष्ट समाज की स्थापना उच्च आध्यात्मिक गुणों वाले व्यक्तियों पर होगा। अतः अरविंद का बल व्यक्तियों में उच्च नैतिक गुणों का आरोपण पर अधिक था। उनका कहना था कि अध्यात्मीकृत समाज का शासन आध्यात्मिकता पर आधारित होगा और ऐसे समाज में सबको समृद्ध तथा सुंदर जीवन बिताने का अवसर मिल सकेगा। उनका कहना था कि सामाजिक एवं राजनीतिक कलह, टकराव, अन्तर्विरोध तथा संघर्ष तभी समाप्त हो सकते हैं जब आत्मा में एकात्म की चेतना जाग्रत हो: ऐसी चेतना पारस्परिक सहयोग सामंजस्य तथा एकता का संवर्धन करेंगी।

राज्य

अरविंद ब्रिटिश एवं जर्मन आदर्शवादी विचारको जैसे कि टी.एच. ग्रीन, बोसाक्रे, हेगल एवं ब्रैडली के विपरीत राज्य की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। ये आदर्शवादी राज्य को सम्पूर्ण शक्ति प्रदान करते हैं और अन्य सामाजिक संस्थाओं जैसे कि परिवार, समाज चर्च आदि को राज्य के नियंत्रण के अधीन ले आते हैं किन्तु अरविंद का मानना था कि परिवार, समाज जैसी सामाजिक संस्थाओं की अपनी विशेष महता होती है और चूंकि समाज व्यक्तिगत चेतनाओं का सम्मुख है इसलिए समाज को राज्य के पूर्ण नियंत्रण में नहीं छोड़ा चाहिए। इसके विपरीत अरविंद राष्ट्र को समाज की चेतना से जनित एक संस्था माना है और ऐसे राष्ट्र के लिए 'स्वराज' ही पर्याप्त नहीं है बल्कि इसमें सभी व्यक्तियों में समानता एवं अवसर की समानता होगी।

2.11 सारांश

अरविंद भारतीय पुनर्जागरण और भारतीय राष्ट्रवाद परम्परा के एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। उनकी नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों ने भारत के समाज विशेषतौर से शिक्षित समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। दर्शन, इतिहास एवं राजनीतिक संस्थाओं के परस्पर संबंध तथा व्यक्तियों के नैतिक चेतना आधारित राजनीति की आधारशिला भारतीय दर्शन परम्परा में अरविंद का विशेष योगदान रहा है। भारत में राष्ट्रवाद को एक धर्म निरपेक्ष भारतीय परम्परा आधारित करने की भूमिका अरविंद ने ही की है और इन अर्थों में इन्होंने समाज एवं राज्य को एक सावयवी स्वरूप प्रदान किया है।

2.12 शब्दावली

दार्शनिक अराजकवाद: एक आदर्श समाज की स्थापना द्वारा राज्य की सत्ता को खत्म करना, जिसने व्यक्ति नैतिक चेतना सर्वोपरि होती है।

2.13 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन - डॉ. वी.पी. वर्मा
2. भारतीय राजनीतिक चिन्तक – के. एस. पाण्डेय

2.14 सहायक/उपयोगी सामग्री

1. एसेज ऑन द गीता
2. Political thought of Aurobindo Ghosh- M.K.Haldar

2.15 निबंधात्मक प्रश्न

1. अरविन्द के राजनितिक लक्ष्य एवं पद्धति पर एक निबंध लिखिए.
2. अरविन्द के राजनितिक विचारों एवं राष्ट्रवाद की संकल्पना की चर्चा कीजिये.

इकाई-3 : महात्मा गाँधी

इकाई की रूपरेखा

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 महात्मा गांधी

3.3.1 महात्मा गांधी का जीवन परिचय

3.3.2 महात्मा गांधी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार

3.3.3 महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आन्दोलन

3.3.4 महात्मा गांधी एवं नारी चेतना

3.3.5 महात्मा गांधी एवं सत्याग्रह आन्दोलन

3.3.6 गांधीवाद और साम्मवाद या मार्क्सवाद के नैतिक आधार

3.3.7 महात्मा गांधी की 21वीं शताब्दी में प्रासंगिकता

3.3.8 गांधी जी का सर्वोदय एवं ट्रस्टीशिप की अवधारणा

3.3.9 गांधी जी का सत्याग्रह सम्बन्धी अवधारणा-

3.3.10. गांधी जी की सत्य एवं अहिंसा की अवधारणा

3.4 सारांश

3.5 शब्दावली

3.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

3.7 सदंर्भ ग्रन्थ

3.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

3.9 निबंधात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

मोहनदास करमचन्द्र गांधी जिन्हें सम्पूर्ण विश्व भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में जानता है। महात्मा गांधी विशुद्ध दार्शनिक नहीं थे फिर भी व्यावहारिक जीवन में आन्दोलन के जो साधन और विचार अपनाये उनमें भारतीय दर्शन को लेकर पाश्चात् चिन्तन के कई विचारक का जैसे-टॉलस्टाय, थोरो आदि का प्रभाव था। गांधी जी परम्परागत अर्थों में न राजनीतिक दार्शनिक थे, न ही ऐसा होने का उन्होंने दावा किया।

गांधी जी दार्शनिक से अलग एक क्रियाशील व्यक्ति थे परन्तु उन्होंने समाज और राज्य में मूलभूत परिवर्तन लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किये और शक्तिशाली साधनों का विकास किया जिससे राजनीतिक दर्शन में नवीन मान्यताओं का सूत्रपात हुआ और इन्हीं मान्यताओं के आधार पर गांधीवादी विचार धारा का विकास हुआ। गांधीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके आधारभूत सिद्धान्त है-सत्य और अहिंसा ये सिद्धान्त उसकी आत्मा के प्रतीक हैं जिनके चारों तरफ गांधीवाद रूपी शरीर का ताना-बाना बुना गया है।

महात्मा गांधी ने सदैव अपने को विश्व का नागरिक समझा और उस रूप में अपने कार्यों को अधिक महत्व दिया। दक्षिण अफ्रीका तथा भारत की राजनीति उनकी प्रयोगशाला थी जिसमें उन्होंने अपने सत्य अहिंसा सम्बन्धी सिद्धान्त का परीक्षण किया। गांधी के संदेश की सार्थकता पर बल देना आवश्यक है। इस युग में जब सामूहिक संहार ने शक्तिशाली वाह्य अस्त्रों ने मानवीय व्यवस्था को बुरी तरह झकझोर दिया है, गांधी जी मानवीय मूल्यों का संदेश देते हैं। आधुनिक जगत के राजनीतिक आदर्श माल्थस, डार्विन और नीत्से के इस सिद्धान्त से निर्धारित हो रहे हैं कि जीवन-शास्त्रीय नियमों के अनुसार बलशाली की दुर्बलों पर विजय प्राकृतिक और आवश्यक है। यही कारण है कि आधुनिक बुद्धिवादी के लिए प्रारम्भ में गांधी जी के उस संदेश को अंगीकार करना कठिन हो जाता है। क्योंकि उनका संदेश वेदान्तियों, बौद्धों, स्टाइकों और ईसाइयों की इस धारणा का सार है कि अन्त में विजय सत्य की ही होती है न कि सबसे अधिक बलशाली की। इस युग में जब वीभत्सतापूर्ण आतंक, गोपनीयता की प्रवृत्ति तथा जासूसी पराकाण्ठा पर पहुंच गयी हैं, गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्य और सर्जनात्मकता अहिंसा का संदेश अति पुरातन जान पड़ता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि आज बिना संवाद और अध्यात्म के हम उदारीकरण के इस युग में अपने को स्थापित नहीं कर सकते।

दुनिया की राजनीति में संभावतः महात्मा गांधी ही एक ऐसे अपवाद थे जो आजादी के कर्त्ता-धर्ता होकर भी आजादी के बाद भी सत्ता से दूर रहे। गांधी जी का व्यक्तित्व दुनिया के सभी राजनीतियों से अलग है। कारण उन्होंने जहां सत्ता की राजनीति से अपने को पृथक् रखा, वहीं दुनिया का हर

राजनेता सत्ता के पीछे पागल बना रहा। गांधी जी व्यवस्था चाहते थे इसलिए उन्होंने राजनीति में नीति को प्रमुखता दी। सत्य, अहिंसा असहयोग आदि उन्होंने अस्त्र बनाए, जिनके सम्बन्ध में अनेक भ्रान्तियों प्रारम्भ हुई, लेकिन बाद में हर व्यक्ति गांधी- दर्शन का कायल हो गया।

बीसवीं शदी में दुनिया की राजनीति को कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी ने समान रूप से प्रभावित और उद्धेलित किया। इसका मुख्य कारण यह था कि दोनों ने अपने जीवन से एक सौ साल आगे के काल को अपने सामने रखा। यही कारण है कि झंझावतों के बावजूद आज या कल न तो मार्क्स मरेंगे और न गांधी की मौत होगी।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अन्तर्गत महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विस्तारपूर्वक विवेचन किया जायेगा। महात्मा गांधी का जीवन परिचय महात्मा गांधी का राष्ट्रीय आन्दोलन में भूमिका, गांधी जी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार क्या थे। उनके विचारों की वर्तमान वैश्विक संदर्भ में क्या प्रासंगिकता है। क्या गांधी जी के सत्य एवं अहिंसा का सिद्धान्त आज के इस मारक युग में प्रासंगिक है कि नहीं? आदि बातों का विस्तारपूर्वक विवेचन किया जायेगा, गांधी जी के विचारों की गहरी समझ वर्तमान आनुधिक युग में प्रत्येक नागरिक के लिए अति आवश्यक हो जाती है। अतः आप इस इकाई के सम्यक एवं गहन अध्ययन के पश्चात आप:-

1. गांधी जी के महत्व को समझ सकेंगे।
2. गांधी जी के सात्विक जीवन के विषय में जान सकेंगे।
3. गांधीवाद क्या है इसकी समझ हो सकेगी।
4. गांधी जी का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं देश की आजादी में क्या योगदान था यह जान सकेंगे।
5. गांधी जी के जीवन की क्या उपलब्धियां रही हैं और उन्होंने समाज एवं देश को क्या दिया है यह भी आप समझ सकेंगे।
6. गांधी जी 21वीं शताब्दी में क्या प्रासंगिक है। इससे भली-भांति परिचित हो सकेंगे।

3.3 महात्मा गांधी

इस इकाई के अन्तर्गत हम महात्मा गांधी का जीवन परिचय, महात्मा गांधी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार, गांधी एवं राष्ट्रीय आन्दोलन, गांधी जी एवं नारी चेतना, तथा राष्ट्र निर्माण में

गांधी जी का योगदान आदि विषय पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का मार्क्स से तुलनात्मक अध्ययन एवं गांधी जी का 21वीं सदी में उनकी वैश्विक प्रासंगिकता तथा उनकी उपलब्धियां तथा देन आदि विषय पर विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

3.3.1 महात्मा गांधी का जीवन परिचय

महात्मा गांधी एक महान् युग प्रवर्तक महापुरुष थे। उनके जीवन का एक-एक पल लोकहित और राष्ट्र के निर्माण के लिए संपूर्णरूप से समर्पित था। यद्यपि उनका जन्म 02 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबन्दर नामक स्थान पर हुआ था किन्तु अपने समर्पित सादा जीवन और अनुकरणीय कार्यों के परिणामस्वरूप गांधी जी मात्र गुजरात और पोरबन्दर के ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत के प्रिय और सम्पूर्ण विश्व के अनुकरणीय आदर्श के प्रतीक सिद्ध हो गये। उनके गुण अपने पूर्वपुरुषों द्वारा विरासत में प्राप्त हुए थे। गांधी वंश में उत्तमचन्द्र नामक एक महापुरुष उस समय के सौराष्ट्र नामक राज्य के मंत्री थे। उनके छः पुत्रों में वीरोचित विचारों से युक्त, सत्यवादी और सभी को अपने गुणों और कार्यों से प्रभावित करने वाले करमचन्द्र सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गये। उन करमचन्द्र के यद्यपि चार पत्नियां थीं किन्तु पुतली नामक उनकी पत्नी सभी गुणों से युक्त और उत्तम स्वभाव से युक्त एक आदर्श गृहिणी थीं। उन्होंने गांधी जी को जन्म दिया जिनका नाम परम्परानुसार मोहनदास करमचन्द्र गांधी हुआ। यही आगे चलकर महात्मा गांधी के रूप में प्रसिद्ध हो गये।

गांधी अपने शरीर और सुख की कभी चिन्ता नहीं किया। सभी के कल्याण के लिए उन्होंने अपना जीवन सदा के लिए समर्पित कर दिया। अधोलिखित पद्य के भाव उन गांधी जी के संदर्भ में पूर्णतः संगत हैं-

परोपकारैकधियः स्वसुखाय गतस्पृहाः।

परोपकाराव जायन्ते महात्मानो महाव्रताः॥-(संस्कृत मुक्तावली पृष्ठ-12)

ऐसे महाव्रती महात्मा के रोम-रोम के अन्तर्गत उनके माता और पिता के गुणों का अमित एवं अमिट प्रभाव असंख्य गुण उनके दुर्बल शरीर में विद्यमान रहते थे। निर्भीकता और सहनशीलता उनमें भरी पड़ी थी। मतलब भर के काम चलाऊ मात्र वस्त्र धारण कर पद-यात्रा करना तथा सर्वधर्म में समभाव स्थापित करना उनके जीवन का विशेष लक्ष्य था। स्वदेश वस्तुओं और स्वोपार्जित वस्तुओं के प्रति उनका विशेष लगाव हुआ करता था। अपने जीवन को यथार्थ बनाने, स्थिरप्रतिज्ञ होने और दरिद्रता तथा दासता से पीड़ित जनता को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से ही उन्होंने अपना जन्म स्वीकार किया था।

3.3.2 महात्मा गांधी के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार

उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी के लगभग सभी भारतीय चिन्तकों एवं महापुरुषों का चिन्तन जीवन के सभी क्षेत्रों से सम्बद्ध रहा है। भारत की राजनीतिक पराधीनता के फलस्वरूप देश के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण, स्वतंत्रता आन्दोलन छेड़ने के साथ ही देश के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में भी सुधार की आवश्यकता अनुभव की गयी, केवल राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं था। गांधी जी से पूर्व राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, अरविन्द, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, लोकमान्य तिलक, आदि अनेक सामाजिक सुधारक हो चुके थे। राजा राममोहन राय द्वारा रोपी गयी भारतीय पुनर्जागरण की बेल जिसे पनपाने में स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द आदि ने योगदान दिया था जो गांधी जी के प्रयत्नों से परिपक्व हुई। राजा राममोहन राय ने नारी उद्धार एवं शिक्षा का उत्थान आरम्भ किया। स्वामी दयानन्द ने अस्पृश्यता, शूद्र व नारी शिक्षा, स्व की भावना तथा धार्मिक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों के त्याग का मंत्र तथा वैदिक सभ्यता की रक्षा का आह्वान किया। स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय आध्यात्मिकता की रक्षा, पाश्चात्य भौतिक सभ्यता के अनुकरण न करने का परामर्श और सर्वधर्म समन्वय, विश्व-बन्धुत्व एवं सेवा का उपदेश तथा भारत में सर्वप्रथम प्रबल स्वाभिमान की भावना उत्पन्न की। सुधारकों ने बाल-विवाह, बहु-विवाह, कन्या-वध, बलात वैधव्य व सती प्रथा समाप्त करने का प्रयास किया। स्त्रियों व शूद्रों के उत्थान के मार्ग की बाधाओं, अन्धविश्वासों एवं प्रचलित रूढ़ियों के विरुद्ध उन्होंने जोरदार आन्दोलन छेड़ा। महात्मा गांधी के जीवन, चिन्तन, शिक्षाओं और कार्यों में भारतीय पुनर्जागरण अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ। गांधी जी के अभ्युदय से राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य बदल गया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त अभिजन की दृष्टि में अहिंसा, औद्योगीकरण, शिक्षा, यौन और विवाह सम्बन्धी उनके विचार असंगत (विलक्षण) और पुराने ढर्रे के प्रतीक होते थे। परन्तु उनके निधन के लम्बे समय के बाद वे अद्भुत रूप से आधुनिक प्रतीत होने लगे हैं। अल्पविकसित विश्व की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के सर्वेक्षण के दौरान गुन्नार मिर्डाल ने गांधी जी को समस्त व्यावहारिक क्षेत्रों में एक प्रबुद्ध उदारवादी घोषित किया।

आज की राजनीतिक परिस्थिति में नैतिकता का सर्वथा अभाव है। अहिंसा तथा सत्य के सिद्धान्तों की चर्चा करना मूर्खता समझी जाती है। सामान्यतः शासनतंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। समाज का राजनीतिक ढांचा नैतिकता विहीन हो जाय यह गंभीर चिन्ता का विषय है। अतः राजनीतिक संदर्भों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है।

गांधी जी ने विकेन्द्रीकरण की बात कहीं थी और उसका कुछ समावेश संविधान में हुआ था। राज्यों को संविधान में बहुत से अधिकार दिये गये थे। उदाहरण के लिए शिक्षा राज्य का विषय थी किन्तु 1976 में उसे समवर्ती सूची में ला दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि शिक्षा के ऊपर केन्द्रीय नियंत्रण बढ़ गया। वैसे शिक्षा में विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण उसी केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया के अंग थे।

सारे देश के लिए एक रूप पाइयक्रम बनाना और चलाना उसी केन्द्रीकरण की प्रक्रिया का एक स्वरूप है।

गांधी जी मुख्यतः व्यक्तिवादी थे और व्यक्ति के प्रति उनकी अपार आस्था थी, यद्यपि पूरे समाज और विश्व को उन्होंने अपने सक एक रूप कर रखा था। वे वास्तव में व्यक्ति और समाज में कोई द्वन्द्व या भेद नहीं मानते थे। किन्तु आज का युग समाजीकरण का युग है। समाज के सामने व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। समाजवाद के प्रभाव में उत्पादन और वितरण के अनेक क्षेत्रों का समाजीकरण हो चुका है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही एक अंग हैं। व्यक्ति की पूंजी, सम्पत्ति और सामान्य जीवन पर राज्य का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। जहां पूंजीपतियों के शोषण की समस्या थी वहां अब राज्य व्यक्ति का शोषण कर रहा है।

वर्तमान समय में पूरा शासनतंत्र भ्रष्ट चुनाव की प्रक्रिया पर आधारित है। करोड़ों रुपये चुनाव में खर्च करके जो पार्टियां गलत तरीकों से सत्ता में आती हैं वे उन लोगों के नियंत्रण में रहती हैं जो चुनाव में उन्हें धन देते हैं। आज राजनीति जनहित के बजाय स्वार्थ और लोक-सेवा के बजाय लोकशोषण पर केन्द्रित है। पदलोलुपता का बोलबाला है और कोई काम बिना घूस के नहीं हो सकता है। इस राजनीति का यदि कोई विकल्प नहीं सोचा जाता है तो नागरिक जीवन सुरक्षित और सुखी रहना असंभव है।

गांधी जी के जीवन का अंतिम चरण द्वितीय महायुद्ध के विषाक्त वातावरण और उसके दूरगामी प्रभावों से आच्छादित था। आज इतने वर्ष के बाद युद्ध के बादल फिर गरज रहे हैं। गांधी जी ने जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया था वह संकुचित राष्ट्रवाद पर नहीं बल्कि समस्त मानवता के कल्याण की भावना पर आधारित था। आज राष्ट्रों के बीच में परस्पर अविश्वास, घृणा और विद्वेष की भावना अधिक बलवती है। इसके अतिरिक्त पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के शोषण के जो तरीके पहले थे वे आज अधिक परिमार्जित और प्रच्छन्न रूप से प्रभावी हैं।

गांधी जी के राजनीतिक दर्शन में युद्ध का कोई स्थान नहीं था। हर बात में समझौते, सद्भावना और हृदय परिवर्तन से सुलझाना उनके दर्शन का मूलमंत्र था। प्रश्न यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किस राजनीति को अपनाना है-युद्ध की राजनीति अथवा शान्ति की? और आज यह प्रश्न जितना ज्वलंत है और संदर्भ जितना सार्थक है उतना कदाचित् मानव-जीवन के इतिहास में कभी नहीं था।

3.3.3 महात्मा गांधी एवं राष्ट्रीय आन्दोलन

दक्षिण अफ्रीका से 1918 में भारत आने के बाद गांधी जी ने गुजरात प्रान्त के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानकर उन्हीं के निर्देश पर भारतीय राजनीति का अध्ययन प्रारम्भ किया। 1917 ई० के चम्पारन सत्याग्रह के अन्तर्गत गांधी ने बिहार के चम्पारन जिले में नील की खेती करने

वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किये जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आन्दोलन चलाया जिसमें उन्हें सफलता मिली। इस आन्दोलन में गांधी जी का सहयोग मजरूल हक, आचार्य कृपलानी एवं महादेव देसाई ने किया। आन्दोलन के इन्हीं दिनों में रवीन्द्र नाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी तथा बापू की उपाधि सुभाष चन्द्र बोस ने दी।

खेड़ा में किसानों पर अधिक कर का बोझ सरकार द्वारा डाले जाने पर गांधी जी ने यहां के किसानों का नेतृत्व किया। उन्होंने 1918 ई० में खेड़ा में कर नहीं दो आन्दोलन चलाया। साथ ही सत्याग्रह का प्रयोग किया जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कर की दर कम करवाने में सफलता मिली। 1918 ई० में गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूरों की वेतनवृद्धि के लिए आमरण अनशन किया। अनशन के चौथे दिन ही सरकार मजदूरों की मांग मानने के लिए विवश हो गयी।

गांधी जी चूंकि गोखले से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता की जिससे खुश होकर सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिन्द सम्मान से सम्मानित किया। परन्तु शीघ्र ही गांधी जी विदेशी सरकार से निराश होने लगे, फलस्वरूप वे सरकार के सबसे बड़े असहयोगी बन गये। गांधी जी को असहयोगी बनाने के लिए उत्तरदायी कारकों में महत्वपूर्ण थे-रौलट ऐक्ट, जलियावाला बाग हत्याकाण्ड, खिलाफत समस्या आदि। गांधी जी ने 1919 ई० में खिलाफत आन्दोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजी को शैतानी लोग कहा और 1920-22 ई० तक असहयोग आन्दोलन चलाया। 1920 ई० में यंग इण्डिया एवं नवजीवन समाचार पत्रों की स्थापना की। उन्होंने 1924 ई० के बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1930 ई० में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अंतर्गत 6 अप्रैल 1930 को 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए डाण्डी समुद्र तट के लिए यात्रा आरम्भ की। 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी 1931 को एक संधि हुई जिसे गांधी-इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नवम्बर, 1931 में गांधी जी ने लन्दन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया। गांधी जी दलितों के पृथक निर्वाचन प्रणाली के विरोध में 1932 ई० जेल में आमरण अनशन किया, फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। 7 अप्रैल, 1934 को गांधी जी ने सरकार के प्रति असहयोग की नीति अपनायी। 1940 ई० में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहर लाल नेहरू थे। मार्च 1942 में भारत आये क्रिप्स मिशन द्वारा मई, 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने कहा कि उत्तरतिथीय चेक ; है। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने ऐतिहासिक अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस से पास करवाया, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी के सतत् प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 18 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया।

3.3.4 महात्मा गांधी एवं नारी चेतना

गांधी के लिए औरतें बेजुबान और गुमनाम महिला शक्ति मात्र नहीं थीं जिसमें शक्ति का संचार किया जाना जरूरी थी, बल्कि उनके लिए महिलाएं उच्चतर मानवीय मूल्यों जैसे करुणा बलिदान का प्रतीक थीं। वे उन्हें महज घर की शोभा बढ़ाने वाली वस्तु या गृहस्थी की चक्की में पिसती रहने वाली सदस्य नहीं मानते थे। गांधी जी का कहना था मैं महिलाओं को घरेलू दासता को बहशीपन की निशानी मानता हूँ। मेरे राय में रसोई घर की दासता केवल बर्बरता का ही अवशिष्ट रूप है। अब समय आ गया है कि महिलाओं को इस दासता से मुक्त कराया जाये महिलाओं का सारा समय सिर्फ घरेलू काम में नहीं बिताना चाहिए।

गांधी जी ने पर्दा, कुप्रथा और नारी की पवित्रता को लेकर महिलाओं की अत्यधिक फिक्र पर भी प्रहार किये। अपनी स्पष्ट वादी शैली में उन्होंने कहा अगर महिलाओं को पुरुषों की पवित्रता के बारे में कुछ कहने का अधिकार हो तो क्या वे भी शुचिता के बारे में इसी प्रकार व्यग्र रहेंगे? अगर उसका उत्तर नहीं में है तो पुरुषों को इस बात का क्या अधिकार है कि वे शुद्धता को लेकर अपनी मर्जी दूसरे पर थोपें। उन्होंने भारत की महिलाओं से आग्रह किया कि वे एक जोरदार झटके के साथ पर्दे को फाड़ डालें, इसी तरह वे कहते थे शुचिता किसी बन्द कमरे में रखकर उगाया जाने वाला पौधा नहीं है, इसे किसी पर थोपा नहीं जा सकता पर्दे की दीवारें बना कर इसे तो अन्दर से उत्पन्न होना चाहिए और अगर शुचित का कोई मूल्य है तो यह यही है कि इसे किसी भी प्रलोभन से बचाने में सक्षम होना चाहिए।

महात्मा गांधी के दर्शन, संघर्ष एवं विचारों ने पूरे भारत में स्वतंत्रता की चेतना को उत्पन्न किया, जिसके फलस्वरूप शताब्दियों से पराम्पराओं की वर्जनाओं में जकड़ी नारी भी आन्दोलन और संघर्ष के मार्ग पर बेधड़क निकल पड़ी। गांधी ने 'यंग इण्डिया', 'हरिजन' आदि रचनाओं और भाषणाओं में नारी को माता, पृथ्वी, गुरु आधी सृष्टि, सहगामिनी आदि कहकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। गांधी जी मानते थे कि जब तक आधी आबादी राष्ट्रीय आन्दोलन से नहीं जुड़ेगी, तब तक यह आन्दोलन जन आन्दोलन नहीं बनेगा। इसलिए उन्होंने नारियों को सूत कातना, स्वदेशी वस्त्र धारण करना, छुआछूत न मानना, प्रभातफेरी एवं प्रार्थनाओं में अधिकाधिक हिस्सा लेने के लिये प्रेरित किया, उन्हें घर की चहरदीवारी से बाहर निकाल कर सार्वजनिक जीवन में प्रविष्ट कराया। जिससे नारियों में आत्मविश्वास और नेतृत्व का विकास हुआ।

3.3.5 महात्मा गांधी एवं सत्याग्रह आन्दोलन

सत्याग्रह का अर्थ सत्य के प्रति अग्रह या सत्य पर निश्चित रहना है। परन्तु गांधीवादी परिभाषा में ही सत्याग्रह उसके एक राजनीतिक शस्त्र या साधन होने का इशारा है। गांधीवाद के अनुसार सत्याग्रह सत्याप्रति परिभाषा इस प्रकार है- सत्यादि धर्मों का पालन करने का आग्रह और अधर्म का सत्यादि द्वारा ही विरोध। गांधीवादी नजर से सत्याग्रह का उद्देश्य अपने उद्देश्य या विकास के लिये हिंसा किये

बिना प्रयत्न करना है। महात्मा गांधी अहिंसा और नानवायलेन्स शब्दों का प्रयोग अपने राजनीतिक आन्दोलनों के कार्यक्रम का रूप बताने के लिये करते थे। उनकी व्यवस्था के अनुसार अहिंसा और नानवायलेन्स का अर्थ अपने उद्देश्य के लिये किसी प्रकार की शारीरिक शक्ति का प्रयोग न करना है। विपक्षी द्वारा अपने विरुद्ध शारीरिक बल का प्रयोग करने पर शारीरिक शक्ति द्वारा आत्म रक्षा या प्रतिकार का उपाय न करके, विरोधी का चोट सह लेना और स्वयं कष्ट सहने के हठ द्वारा विपक्षी को परास्त कर देने का निश्चय था। शारीरिक शक्ति का उपयोग न करने अथवा स्वयं सह लेने को ही अहिंसा की कसौटी नहीं मान लिया जा सकता। शारीरिक शक्ति का प्रयोग किये बिना केवल जिद से दूसरे व्यक्ति को विषम परिस्थिति में डाल देने के व्यवहार को केवल इसलिए सही नहीं कहा जा सकता, कि शारीरिक शक्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इस प्रकार के व्यवहार को निष्क्रिय हिंसा ही कहा जायेगा। सत्याग्रह का व्यावहारिक अर्थ अपने लक्ष्य या उद्देश्य के लिये शारीरिक शक्ति का प्रयोग किये बिना स्वयं कष्ट सहकर दृढ़ता पूर्वक प्रयत्न करना ही है। गांधी जी ने सत्याग्रह के दो रूप माने हैं- पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह दूसरा सामूहिक सत्याग्रह। गांधी जी ने **सत्याग्रह के लिये परिस्थिति के अनुसार निम्नलिखित साधनों** को अपनाये जाने का सुझाव दिया है-

असहयोग, सविनय अवज्ञा, स्वेच्छिक पलायन, अनशन या उपवास, धरना, हड़ताल, सामाजिक बहिष्कार,

गांधी जी ने साधनों की तुलना बीज से की है-साधनों की तुलना बीज से की जा सकती है और साध्य की वृक्ष से। जो अटूट सम्बन्धी वृक्ष और बीज में है वही साध्य और साधन में है। कहा जाता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध अर्थात् सत्याग्रह दुर्बलों का हथियार है लेकिन सत्याग्रह का केवल ताकतवर ही इसका इस्तेमाल कर सकता है। यह निष्क्रिय प्रतिरोध की शक्ति नहीं है। इसके लिये तो सघन सक्रियता चाहिए, दक्षिण अफ्रीका का आन्दोलन निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय आन्दोलन था। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रह कभी भी अपने शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता है। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिये कोई स्थान नहीं होता है।

सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिये इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। गांधी जी ने सत्य, अहिंसा के बल पर ही भारत को आजादी दिलायी। देश एवं विदेश में अपने नाम का लोहा मनवाया।

महात्मा गांधी ने युद्ध और क्रान्ति के बिकल्प के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में सत्याग्रह के साधन का सफलता पूर्वक प्रयोग किया और यह सिद्ध किया कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में इसका प्रयोग युद्ध एवं क्रान्ति के समय में समान महत्वपूर्ण है। मार्क्स अवलेनिन जिस परिवर्तन को हिंसापूर्ण क्रान्ति से करना चाहते थे, गांधी जी उसे अहिंसक सत्याग्रह से सम्पन्न किया।

3.3.6 गांधीवाद और साम्यवाद या मार्क्सवाद के नैतिक आधार

गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय अर्थात् सभी का सर्वांगीण विकास का सिद्धान्त तथा समाजवादी दृष्टिगत कुछ ऐसे ही हैं जिससे यह भय हो सकता है कि गांधीवाद एवं मार्क्सवाद या साम्यवाद प्रायः एक से हैं। हिंसा रहित साम्यवाद गांधीवाद तथा साम्यवाद हिंसायुक्त गांधीवाद है।

अमेरिका के सुप्रसिद्ध पत्रकार लुई फिशर ने सन् 1946 में जुलाई के अन्तिम सप्ताह में गांधी जी के पंचगनी में विविध विषयों पर चर्चा की है उस दिन फिशर से गांधी जी ने स्पष्ट कहा था-“मैं अपने आपको साम्यवादी ही कहता हूँ।”

सुप्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री कुमारप्पा का भी कथन है “जहां तक हम भौतिक हित के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, साम्यवाद, समाजवाद और गांधीवाद में कोई अन्तर नहीं हो सकता है।” इससे स्पष्ट होता है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद में कुछ नैतिक आधार सामान्य है जो निम्नलिखित हैं-

1. श्रमिकों के लिए आर्थिक सामाजिक न्याय।
2. आधुनिक समाज व्यवस्था में निम्न वर्गों का शोषण।
3. गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों ही यह विश्वास करते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जन्म से समान होता है और इसलिए सबको समान अवसर पाने का अधिकार है।
4. गांधी जी और मार्क्स द्वारा प्रस्तुत समाज में सभी सदस्य बराबर दर्जे के होंगे।
5. मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों ही विश्वास करते थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के बिना आधारहीन और अर्थहीन है जहां गांधी जी ने लिखा है “मेरे स्वराज्य का सपना गरीबों के स्वराज्य का है” वहां मार्क्स ने “सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना” के पक्ष में दी है।
6. गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों ही राज्यहीन समाज की स्थापना के पक्ष में थे गांधी जी ने लिखा है कि “राज्य हिंसा का केन्द्रीकृत और संगठित रूप है” इसलिए इससे दूर ही रहना उचित है।
7. गांधीवाद और साम्यवाद दोनों ही चाहते हैं कि राष्ट्रीय धन का समान वितरण होना चाहिए क्योंकि इसके बिना समाज में पाई जाने वाली आर्थिक असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकता और आर्थिक असमानताओं को दूर किये बिना स्वतंत्रता का कोई भी अर्थ नहीं है।

मार्क्स अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हिंसा या क्रान्ति का प्रयोग करते हैं जबकि गांधी जी का साधन पूर्णतया अहिंसात्मक है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि गांधीवाद और मार्क्सवाद के उद्देश्य में प्रचुर समानता है लेकिन उद्देश्यों की पूर्ति के साधनों में पूर्णतया भिन्नता है।

3.3.7 महात्मा गांधी की 21वीं शताब्दी में प्रासंगिकता

गांधी जी ने भारत की सामाजिक समस्याओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था वे समस्याएं जो हमारे सामाजिक ढांचे को खोखला कर रही थी इन समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक था, उनकी दृष्टि गहन थी। गांधी जी ने सामाजिक बुराईयां आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्थिरता तथा व्यवस्था को स्थायी रूप से दूर करने का प्रयास किये थे।

गांधी जी जिन्हें लोग प्यार से बापू कहते हैं भारतीय रंगमंच पर 1919 से 1948 तक इस प्रकार छाये रहे कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधीवादी ही कहा जाता है। शान्ति और अहिंसा के दूत, गांधी का संदेश समस्त विश्व के लिये है और उससे मानव जाति प्रभावित है। गांधी जी पहले भी प्रासंगिक थे और आज भी प्रासंगिक हैं और जैसे-जैसे विश्व में विध्वंशक अस्त्र एवं शस्त्रों का विकास होता जायेगा वैसे-वैसे गांधी जी और उनके विचार तथा साधन और प्रासंगिक होते जायेंगे। अफ्रीकी नेता नेन्सन मण्टेला के प्रेणा गांधी जी ही थे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से लेकर मार्टिन लुथर किंग आदि गांधी जी के प्रसंशक एवं समर्थक हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में अफ्रीकी महादीप के 50 अफ्रीकी देशों के युवा नेताओं को सम्बोधित करते हुये कहा कि आज के बदलते परिवेश में युवाओं को गांधी जी से प्रेरणा लेने की जरूरत है। गांधी एक युग पुरुष हैं भारत की दासता को छिन्न-भिन्न करने वाले निःशस्त्र योद्धा हैं, स्वराज के संदेहवाहक एवं दीन-हीन दुखियों के दाता, नारी जाति, अस्पृश्यता, ग्रामीण जनता, श्रमिक वर्ग के लिये उनके हृदय में अपार सम्मान था, उन्होंने मनुष्य की पीड़ा का निकट से अनुभव किया और उसको दूर करने का प्रयास भी किया। गांधी जी राष्ट्र धर्मनिष्ठ थे गांधी जी का पूरा जीवन समाज के हित के लिये लगा रहा, डॉ० के०एम० मुन्शी ने गांधी जी के विषय में बताया है कि गांधी जी ने अराजकता पायी एवं व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, कायरता पायी उसे साहस में बदल दिया अनेक वर्गों के विभाजन जन समूह को राष्ट्र में बदल दिया, निराशा को सौभाग्य में बदल दिया और बिना किसी प्रकार की हिंसा या नैतिक शक्ति का प्रयोग किये एक साम्राज्यवादी शक्ति के बन्धनों का अन्त कर दिया और विश्व शान्ति को जन्म दिया। विदेशों में तो गांधी के कद्रदानों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, इस शताब्दी में इनकी प्रामाणिकता और बढ़ी है निःसंदेह गांधी प्रासंगिक हैं, आधुनिक एवं नैतिक क्रान्ति के उद्गाता हैं, अध्यात्मिक राजनीति के पुरोधा हैं, शान्ति के संदेह वाहक और अहिंसा के पुजारी हैं, वे मानवतावादी, राष्ट्रवादी एवं नैतिक यथार्थवादी हैं। गांधी एक दर्शन है, एक विचार है, धर्म है, कर्म है, और मानवता तथा विश्व शान्ति का मर्म है।

3.3.8 गांधी जी का सर्वोदय एवं ट्रस्टीशिप की अवधारणा

गांधी के सर्वोदय की जड़े प्राचीन भारतीय दर्शन में थीं। उन्हें वेदान्त की इस धारणा से कि सभी प्राणियों में अध्यात्मिक एकता है और गीता तथा बुद्ध के सर्वभूतहित के आदर्श से प्रेरणा मिली थी। सर्वोदय का व्यापक आदर्शवाद, लॉक के बहुसंख्यावाद, मार्क्स गुप्तोचित्त्व के वर्ग और जातीय

संघर्ष के सिद्धान्त तथा वेन्थम के 'अधिकतम संख्या का अधिकतम सुख' के आदर्श के विरुद्ध है। एक दृष्टि से प्लेटों और गांधी में बहुत साम्य है प्लेटों ने अपनी रिपब्लिक में काल्पनिक आदर्शवाद का प्रतिपादन किया है। किन्तु लॉज तथा स्टेट्समैन में उसने मानव स्वभाव तथा सामाजिक व्यवस्था की यथार्थवादी आवश्यकता का ध्यान रखा है।

गांधीवादी सर्वोदय सिद्धान्त के अनुसार एक आदर्श समाज में न केवल मजदूरों के ही, बल्कि समाज के विभिन्न व्यवसायों में लगे हुये नागरिकों के भी पारिश्रमिक समानता होनी चाहिए। समाज के सभी लोगों को अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुसार साधन मिलने चाहिए। इस प्रकार सामाजिक एवं आर्थिक बुराइयों के स्थायी उपचार के लिए गांधी जी ने वकील, डाक्टर, अध्यापक और मंत्री आदि सभी पेशों के लोगों को समान पारिश्रमिक देने का एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त संसार को दिया।

श्रम-विभाजन के इस क्रान्तिकारी सिद्धान्त के अनुसार प्रथम चरण में प्रत्येक मनुष्य की अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए साधन होना चाहिए। कहीं भी अनावश्यक संग्रह न हो। आर्थिक समता के प्रारम्भिक आधार के रूप में प्रत्येक परिवार के लिए संतुलित भोजन, स्वच्छ आवास, चिकित्सा-व्यवस्था तथा बच्चों की शिक्षा की सुविधा आवश्यक है। आर्थिक समता से गांधी जी का यह अभिप्राय नहीं है कि सभी व्यक्तियों की सम्पत्ति बिल्कुल समान रूप से बंट जाय। ऐसी समता न तो सम्भव ही है, न उचित ही। ऐसी समता का केवल सांख्यिक महत्व होगा। अरस्तु की तरह आनुपातिक समानता के सिद्धान्त को गांधी जी नहीं मानते थे। अरस्तू के अनुसार गुण और उपलब्ध को ध्यान में रखकर समता की स्थापना होनी चाहिए। गांधी जी के इस कथन से वकील और भंगी को समान पारिश्रमिक मिलना चाहिए। इससे साफ जाहिर है कि वे अरस्तू के सिद्धान्त का खण्डन करते हैं। आर्थिक समता लाने के चर्खा और उससे संबंधित उद्योगों का सहारा लेना अत्यन्त आवश्यक है। इनके सहारे बहुत हद तक सामाजिक तथा आर्थिक समता प्राप्त हो सकती है। गांधी जी व्यक्तिगत शारीरिक श्रम पर जोर देते थे। उन्होंने लिखा है, "मेरी योजना के अनुसार राज्य सिर्फ नागरिकों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही रहेगा। राज्य न तो जनता पर अपना हुकुम लादेगा और न वह अपनी मरजी के मुताबिक काम करने के लिए उन्हें बाध्य ही करेगा। घृणा को हटाकर प्रेम की शक्ति से लोगों को अपने विचार के अनुकूल बनाते हुए मैं अहिंसा के जरिये आर्थिक समता की स्थापना करूँगा। जब तक पूरा समाज मेरे विचार के अनुकूल नहीं हो जाता तब तक मैं इन्तजार नहीं करूँगा बल्कि स्वयं इसे शुरू कर दूँगा। यदि मैं खुद 50 मोटरकार या 10 बीघे भूमि का मालिक रहूँ तो यह साफ जाहिर है कि मैं अपने सिद्धान्त के अनुरूप आर्थिक समता नहीं ला सकता। उसके लिए मुझे अपने को सबसे गरीब आदमी के स्तर पर लाना होगा।

संरक्षकता (ट्रस्टीशिप) का सिद्धान्त-महात्मा गांधी आर्थिक विषमताओं का अन्त करने के पक्ष में थे, लेकिन वे आर्थिक समानता स्थापित करने के साम्यवादी ढंग से सहमत नहीं थे, जिसके अन्तर्गत धनिकों से उनका धन बलपूर्वक छीनकर उसका सार्वजनिक हित में प्रयोग करने की बात कही जाती

है। गांधी जी का विचार था कि हिंसात्मक होने के कारण साम्यवादी पद्धति उपयोगी नहीं हो सकती और पूंजीपति वर्ग को पूर्णतया नष्ट कर देने से समाज उनकी सेवाओं से वंचित रह जायेगा। इस सम्बन्ध में गांधी जी का विचार था कि यदि सत्य और अहिंसा के आधार पर सार्वजनिक हित के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति ली जा सके तो ऐसा अवश्य ही किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। इसका यह मतलब है कि धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन, जायदाद, कारखाने तथा विविध प्रकार की सम्पत्ति का अपने को स्वामी न समझे अपितु इसे समाज की अमानता या धरोहर माने, उसका उपयोग अपने लाभ के लिए नहीं अपितु समाज के कल्याण के लिए करें। गांधी जी का यह सिद्धान्त अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। अपरिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि किसी के पास अधिक सम्पत्ति हो गयी है तो उसे उसको अपनी न समझ कर ईश्वर की तथा समाज की समझनी चाहिए। संसार की सभी वस्तुओं पर ईश्वर का स्वामित्व है, मनुष्य को अपने परिश्रम और आवश्यकतानुसार इसमें से अपना हिस्सा लेने का अधिकार है। अतः वह किसी भी प्रकार की सम्पत्ति का स्वामी नहीं अपितु उसका संरक्षक मात्र है।

गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त के अनुसार धनी लोगों को स्वेच्छापूर्वक यह समझना चाहिए कि उनके पास जो धन है, वह समाज की धरोहर है, वे उसमें से केवल अपने निर्वाह के लिए आवश्यक धनराशि ही ले सकते हैं। शेष सारी धनराशि उन्हें समाज की दृष्टि से हितकर कार्यों में लगा देनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि धनी अपनी जीवन निर्वाह से बची हुई सम्पत्ति को निर्धन व्यक्तियों में बांट दे। ऐसा करने पर तो यह सम्पत्ति उपभोग में आकर शीघ्र नष्ट हो जायेगी। अतः धनिक वर्ग अपनी फालतू सम्पत्ति को ऐसे उद्योग-धंधों में लगाये, जिनमें साधारण जनता को रोजगार मिल सके। उन्हें दूसरों को काम देकर तथा उत्पादन बढ़ाकर अपनी पूंजी का सदुपयोग सार्वजनिक हित के कल्याण एवं वृद्धि के लिए करना चाहिए। वे इसे तालाब, विद्यालय, चिकित्सालय, आदि बनाने के जनकल्याणकारी कार्यों में भी लगा सकते हैं। जमींदारी अपनी फालतू जमीन भूमिहीन निर्धन व्यक्तियों को जोतने, बोने के लिए दे सकते हैं।

वे सहजता, ग्रामीणता, कुटीर उद्योग, ट्रस्टीशिप स्वावलम्बी जीवन श्रमशील आचरण और सर्वोदयी विचार के थे। सर्वहारा के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया भी। उनके हरिजन आन्दोलन, अस्पृश्यता निवारण, नारी जागरण, किसान आन्दोलन आदि इसी क्रम में आते हैं। हरिजन मार्च 31, 1946 भूमि के अधिकार के सम्बन्ध में गांधी जी का यह सिद्धान्त उनके दूसरे सिद्धान्त के विपरीत पड़ता है कि जमींदार किसानों के न्यासधारी (ट्रस्टी) हैं। 1939 ई. में द्वितीय गोलमेज परिषद की संघीय व्यवस्था समिति में भाषण करते हुए गांधी जी ने कहा था “गांधी ने इन दोनों दृष्टिकोणों का समन्वय करने का प्रयत्न किया। इसके लिए दर्शनीय है। एक सीमा तक वे मार्क्सवाद को मानते थे। गांधी जी का आदर्श

ऐसे समाज की स्थापना करना था, जो पारस्परिक सक्रिय प्रेम एवं सामंजस्य पर आधारित हों वह पूर्ण आस्तिक (ईश्वरवादी) हो, क्योंकि सभी ईश्वर की संतान हैं। रस्किन के इस सिद्धान्त को उन्होंने भी माना है कि जो प्रथम को मिलता है-वही अन्तिम को भी मिलना चाहिए। सर्वोदयी विचार को उन्होंने सदैव सम्मान किया है।

3.3.9 गांधी जी का सत्याग्रह सम्बन्धी अवधारणा-

सत्याग्रह शारीरिक शक्ति नहीं है, यह आत्मबल है। अतः यह शक्ति सत्याग्रह कहलाती है। जिसमें ज्ञान और प्रेम की लौ उजागर रहती है। यदि कोई अज्ञानवश हमें कष्ट देता है तो हम उसे प्रेम से जीतेगे यही सत्याग्रह है। महात्मा गांधी भारतीय राजनैतिक मंच पर 1919 से 1948 तक इस प्रकार छाए रहे हैं कि इस युग को भारतीय इतिहास का गांधी युग कहा जाता है। शान्ति और अहिंसा के दूत गांधी का संदेश समस्त विश्व के लिए है। उससे सम्पूर्ण मानव जाति प्रभावित हुई।

गांधीवादी विचारधारा राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ है। इतिहास साक्षी है कि मनुष्य ने सदैव अन्याय के विरुद्ध आवाज उठायी है। गांधी जी के प्रयासों से भारतीयों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए पारस्परिक तरीकों को नहीं चुना बल्कि गांधी जी ने भारतीयों को विरोध प्रदर्शित करने का एक नवीन मार्ग सुझाया। यह मार्ग था सत्याग्रह।

गांधी जी का सत्याग्रह-दर्शन सत्य के सर्वोच्च आदर्श से उत्पन्न हुआ है। यदि सत्य ही परम तत्व है तो उसके पुजारी का पुनीत कर्तव्य है कि सत्य की कसौटी तथा उसके आधारों की रक्षा करें। ईश्वर ही परम सत्य है अतः ईश्वर भक्त के लिए आवश्यक कि है वह पूर्णतः विनम्र और स्वार्थरहित हो। उसमें नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों के लिए संघर्ष करने को अजेय कल्प तथा साहस होना चाहिए तभी वह अपनी सच्ची नैतिक भावना का प्रमाण दे सकता है।

सब प्रकार के अन्याय, उत्पीड़न और शोषण के विरुद्ध शुद्धतम आत्मबल का प्रयोग ही सत्याग्रह है। कष्ट-सहन तथा विश्वास आत्मबल के गुण हैं। 'तेजस्वी दीन' के सक्रिय अहिंसात्मक प्रतिरोध का हृदय पर तत्काल प्रभाव होता है। वह विरोधी को जोखिम में नहीं डालना चाहता, बल्कि वह उसे अपनी निर्दोषिता की प्रचण्ड शक्ति से अभिभूत कर देना चाहता है। सत्याग्रह अथवा हृदय-परिवर्तन के विस्मयकारी तरीके सरकार तथा सामाजिक अत्याचारियों एवं परम्परावाद के नेताओं, सभी के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है।

सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह असत्य को सत्य से व हिंसा को अहिंसा से जीतने का नैतिक शस्त्र है। इसका उद्देश्य, धैर्यपूर्वक, कष्ट सहकर अहिंसात्मक एवं उचित तरीकों से सत्य को प्रकट करना, भूलों को सुधरना एवं भूल करने वालों का हृदय परिवर्तन करना है। सत्याग्रह एक सरल, किन्तु अचूक उपाय है।

सत्याग्रह का ही एक रूप असहयोग आन्दोलन है। जिसका प्रयोग गांधी जी ने नीतियों का विरोध करने के लिए किया था। महात्मा गांधी अपने युग के महान नेता थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीयों को स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया। सत्य अहिंसा जैसे सिद्धान्त गांधी द्वारा प्रयुक्त ऐसे सिद्धान्त थे जो उन्हें महात्मावादी स्वरूप प्रदान करने में सहायक रहे हैं। अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से मानव के शाश्वत मूल्यों को उद्घाषित करने वाले विश्व इतिहास के महान तथा अमर नायक महात्मा गांधी आजीवन सत्य, अहिंसा और प्रेम का पथ प्रदर्शित करते रहे।

राजनैतिक क्षेत्र में, अहिंसा की विचारधारा को कार्यक्रम में परिणत करने के लिए जिस कार्य पद्धति का प्रयोग एवं प्रतिपादन किया, उसे सत्याग्रह कहा जाता है। सत्याग्रह सत्य और आग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है। सत्य का आग्रह अर्थात् सत्य के हेतु आग्रह। गांधी जी के जीवन के तीन प्रमुख सिद्धान्त थे-सत्य, अहिंसा और साधनों की शुद्धता। इन्हीं के बल पर उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया और अन्त में सफलता प्राप्त की। महात्मा गांधी का सम्पूर्ण जीवन सत्य पर आधारित था, उसके सामने वे किसी बात से समझौता नहीं करते थे। सत्य के विषय में उनका कहना था-सत्य से ऊँचा कोई ईश्वर नहीं और हर इंसान को सत्य की खोज करनी चाहिए सत्य और अहिंसा को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। जहां हिंसा है वहां सत्य नहीं रह सकता जो सत्य में विश्वास करता है वह दुश्मन को भी नहीं हॉनि पहुंचायेगा।

वे अहिंसा के पुजारी थे। वे अहिंसा को मनुष्य की अन्तर्निहित धार्मिक भावना के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक समझते थे। गांधी जी स्वयं कहा करते थे कि-सत्याग्रही अहिंसा के पुजारी थे वे सदा हंसते हुए, बिना प्रति रोध के मरने के लिए रहना चाहिए।

सत्याग्रह के द्वारा गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की तत्पश्चात वह भारत आकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय जनता को भी सत्याग्रह की भावना से ओत-प्रोत कराया। वह मोह, ममता, विषय, वासना, ऐश्वर्य, छल कपट आदि से दूर रहने की सलाह दी।

सत्याग्रह की प्रक्रिया-

महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह को एक रणकला कहा है। उसके अनुसार एक सत्याग्रही को पूर्णतः समर्पित रहना चाहिए, उसे अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण जागरूक होनी चाहिए। सत्याग्रही के मन में किसी के प्रति कुटिल भावना नहीं चाहिए उसके लिए छल के प्रति त्याग करके उसके अन्दर और बाहर समान रहते हुए कथनी और करनी में कुछ अन्तर न करके पूरी तरह अहिंसक रहना बहुत आवश्यक है। वह अच्छाई से बुराई को, प्रेम से क्रोध को, सत्य के द्वारा असत्य को, अहिंसा द्वारा हिंसा को जीतने का प्रयास करें।

डॉ. वी.पी. वर्मा लिखते हैं कि-गांधी जी का सत्याग्रह के सर्वोच्च आदर्श से उत्पन्न हुआ है। सत्य के पुजारी का यह कर्तव्य है कि सत्य की कसौटी तथा उसके अधिकारों की रक्षा करें।

सत्याग्रही को पूर्णतया अनुशासित और निष्ठावान रहते हुए सत्याग्रह के मार्ग पर मिलने वाली कठिनाइयों भरी यातनाओं को सहर्ष स्वीकार करना पड़ता है।

गांधी जी के अनुसार-सत्याग्रही को अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपिरग्रह, शारीरिक अस्वाद, निर्भयता, आदि गुणों से युक्त धर्मों को समान देखने वाला तथा स्वदेशी तथा अस्पृश्यता निवारण करने वाला होना चाहिए।

सत्याग्रह के विभिन्न रूप-

गांधी जी के विचार में सत्याग्रही प्रेम और अहिंसा के द्वारा शत्रु के हृदय पर विजय प्राप्त करता है। वह वीरों का अस्त्र है। वह प्रेम मूलक है और शत्रु के प्रति प्रेम और उदारता का भाव रखता है। सत्याग्रह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। सत्याग्रही त्याग और सेवा की भावना से प्रेरित होकर अपने आप को खादी, ग्रामोद्योग अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ़ शिक्षा, राष्ट्र भाषा प्रचार, जातीय एकता, मद्यपान निषेध, जनकल्याणकारी कार्यों में लगा रहता है।

सामूहिक सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने पहले दक्षिण अफ्रीका में भारत में विकसित वर्ग सामूहिक सत्याग्रह के रूप में निम्न कार्यवाहियां स्वीकृत की गयी हैं-

1. हड़ताल-इसका उद्देश्य कार्य को बन्द करके जनता, सरकार और सम्बन्धित संस्था के मस्तिष्क को प्रभावित करना, लेकिन आवश्यक है कि हड़तालें जल्दी न की जायें। वह सदैव अहिंसात्मक होना चाहिए।

2. बहिष्कार-इसका अर्थ समाज के उन कलंकी लोगों का बहिष्कार करना है जो जनमत की अवहेलना करते हैं और सहयोग नहीं करते हैं। उनका सामाजिक बहिष्कार करना बहुत ही पुराना तरीका है। इसका प्रयोग सीमित अर्थ में ही किया जाना चाहिए।

3. असहयोग-सत्याग्रह का ही रूप असहयोग है। जिसका गांधी जी ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करने के लिए किया, गांधी जी का विचार था कि-अन्याय करने वाला भी अन्याय सहने वाले के बिना अत्याचार नहीं कर सकता, अतः गांधी जी ने जन साधारण से अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग करने की अपील की। क्योंकि सरकार का सभी काम प्रजाजनों के सहयोग से ही चलता है। यदि प्रजा असहयोग करें, सरकारी व्यवस्था को स्वीकार करे तो अकेले शासन चला पाना कठिन है।

4. धरना-धरना देने का अर्थ कि जब तक सत्याग्रही की न्यायपूर्ण बात नहीं मानी जाएगी तब तक वह एक आसन पर स्थिर होकर भूखा बैठा रहेगा। धरना शान्तिपूर्ण होना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का बल प्रयोग, अभद्र, आचरण करना पूर्णतः निषिद्ध है। सन् 1920-22 में तथा 1930-34 में उन्होंने शराब, अफीम आदि मादक द्रव्यों और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर इस प्रकार की घटना का आवाहन किया था।

5. हिजरत-इसका अर्थ है स्वैच्छिक देश निकाला। सत्याग्रह के अन्तर्गत इसका अर्थ है दमन के स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना। मुहम्मद साहब के जीवन के घटना से गांधी जी हिजरत का प्रयोग किया। जब मोहम्मद साहब का मक्का में रहना उनके विरोधियों ने दुर्भर कर दिया तो वे मदीना हिजरत कर गये। अर्थात् मक्का छोड़ मदीना चले गये। इसी प्रकार हिन्दुओं के अमानवीय अत्याचारों से पीड़ित हरिजनों को गांधी जी ने यह राय दी थी कि यदि वे अपने अत्याचारों को बंद न करें तो वे दूसरे गांव चले जाएं।

6. उपवास-उपवास को गांधी जी अपने शस्त्रगार में सबसे अधिक फलदायक अस्त्र मानते थे। उपवास का उद्देश्य आत्मशुद्धि है, यह सामूहिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी। उन्होंने सन् 1922 में 5 दिन, 1924 में 21 दिन, 1953 में 5 दिन, 1947 व 1948 में अनेकों दिनों तक लगातार उपवास किया।

7. सविनय अवज्ञा-बैल्स फोर्ड ने इस आन्दोलन के विषय में लिखा-भारतीय अपना उद्देश्य निश्चित कर चुके थे। अपने दिलों में वे स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। गांधी जी ने एक सौम्य तथा निष्क्रिय राष्ट्र को शताब्दियों की निद्रा से जगा दिया था।

गांधी जी के अनुसार कानून जनता के कल्याण के लिए होता है। यदि कानून जनहित का विरोध करता है तो वह अन्यायपूर्ण और अनैतिक हो जाएगा। अतः ऐसी स्थिति में उस कानून की अवज्ञा करना उसे न मानना नैतिक आचरण हो जाता है। अतः कुशासन करने वालों को सहयोग न देना जनता का सहज अधिकार है। गांधी जी ने इसी कार्य को सविनय अवज्ञा की संज्ञा दी है।

सत्याग्रही का आचरण-

गांधी जी ने सत्याग्रही के लिए कुछ आचार व नियम बनाए जो निम्न थे-

1. ब्रह्मचर्य-गांधी जी का मानना था कि मन, वचन कर्म से अपनी इन्द्रियों पर पूर्णतः नियंत्रण करते हुए पारिवारिक जीवन के पूर्ण कर्तव्यों को निभाना था। अर्थात् वैवाहिक जीवन के वे विरोधी नहीं थे। उनके अनुसार सम्पूर्ण जीवन शक्ति विषयोन्मुख न होकर उच्च आदर्शों के लिए होनी चाहिए जिसे सत्याग्रही की शारीरिक नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रबल हो।

2. निर्भयता-सत्याग्रही को पूर्णतः निर्भीक होकर काम करना चाहिए। वह केवल ईश्वर से ही डरे उसके अतिरिक्त किसी से भी भयभीत नहीं होना चाहिए। गांधी जी की प्रशंसा करते हुए डॉ. के.एम. मुंशी ने लिखा है- गांधी जी ने अराजकता पायी और उसे व्यवस्था में परिवर्तित कर दिया, कायरता पायी और उसे साहस में बदल दिया, अनेक वर्गों में विभाजित लोगों को जनसमूह में बदल दिया। निराशा को सौभाग्य में बदल दिया और बिना किसी प्रकार की हिंसा या सैनिक शक्ति का प्रयोग किये एक साम्राज्यवादी शक्ति के बंधनों को अन्त कर विश्वशान्ति को जन्म दिया।

3. अस्तेय-इसका शाब्दिक अर्थ तो चोरी न करना है। अतः सत्याग्रही को त्यागी प्रवृत्ति का बनकर संचय करने व संग्रह करने सर्वदा दूर रहना चाहिए।

4. अपरिग्रह-सांसारिक पदार्थों को त्याग करना ही अपरिग्रह है। अतः सत्याग्रही को त्यागी संचय करने व संग्रह करने से सर्वदा दूर रहना चाहिए।

5. श्रम व उपार्जन-अपने परिश्रम द्वारा अपने जीविकोपार्जन को करते हुए किसी अन्य के श्रम का लाभ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के अनुसार ऐसा करना शोषण माना जायेगा।

6. जीवित रहने के लिए भोजन-भोजन जीने के लिए करना चाहिए न कि भोजन करने के लिए जीना चाहिए। भोजन स्वाद के लिए नहीं जीवित जीने के लिए है। अतः भोजन सात्विक होना चाहिए। गांधी जी के जीवन का सबसे बड़ा सिद्धान्त सादा जीवन उच्च विचार था।

7. सब धर्मों को समान भाव से देखना-सत्याग्रही भले ही किसी भी धर्म का अनुयायी हो पर उसे सभी सम्प्रदायों और मतों को समान भाव से देखना चाहिए।

8. स्वदेश प्रेम की भावना-स्वदेशी का अर्थ-स्वदेशी का अर्थ अपने देश में निर्मित सभी चीजों का उपयोग करना है। अतः सत्याग्रही को चाहिए कि स्वदेश में बनी चीजें ही उपयोग में लाएं, ऐसा करने में भले ही उसे परेशानी या कष्ट का सामना करना पड़े।

9. मानवतावादी दृष्टिकोण-एक सच्चे सत्याग्रही का दृष्टिकोण मानवतावादी होना चाहिए। मनुष्य का मानवतावादी दृष्टिकोण तभी संभव है जब कि उसमें अहंकार न हो।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का जीवन समाज के अन्य व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए साथ ही उसे उपयुक्त गुणों से परिपूर्ण समाज का नेता होना आवश्यक है।

3.3.10. गांधी जी की सत्य एवं अहिंसा की अवधारणा-

गांधी जी के अनुसार, 'सत्य ही ईश्वर है।' परन्तु प्रश्न उठता है कि वह सत्य जो ईश्वर है और जिसकी प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है, क्या है?

गांधी के मतानुसार 'सत्य' सत शब्द से निकला है, इसका अर्थ है अस्तित्व या होना। सत्य को ईश्वर ब्रह्म कहने का यह कारण है कि सत्य वही है जिसकी सत्ता होती है, जो सदा टिका रहता है। ब्रह्म या परमात्मा की सत्ता तीनों कालों में बनी रहती है, अतः यह सत्य है। गांधी जी अपने जीवन का ध्येय सत्य की शोध करना समझते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम 'मेरे सत्य के प्रयोग' रखा है।

सामान्यतः सत्य शब्द का अर्थ केवल सच बोलना ही समझा जाता है, लेकिन गांधी जी ने सत्य का व्यापकतम अर्थ लेते हुए बार-बार यह आग्रह किया है कि विचार में, वाणी में और आचार में सत्य का होना ही सत्य है। गांधी जी की दृष्टि में सत्य की आराधना ही सच्ची भक्ति है।

गांधी जी के अनुसार दैनिक जीवन में सत्य सापेक्ष है, किन्तु सापेक्ष सत्य के माध्यम से एक निरपेक्ष सत्य पर पहुंचा जा सकता है और यह निरपेक्ष सत्य ही जीवन का चरम लक्ष्य है, इसकी प्राप्ति ही मनुष्य का परम धर्म है।

गांधी जी के सत्य के परिवेश में केवल व्यक्ति नहीं आता है, अपितु इसमें समूह और समाज भी समावेश है। वे चाहते हैं कि सम्पूर्ण सत्य का पालन धर्म, राजनीति, अर्थ-नीति परिवार-नीति सब में होना चाहिए। राजनीति में सत्य के पूर्ण पालन का उनका नवीन प्रयोग तो विश्व इतिहास के लिए एक अविस्मरणीय घटना है।

अहिंसा का अर्थ-अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा या हत्या न करना। हिंसा का अर्थ किसी भी जीवन को स्वार्थवश, क्रोधवश या दुख देने की इच्छा से कष्ट पहुंचाना या मारना है। हिंसा के मूल में स्वार्थ, क्रोध या विद्वेष की भावना होती है। इसे विपरीत अहिंसा के अनुयायी को इन सभी भावनाओं पर विजय पाते हुए प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और मैत्री की भावना रखनी होती है जिसे गांधी जी अहिंसा कहते हैं।

गांधी जी के लिए अहिंसा का अर्थ अत्यन्त व्यापक है जिसमें कार्य ही नहीं, अपितु विचार में भी सावधान रहना आवश्यक है। किसी को न मारना अहिंसा का एक अंग अवश्य है, किन्तु अहिंसा में इसके अतिरिक्त और भी कुछ है। कुविचार मात्र हिंसा है, मिथ्या भाषण हिंसा है, द्वेष हिंसा है, किसी का बुरा चाहना हिंसा है। जगत को जिस चीज की आवश्यकता है उस पर कब्जा रखना भी हिंसा है।

अहिंसा के दो पक्ष-अहिंसा के दो पक्ष हैं-नकारात्मक तथा सकारात्मक। किसी प्राणी को काम, क्रोध तथा विद्वेष से वशीभूत होकर हिंसा न पहुंचाना इसका नकारात्मक रूप है, किन्तु इससे अहिंसा का

पूरा स्वरूप समझ में नहीं आता है। अहिंसा का यथार्थ स्वरूप तो हमें इसके भावात्मक पक्ष से पता लगता है। भावात्मक अथवा सकारात्मक स्वरूप वाली अहिंसा को सार्वभौम प्रेम और करुणा की भावना कहा जाता है। इसके चार मूल तत्व, प्रेम, धैर्य, अन्याय का विरोध और वीरता है।

जिस प्रकार हिंसा का आधार विद्वेष होता है उसी प्रकार अहिंसा का आधार प्रेम है। अहिंसा का व्रत लेने वाला साधक अपने उग्रतम शत्रु से भी वैसा ही प्रेम रखता है जैसा पिता बुरा कार्य करने वाले अपने पुत्र से स्नेह करता है। वह शत्रु की बुराई से घृणा करता है न कि शत्रु से। अहिंसा तथा प्रेम की शक्ति से यह शत्रु की बुराई दूर करने का यत्न करता है। वह स्वयं प्रसन्नता पूर्वक कष्ट सहन कर लेता है, किन्तु शत्रु को कष्ट नहीं पहुंचाता। अहिंसा का दूसरा तत्व अनन्त धैर्य है। यदि अहिंसक को अपने प्रयत्न में जल्दी सफलता नहीं मिलती तो वह निराश नहीं होता। उसे दृढ़ विश्वास रहता है कि अहिंसा अचूक ब्रह्मास्त्र है, वह अन्त में अवश्य सफल होगी। भारी असफलताएं मिलने के बावजूद अहिंसक हिम्मत नहीं हारता और धैर्य पूर्वक अपने पथ पर आगे बढ़ता रहता है। अहिंसा की तीसरा तत्व अन्याय का प्रतिरोध करना है। अहिंसा निष्क्रियता या उदासीनता नहीं है अपितु बुराई का तथा अन्याय का सतत् प्रतिकार करते रहना है। अहिंसक अन्यायी के अत्याचारों से घबराता नहीं है अपितु वीरता पूर्वक उनका सामना करता है, अतः अहिंसा का चौथा मूल तत्व वीरता है। गांधी जी ने इस पर बहुत बल दिया है। उनके मतानुसार अहिंसा साहसी और वीर पुरुषों का गुण है, निर्बलों और कायरों का हथियार नहीं। अन्धकार और प्रकाश की तरह कायरता और अहिंसा में विरोध है। अहिंसा के प्रयोग तभी महत्व रखते हैं जब हम बलवान होते हुए तथा पशुबल का पूरा सामर्थ्य रखते हुए भी इसका प्रयोग न करें। अहिंसक योद्धा का सबसे बड़ा गुण वीरता और निर्भयता है। इसमें शस्त्र युद्ध की अपेक्षा अधिक साहस अपेक्षित है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हथियार उसकी आत्मा का बल है। ऐसा वीरता पूर्वक आत्मबल न होने की दशा में गांधी जी हिंसा और बल प्रयोग को अधिक श्रेष्ठ समझते थे। एक बार उन्होंने स्वयं कहा था, “विदेशी राज्य के सामने दीन भाव से अपनी प्रतिष्ठा खोने की अपेक्षा यह कहीं अधिक अच्छा है कि भारत शस्त्र धारण करके आत्मसम्मान की रक्षा करें।”

अहिंसा का आधार-गांधी जी की अहिंसा का आधार अद्वैत की भावना है। उनका विश्वास था कि सृष्टि की सभी वस्तुओं में एक ही चेतन सत्ता या ब्रह्म ओत-प्रोत है। सभी में भगवान का दिव्य अंश है। जब सब कुछ भगवान का रूप है और मैं भी वास्तव में उसी का रूप हूँ तो मैं किसी से कैसे द्वेष कर सकता हूँ। वह अद्वैत की भावना सृष्टि के सभी प्राणियों के प्रति मुझे आत्मरूप होने के कारण प्रेम और अहिंसा के धर्म का पालन करने के लिए बाधित करती है।

अहिंसा की तीन अवस्थाएं-गांधी जी ने अहिंसा की निम्नलिखित तीन अवस्थाएं बतायी है:

1. जागृत अहिंसा-इसे वीर पुरुषों की अहिंसा भी कहते हैं। यह वह अहिंसा है जो किसी दुःखपूर्ण आवश्यकता से पैदा न होकर अन्तर आत्मा की स्वाभाविक पुकार से जन्म लेती है। इसको अपनाने

वाले अहिंसा को बोझ समझ कर स्वीकार नहीं करते वरन् आन्तरिक विचारों की उत्कृष्टता या नैतिकता के कारण स्वीकार करते हैं। सबल व्यक्ति इसे अपनाते हैं और वे शक्ति सम्पन्न होकर भी शक्ति का तनिक सा भी प्रयोग नहीं करते। अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ अपनाया जाना चाहिए। अहिंसा के इस रूप से असम्भव को सम्भव में बदलने और पहाड़ों को हिला देने की अपार शक्ति निहित है।

2. औचित्यपूर्ण अहिंसा-इस प्रकार की अहिंसा वह है जो जीवन के किसी क्षेत्र में विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्यानुसार एक निष्क्रिय प्रतिरोध। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं वरन् निर्बलता के कारण ही अहिंसा का प्रयोग किया जाता है। यद्यपि यह अहिंसा जाग्रत अहिंसा की भांति प्रभावशाली नहीं है फिर भी यदि इसका पालन ईमानदारी, सच्चाई और दृढ़ता और अहिंसा परस्पर विरोधी है।”

3. कायरों की अहिंसा-कई बार डरपोक तथा कायर लोग भी अहिंसा का दम्भ भरते हैं। गांधी जी ऐसे लोगों की अहिंसा को अहिंसा न मानकर ‘निष्क्रिय हिंसा’ मानते हैं। उनका विश्वास था कि “कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते।” अहिंसा वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना निन्दनीय तथा घृणित है। यदि कायरता और हिंसा में से किसी एक का चुनाव करना हो तो गांधी जी हिंसा को स्वीकार करते हैं। इस सम्बन्ध में उनका यह स्पष्ट विचार है कि, “यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहनें, इससे हिंसक होना अधिक अच्छा है।” वस्तुतः गांधी जी कायरता के पक्ष में कभी नहीं थे।

गांधी की अहिंसा की विशेषताएं-गांधी जी की अहिंसा की दो बड़ी विशेषताएं हैं - पहली विशेषता इसका सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन है तथा दूसरी इसके क्षेत्र का विस्तार करके इसे नयी गति तथा नया विस्तार प्रदान करना है।

पहली विशेषता-गांधी जी से पहले अहिंसा का सामान्य अर्थ किसी जीव का प्राण न लेना तथा इसे खान-पान के विषय तक सीमित रखना था। गांधी जी ने इसका विस्तृत विवेचन करते हुए कहा कि यह खाद्य के विषय से परे है। मांसाहारी अहिंसक हो सकता है, फलाहारी या अन्नाहारी घोर हिंसा करते देखे जाते हैं। एक व्यापारी झूठ बोलता है, ग्राहकों को ठगता है, कम तोलता है, किन्तु यह व्यापारी चींटी को आटा डालता है, फलहार करता है। फिर भी यह व्यापारी उस मांसाहारी व्यापारी की अपेक्षा अधिक हिंसक है, जो मांसाहार करते हुए भी ईमानदार है और किसी को धोखा नहीं देता। इस प्रकार गांधी जी ने जीव हिंसा की विवेचना करते हुए अहिंसा की परम्परागत परिभाषा और सीमा में नवीन क्रान्तिकारी परिवर्तन और विस्तार किया।

दूसरी विशेषता-अहिंसा के कार्य क्षेत्र का विस्तार है। गांधी जी ने अहिंसा को व्यक्तिगत और पारिवारिक क्षेत्र की संकीर्ण परिधि से निकालकर इसे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सभी प्रकार के अन्यायों का प्रतिकार करने का शस्त्र बनाया। इसे ऋषि-मुनियों तक मर्यादित न रखकर सार्वजनिक और सार्वभौम बनाया। गांधी जी के शब्दों में, “अहिंसा यदि व्यक्तिगत गुण है तो मेरे लिए त्याज्य वस्तु है। मेरी अहिंसा की कल्पना व्यापक है। वह करोड़ों की है। मैं तो उसका सेवक हूँ... हम तो यह सिद्ध करने के लिए पैदा हुए हैं कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत आचार के नियम नहीं हैं वे समुदाय, जाति और राष्ट्र की नीति का रूप ले सकते हैं अहिंसा सबके लिए है, सब जगहों के लिए हैं, सब समय के लिए है।” हरिजन सेवक में उन्होंने लिखा था, “हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तियों की वस्तु नहीं बनाना है, बल्कि ऐसी वस्तु बनाना है जिस पर समूह, जातियाँ और राष्ट्र अमल कर सकें।” अहिंसा के विषय में गांधी जी की यह सबसे बड़ी मौलिक देन थी। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसा के सफल प्रयोग से उन्होंने अपने उपर्युक्त दावे को सत्य सिद्ध किया।

अभ्यास प्रश्न

- महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था?

A. 02 नवम्बर 1869 ई०	B. 02 अक्टूबर 1869 ई०
C. 02 अक्टूबर 1879 ई०	D. 02 अक्टूबर 1859 ई०
- महात्मा गांधी का जन्म कहाँ क्या था?

A. पोरबन्दर	B. राजकोट
C. गुजरात	D. अहमदाबाद
- महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन कब हुआ था।

A. 02 नवम्बर 1869 ई०	B. 02 अक्टूबर 1869 ई०
C. 02 अक्टूबर 1879 ई०	D. 02 अक्टूबर 1859 ई०
- महात्मा गांधी ने निम्नलिखित आन्दोलनों में से किसमें भाग नहीं लिया था।

A. खेड़ा सत्याग्रह	B. चम्पारण सत्याग्रह
C. खिलाफत आन्दोलन	D. बारदौली आन्दोलन
- महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे।

A. रवीन्द्र नाथ टैगोर	B. मोती लाल नेहरू
C. गोपाल कृष्ण गोखले	D. दयानन्द सरस्वती

3.4 सारांश

गांधी जी का जीवन विशेष रूप से वर्तमान शताब्दी के पुनर्जागर से संबंधित है। उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और आज इतने वर्षों बाद जब हम उनके जीवन दर्शन के बारे में सोचते हैं तो हमें तत्कालीन व वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखना आवश्यक हो

जाता है। चूंकि गांधी जी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कुरीतियों को दूर करने में ही लगा दिया। महात्मा गांधी ब्रिटेन से वकालत की पढ़ाई करने के बाद जब भारत में 1892 में आये, उसके बाद से ही वह सामाजिक बुराईयों को दूर करने के लिये कूद पड़े। महात्मा गांधी के अध्यात्मिक आदर्शवाद में ईश्वर, सत्य, नैतिकता, साधन की श्रेष्ठता, अहिंसा आदि का विशिष्ट स्थान है। गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना श्रेष्ठकर समझा था। सत्य और अहिंसा का अटूट सम्बन्ध को मानते हुये उसी सिद्धान्त पर सारा जीवन चलते गये। महात्मा गांधी भारत के व्यापक क्षेत्र में राजनीति को लेकर आये, देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में एक अभूतपूर्व सेनानी के रूप में उनकी भूमिका रही। अतः भारतीय जनता ने उन्हें राजनीतिक नेता और देशभक्त राष्ट्रवादी के रूप में अधिक जाना-माना निःसंदेह, गांधी जी राष्ट्रवादी थे। गांधी के हृदय में राजनीतिक स्वतंत्रता की उत्कृष्ट कामना थी वे स्वराज को सत्य का एक अंग मानते थे। अतः स्वभाविक था कि स्वतंत्रता उनके लिये अधिक पवित्र वस्तु थी। उनका विश्वास था कि राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थात् स्वराज तीव्र संघर्ष और कष्ट सहन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी राजनीति स्वतंत्रता के साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहते थे। गांधी जी ने इस बात पर बार-बार जोर दिया कि यदि हम भारत को एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो केवल हिन्दी ही राष्ट्र भाषा हो सकती है। हरिजन में उन्होंने लिखा है- यदि हमें भारतीय राष्ट्रीयता का लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमें क्षेत्रियता की जंजीर को तोड़ना ही होगा। समकालीन समाज में विकास से जुड़ी समस्याओं के संदर्भ में गांधी जी के चिन्तन में विशेष अभिरूची ली जा रही है। वैसे गांधी जी विकास को कोई विशेष सिद्धान्त प्रस्तुत नहीं किया परन्तु उन्होंने भिन्न-भिन्न अवसरों पर मनुष्य के मार्ग दर्शन के लिये जो ओजस्वी विचार प्रस्तुत किये उन्हें मिलाकर विकास का एक प्रतिरूप उभारा जा रहा है।

महात्मा गांधी जी ने समाज के प्रत्येक क्षेत्र तथा समस्याओं पर अपने विचार रखे थे चाहे वह महिलाओं की स्वतंत्रता एवं चेतना का विचार हो चाहे समाज के अत्यधिक शोषित, पीड़ित, दलित या कमजोर वर्ग की बात हो। उनके हित के लिये उन्होंने उनके साथ मिलकर समय-समय पर संघर्ष किया है और उनको एक नई दिशा दी तथा समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया। वास्तव में यह उन्हीं के प्रयत्नों का फल था कि आतंकवाद सीमित रहा और भारत में बिना बहुत रक्तपात के स्वतंत्रता प्राप्त कर ली।

गांधी जी हिन्दू-मुस्लिम एकता के महान समर्थक थे गांधी जी स्त्रियों के स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। वे स्त्रियों के समर्थक थे और उनको पुरुषों के बराबर दर्जा देना चाहते थे। उन्होंने भारतीय नारी को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने का सुअवसर प्रदान किया। गांधी जी साधारण धर्म और राजनीतिक को एक दूसरे से पृथक् समझ और धर्म को राजनीति से अलग किया। गांधी जी बसुदेव कुटुम्बकम के सिद्धान्त पर चलने वाले चिन्तक थे। गांधी जी की हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि भारत की नैतिक, शक्ति और आर्थिक सोच की हत्या थी आज हमें बार-बार ऐसा लगता है कि काश कोई

गांधी होता जो हमारे पतनोन्मुख एवं दिशा हीन समाज को एक गति प्रदान करता। असल में आज जरूरत है उन तत्वों को पहचानने की जो क्षुब्ध स्वार्थों के कारण भारतीय जनता के हित को गिरवी रख देना चाहते हैं। यदि हम आज गांधी को ठीक से समझ ढंग से समझ सकें और उनके द्वारा बताये गये मार्ग पर चलने का प्रयास कर सकें तो द्विवंगत आत्मा के लिये यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हमारे उद्धार का एक मात्र यही उपाय है।

3.5 शब्दावली

1. सत्याग्रह	-	सत्य पर अटल रहना।
2. अहिंसा	-	हिंसा न करना।
3. अपरिग्रह	-	सांसारिक पदार्थों का त्याग करना।
4. कुटुम्ब	-	परिवार
5. विकेन्द्रीकरण	-	सत्ता को एक जगत केन्द्रित न होकर विभिन्न स्तरों पर पाया जाना।

3.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1.B	2.A	3.A	4.D	5.C
-----	-----	-----	-----	-----

3.7 संदर्भ ग्रंथ सूची

- वर्मा, विश्वनाथ (1998), आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा।
- ग्रोवर, बी.एल. तथा यशपाल (2003), आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी लि०, रामनगर, नई दिल्ली।
- विपिन चन्द्र (2001), भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय।
- वर्मा, दीना नाथ (2004) आधुनिक भारत, ज्ञानदा प्रकाशन (पी.एण्ड डी.), दरियागंज, नई दिल्ली।
- पाण्डेय, एच.एल. (1997) गांधी, नेरू, टैगोर एवं अम्बेडकर, प्रयाग पुस्तक भवन, यूनर्वसिटी रोड, इलाहाबाद।

3.8 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

- गांधी, महात्मा (2005), सत्य के प्रयोग/आत्मकथा, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद।
- एम.के. गांधी, समाज सुधार, समस्या और समाधान।
- हिन्द स्वराज चौथा संस्करण।

4. हरिजन, 18 मई 1940।

5. शर्मा, अरूण दत्त (2009), भारतीय राजनीतिक विचारक, यूनीक पब्लिशर्स, लालपत नगर, नई दिल्ली।

3.9 निबंधात्मक प्रश्न

-
1. महात्मा गांधी के राजनीतिक एवं सामाजिक विचारों का विस्तार से उल्लेख कीजिए।
 2. महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में उनकी भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

इकाई 4: सुभाष चंद्र बोस

- 4.1 प्रस्तावना
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 जीवन परिचय
- 4.4 प्रमुख कृतियां
- 4.5 स्वतंत्रता
- 4.6 समाजवाद का सिद्धांत
- 4.7 राष्ट्रवाद
- 4.8 फांसीवाद से निकटता
- 4.9 फॉरवर्ड ब्लॉक
- 4.10 सारांश
- 4.11 शब्दावली
- 4.12 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 4.13 सहायक/उपयोगी सामग्री
- 4.14 निबंधात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना:

आधुनिक भारत की राजनीतिक एवं दार्शनिक परंपरा में सुभाष चंद्र बोस एक यथार्थवादी विचारक के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं उन्होंने मात्र 21 वर्ष की आयु में भारतीय सैनिक सेना की परीक्षा पास की किंतु एक वर्ष के बाद नौकरी त्याग वह सक्रिय राजनीति में उतर पड़े. उन्हें आत्मत्याग में विश्वास था. राजनीतिक कार्य को उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया और उसी भावना में संलग्न हो गए भारतीय स्वतंत्रता के आदर्श में उनकी गंभीर निष्ठा थी और उसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया और प्रकार का जोखिम उठाया. उन्हें समझौता वादी रवैया पसंद नहीं था और वह प्रकृति से विद्रोही थे. यही कारण था कि उन्होंने कांग्रेस में गांधीवादी दक्षिणपंथी पक्ष के विरोध सदैव वामपंथी विरोध पक्ष का साथ दिया. पर लेनिन, कमाल पाशा, डी वेलरा और मुसोलिनी के व्यक्तित्व का गंभीर प्रभाव पड़ा था. बोस एक निर्भीक योद्धा थे और उनका स्थान विश्व के महानतम देशभक्तों में है जिन्होंने भारत में एक उग्र राष्ट्रवाद एवं उससे उपजी राष्ट्रवाद के मंतव का समर्थन किया.

4.2 उद्देश्य:

- १ सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों के मूल मंतव्य को समझ सकेंगे.
२. सुभाष चंद्र बोस के समाजवाद के प्रमुख तत्वों को समझ सकेंगे .
३. सुभाष चंद्रबोस के राष्ट्रवाद की मूल प्रकृति को जान सकेंगे.

4.3 जीवन परिचय:

सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी, 1897 को कटक में जानकीनाथ बोस एवं प्रभावती बोस के घर हुआ. जब वे कॉलेज में विद्यार्थी ही थे, उसी समय एक वेदांती रहस्यवादी के रूप में उन्होंने एक अध्यात्मिक गुरु की खोज में उत्तर भारत के नगरों का भ्रमण किया. कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में इन्होंने विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया. 1926 में उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई किंतु असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने उनका गांधी के विचारों से मोहभंग हुआ. वे दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1938 में और 1939 में. वर्ष 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जिसके माध्यम से वह देश वामपंथी शक्तियों को संयुक्त करने का प्रयास किया. 1 जून 1940 में मुंबई में वामपंथी एकता समिति की स्थापना की गई जिसमें कांग्रेस, समाजवादी, एम.एम. राय की रेडिकल लीग तथा साम्यवादी सम्मिलित थे. दिसंबर 1940 में वे गुप्त रूप से देश छोड़कर चले गए तथा विश्व के विभिन्न देशों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रचार करने लगे. 5 जुलाई 1943 को उन्होंने आजाद हिंद फौज स्थापना की घोषणा की. दिल्ली चलो के युद्ध घोष के साथ उन्होंने भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की. आजाद हिंद

फौज मित्र राष्ट्रों की मदद के साथ भारत में प्रवेश करने में सफल भी हुई. 8 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते हुए विमान दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई. हालांकि उनकी मृत्यु की गुत्थी आज भी एक अनसुलझी पहेली है.

4.4 स्वतंत्रता का सिद्धांत:

बोस का राजनीतिक दर्शन भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एवं भारतीय जनमानस के अनुसार ही था. बोस की स्वतंत्रता की संकल्पना सिर्फ भारत की औपनिवेशिक शासन से मुक्ति (राजनीतिक स्वतंत्रता) तक सीमित नहीं है बल्कि वह इसका विस्तार सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी देखते हैं जिससे कि समाज में निहित अन्य संघर्ष भी समाप्त हो सके. सामाजिक एवं राजनीतिक संघर्ष को साथ ही चलना चाहिए जिससे कि राज्य की स्वतंत्रता के साथ व्यक्तियों का उत्थान संभव हो सके.

अरविंदो की तरह बोस का मत था कि भारत को ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजाद होना अत्यंत आवश्यक है किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु उनका मार्ग गांधी जी से बिल्कुल भिन्न था. उनका मत था कि स्वतंत्रता अहिंसा के रास्ते से प्राप्त नहीं की जा सकती है. उनको समझौतों, संसदीय एवं संवैधानिक तरीकों पर कोई विश्वास नहीं था. अरविंदो की भांति ही उन्होंने बल एवं सैन्य शक्ति के माध्यम से ही स्वतंत्रता हासिल करने में विश्वास किया. इसी मंतव्य से उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक जन आंदोलन की वकालत की.

नेताजी का ऐसा मानना था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति ही पूर्ण सत्य है. इस लिहाज से राष्ट्रीय स्वतंत्रता सर्वोपरि है जिसके बाद लोकतंत्र और समाजवाद स्थापित हो सकते हैं. स्वतंत्रता एक अत्यंत वृहद संकल्पना है जिसके विभिन्न आयाम होते हैं. नेताजी के अनुसार स्वतंत्रता विभिन्न मनुष्य आयामों को समाहित किए हुए एक अत्यंत विशाल संकल्पना है जो शक्ति के सभी आयामों को प्रभावित करता है- इन अर्थों में स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी को नहीं इंगित करता है बल्कि धन का सामान वितरण, जाति एवं सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और असहिष्णुता का खात्मा है. हालांकि यह सभी लक्ष्यों की प्राप्ति इतनी आसान भी नहीं है किंतु यह वह अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं जिनके बिना स्वतंत्रता अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं प्राप्त की जा सकती है और शायद यही कारण था कि वे यह मानते थे कि देश या सामाजिक स्तर के स्वतंत्रता को त्याग, लगन एवं तीव्र इच्छा शक्ति के द्वारा ही संभव हो सकता है. यदि हम इस स्वतंत्रता को हासिल कर सकते हैं तो निश्चित ही देश एक तीव्र गति से विकास और खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ेगा.

शुरुआती दौर में कांग्रेस के सदस्य होने के बावजूद नेताजी कांग्रेस के सीमित तरीकों एवं लक्ष्य से संतुष्ट नहीं थे. उनका स्वतंत्रता संबंधी विचार यह साफ परिलक्षित करता है कि वे भारत को स्वतंत्रता

के एक सीमित स्वरूप को नहीं स्वीकारते हैं बल्कि एक पूर्णता वादी दृष्टिकोण से देखते हैं जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अत्यंत महत्वपूर्ण राजनैतिक चेतना का पहलू समाहित है।

4.5 समाजवाद:

नेताजी एक रूढ़ीवादी मार्क्सवादी नहीं थे और न ही मार्क्स की भांति समाज को एक वर्ग के स्वरूप में देखते थे। कांग्रेस पार्टी के हरिपुरा अधिवेशन (1938) में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि भारत की गरीबी, अशिक्षा, अस्वस्थता एवं वैज्ञानिक उत्पादन और वितरण का समाधान समाजवादी उपागमों में ही निहित है। राष्ट्र का पुनर्निर्माण तब ही संभव हो सकता है जब गरीबी एवं अशिक्षा जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर हो सकेगी, किसानों की दयनीय स्थिति के समाधान हेतु उनका मत था कि सामंतवाद खात्मा होना चाहिए, कृषि कर्जों को देना चाहिए, गरीबों को कम ब्याज पर धन मुहैया कराया जाना, कृषि आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकरण का रास्ता अपनाए जाना चाहिए। राज्य का यह कर्तव्य है कि नागरिकों के कल्याण हेतु एक विस्तृत एवं वृहद योजना का निर्माण करें। मिल मजदूरों की समस्या पर उनका कहना था कि यह किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष की समस्या नहीं है बल्कि राष्ट्र की समस्या है जिस पर आजादी की लड़ाई के साथ-साथ आजादी के बाद भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है।

सुभाष चंद्र बोस का समाजवाद कोई निश्चित सैद्धांतिक बिंदु पर निश्चित धारा में बहने वाला या निश्चित संरचनात्मक ढांचे में बंधा रहने वाला नहीं है। नेताजी का समाजवाद भारतीय परिस्थितियों एवं यहां की समस्याओं तथा रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद जैसे मनीषियों के चिंतन एवं परंपरा का सम्मिश्रण रहा है। उनका समाजवाद न्याय, समानता, स्वतंत्रता, अनुशासन एवं बंधुत्व का भाव समाहित किए हुए हैं।

बोस का समाजवाद न केवल आर्थिक विचारधारा है बल्कि एक मानवीय एवं समतामूलक सिद्धांत है। वे कोई रूढ़ीवादी समाजवादी नहीं थे बल्कि उन्होंने भारतीय समस्याओं के संदर्भ में वह गांधी के आदर्शवादी एवं आध्यात्मिक रास्ते से हट कर एक यथार्थवादी रास्ते को प्रस्तुत किया। किंतु नेताजी समाजवाद को कोई शीर्ष द्वारा जन पर थोपी गई विचारधारा के रूप में नहीं देखते थे बल्कि उनका मानना था कि वास्तविक समाजवाद जनसाधारण से ही निकल कर आएगा। बोस मानना था कि समाजवाद के इस लक्ष्य में राजनीतिक दलों को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी चाहिए किंतु इस संदर्भ में वे गांधी तथा नेहरू दोनों के ही विचार से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि गांधी का सर्वोदय का सिद्धांत किसी राज्य के बिना आर्थिक राजनीतिक जीवन संचालित करने की बात कहता है जो व्यावहारिक है। नेहरू का समाजवाद पूर्णतः पश्चिमी है और भारतीय तत्वों की अनदेखी करता है।

हालांकि समाजवाद का विचार एक सार्वभौम संकल्पना है और इसे किसी भी देश में लागू किया जा सकता है किंतु उस देश की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर. भारत में भी समाजवाद भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एवं भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो तभी यह अच्छा है. बोस का समाजवाद वैचारिक रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा के अधिक निकट प्रतीत होता है जिसमें वितरण की समानता एवं मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति केंद्रीय बिंदु हैं.

4.6 राष्ट्रवाद:

राष्ट्रवाद, एक 16वीं शताब्दी की संकल्पना है, जो किसी भी देश के आत्मशक्ति का उद्देश्य है. सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रवाद के एकरूपीय और यथार्थवादी स्वरूप के प्रणेता रहे हैं जिसमें विचार और आदर्श, स्वप्न और दर्शन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रसारित होते हैं.

बोस का उग्र राष्ट्रवाद गांधी जी के निष्क्रिय प्रतिरोध से नए केवल भिन्न, बल्कि विपरीत है और शायद यही कारण रहा कि कांग्रेस पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों में दोनों ही मनीषी दो विपरीत प्रवृत्तियों का समर्थन करते दिखे. बोस ने भारतीय जनमानस में एक उग्र राष्ट्रीय चेतना के विकास पर बल दिया. उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शक्ति एवं शासन को भारतीयों को देने को तैयार नहीं होंगे. इसलिए एक राष्ट्रीय चेतना की स्वतंत्रता हेतु संघर्ष नितांत आवश्यक है और यह संघर्ष निश्चित ही रक्त क्रांति से ही संभव है. यदि अहिंसक माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त होती है तो निश्चित ही भारतीय जनता खुश होगी किंतु भारतीय जनता यदि संघर्ष के द्वारा स्वतंत्रता को हासिल करती है तो वहीं वास्तविक स्वतंत्रता होगी. यह स्वतंत्रता वास्तविक इसलिए होगी क्योंकि यह भीख प्राप्त स्वतंत्रता नहीं होगी.

बोस ने भारतीय संस्कृति एवं धर्म आधारित राष्ट्रवाद की संकल्पना प्रस्तुत की किंतु उनका राष्ट्रवाद सांप्रदायिक एवं स्थानीय स्वरूप का नहीं है. उनका मानना था कि एकता की समस्या मूलतः मनोवैज्ञानिक है और यह शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा दूर की जा सकती है. भाषा, वेशभूषा, संस्कृति आदि एकता को स्थापित करने में सहायक होते हैं किंतु यह राष्ट्र भावना का निर्माण नहीं करते हैं. वे हमेशा विचारों और क्रियाओं की एकता पर बल देते थे. एकता एक क्रांतिकारी आंदोलन है, एक साधन है न की साध्य, एक शक्ति का द्योतक है किंतु यदि यह एकता विकास के रास्ते में आती है तो यह एक बुराई का स्वरूप ले लेती है.

बोस के राष्ट्रवाद, उदारवादी या अतिवादी संदर्भ से भिन्न है. हेगेल की भांति बोस राष्ट्र को राष्ट्र में निवास कर रहे व्यक्तियों की चेतना के समुच्चय के रूप में देखते हैं और इस निहितार्थ धर्म, जाति एवं संपत्ति के विभेद को राष्ट्र के लिए हानीकारक मानते थे. व्यक्तियों के मध्य समानता का मतलब यह नहीं है था कि उन्होंने भाषाओं, धर्म परंपराओं और रीति-रिवाजों की विभिन्नता को अस्वीकार कर

दिया है. हुमायूँ कबीर कहते हैं कि नेताजी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक भिन्नताओं के साथ राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाया है.

4.7 फासीवाद से निकटता:

भारतीय राजनीतिक इतिहास दर्शन में कई विद्वानों ने बोस को एक फासीवादी विचारधारा के निकट पाया है किंतु बोस को हिटलर या मुसोलिनी की तरह एक निरंकुश अधिनायक कहना उचित नहीं होगा. बोस को राजनीतिक यथार्थवाद में विश्वास था. उनका विश्वास था कि भारतीय स्वाधीनता के पक्ष में सहानुभूति एवं समर्थन व्यापी लोकमत तैयार करने के लिए विदेशों में प्रचार करने की आवश्यकता है. इस प्रकार वे देश के बाहर भारत की स्वतंत्रता के लक्ष्य को हासिल करने में मददगार मित्रों की निरंतर तलाश में रहते थे.

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बोस के मन में फासीवादी अधिनायको के सबल तरीकों के प्रति झुकाव था. 1934-35 में बोस ने अपनी पुस्तक भारतीय संघर्ष में लिखा था कि मुसोलिनी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका आधुनिक यूरोप की राजनीति में महत्व है. 1931 में गांधी जी ने अपनी इटली यात्रा के दौरान मुसोलिनी से भेट की. इसको बोस ने बहुत महत्वपूर्ण माना उन्होंने लिखा था कि गांधी जी ने इटली की यात्रा करके महान सार्वजनिक सेवा की है. खेद की बात केवल यह है कि वे वहां और अधिक नहीं ठहरे और अधिक निजी संपर्क कायम नहीं किया.

बोस को मैं तो इंग्लैंड के विक्टोरिया-युगीन लोकतंत्र की परंपरा और कार्यप्रणाली में विश्वास नहीं था और ना ही वे 19वीं शताब्दी के फ्रांस के पूंजीवादी गणतंत्र के तरीकों को संतोषजनक मानते थे. 1934 में उन्होंने तर्क दिया कि मार्क्स के कम्यूनिसम और फासीवाद का मिश्रित स्वरूप (जिसे उन्होंने साम्यवाद का नाम दिया) ही भारत के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी. अपनी पुस्तक भारतीय संघर्ष में भविष्य की एक झलक नामक अध्याय में बोस लगते हैं कि कम्युनिज्म तथा फासीवाद के बीच वैषम्य के बावजूद कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दोनों में सामान्य रूप में विद्यमान है. कम्युनिज्म तथा फासीवाद दोनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्चता में विश्वास करते हैं. दोनों दल के अधिनायक तंत्र में तथा असहमत अल्पसंख्यकों का निर्मम रूप से दमन करने में विश्वास करते हैं. दोनों नियोजित औद्योगिक पुनर्र संगठन में विश्वास करते हैं. यह उभयनिष्ठ विशेषताएं नए समन्वय का आधार होंगी. इस समन्वय को लेखक ने साम्यवाद का नाम दिया है यह हिंदी का शब्द है अर्थ है समन्वय अथवा समानता का सिद्धांत. समन्वय का संपादन करना भारत का काम है. बोस द्वारा फासीवाद और साम्यवाद का समन्वय विचित्र प्रतीत नजर आता है. बोस ने इस समन्वय के सैद्धांतिक आधार और व्यावहारिक निहितार्थ की विवेचना नहीं की है. बोस के दर्शन में यह अपूर्व परिवर्तन आश्चर्यजनक है. फिर भी सुभाषचंद्र के पक्ष में यह कहा जा सकता है कि उनके मन में भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद

की जकड़ से कराने की जो तीव्र छटपटाहट थी उसी ने कम से कम अंश में उन्हें फासीवाद का समर्थक बना दिया था।

किंतु बोस को फासीवाद के अतिवादी सिद्धांतों में विश्वास नहीं था। उन्होंने कभी साम्राज्यवादी प्रसार का समर्थन नहीं किया और मैं कभी जातीय (नसल गत) सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार किया। वे जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में रहे तब तक शोषित जनता के हितों का समर्थन करते रहे। अतः यह कहना अनुचित होगा कि यदि उनके हाथों में राजनीतिक शक्ति आ जाती तो वे जर्मनी और इटली के फासीवादियों की भांति शोषक तथा प्रभुताशाली वर्गों में मिल जाते।

4.8 फॉरवर्ड ब्लॉक:

कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे के तीन दिन के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका पहला राष्ट्रीय अधिवेशन 22 जून 1939 को मुंबई में हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने उन शक्तियों को एक साथ लाने के उद्देश्य से फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की जो भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने तथा हर उपाय से उसका तत्काल अंत करने के सिद्धांत को स्वीकार करते थे। 2 जनवरी 1947 को बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सिद्धांतों के इस प्रकार व्यक्त किया है-

1. पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता और उसको प्राप्त करने के लिए अविचल साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष।
2. एक पूर्व आधुनिक ढंग से भारतीय संदर्भ में समाजवादी राज्य की स्थापना।
3. देश के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए वैज्ञानिक ढंग से बड़े पैमाने पर उत्पादन।
4. उत्पादन और वितरण दोनों का सामाजिक स्वामीत्व तथा नियंत्रण।
5. धार्मिक मामलों में व्यक्तियों को निजी स्वतंत्रता।
6. हर व्यक्ति को समान अधिकार।
7. भारतीय समाज के हर वर्ग को भाषा विषयक तथा सांस्कृतिक स्वतंत्रता।
8. नवीन स्वतंत्र भारत के निर्माण में समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत को लागू करना।

यद्यपि इस वितरण में फासीवादी सिद्धांतों को पूर्णतः मध्यम कर दिया गया है किंतु इसमें राजनीतिक स्वतंत्रता का शक्तिहीन शब्दों में उल्लेख मात्र है।

4.9 सारांश:

सुभाषचंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रवाद के उद्भव एवं विकास के एक नए दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। देश तथा देश के बाहर अपने समस्त क्रिया-कलाप में बोस ने निर्भीकता के साथ राष्ट्रवाद का समर्थन किया, जिसमें किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता की गुंजाइश नहीं थी। भारतीय राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में बोस का उल्लेखनीय मौलिक योगदान नहीं है किंतु उनका महत्त्व इसमें है कि गांधीजी व अन्य वामपंथियों की भांति उन्होंने भी गंभीर आर्थिक समस्याओं के तत्काल हल किए जाने पर जोर दिया है। अपनी पुस्तक 'भारतीय संघर्ष' के साम्यवाद तथा फासीवाद के समन्वय की

योजना कल्पित की है। वह भारतीय जनता के दृष्टिकोण में अत्याधिक विकृत और कुत्सित विचारधारा सिद्ध होती है।

सुभाषचंद्र बोस की महत्त भारतीय इतिहास में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित रहेगी। बोस को उनकी ज्वलंत देशभक्ति, देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद की श्रृंखलाओं से मुक्त कराने का आदर्श के प्रति उनकी लगभग उन्मादपूर्ण निष्ठा तथा राष्ट्र के लिए उन्होंने जो घोर कष्ट सहे उनके कारण उन्हें सदैव प्रथम श्रेणी के राष्ट्रीय वीर और दुर्दांत सेनानी के रूप में अभिनन्दित किया जाएगा किन्तु राजनीतिशास्त्र के शुद्ध शास्त्रीय सैद्धांतिक अन्वेषण के क्षेत्र में उनका योगदान न विशेष महत्त्वपूर्ण है और न मौलिक।

4.10 शब्दावली:

समाजवाद: एक सामाजिक-आर्थिक दर्शन है जो धन सम्पत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के अधीन करता है।

साम्यवाद: वो सिद्धांत जो मार्क्स के कम्युनिज्म और मुस्सोलीनी के फासीवाद का भारतीय परिस्थितियों के अनुसार समन्वय स्थापित करता है .

4.11 संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन - डॉ. वी.पी. वर्मा
2. भारतीय राजनीतिक चिन्तक – के. एस. पाण्डेय

4.12 सहायक/उपयोगी सामग्री:

१. द एसैशियल राइटिंग ऑफ़ नेताजी सुभाष चन्द्र बोस- सिसिर कुमार बोस
२. सुभाष चन्द्र बोस – हूघ टॉय

4.13 निबंधात्मक प्रश्न:

१. बोस की स्वतंत्रता का सिद्धांत भारतीय परिस्थितियों एवं समस्याओं के अनुरूप था. चर्चा कीजिये.
२. बोस के राष्ट्रवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक परिक्षण कीजिये.

इकाई 5: जवाहर लाल नेहरू

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 जीवन परिचय
- 5.4 प्रमुख कृतियां
- 5.5 व्यक्ति एवं राज्य
- 5.6 राष्ट्रवाद
- 5.7 लोकतंत्र
- 5.8 धर्मनिरपेक्षतावाद एवं साम्प्रदायिकता
- 5.9 समाजवाद
- 5.10 अंतर्राष्ट्रीय एवं विश्व शांति
- 5.11 सारांश
- 5.12 शब्दावली
- 5.13 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 5.14 सहायक/उपयोगी सामग्री
- 5.15 निबंधात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना:

जवाहर लाल नेहरू आधुनिक भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली राजनीतिज्ञों में से एक थे। नेहरू ने भारत की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक चिंतन प्रक्रिया एवं कार्यक्रमों को गहरे रूप से प्रभावित किया। प्रखर अंतर्राष्ट्रीयवादी होने के बावजूद नेहरू की मान्यता थी कि राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद की धाराएं परस्पर सौहार्दपूर्ण ढंग से मिश्रित हैं। नेहरू ने सहिष्णुता और संश्लेषण की परम्परा में से समकालीन धर्मनिरपेक्षता के राजनीतिक प्रतिमानों को प्राप्त किया। नेहरू के दृष्टिकोण में लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षतावाद आपस में धनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे तथा ये संयुक्त रूप से एक ऐसे मजबूत भारत की नींव रखेंगे जो मानव की महत्ता और उसके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास पर आधारित हो और जिसमें गरीबों एवं दलितों के जीवन स्तर में सुधार दिखाई दे। वे रविंद्रनाथ टैगोर के शब्दों में 'भारत के ऋतुराज' तथा आचार्य नरेंद्र देव के लिए 'लोकतांत्रिक समाजवाद' के प्रतीक थे। टेनीसन के अनुसार नेहरू ने न केवल भारत को स्वतंत्र कराया, अपितु आने वाले वर्षों में भारत का मार्ग भी निर्धारित किया।

जवाहर लाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर, 1889 को मोती लाल नेहरू और स्वरूपा रानी के यहां आनंद भवन, इलाहाबाद में हुआ। 16 वर्ष की आयु में वह आगे की शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और वहां उन्होंने वकालत परीक्षा उत्तीर्ण की। भारत आकर वे सार्वजनिक जीवन की दिशा में मुड़े और 1918 में वे कांग्रेस महासमिति के सदस्य चुन लिए गए। इसके बाद उन्होंने असहयोग से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक में अपनी सक्रिय भागीदारी दर्ज करायी। सन् 1927 में उन्होंने जिनेवा में आयोजित 'साम्राज्यवादी विरोधी' सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। वे चार बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे। भारत की संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू ने ही नए भारत के लिए संविधान बनाने से संबंधित 'उद्देश्य प्रस्ताव' 13 दिसम्बर, 1946 को रखा। स्वतंत्र भारत के वे पहले प्रधानमंत्री बने और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक इसी पद पर रहे।

5.2 उद्देश्य:

1. नेहरू के राष्ट्रवाद के दर्शन को समझ सकेंगे।
2. नेहरू के लोकतंत्र एवं समाजवाद के दर्शन का भारतीय परिस्थितियों में उनका अनुप्रयोग समझ सकेंगे।
3. नेहरू के धर्म एवं साम्प्रदायिकता संबंधी विचार को चिन्हित कर सकेंगे।
4. नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद को समझ सकेंगे।

5.3 प्रमुख कृतियां:

विश्व इतिहास की झलक -1934, आत्मकथा-1936, भारत की एकता-1941, भारत की खोज-1947

टुवर्डस फ्रिडल- 1941, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स -1958

5.4 व्यक्ति एवं राज्य:

नेहरू मानव स्वभाव को अच्छा मानने के साथ-साथ उसमें स्वार्थ, हिंसा, लोभ, पशुता, विलासिता आदि बुराइयों का अस्तित्व भी मानते हैं और इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के लिए राज्य आवश्यक है। नेहरू की दृष्टि में राज्य व्यक्ति एवं समाज दोनों के लिए आवश्यक है। राज्य की बाध्यकारी शक्ति ही हिंसा, स्वार्थपरता, घृणा और विद्वेष आदि पर नियंत्रण लगा सकती है। राज्य की बाध्यकारी सत्ता के अभाव में कानूनों का पालन, कर की वसूली, व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा आदि संभव नहीं है। “कानून अपनी सशस्त्र सेनाओं की सहायता से दूसरों को व्यक्तिगत सम्पत्ति के प्रयोग से रोकता है। राष्ट्रीय राज्य का अस्तित्व की आक्रामक एवं सुरक्षात्मक हिंसा पर आधारित है।”

नेहरू इस व्यक्तिवादी धारणा को स्वीकार नहीं करते थे कि वही सरकार सबसे अच्छी होती है जो सबसे कम शासन करती है। इस संदर्भ में नेहरू कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से प्रभावित नजर आते हैं। उनके अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र पुलिस कार्य तक सीमित नहीं होता। उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पहल करते हुए कार्य करना होता है। नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उसे विविध कार्यों एवं दायित्वों का निष्पादन करना चाहिए। नेहरू राज्य की उपादेयता को स्वीकार करते हुए उसके माध्यम से सामाजिक हित उपलब्ध कराना चाहते थे। इसी कारण नेहरू ने आधारभूत उद्योगों के राष्ट्रीयकरण में भी अनेक बुराइयां हैं। इन्हे एक सीमा तक दूर करने के लिए उन्होंने सामुदायिक विकास योजनाओं और पंचायतीराज का मार्ग बताया। इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया। वे नौकरशाही के तानाशाही या अफसरशाही के दृष्टिकोण में परिवर्तन चाहते थे। राज्य व्यक्ति के लिए है न कि व्यक्ति राज्य के लिए। नागरिकों के कतिपय मूलभूत अधिकार होने चाहिए और उन्हें अनुल्लंघनीय माना जाना चाहिए।

नेहरू के दर्शन में राज्य एवं व्यक्ति दोनों ही एक-दूसरे के साध्य एवं साधन हैं। उनमें अन्योन्याश्रय संबंध है। यदि राज्य व्यक्ति को अपनी इच्छा या शक्ति का साधन नहीं बना सकता तो व्यक्ति भी राज्य को अपनी स्वार्थपूर्ति या लालसा का उपकरण मात्र नहीं बना सकता। राज्य एवं व्यक्ति दोनों मिलकर एक यौगिक इकाई का निर्माण करते हैं।

5.5 राष्ट्रवाद:

नेहरू एक महान राष्ट्रवादी थे किन्तु उन्होंने राष्ट्रवाद के किसी नए सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। उनके लेख ‘भारत की एकता’ में प्रकट होता है कि वे भारत की आधारभूत एकता की

वास्तविकता में विश्वास करते थे। नेहरू ने भारतीय राष्ट्रवाद के भावनात्मक पक्ष को ही अपनाया है। उनके अनुसार, राष्ट्रवाद, मूलतः अतीत की उपलब्धियों, परम्पराओं और अनुभवों की सामूहिक स्मृति है। उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में भारत के अतीत, वर्तमान तथा भावी आकांक्षाओं को समन्वित किया है, किन्तु वे अतीत के प्रति मोहान्ध नहीं थे। उनका अन्तर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद पर आधारित था। उन्होंने कहा है कि 'मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है।' वे कहते हैं कि 'किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम और प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। भारतवर्ष के लिए जिसके पास अतीत एक धरोहर है, उसके लिए यह बात और भी अधिक सही है।' वे स्वीकार करते थे कि अगणित विधाओं के बावजूद भारत के सम्पूर्ण इतिहास में एकता देखने को मिलती है। उन्हें सांस्कृतिक बहुलवाद तथा समन्वय की धारणा से भी प्रेरणा मिली थी। उन पर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रतिपादित समन्वयात्मक सार्वभौमवाद का प्रभाव पड़ा था। उनके लिए राष्ट्रवाद वास्तव में आत्मविस्तार का ही एक रूप है। उन्होंने लिखा है 'राष्ट्रवाद तत्त्वतः अतीत की उपलब्धियों, परम्पराओं और अनुभवों की सामूहिक स्मृति है; और राष्ट्रवाद जितना शक्तिशाली आज है उतना कभी नहीं था।'

अपनी राष्ट्रवादी भावनाओं के आधार पर ही उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से टक्कर ली तथा भारतीय स्वाधीनता के लिए संघर्ष किया। यही कारण है कि वे 'औपनिवेशिक स्वराज्य के समर्थक नहीं बने और उन्होंने सन् 1929 में ही 'पूर्ण स्वाधीनता' को स्वतंत्रता-संग्राम एवं कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। वे भारतीय-स्वाधीनता को अन्य सभी विपदाओं, कठिनाइयों और प्रगति की अनिवार्य शर्त मानते थे। उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में खुलापन अर्थात् पूर्व और पश्चिम की विशेषताओं का स्वागत किया। उनकी राष्ट्रीयता अखिल भारतीय थी। दूसरे शब्दों में, नेहरू के राष्ट्रवाद में विविधता में एकता पाई जाती है। वे भारतवर्ष की मूलभूत एकता में विश्वास रखते थे।

वे उदार राष्ट्रवाद के सम्पर्क में थे। वे ब्रिटिश उदारवाद एवं फेवियनवाद से प्रभावित होने के कारण कभी उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक नहीं बने और उन्होंने सदैव अन्य राष्ट्रों के महत्त्व को स्वीकार किया। वे अन्य देशों की संस्कृति तथा सभ्यताओं के योगदान का स्वागत करते थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्र द्वारा दूसरे देशों पर अपनी श्रेष्ठता या अधिपत्य स्थापित करने की कल्पना नहीं की थी। नेहरू ने भारत को ऐसी प्रवृत्तियों से बचने की सलाह दी और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के मार्ग का समर्थन किया।

5.6 लोकतंत्र:

जवाहर लाल नेहरू को संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत तथा व्यवहार में पूर्ण आस्था थी। भारतीय लोकतंत्र और नेहरू को पर्यायवाची माना जाता है। वे लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था मानते थे। उनकी धारणा थी कि भारत तथा विश्व में राजा-महाराजाओं या सामन्तों के दिन लगे गए हैं। साम्यवादी या अन्य कोई अधिनायकवादी शासन भी उन्हें अस्वीकार्य था। व्यवहार में लोकतंत्र में अनेक कमियाँ हैं फिर भी वह अन्य शासन प्रणालियों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है। इसके द्वारा

समाज तथा व्यक्ति के जीवन में स्थायी और ऐच्छिक आधारों पर परिवर्तन लाए जा सकते हैं। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं - व्यस्क मताधिकार, चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन, लनता द्वारा सरकार को बदलने का अधिकार, व्यक्ति एवं समूहों को सीमित स्वतंत्रताएं और परस्पर पूरकता, समानता विधि का शासन आदि। इस व्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक रूप में दुर्बल वर्गों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसमें सभी वर्गों को राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं और राजनीतिक निर्णयों में भागीदारी प्राप्त हो सकेगी।

लोकतंत्र के विषय में नेहरू की धारणा बड़ी गतिशील और व्यापक थी। वे लोकतंत्र को निरन्तर और गत्यात्मक मानते थे। वे केवल मताधिकार तक सीमित लोकतंत्र को आर्थिक समानता की ओर ले जाना चाहते थे। सबको आगे बढ़ने के लिए समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। पूंजीवादी व्यवस्था को साथ लेकर लोकतंत्र नहीं अपनाया जा सकता। आर्थिक असमानताएं, गरीबी, शोषण तथा एकाधिकार समाज को दो टुकड़ों में विखण्डित कर देते हैं और ऐसी अवस्था में लोकतंत्र धनतंत्र बन जाता है। ऐसा होने पर ही राज्य लोक कल्याण के आदर्श को अपना सकता है।

लोकतंत्र का स्वरूप राजनीतिक के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक भी होता है लोकतंत्र व्यापक समाज तक प्रभावी होना चाहिए। इस अर्थ में वहां जातिवाद, स्त्री-पुरुष विभेद, छुआ-छूत, शहर-ग्राम आदि दोष नहीं होने चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में लोकतंत्र लाने का माध्यम होता है। राजनीतिक लोकतंत्र उन लक्ष्यों तक पहुँचने का मार्ग है, स्वयं कोई लक्ष्य नहीं है। नेहरू के लिए लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, सोचने का ढंग है, परिस्थितियों से निपटने का तरीका है तथा उन बातों को सहन करने का रास्ता है जिसे हम कई बार पसंद नहीं करते हैं। लोकतंत्र आत्मानुशासन होता है तथा शांतिमय उपायों से काम किया जाता है। नेहरू द्वारा प्रतिपादित लोकतंत्रात्मक मूल्यों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखा जा सकता है। वस्तुतः लोकतंत्र कतिपय मूल्यों मान्यताओं और नैतिक मानदण्डों का पुंज है। नेहरू लोकतंत्र को समाज का आत्मानुशासन मानते थे। ऐसा आत्मानुशासन समुचित शिक्षा-व्यवस्था से ही आ सकता है। समुचित संवैधानिक उपायों से अपनी मांगों मनवायी तथा निर्णयों तथा व्यवस्थाओं में फेरबदल करवाया जा सकता है। लोकतंत्र में 'प्रत्यक्ष कार्यवाही' जैसे आंदोलनों के लिए कोई स्थान नहीं है।

लोकतंत्र में भी वे संसदीय शासन प्रणाली को अधिक उपयुक्त मानते थे। उसमें वाद-विवाद द्वारा निर्णय, जनमत, संवेदनशील प्रशासन, जनप्रतिनिधित्व आदि को प्रमुखता मिल जाती है। इसे उन्होंने बहस, वार्तालाप तथा असहमति के माध्यम से निर्णय को स्वीकृत करने वाली तथा अल्पसंख्यकों के लिए महत्वपूर्ण माना है। यह शांति एवं युद्धकाल दोनों में उपयोगी है। संसदीय शासन प्रणाली के लिए वयस्क मताधिकार का होना आवश्यक है। शिक्षा का विस्तार किया जाना चाहिए। विधि का शासन तथा नागरिक अधिकारों की मान्यता लोकतंत्र की पूर्व शर्तें हैं।

5.7. धर्मनिरपेक्षता एवं साम्प्रदायिकता:

नेहरू की धर्म विषयक धारण सरल और सुबोध नहीं थी। वे एक सर्वोच्च शक्ति के अस्तित्व में विश्वास तो करते थे परन्तु वे उसका साक्षात्कार करने या उसके साथ एकाकार होने में विश्वास नहीं करते थे। वे धर्म और ईश्वर को उनके वास्तविक अर्थों में ग्रहण करते थे। धर्म और जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। उनकी आस्था मानवतावादी धर्म के प्रति थी वे धर्म को सामाजिक हितों के संवर्द्धन का एक महान उपकरण मानते थे। धर्म मानव जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है। यदि धर्म ऐसा नहीं होता तो लाखों लोग उसे नहीं अपनाते और वह सामाजिक शक्ति के रूप में उत्पन्न नहीं होता। वह असंख्य लोगों को शांति और सहारा देता है।

नेहरू भारतीय धर्म निरपेक्षतावाद के वास्तविक प्रणेता थे। वे किसी धर्म विशेष को नहीं मानते थे तथा सभी धर्मों के प्रति समान-भाव रखते थे। उनके लिए धर्म निरपेक्षता का अर्थ था- सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव। उनकी धर्म निरपेक्षता का मूलाधार था: मानव व्यक्तित्व एवं नैतिकता में विश्वास, लोकतंत्र में आस्था, सत्य-बोध के प्रति जिज्ञासा एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता।

नेहरू का राष्ट्रवाद भी पूरी तरह धर्म निरपेक्ष था। उन्होंने तिलक, घोष, विपिन चंद्र पाल आदि की धार्मिक राष्ट्रवाद की संकल्पना को नहीं स्वीकारा है। वे धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता के समर्थक थे तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा तो चाहते थे किन्तु वे बहुसंख्यकों के धर्म के आधार पर राष्ट्र निर्माण करने की बात के पूर्ण विरोधी थे। अपने मार्क्सवादी विचारों के अंतर्गत नेहरू ने साम्प्रदायिकता को एक मिथक अभिकल्पना माना। उनके अनुसार वास्तविक समस्या मध्यम वर्ग विशेषतः मुस्लिम मध्यम वर्ग में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी से संबंध है, न कि धर्म से। धर्म की आड़ में साम्प्रदायिकता अपने-अपने समूहों के रोजगार, नौकरियों, पदों, व्यापारिक सुविधाओं आदि के लिए लड़ती है। इसके लिए विभिन्न समुदाय या धार्मिक समूह साम्प्रदायिक भय, अपनी असुरक्षा या धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान का भूत खड़ा करते हैं। इसे ही नेहरू ने 'साम्प्रदायिकता का मिथ' कहा है। इस भूत या समस्या का वास्तविक विद्वान आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्वतंत्रता में निहित है। जिसे राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद ही क्रियान्वित किया जा सकता है। आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के साथ ही साम्प्रदायिकता की समस्या भी हल हो जाएगी।

5.8 समाजवाद:

यद्यपि नेहरू का दर्शन उदारवादी है, किन्तु आर्थिक क्षेत्र में वे समाजवाद से प्रभावित थे। उनका समाजवादी दृष्टिकोण मार्क्सवादी एवं उदारवाद का समिश्रण था। सन् 1928 में उन्होंने सोवियत रश्या पुस्तक लिखी और बताया कि आज विश्व को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनका समाधान ढूंढ़ निकालने में रूस का उदाहरण से सहायता मिल सकती है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कार्ल मार्क्स के चिंतन के प्रभाव को स्वीकार किया है। आचार्य नरेंद्र देव ने उन्हें 'मार्क्स से प्रभावित समाजवादी' बताया। उन्होंने मार्क्सवादी चिंतन को पूर्व और अंतिम नहीं माना और बदलती हुई

परिस्थितियों और नई खोजों के संदर्भ में संशोधन के योग्य माना। वे मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग-संघर्ष एवं हिंसात्मक क्रांति को आवश्यक नहीं मानते थे। मार्क्स लोकतंत्र का विरोध करता है किंतु नेहरू कट्टर लोकतंत्रवादी थे। उन्हें मार्क्स का राज्य विहीन समाज का विचार भी अव्यावहारिक लगता था। लेकिन वे एक समाजवादी थे जो भारतीय परिस्थितियों में समाजवाद को आरोपित करते हैं। सन् 1929 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में कहा कि 'मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। यदि भारत को अपनी निर्धनता व असमानता को समाप्त करनी है तो उसे अपने ढंग से समाजवाद और लोकतंत्र को अपनाना पड़ेगा। 1936 में उन्होंने कहा कि 'मेरा यकीन है कि दुनिया की और हिंदुस्तान की समस्या का एक ही हल है और वह है समाजवाद। यह जिंदगी का दर्शनशास्त्र है। मैं समाजवाद के सिवाय और दूसरा रास्ता नहीं देखता जो गरीबी, बेकारी, बेइज्जती और गुलामी से हिंदुस्तान के लोगों को छुटकारा दिला सके।' वे लोकतांत्रिक समाजवादी थे। नेहरू राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नेहरू ने लोकतंत्रात्मक समाजवाद को भारतीय संविधान की सभी प्रमुख धाराओं में स्थान दिया। सन् 1954 में भारतीय संसद में एक प्रस्ताव के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य भारत में समाजवादी ढंग की व्यवस्था लाने का बताया गया।

भारत में समाजवाद लाने तथा लोकतंत्र को सशक्त बनाने की दिशा में राजा-महाराजाओं का अंत, जमींदारी उन्मूलन, प्रमुख उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा योजनाओं में निरंतर बढ़ता सार्वजनिक क्षेत्र आदि कदम प्रमुख हैं। नेहरू ने लोकतांत्रिक समाजवाद को और भी आगे बढ़ाने के लिए सन् 1956 में नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में न्यायोचित साधनों द्वारा 'समाजवादी सहकारी राज्य के निर्माण' का प्रस्ताव पारित कराया। वस्तुतः वे समाजवाद के आधार पर लोकतंत्र का तथा लोकतंत्र राजनीति आधार से समाजवाद को समृद्ध करने में लगे रहे। 'मैं स्पष्टतः यह स्वीकार करता हूँ कि मैं एक समाजवादी और लोकतंत्रवादी हूँ।' उनका समाजवाद रूढ़िगत और हिंसात्मक न होकर उदार और व्यावहारिक था। उन्हीं के शब्दों में 'समाजवाद एक आर्थिक सिद्धांत के अलावा कुछ और है। यह एक जीवन दर्शन है और इसी कारण यह मुझे प्रिय है।

5.9 अंतर्राष्ट्रवाद:

नेहरू महान अंतर्राष्ट्रीयवादी थे और उनका राष्ट्रवाद-अंतर्राष्ट्रीयवाद का पूरक एवं सहायक था। वास्तविक अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के सभी देश स्वतंत्र हो और उन्हें समान समझा जाए तथा कोई किसी दूसरे का शोषण नहीं करें। उस दृष्टि से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवादी हुए बिना अंतर्राष्ट्रीयवादी नहीं हो सकता। वे आजीवन विश्व-बंधुत्व या वसुधैव कुटुम्बकम् पर जोर देते रहे।

नेहरू ने सभी राष्ट्रों की समानता, स्वतंत्रता और प्रगति का समर्थन किया। वे संयुक्त राष्ट्र संघ (यू.एन.ओ) तथा उसके चार्टर के प्रबल समर्थक थे। वे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा शांतिमय

उपायों एवं बातचीत के माध्यम से करना चाहते थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के निर्माण एवं विकास में बड़ी सहायता की। वे गांधी जी के विचारों के अनुरूप विश्व-राज्य के आदर्श में विश्वास करते थे। संयुक्त राष्ट्र को व्यापक बनाकर नेहरू के अनुसार उस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। नेहरू ने एशिया के देशों को औपनिवेशिक दासता से मुक्त कराने के लिए अनेक बार सम्मेलन किए और उन्हें उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए संगठित किया। इसी प्रकार से वे दक्षिण अफ्रीका को रंगभेद के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। वे चाहते थे कि एशिया और अफ्रीका के देश संगठित हों तथा साम्राज्यवाद एवं शीतयुद्ध के शिकार न बने।

स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री बनने के पश्चात भारत के लिए उन्होंने गुट निरपेक्ष विदेश नीति का निर्माण किया। नेहरू ने पर राष्ट्र नीति ने गुट निरपेक्ष की जो नीति अपनाई उसके तीन आधारभूत सैद्धान्तिक कारण हैं। पहला, भारत एक नवोदित राष्ट्र है, उसे अपनी शक्ति आर्थिक और सामाजिक पुनःनिर्माण के कार्यों में जुटानी है। दूसरा, उनका एक ऐतिहासिक आधार भी रहा है। अपने सम्पूर्ण इतिहास में भारत ने शांति की नीति का अनुसरण किया है। बुद्ध और गांधी इस दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। इस प्रकार गुट निरपेक्षता भारत के उस आदर्श की राजनीतिक अभिव्यक्ति है जो सबके लिए शांति और सद्भावना का संदेश देता रहा है। तीसरे, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति राजनीति की अपेक्षा के आधार पर गुट निरपेक्षता का समर्थन किया जाता है। नेहरू की गुट निरपेक्ष की नीति सक्रिय और गतिशील थी। इसने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में स्वयं को उपयोगी तथा संगतिपूर्ण बनाए रखा है। गुट निरपेक्षता की नीति को 'बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय हितों का पालना'

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नेहरू नैतिक मार्ग का अनुसरण करने में विश्वास करते थे। 1954 में नेहरू तथा चाऊ इन लाई ने अपने एक संयुक्त वक्तव्य में पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इसमें पांच सिद्धांत थे-

1. एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान
2. पारस्परिक अनाक्रमण
3. एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप
4. स्मानता के आधार पर पारस्परिक लाभ तथा
5. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व

इस प्रकार नेहरू का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सिद्धांत मैकियावेलीवाद तथा शक्ति राजनीति की अस्वीकृति पर आधारित है। उनका उद्देश्य है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से बल प्रयोग को पूर्णतः बहिष्कृत नहीं किया जा सके तो उसे न्यूनतम अवश्य किया जाए।

5.10 सारांश:

पटाभि सीतारमैया ने सन् 1942 में नेहरू के विषय में लिखा था कि 'जवाहर लाल नेहरू एक राजनीतिज्ञ है, न कि कोई संत अथवा दार्शनिक। वे विश्व की अच्छी वस्तुओं से प्रेम करते हैं, फिर भी वे कर्तव्य के स्थान पर सुख अथवा अथवा देश के स्थान पर स्वयं को रखना कदापि स्वीकार नहीं करते। आइन्स्टीन ने उन्हें 'आने वाले कल का प्रधानमंत्री बताया है।'

आधुनिक विश्व में एक दार्शनिक एवं राजनेता का अद्भुत संयोग जवाहर लाल नेहरू में देखने को मिलता है। नेहरू के राजनीतिक विचार की एक मुख्य विशेषता यह थी कि वह निरंतर चलती रहती थी, उसमें प्रवाहमानता थी। नेहरू के विचारों में परिवर्तन न केवल इस बात से प्रभावित हुआ कि उन्होंने बदलती परिस्थितियों के फलस्वरूप विकास को स्वाभाविक माना, बल्कि इस बात में भी कि उनमें लगनो और बाह्य प्रभावों के सामने कुछ-कुछ झुक जाने की प्रवृत्ति थी। जब नेहरू ने भारत सरकार का नेतृत्व किया तो उन्होंने वह राजनीतिक लचीलापन प्रदर्शित किया जो व्यावहारिकतावादी स्वरूप का था।

5.11 शब्दावली:

समाजवाद: एक सामाजिक-आर्थिक दर्शन है जो धन सम्पत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के अधीन करता है।

वसुधैव कुटुम्बकम्: का अर्थ है जहां एक ओर पूरी वसुधा अर्थात् हमारी पृथ्वी हमको एक परिवार के रूप में बोध देती है। वहीं भावनात्मक रूप से मनुष्य को अपने विचारों और कार्यों के प्रभाव को विस्तृत करने की बात कहता है।

5.12 संदर्भ ग्रंथ सूची:

1. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन - डॉ. वी.पी. वर्मा
2. भारतीय राजनीतिक चिन्तक – के. एस. पाण्डेय

5.13 सहायक/उपयोगी सामग्री:

१. विश्व इतिहास की झलक – जवाहर लाल नेहरू
२. नेहरू: द मेकिंग ऑफ़ इंडिया – यम. जे. अकबर

5.14 निबंधात्मक प्रश्न:

1. नेहरू के समाजवाद के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिये .
२. भारत में धर्म और साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में नेहरू के विचारों पर एक निबंध लिखिए .

इकाई 6: आचार्य विनोबा भावे (1895-1982)

इकाई की संरचना

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 आचार्य विनोबा भावे का आध्यात्मिक दर्शन
- 6.4. आचार्य विनोबा भावे के राजनीतिक विचार
 - 6.4.1 सर्वोदय विषयक विचार
 - 6.4.2 दल विहीन लोकतन्त्र
 - 6.4.3 बहुमत और सर्वसम्मति
 - 6.4.4 स्वराज्य
 - 6.4.5 विकेन्द्रीकरण
 - 6.4.6 भूदान
 - 6.4.7 संपत्ति दान
 - 6.4.8 ग्रामदान
 - 6.4.9 राजनीति सम्बन्धी विचार
 - 6.4.10 मार्क्सवाद के सम्बन्ध में विचार
- 6.5 सारांश
- 6.6 शब्दावली
- 6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 6.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 6.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 6.10 निबन्धात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

आचार्य विनोबा भावे बाल्यावस्था से ही कठोर जीवन बिताना सीख गये थे। जब वे महात्मा गाँधी के सम्पर्क में आये उसके बाद उनके जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन दिखायी देने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि वे जीवन पर्यन्त आध्यात्मिक साधना करेंगे और गाँधी जी के आदर्शों को समाज में व्यावहारिक रूप में स्थापित करेंगे। गाँधी के आदर्शों के प्रति उनके समर्पण के कारण ही उनके मृत्यु के पूर्व तक उन्हें 'वर्तमान का जीवित महात्मा गाँधी' कहा जाता था। वे भारत के महानसन्त, दार्शनिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारक, भूदान आन्दोलन के प्रणेता और सर्वोदय की धारणा के अग्रदूत कहे जाते हैं। उनका उद्देश्यशासन विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना करना था। इसके लिए उन्होंने गाँधी जी के सर्वोदय दर्शनको स्वीकार किया और उसे साकार रूप देने के लिए अथक परिश्रम किया। गाँधी जी के आदर्शों को रचनात्मक स्वरूप प्रदान कर विनोबा जी ने अपने इस कथन की पुष्टि कर दी कि गाँधी के विचार व्यवस्थित न होते हुए भी चिन्तन की सही शक्ति से युक्त हैं। समाज के दबे, कुचले और निर्बल व्यक्ति का उद्धार कर वे सामाजिक असमानता और अन्याय का समूल नष्ट कर देना चाहते थे। इसके लिए ही उन्होंने भूदान, ग्रामदान संपत्ति दान आदि आन्दोलनों को संचालित किया और यह सिद्ध कर दिया कि यदि उद्देश्य पवित्र हो तो उसको प्राप्त करना आसान हो जाता है। विनोबा भावे का सम्पूर्ण जीवन ही सामाजिक समानता और न्याय के लिए समर्पित था।

6.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उद्देश्यनिम्न हैं-

1. विनोबा भावे के विचारों की पृष्ठभूमि को जानना।
2. विनोबा भावे के सर्वोदय दर्शनको जानना।
3. विनोबा भावे के आध्यात्मिक विचारों को जानना।
4. विनोबा भावे के ग्रामदान तथा भूदान की धारणा को जानना।
5. गाँधी जी के आदर्शों के प्रति विनोबा भावे के समर्पण को समझना।

6.3 आचार्य विनोबा भावे का आध्यात्मिक दर्शन

आध्यात्मिक साधना विनोबा भावे के जीवन का मूलमन्त्र था। इसलिए वे भगवा, भक्त और मोक्ष में गहन विश्वास करते थे। उनका कहना था कि ईश्वरतर्क का नहीं वरन अनुभूति का विषय है। ईश्वरको प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय यह है कि मनुष्य अपने हृदय में सत्य, प्रेम और करुणा के आदर्शों को समाहित कर ले। उन्होंने माना कि ईश्वरके प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानव का अहंकार है। इसलिए ईश्वरकी प्राप्ति तभी सम्भव है जबकि व्यक्ति अहंकार का त्याग कर विनम्रता पूर्वक और समर्पण के भाव से ईश्वरकी प्रार्थना करे। विनोबा भावे की धर्म में घोर आस्था थी परन्तु वे किसी धर्म विशेष को महत्वपूर्ण नहीं मानते थे। उनकी नजर में सबसे बड़ा धर्म मानवता की सेवा करना था। उनका सन्देश है कि यदि हम धार्मिक अनुभवों को पवित्रता और सद्भाव से देखे तो सभी धर्मों के मूल तत्व समान दिखायी देते हैं। इसलिए सभी धर्मों के प्रति उनके हृदय में समान रूप से सम्मान दिखायी देता है। उनका मानना था कि सभी धर्मों का अन्तिम लक्ष्य मानव कल्याण करना ही होता है। जो धर्म या धार्मिक विचार मानव कल्याण की अनदेखी करता है उसे धर्म नहीं माना जा सकता है।

धर्म के प्रति उनके महन लगाव का ही प्रतिफल है कि वे धार्मिक प्रतीकों की भी अनदेखी नहीं करते थे। धर्म के एक बहुप्रचलित रूप मूर्तिपूजा का उनके द्वारा समर्थन किया गया। उनका कहना है कि जब हम ईश्वरको सर्वव्यापी मानते हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वरमूर्ति में भी निवास करता है। जब ईश्वरमूर्ति में मौजूद है तो मन्दिर, मस्जिद, चर्च में उसकी पूजा तो होनी ही चाहिए। मूर्ति पूजा ईश्वर के प्रति विश्वास को प्रकट करने का एक साकार साधन है लेकिन उनके द्वारा उस समय मूर्तिपूजा को अनुचित माना गया जबकि किसी देवता विशेष की पूजा करने वाला व्यक्ति केवल अपने देवता की मूर्ति को ही पूजा के योग्य बताने का प्रयास करता हो।

आचार्य विनोबा भावे का सम्पूर्ण चिन्तन नैतिकता और मानवता से अनुप्राणित दिखायी देता है। उनके अनुसार नैतिक मूल्य मानव जीवन की सबसे अमूल्य निधि हैं। नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा के कारण ही उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रबल समर्थन किया। उनका मानना था कि आदर्श सामाजिक ढांचे का निर्माण सत्य और अहिंसा की बुनियाद पर ही किया जा सकता है। किसी भी समाज के नागरिकों का सत्यनिष्ठ और अहिंसा पूर्ण आचरण सामाजिक संरचना की बुनियाद को मजबूती प्रदान करता है। जिससे समाज रूपी महल टिकाऊ एवं विश्वसनीय बनता है।

6.4 आचार्य विनोबा भावे के राजनीतिक विचार

आचार्य विनोबा भावे के राजनीतिक विचारों पर सबसे अमिट छाप गांधी जी की दिखायी देती है। गांधी जी द्वारा अपने जिन आदर्शों को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सका था और ऐसा लगने लगा था कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त होने तथा गांधी जी की हत्या होने के बाद वे मृतप्राय हो जायेंगे। उनको पुनर्जीवन देने का काम विनोबा भावे के द्वारा किया गया। स्वतन्त्र भारत की नवीन

परिस्थितियों में गांधीवादी दर्शनको प्रासंगिकता प्रदान करने में विनोबा भावे की महती भूमिका है। आचार्य विनोबा भावे के प्रमुख राजनीतिक विचारों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है-

6.4.1 सर्वोदय विषयक विचार

आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने यह धारणा गाँधी जी से ग्रहण की और इसे नया नाम 'साम्ययोग' दिया। सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ है 'सबका उदय' अर्थात् उत्थान और कल्याण। सर्वोदय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि यह समाज के कुछ लोगों का या बहुतों का या अधिकतम का उत्थान नहीं चाहता। हम बेन्थम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की धारणा से सन्तुष्ट नहीं हैं बल्कि हम तो केवल एक की और सबकी उच्च और निम्न की सबल और निर्बल की, बुद्धिमान और बुद्धिहीन की भलाई से ही संतुष्ट हो सकते हैं। सर्वोदय शब्द इस व्यापक धारणा को अपने में समेटे हुए है।

आचार्य विनोबा भावे के द्वारा अपनी सर्वोदय सम्बन्धी विचारधारा को स्थापित करने के लिए इसकी तुलना संसार में प्रचलित तीन विचारधाराओं से की गयी। पहली विचारधारा पूँजीवादी थी जिसकी मान्यता थी कि अधिक योग्यता वाले को अधिक वेतन दिया जाय जबकि कम योग्यता वाले को कम। इस व्यवस्था में कुछ गिने चुने लोग अधिकाधिक संपत्ति पर आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं तो बहुतायत जनता निर्धनता एवं अभाव का जीवन जीने के लिए मजबूर होती है। यह स्थिति समाज के लिए उचित नहीं कही जा सकती। दूसरी विचारधारा लोकतान्त्रिक समाजवाद पर आधारित है, जिसकी मान्यता है कि प्रत्येक सुधार संसदीय एवं सवैधानिक तरीके से की जानी चाहिए। लोकतन्त्र में प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होता है अर्थात् यह 'एक व्यक्ति एक मत के सिद्धान्त' में विश्वास करती है। चुनाव में विजय उसी की मानी जाती है जिसे बहुमत प्राप्त होता है अर्थात् बहुमत प्राप्त करने वाले को ही शासन करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें बहुसंख्यकों की रक्षा और अल्पसंख्यकों का दमन किया जाता है, इसलिए इसे भी वांछनीय नहीं कहा जा सकता। तीसरी विचारधारा साम्यवाद (कम्यूनिज्म) की है जिसमें वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की गयी है और कहा गया है कि श्रमिक (सर्वहारा) क्रान्ति के माध्यम से पूँजी के सभी साधनों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेगा। यह हिंसात्मक क्रान्ति का समर्थन करता है किन्तु विनोबा भावे ने हिंसक क्रान्ति का विरोध करते हुए कहा कि हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है और जब तक यह चक्र चलता रहेगा दुनिया में शान्ति स्थापित नहीं की जा सकती है। हिंसा का प्रयोग मानवता के मूल्य और प्रतिष्ठा को घटा देता है इसलिए ऐसी विचारधारा भी समाज के लिए उचित नहीं कही जा सकती है।

उपर्युक्त तीनों विचारधाराओं को अस्वीकार करते हुए विनोबा भावे ने कहा कि सर्वोदय दर्शन सबसे उत्तम है क्योंकि यह बिना किसी द्वन्द्व या विरोध के सबसे उत्थान की बात करता है। इस सम्बन्ध में वे अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्त से प्रभावित दिखायी देते हैं। इसलिए उन्होंने माना कि प्रत्येक मनुष्य में

परब्रह्म की एक आत्मा समान रूप से निवास करती है। इसलिए सभी मानव समान हैं और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना था कि समाज में सर्वाधिक भेदभाव संपत्ति के आधार पर किया जाता है। इसलिए निजी संपत्ति की धारणा पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि संपत्ति किसी रूप में क्यों न हो, हम उसके मालिक नहीं बल्कि सिर्फ ट्रस्टी हैं। वह एक पवित्र धरोहर के रूप में हमारे पास है। वस्तुतः हमारे पास जितनी शक्तियां हैं वे समाज की सेवा के लिए हैं न कि व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए। सर्वोदय समाज पूर्ण रूपेण ऐसा समाज होगा जिसमें आपसी सौहार्द, प्रेम और सहयोग की भावना प्रबल होगी और प्रतिस्पर्धा या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सर्वोदय के सम्बन्ध में लिखा कि सर्वोदय समाज के लिए अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने और पूरा करने के लिए आकाश-पाताल एक करने के बजाय अपनी आवश्यकताओं और तृष्णाओं को कम करेंगे और अपने मन को नियन्त्रित करेंगे। ऐसे समाज में बहुमत या अल्पमत की समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी। बहुमत और अल्पमत की समस्याएं तो वहाँ उत्पन्न होती हैं जहाँ मनुष्य अपने प्रतिद्वन्द्वी हितों की पूर्ति के लिए अपने आपको संगठित कर लेते हैं और प्रेम तथा साहचर्य की अपेक्षा धन और व्यक्तिगत हित को अधिक महत्व देते हैं। सर्वोदय समाज का सूत्र वाक्य होगा तुम दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान रखो और अपनी ऐसी कोई आवश्यकता न पालो जिससे दूसरों को कष्ट होता हो। उनके अनुसार यही वह नियम है जिसका अनुसरण करने वाले परिवार सुखी होते हैं इसलिए इसको व्यापक समाज पर भी आरोपित करना कठिन नहीं होना चाहिए बल्कि सामाजिक जीवन में इसे सहजता और स्वाभाविक तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए।

सर्वोदय दर्शनपर आधारित समाज में आपसी कटुता, वैमनस्य या विरोध-प्रतिरोध की सम्भावना इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि इसमें लिया जाने वाला निर्णय मतदान अर्थात् बहुमत पर आधारित नहीं होता है बल्कि वहाँ तो प्रत्येक निर्णय आपसी वाद-विवाद और तर्क-वितर्क पर आधारित एवं सर्वसम्मति से होता है। जिसमें एक-दूसरे की विरोधी भावनाओं का लोप हो जाता है। इसका अन्तिम निहितार्थ व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामाजिक हित अर्थात् सबका कल्याण करना होता है। सबके कल्याण की भावना से ओतप्रोत होने के कारण सर्वोदय समाज में असमानता या अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं बचता है। इसलिए हिंसा और अशांति की भी सम्भावनाओं का अन्त हो जाता है। ऐसा समाज आपसी भाई चारे और सहयोग की अद्भुत मिशाल कायम करेगा। यह ऐसा समाज होगा जिसमें किसी भी रूप में मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होगा। इसमें विषमता के स्थान पर समानता, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग और संघर्ष के स्थान पर सहयोग और प्रेम का साम्राज्य स्थापित होगा।

6.4.2 दल विहीन लोकतन्त्र

सर्वोदय दर्शन में आस्था के कारण आचार्य विनोबा भावे वर्तमान लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका मानना है कि लोकतन्त्र कहने के लिए भले ही जनता का शासन है लेकिन इसमें बहुमत का दबदबा दिखायी देता है। लोकतन्त्र बहुमत पर आधारित शासन होता है, इसलिए इसमें राजनीतिक दलों एवं नेताओं द्वारा बहुमत प्राप्त करने के लिए प्रत्येक तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। लोकतन्त्र की कमियों की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वे कहते हैं कि लोकतन्त्र में शक्ति और सत्ता प्राप्त करना ही शासकों का मुख्य ध्येय होता है। इसके लिए वे सभी प्रकार के भ्रष्टाचार एवं अनैतिक आचरण का अवलम्बन करते हैं। जब सत्ता प्राप्त हो जाती है तो शासक अपनी कुर्सी बचाने में ही अपनी सम्पूर्ण क्षमता लगा देता है। जिससे जनकल्याणकारी कार्य बाधित होने लगते हैं। लोकतन्त्र में भ्रष्टाचार भी चरम पर होता है। जिससे आर्थिक विषमता का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। कालान्तर में यही आर्थिक विषमता समाज में लोगों के बीच तनाव व कटुता का कारण बनती है। यह स्थिति सर्वोदय दर्शनके अनुकूल नहीं कही जा सकती है।

राजनीतिक दल लोकतन्त्र के पर्याय बन चुके हैं। किसी भी लोकतान्त्रिक देश के शासकीय संरचना की कल्पना दलों के अभाव में सम्भव नहीं रह गयी है। ये राजनीतिक दल अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए न सिर्फ जनता का उपयोग करते हैं बल्कि उन्हें अपने पक्ष में लामबन्द करने के लिए उनके मध्य तनाव या कटुता भी उत्पन्न करते हैं। विनोबा भावे दलगत राजनीति को भारत के लिए अभिशाप मानते थे। उनका कहना था कि इससे राजनीति में संकीर्णता, विद्वेष, घृणा और भ्रष्टाचार बढ़ता है। यह दलबन्दी को भी बढ़ाती है जबकि आवश्यकता इस बात की है कि दलीय भावनाओं से ऊपर उठकर जनसामान्य के हितार्थ कार्य किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने विचार प्रकट करते हुए 1954 में कहा था कि दलगत राजनीति के जरिये क्रान्ति कभी नहीं हो सकती बल्कि वह जनमानस के उद्वेलित होने से होती है। अतः उसे पक्षातीत होना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि लोग एक-दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर रखें लेकिन आजकल तो दल एक-दूसरे से भारी नफरत करते हैं। उनके लिए अपनी पार्टी की पुस्तकें ही वेदवाक्य हैं। उनके विचार अत्यन्त संकुचित होते जा रहे हैं। उनके अन्दर केवल दलबन्दी नहीं बल्कि दिलबन्दी भी फैल गयी है जो अत्यन्त घातक है। यह स्थिति सर्वोदय क्रान्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। विचारों के प्रसार के लिए दिल खुले होने चाहिए। विनोबा भावे इसके लिए वर्तमान राजनीति को दलों के दल-दल से सर्वथा मुक्त रखना चाहते थे।

दल विहीन लोकतन्त्र के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा है कि जहां तक विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रति हमारी नीति का प्रश्न है। मेरा मानना यह है कि उन्हें भिन्न दलों के रूप में अपना अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए और सामान्य सम्मति से स्वीकृत कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए अच्छे तथा निष्ठावान व्यक्तियों का एक मोर्चा बना लेना चाहिए। इस उद्देश्यसे मैं जनता

के सामने एक ऐसा कार्यक्रम रख रहा हूँ जो सबको स्वीकार हो सके और जिसमें सभी लोग अपना मतभेद भुलाकर सम्मिलित हो सकें। इससे राजनीतिक दल एक-दूसरे के निकट आयेगें और परिणाम यह होगा कि उनके मतभेद कम होंगे और आपसी सहमति तथा मेल-मिलाप बढ़ेगा। जिससे देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और राष्ट्रीय विकास की बाधाएं दूर हो सकेंगी।

अभ्यास प्रश्न 1- 1. नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखें।

2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से मिलान कर अपने उत्तर की त्रुटियों को दूर करें।

1. विनोबा भावे ईश्वरको तर्क का नहीं बरन अनुभूति का विषय मानते थे।

(i) सत्य है (ii) असत्य है

2. क्या आचार्य विनोबा भावे मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे ?

3. सर्वोदय का क्या अर्थ है ?

4. दलविहीन लोकतन्त्र का समर्थन किया था-

(i) सुभाष चन्द्र बोस ने (ii) जवाहर लाल नेहरू ने

(iii) आचार्य विनोबा भावे ने (iv) इनमें से किसी ने नहीं

6.4.3 बहुमत और सर्वसम्मति

वर्तमान लोकतान्त्रिक व्यवस्था में बहुमत द्वारा निर्णय लेने की व्यवस्था प्रचलित है। संसद से लेकर ग्राम स्तर तक की लोकतान्त्रिक संस्थाएं बहुमत के आधार पर ही कार्य करती हैं। आचार्य विनोबा भावे बहुमत आधारित पद्धति के उग्र विरोधी थे। बहुमत आधारित निर्णय प्रथा की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि पहले जैसे निर्णय तलवार से लादा जाता था अब वह बहुमत के जोर से लादा जाता है। तलवार के बारे में कहावत प्रचलित थी कि उसमें अक्ल नहीं होती है इसलिए उस व्यवस्था का परित्याग कर दिया गया। बहुमत के सम्बन्ध में भी वही बात कही जा सकती है कि इसमें अक्ल नहीं होती है। केवल संख्या बल के आधार पर निर्णय लेना सर्वथा गलत है। बहुमत का निर्णय समाज के सभी लोगों का हित साधन करने वाला होगा यह आवश्यक नहीं है। ऐसे में समाज व राज्य के उस वर्ग में असन्तोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है जिसका इस प्रकार के निर्णय से अहित होगा। इससे राजनीतिक व्यवस्था में एक-दूसरे को गिराने या नीचा दिखाने की कशमकश प्रारम्भ हो जाती है और एक पक्ष दूसरे पक्ष के काम को बिगाड़ने में लगा रहता है। परिणामस्वरूप राजनीतिक व्यवस्था के टूटने की सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए विनोबा भावे ने माना कि समाज में लिया जाने

वाला निर्णय यदि सर्वसम्मति पर आधारित हो तो निश्चित की इसका परिणाम सर्व समाज के कल्याण के रूप में दिखेगा। यदि राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय सर्वहितकारी या लोककल्याणकारी होगा तो उसके प्रति लोगों का लगाव बढ़ेगा। यह राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए शुभकारी होगा। इस प्रणाली की कसौटी 'बहुत' और 'कुछ' की कसौटी के स्थान पर सर्व समाज का हित होगा। समाज का हित इसका लक्ष्य होगा इसलिए समाज के लोगो में आपसी कषमकष या एक-दूसरे को नीचा दिखाने या गिराने की प्रवृत्तिका भी लोप हो जायेगा।

6.4.4 स्वराज्य-

विनोबा भावे न केवल स्वराज्य का अर्थ भारत के अन्य राजनीतिक विचारकों से भिन्न मानते हैं बल्कि स्वराज्य की प्राप्ति उनका सबसे प्रमुख लक्ष्य भी है। सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नारा दिया गया था कि 'स्वराज्य' हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हम इसे लेकर ही रहेंगे। स्वराज्य शब्द से तिलक का आशय था अंग्रेजी शासन के स्थान पर भारतीयों का शासन स्थापित करना जबकि विनोबा भावे ने स्वराज्य का आध्यात्मिक अर्थ में प्रयोग किया और माना कि स्वराज्य का अर्थ 'आत्मा का शासन' है। आत्मा दैवीय गुणों का प्रतीक है। अतः स्वराज्य का अर्थ ऐसी स्थिति से है जिसमें मनुष्य नैतिक रूप से इतना मजबूत हो जाय कि उसमें गलत कार्यों के प्रति आकर्षण पूर्णतः समाप्त हो जाय। उन्होंने माना कि मानव मन में दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों के बीच सदैव संघर्ष चलता रहता है। जिसमें दैवी शक्तियों की विजय होनी चाहिए क्योंकि आसुरी प्रवृत्तियाँ ही मानवीय आत्मा को नाना प्रकार के प्रलोभनों के प्रति आकृष्ट करके उसे पथभ्रष्ट करती हैं। इसलिए सच्चा स्वराज्य तभी स्थापित हो सकता है जब व्यक्ति अपने आप पर कड़ा आत्मानुशासन रखे। वर्तमान राजनीति में व्याप्त गंदी प्रवृत्ति शक्ति प्राप्त करने की लालसा का भी उन्मूलन तभी सम्भव है जबकि व्यक्ति के अन्दर आत्मानुशासन अर्थात् स्वराज्य स्थापित हो जाय। शक्ति प्राप्त करने की यह लालसा ही व्यक्ति को भ्रष्ट और अनैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित करती है और जब इसका अन्त हो जायेगा तो समाज में भ्रष्टाचार और अनैतिकता भी समाप्त हो जायेगी। इस प्रकार विनोबा भावे के अनुसार स्वराज्य ऐसी स्थिति का घोटक है जिसमें मनुष्य अपनी सच्ची अन्तरात्मा से प्रेरित होकर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है और व्यक्तिगत हित के लिए किये जाने वाले गलत कार्यों का परित्याग कर देता है।

6.4.5 विकेन्द्रीकरण

गाँधी जी की भांति आचार्य विनोबा भावे भी शासन की शक्तियों के केन्द्रीकरण के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि शासन की शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। वही शासन व्यवस्था सर्वोत्तम है जिसमें सबसे अधिक शक्ति निचले स्तर की संस्था के पास हो और जैसे-जैसे ऊपर बढ़ा जाय ऊपरी संस्थाओं की शक्तियाँ उत्तरोत्तर कम होती जाय। इस प्रकार वे वर्तमान शासन व्यवस्था का शीर्षासन कराना चाहते हैं और ऐसी स्थिति लाना चाहते हैं जिसमें केन्द्रीय सत्ता की शक्तियाँ

अत्यन्त सीमित हो। उन्होंने 1952 में प्रकाशित अपने निबन्ध 'आउट लाइन आफ सर्वोदय' में लिखा कि 'भारत में गांवों को अवश्य ही आत्म निर्भर होना चाहिए। उन्हें वे सभी माल तैयार करना चाहिए जिसकी उन्हें अपने गांव में जरूरत होती है। सबको भोजन मिलना चाहिए और सबको काम करना चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था संयुक्त परिवार की राह पर बननी चाहिए। गांवों के लोग अपने शासन का काम भी स्वयं करेंगे। आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर विकेन्द्रीकरण जनता को अपने कार्यों का प्रबन्ध तथा नियन्त्रण करने के लिए प्रशिक्षित एवं अनुशासित करेगा। केन्द्रीय सत्ता जब तक बनी रहेगी रेल में लगी खतरे की जंजीर की तरह होगी। सवारियां सदैव इस जंजीर की तरफ ध्यान केन्द्रित नहीं रखती बल्कि खतरे के समय ही इसका उपयोग करती है।

विनोबा भावे गांवों के शासन को दलबन्दी की बुराईयों से दूर रखना चाहते हैं। इसलिए उनका कहना था कि गांवों के शासन संचालन में किसी प्रकार का मतभेद न हो। गांवों के शासन का संचालन एकमत अर्थात् सर्वसम्मति से किया जाय। इसके लिए गांव के लोगों के द्वारा आपसी सहमति से अपने में से ही 5 से 10 लोगों की एक कार्यकारिणी का निर्माण कर लिया जाय और यह कार्यकारिणी सभी निर्णय सर्वसम्मति से ले। जब कभी किसी मुद्दे पर कार्यकारिणी के लोगों में मतभिन्नता हो तो उसे तब तक के लिए छोड़ देना ठीक है जब तक सब उससे सहमत न हो जाय। गांव के विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय के लिए एक ग्राम कोष की स्थापना की जाय। इस कोष में जमा धनराशिका 40वां हिस्सा गांव के विकास पर खर्च किया जाय तथा शेष धनराशिसरकार को दे दी जाय। ग्राम सभा के द्वारा ही गांव के भूमिहीनों में जमीन वितरित करने का काम भी किया जायेगा और ग्राम सभा की कुछ भूमि का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाय।

विनोबा भावे गांवों को पूरी तरह स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उनका मानना था कि गांवों की सम्पूर्ण व्यवस्था की नियन्ता ग्रामीण संस्थाएं ही होगी। उनका कहना था कि न सिर्फ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना बल्कि गांव में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी भी गांव की ही होगी। ग्राम शासन ही पुलिस मुक्ति और अदालत मुक्ति है। इसका आशय है कि गांव के बाहर से पुलिस का कोई व्यक्ति गांव में नहीं आयेगा बल्कि शान्ति व्यवस्था स्थापित करने का काम गांव के लोग ही करेंगे। प्रत्येक गांव में एक शान्ति सेना होगी जिसमें सर्वोदय में आस्था रखने वाले 10 लोग होंगे जो सर्वोदय के आदर्शों के अनुरूप शान्ति बनाये रखने का प्रयास करेंगे। अदालत मुक्ति का आशय है कि गांव के लोगों के झगड़ों का निस्तारण भी अदालत या कचहरी में नहीं किया जायेगा बल्कि उसे गांव स्तर पर ही निपटा लिया जायेगा।

6.4.6 भूदान

विनोबा भावे के सम्पूर्ण राजनीतिक दर्शनमें उनके भूदान सम्बन्धी विचार अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने न सिर्फ भूदान यज्ञ का विचार प्रतिपादित किया बल्कि इसे क्रियात्मक और व्यावहारिक स्थिति भी प्रदान किया। विनोबा जी का यह कार्यक्रम केवल भूमि के पुनर्वितरण का कार्यक्रम नहीं

था बल्कि यह तो एक नवीन मानवता एवं सभ्यता का सूत्रपात है। यदि इसका उद्देश्यकेवल भूमि का वितरण करना होता तो यह कार्य जमींदारी उन्मूलन कानून बनाकर बड़े आसानी से किया जा सकता था लेकिन भूदान आन्दोलन के पीछे विनोबा भावे का उद्देश्य जमींदारों के दृष्टिकोण एवं विचारों में परिवर्तन लाना था। उनका मानना था कि यदि लोग यह समझते हुए भूमि का दान करते हैं कि समस्त भूमि ईश्वरकी है तो निश्चित ही भूमि के प्रति मोह और उसके अधिकार में गर्व की भावना कम हो जायेगी। इस हृदय परिवर्तन के बिना नवीन समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। भूमिदान के द्वारा विनोबा भावे भूमिपतियों के हृदय में कैसी क्रान्ति लाना चाहते थे इसका बड़े सुन्दर शब्दों में उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि भूमि के पुनर्वितरण का कार्य राज्य के कानूनों द्वारा सरलता से किया जा सकता है किन्तु क्या इससे मोह और अभिमान के बन्धन कट जायेंगे, क्या हम कानून के द्वारा मनुष्य को अभिमान का त्याग करने, अपनी उच्च स्थिति की भावना का त्याग करने तथा त्याग का जीवन व्यतीत करने और लोभ को छोड़ने के लिए विवश कर सकते हैं और यह तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि मानव हृदय परिवर्तित न हो जाय अर्थात् उसके अन्दर यह भाव न उत्पन्न हो जाय कि ईश्वरकी सभी सन्तानों (मानव) के पास उसके आवश्यकता भर की भूमि अवश्य होनी चाहिए।

इससे यह सिद्ध होता है कि विनोबा भावे के भूदान यज्ञ का उद्देश्यसमाज के धनाढ्य और गरीब दोनों वर्गों का हृदय परिवर्तन करना था। उनका कहना था कि धनी व्यक्ति के भीतर अभिमान व लोभ की भावनाएं प्रबल होती है तो गरीब व्यक्ति हताश और निराश होता है जिससे वह चापलूसी करने का आदी बन जाता है। इस प्रकार दोनों वर्गों के हृदय और उद्देश्यमें कोई एकता नहीं होती और समाज आन्तरिक तौर पर विभाजित हो जाता है। स्वेच्छा से भूदान करने से यह सामाजिक विभाजन समाप्त हो जायेगा, लोगो का हृदय एक हो जायेगा, परिणामस्वरूप धनी और गरीब की कटुता भी समाप्त हो जायेगी। स्वेच्छा से किया गया भूदान उन समस्त सामाजिक रोगों का उपचार सम्भव बना देगा जिससे आज का समाज पीड़ित है। हृदय परिवर्तन के उपरान्त यदि भूमिपति अपनी भूमि एक पिता की भांति प्रेम व उदारता के साथ भूमिहीनों को देता है, उनकी सेवा करने लगता है, उनके सुख-दुख में भागीदार बन जाता है तो विषमता जन्य सामाजिक रोग स्वतः उपचारित हो जायेगा।

विनोबा भावे कभी भी यह दावा नहीं किये कि उनके भूदान आन्दोलन का उद्देश्यभूमि का वितरण कर उत्पादन को बढ़ाना है बल्कि वे तो जोर देकर कहते थे कि उनका उद्देश्यवर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बदलना है। भूदान आन्दोलन पूर्ण क्रान्ति (सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक) कीदिशामें पहला कदम है। यह उस अधिकार भावना पर कुठाराघात है जिस पर वर्तमान समाज आधारित है। यह अधिकार भावना समाज के छोटे और बड़े सभी भूमिपतियों में पायी जाती है। इसलिए हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने माना कि यदि

छोटे भूमिपति अपनी भूमि का दान करेंगे तो बड़े भूमिपति भूदान के लिए प्रेरित होंगे। जिससे समाज के लोगो में प्रेम, सहयोग और उदारता का उदय होगा और समाज का अन्तर्कलह कम हो जायेगा।

विनोबा भावे के आन्दोलन की जड़ में हैदराबाद की परिस्थितियां थी। जहां जमींदारी या सामन्तवादी व्यवस्था का बोलबाला था। जिसके कारण वहाँका किसान भूमिहीन तथा अत्यधिक गरीब था। स्वतन्त्रता पूर्व निजाम के शासन काल में कुछ युवकों ने भूमिहीनों की लड़ाई लड़ने का निष्चय किया किन्तु उन्हें कोई विशेषसफलता नहीं मिली परन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद साम्यवादी आन्दोलन भीषण स्वरूप लेने लगा। जिसके कारण केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे दृढ़तापूर्वक कुचलने का निर्णय लिया गया। इससे साम्यवादी आन्दोलन और उग्र होने लगा। परिस्थितियों को भांपते हुए विनोबा भावे ने शान्ति सैनिक के रूप में तेलंगाना में हैदराबाद के निकट शिवराम पल्ली में सर्वोदय सम्मेलन करने का निर्णय लिया। इस यात्रा के समय उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है तो अधिकांशके पास विलकुल जमीन नहीं है। यह विषमता हैदराबाद में साम्यवादी आन्दोलन का बड़ा कारण थी। यही से उनके अन्दर भूदान को यज्ञ के रूप में शुरू करने की भावना प्रबल हुई। उनकी इस भावना को श्रीराम चन्द्र रेड्डी ने बल प्रदान करते हुए अपनी भूमि दान में दे दी। इसे ईश्वरकी प्रेरणा मानते हुए लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। इस प्रकार विनोबा जी ने यह निष्चय किया कि वे इस पुनीत कार्य के लिए भारत के विभिन्न प्रान्तों की यात्रा करेंगे। भूदान के समर्थन में उन्होंने तर्क दिया कि सूर्य की किरणें राजा और रंक दोनों को समान रूप में मिलती हैं। ईश्वरअपने द्वारा निर्गत वस्तुओं के वितरण में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यदि ईश्वरजल, वायु, प्रकाश और आकाश के वितरण में भेदभाव नहीं करता है तो यह सम्भव नहीं है कि वह भूमि को कुछ लोगों के हाथों में सौंप दिया होगा। भूमि भगवान की संपत्ति है इसलिए इसका वितरण भूमिपतियों द्वारा भूमिहीनों में कर दिया जाना चाहिए। परन्तु भूदान करते समय भूस्वामियों में दानी का अभिमान नहीं बल्कि विनम्रता और पड़ोसियों के प्रति कर्तव्य पालन की भावना होनी चाहिए। भूदान आन्दोलन को यज्ञ कहने के पीछे विनोबा भावे का यही निहितार्थ था कि यह मानव के अभिमान और अहंकार को जलाकर राख कर देता है। 30 जनवरी 1954 को उन्होंने गया जिले के किंजर नामक स्थान पर भाषण देते हुए कहा था कि “प्रत्येक व्यक्ति को इस यज्ञ में आहूति देनी चाहिए। हमें यज्ञ में पशु की नहीं वरन इसके स्थान पर अपने स्वार्थ, आसक्ति, लोभ और लालच की आहूति देनी चाहिए। यह मनुष्य का एक पवित्र धार्मिक कर्तव्य है कि वह अपने भूखे, नंगे पड़ोसियों को भूमिदान करे। इससे समाज में शान्ति व सौहार्द की स्थिति स्थापित होगी। इस प्रकार यह देखने को मिलता है कि विनोबा भावे के भूदान दर्शनका उद्देश्यसम्पूर्ण राष्ट्र और अन्ततोगत्वा सम्पूर्ण मानव जाति का नैतिक उत्थान करना है। यह मानव में उस परमार्थ को जागृत करने का सफल प्रयास है जो कि अहंकार से आच्छादित मनुष्य के हृदय की गहराइयों में छिपा है।

6.4.7 संपत्ति दान

यद्यपि भूदान आन्दोलन के प्रारम्भिक दौर में विनोबा भावे द्वारा संपत्ति दान के विचार को अस्वीकार कर दिया गया था परन्तु बाद में चलकर उन्होंने महसूस किया कि भूमिहीनों को दी गयी भूमि पर उन्हें बसाने तथा खेती कार्य करने हेतु धन की आवश्यकता होगी। बिना धन के जमीन का टुकड़ा निरर्थक सिद्ध होगा। इसलिए उनके द्वारा गाँधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त से प्रेरणा लेते हुए संपत्ति दान के दर्शनका अवलम्बन किया गया। संपत्ति दान के मूल में यह विचार था कि सारी संपत्ति भगवान की है। इसलिए इसका उपयोग सबकी भलाई के लिए किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि जिन व्यक्तियों के पास किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति है उन्हें इस संपत्ति का अधिक नहीं तो कम से कम छठा हिस्सा समाज कल्याण के कार्यों पर खर्च करना चाहिए। भूदान केवल वही कर सकता है जिसके पास भूमि है लेकिन संपत्ति दान प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई न कोई संपत्ति अवश्य होती है। निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी यह संपत्ति उसके श्रम के रूप में होती है। इसलिए धनिकों एवं निर्धनों को समान रूप से सामाजिक कार्य के लिए संपत्ति दान करना चाहिए।

संपत्ति दान वास्तव में भिक्षा-दान नहीं है बल्कि यह तो मनुष्य के इस विश्वास की अभिव्यक्ति है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसका उपयोग गरीबों की भलाई एवं सेवा के होना चाहिए। यह गाँधी जी के न्यास सिद्धान्त का क्रियात्मक रूप कहा जा सकता है। इसमें संपत्ति का स्वामी अपने को उसका मालिक नहीं बल्कि न्यासकार समझता है। संपत्ति का स्वामी जब अपने अहंकार का त्याग कर अपनी संपत्ति गरीबों को देता है तो इससे दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है और यह सामाजिक संरचना को मजबूती प्रदान करता है। संपत्ति दान जहां देने वाले के मन को शुद्ध करता है एवं उसे मानसिक शान्ति प्रदान करता है वहीं लेने वाले का भी उत्थान करता है। इस आन्दोलन ने लोगों में भारी चेतना का संचार किया और लोग शनैः शनैः इस बात को स्वीकार करने लगे कि उनके पास जो कुछ भी है उसका प्रयोग आपस में बांट कर किया जाना चाहिए क्योंकि उस पर सभी का समान अधिकार है।

संपत्ति दान और भूदान के सूक्ष्म अन्तर को विनोबा भावे ने बड़े सुन्दर शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है कि भूदान में दानी जब अपनी भूमि का दान कर देता है तो उसका दायित्व समाप्त हो जाता है किन्तु संपत्ति दान में दाता न केवल अपनी संपत्ति का दान करता है बल्कि उसे सामाजिक कार्यों के लिए इसका व्यय और प्रबन्ध भी स्वमेव करना पड़ता है। उन्होंने माना कि भूदान विवाह में कन्यादान करने जैसा है जिससे दाता एक दायित्व से मुक्त हो जाता है किन्तु संपत्ति दान अपना विवाह करने जैसा है जिससे व्यक्ति एक नये बन्धन में बधता है।

6.4.8 ग्रामदान

विनोबा भावे के अनुसार ग्रामदान का अर्थ कदापि यह नहीं है कि लोग गांव दान में देकर अपने कहीं अन्यत्र चले जाय बल्कि यह तो एक ऐसी पवित्र धारणा है जिसमें पूरा गांव एक विषाल परिवार का रूप धारण कर लेगा। यह व्यक्तिगत संपत्ति पर आघात तो करता है लेकिन उसे नष्ट नहीं करता है।

ग्रामदान में प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमि जिसे वह जोतता-बोता है, स्वामी बना रहता है। परन्तु एक व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए करता है। उन्होंने लिखा है कि “ग्रामदान गांव को छोड़कर भाग जाना नहीं अपितु मिल जुलकर रहना है। ग्रामदान में हरिजन-परिजन, अमीर-गरीब आदि का कोई भेद नहीं रहेगा। सब मिल बांटकर खायेंगे। एक-दूसरे के सुख-दुख में शरीक होंगे। भागवत में कहानी है कि गोकुल वृन्दावन में घर-घर की दही इकट्ठा करके सब खाते थे ऐसा ही ग्रामदान में भी होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी लोग एक घर में रहेंगे, एक जगह खायेंगे। अलग-अलग परिवार होते हुए भी भावना एक कुटुम्ब की रहेगी। सबमें सबके प्रति प्रेम होगा। हरेक सबके हित में अपना हित समझेगा। ग्राम दान में बच्चे, बूढ़े, बेकार और बेवाओं की सेवा करनी होगी। जमीन की मालिकी गांव को समर्पित करनी होगी। जमीन का वीसवां हिस्सा भूमिहीनों को देना होगा। गांवों में खादी और ग्रामोद्योग बढ़ाने होंगे, शान्ति सेना बनानी होगी, उत्पादन बढ़ाना होगा।”

ग्रामदान के पश्चात् ऐसे गांव के समस्त निवासी एक-दूसरे के सुख-सुख में भागीदार बनते हैं। वे अपनी प्रतिभा का प्रयोग सबकी भलाई के लिए करते हैं। उन्होंने कहा है एक अध्यापक, एक संगीतज्ञ, एक शिल्पकार, एक किसान प्रत्येक अपना-अपना उद्यम करेगा। ग्राम वार्षिक उपज में से सबको हिस्सा देगा। सब अपने को एक समझेगा और एक सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे। इस व्यवस्था में व्यक्ति अपनी भूमि व धन समाज को देकर भी कुछ खोता नहीं है बल्कि उसकी सुरक्षा बढ़ जाती है क्योंकि उसकी सुरक्षा का दायित्व समाज के कंधों पर आ जाता है। ग्रामदान सारे गांव के लोगों का आर्थिक और सामाजिक जीवन बदलने की योजना है। इसका उद्देश्य है कि आर्थिक विषमता घटनी चाहिए, सामाजिक विषमता मिटनी चाहिए, आध्यात्मिक मूल्य सामने आएं और लोगों में परस्पर सहयोग बढ़े। निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी प्रेम, सहयोग और श्रद्धा की तीन बड़ी शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग करके वह अपने गांव को स्वर्ग बना सकता है। ऐसा गांव पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर होगा अर्थात् यह ग्राम स्वराज के धारणा का जीवन्त रूप कहा जा सकता है। जिसमें सभी निर्णय लोगों की आपसी सहमति अर्थात् सर्वसम्मति से लिया जायेगा।

6.4.9 राजनीति सम्बन्धी विचार

आचार्य विनोबा भावे राजनीति में प्रचलित दोषों से पूर्णतया अवगत थे। उन्होंने देखा कि राजनीति का एक मात्र उद्देश्यशक्ति और सत्ता प्राप्त करना है। सत्तारूढ़ दल कभी भी अपनी सत्ता का त्याग नहीं करना चाहता है वरन् वह तो सत्ता में बने रहने के लिए साम, दाम, दण्ड, भेद का सहारा लेने में भी कोई संकोच नहीं करता है। सत्ता न सिर्फ व्यक्ति में अहंकार अपितु अनैतिकता को भी प्रोत्साहित करती है। इसलिए विनोबा भावे ने कहा कि ऐसी गन्दी राजनीति के स्थान पर लोकनीति की स्थापना करके ही उसका कायाकल्प किया जा सकता है। उनके अनुसार शासन या सत्ता का उद्देश्यलोगों का कल्याण या सेवा करना होना चाहिए। यह व्यवस्था सर्वोदयवादी व्यवस्था में ही मुमकिन हो सकती

है क्योंकि सर्वोदयवादी न तो सत्ता को कोई महत्व देते हैं और न ही उसके पीछे पागल बने फिरते हैं। वे तो अपनी वैयक्तिक सत्ता को सर्वथा शून्य और निर्मूल बनाकर जनता की सेवा में अपने को समर्पित कर देना चाहते हैं। राजनीति व्यक्ति को अधिकाधिक नियन्त्रित रखने में विश्वास करती है जबकि सर्वोदय दर्शन(लोकनीति) लोगों का आत्मिक विकास इस प्रकार करना चाहता है जिसमें लोग स्वमेव नियमों का पालन करते हुए सामाजिक सुरक्षा के दायित्व का निर्वहन करते रहें। लोकनीति दण्ड के स्थान पर लोगों में समझ और संयम पैदा करने पर बल देती है जिससे बिना किसी दबाव में लोगों को शान्तिपूर्ण जीवन जीने के मार्ग पर अग्रसर किया जा सके।

उन्होंने राजनीति में प्रचलित हिंसा तथा दण्डनीति को भी अस्वीकार करते हुए कहा कि ये दोनों शक्तियां किसी समस्या का समुचित समाधान नहीं कर सकती हैं। उनका तर्क था कि हिंसा से हिंसा का अन्त नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार जैसे आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता या कीचड़ से कीचड़ को नहीं साफ किया जा सकता बल्कि इन दोनों के लिए पानी का होना आवश्यक है। पानी व्यक्ति के निर्मलता व पवित्रता का प्रतीक है। व्यक्ति में आन्तरिक शुद्धता की स्थापना हो जाने पर वह स्वतः ही राज्य के आदेशों का पालन करने लगेगा। व्यक्ति यदि राज्य के कानूनों को पवित्र मानते हुए उनका पालन करने लगे तो फिर दण्ड शक्ति और सेना या पुलिस की आवश्यकता समाप्ता हो जायेगी। इसके लिए किसी राजनीति या शासन की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसमें निस्वार्थ भाव से लोक सेवा के दायित्व का निर्वहन करने वाले कार्यकर्ता मौजूद होंगे। उन्हें इसके लिए न तो किसी पद की आवश्यकता होगी और न ही शक्ति की ही। यह लोकशक्ति पर आधारित व्यवस्था होगी जिसे सामान्य रूप से सर्व समाज का समर्थन प्राप्त होगा।

6.4.10 मार्क्सवाद के सम्बन्ध में विचार

आचार्य विनोबा भावे के द्वारा मार्क्सवाद के सैद्धान्तिक पक्षों तथा ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया गया। साम्यवादी साहित्य के सम्बन्ध में उनका कहना था कि ‘दरअसल वह साहित्य कही गहरा कहीं छिछला होते हुए भी समुद्र की तरह अपरम्पार है।’ जेल में रहते हुए उन्होंने साम्यवादियों का वेद समझी जाने वाली पुस्तक ‘Das Capital’ का अनुशीलन किया था। इसलिए उन्होंने आगे लिखा कि “प्राचीन पौराणिकों के बाद अधिक से अधिक पुनरुक्ति की भी परवाह किये बिना साहित्य का सतत प्रचार करते रहने का अदम्य साहस आज तक कम्यूनियों के शिवाय किसी ने नहीं दिखाया होगा। सुनने वाला या पढ़ने वाला कितना ही क्यों न भूले फिर भी उसकी बुद्धि में कुछ न कुछ संस्कार शेष रह ही जायेगा ऐसी श्रद्धा उन प्राचीन ऋषियों की और इन आधुनिक ऋषियों (कम्यूनियों) की है।” विनोबा भावे साम्यवादियों के निर्धनों के प्रति प्रेम, श्रद्धा, उत्साह एवं दृढ़ विश्वास से अत्यधिक प्रभावित हुए फिर भी साम्यवाद से विभिन्न पहलुओं पर उनका तीव्र मतभेद था जिसका उल्लेख संक्षेप में निम्न प्रकार किया जा सकता है-

1. धर्म और ईश्वरमें विश्वास- मार्क्सवादियों तथा आचार्य विनोबा भावे के मध्य प्रथम मतभेद धर्म और ईश्वरमें आस्था को लेकर देखने को मिलता है। विनोबा भावे आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं को स्वीकार करते हैं और ईश्वरको सर्वव्यापी मानते हुए अपने सर्वोदय दर्शनमें तर्क देते हैं कि ईश्वर मनुष्य में भी पाया जाता है। इसलिए मानव सेवा और उद्धार के कार्यों को सच्ची लगन और श्रद्धा से करना चाहिए। इसके विपरीत मार्क्सवादी धर्म को अफीम के समान मानते हैं और ईश्वरमें भी उनकी कोई आस्था नहीं है।

2. साधनों की पवित्रता- विनोबा भावे गाँधी जी के साधनों की पवित्रता सम्बन्धी धारणा में आस्था रखते हैं। सर्वोदय दर्शनभी यह मानता है कि सामाजिक परिवर्तन तभी स्थायी होगा जबकि वह शान्ति पूर्ण एवं अहिंसात्मक साधनों पर अवलम्बित हो। हिंसा द्वारा किया गया परिवर्तन समाज में प्रतिहिंसा तथा प्रतिषोध की भावना को बढ़ावा देगा। इसके विपरीत साम्यवादी मानते हैं कि यदि उद्देश्यअच्छा हो तो जोर जबरदस्ती और हिंसा का सहारा भी लिया जा सकता है। विनोबा भावे ने लिखा है कि पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाना एक बात है और उसकी शाखाओं की कांट-छांट करना दूसरी। पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद ये सारे वाद अहिंसा की जड़ पर ही प्रहार करते हैं। हिंसा में साम्यवादियों की श्रद्धा है इसलिए हम साम्यवाद का समर्थन नहीं कर सकते हैं। साम्यवादी चोरी को चोरी से और हिंसा को हिंसा से मिटाना चाहते हैं लेकिन इससे तो चोरी और हिंसा बढ़ती है।”

3. द्वण्डात्मक भौतिकवाद का विरोध- आचार्य विनोबा भावे ने साम्यवाद की कुंजीमाने जाने वाले द्वण्डात्मक भौतिकवाद को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि भौतिक द्वण्डवाद की यह मान्यता उचित नहीं है कि भौतिक जगत में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन द्वण्डात्मक पद्धति से ही होता है। यह तो विषुद्ध वितर्कवाद है और इससे पूँजीपतियों को समाप्त करने की बात नहीं निकाली जा सकती है। उनके अनुसार वितर्कवाद तो केवल एक विचार पद्धति है उससे क्रान्ति भी हो सकती है और उपक्रान्ति भी। साम्यवादियों की यह मान्यता कदापि उचित नहीं लगती है कि समाजवाद की स्थापना द्वण्डात्मक पद्धति से ही सम्भव है। विनोबा भावे जिस सर्वोदय की कल्पना करते हैं वह भी अन्तिम रूप से समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता के लक्ष्य से ही अनुप्राणित है लेकिन वह इसके लिए द्वण्डात्मक पद्धति को उचित नहीं मानते हैं।

4. वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त का खण्डन- सर्वोदय समाज के सभी लोगों के सुख और उत्थान की कल्पना मनुष्य के हृदय परिवर्तन द्वारा करना चाहता है। इस प्रकार यह वर्ग संघर्ष और समाज में अल्पसंख्यकों के हितों तथा अधिकारों की रक्षा के विचार का खण्डन करता है। सर्वोदय वर्ग संघर्ष की धारणा के स्थान पर सामान्य कल्याण तथा सामंजस्य के अधिक बुद्धिसंगत सिद्धान्त का समर्थन करता है। वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त में हिंसा की दुर्गन्ध आती है। इसलिए यदि इसे स्वीकार कर लिया जाय तो समाज में सदैव टकराव की स्थिति बनी रहेगी। जबकि सर्वोदय दर्शनसमाज में शान्ति व अहिंसा का मार्ग चुनता है जो वर्ग संघर्ष की धारणा के विपरीत है। विनोबा भावे चाहते थे कि समाज

के धनी और गरीब दोनों का हृदय परिवर्तन किया जाय जिससे उनके बीच कटुता और वैमनस्य के स्थान पर मित्रता, प्रेम व सहयोग की भावना पनपे।

5. इतिहास की आर्थिक व्याख्या- साम्यवादी इतिहास की आर्थिक व्याख्या करते हैं और मानते हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं आर्थिक परिस्थितियों की उपज हैं। आचार्य विनोबा भावे इससे सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि आर्थिक परिस्थितियां ही इतिहास की निर्धारक नहीं हो सकती हैं। इतिहास की दिशा का प्रवाह सदैव एक क्रम में नहीं होता है। उन्होंने माना कि जिस प्रकार वाण के छूट जाने पर उसकी दिशा नहीं बदली जा सकती है उसी प्रकार पूर्व की ऐतिहासिक क्रियाओं ने हमारे कार्यदिशानिर्धारित कर दी है। हमारे लिए क्रिया स्वातन्त्र्य नहीं रह गया है।

6. राज्य का विरोध- मार्क्सवादी सर्वहारा की क्रान्ति के लिए राज्य के अस्तित्व को आवश्यक मानते हैं लेकिन जब साम्यवादी क्रान्ति द्वारा समाज में साम्यवाद की स्थापना हो जायेगी तो उनका मानना है कि राज्य स्वतः विलुप्त हो जायेगा। विनोबा भावे राज्य को व्यक्ति के विकास हेतु वांछनीय नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि “जब तक राज्य की व्यवस्था चलती रहेगी तब तक लोग उस व्यवस्था के नीचे दबे रहेंगे और मानव के मुक्त विकास के लिए अवकाश नहीं रहेगा इसलिए मानव के परिपूर्ण विकास की दृष्टि से राज्य व्यवस्था की परिसमाप्ति होनी चाहिए। राज्य की सत्ता को क्षीय करने के लिए ही उनके द्वारा ग्राम दान व ग्राम स्वराज्य का विचार दिया गया।

अभ्यास प्रश्न 2

निर्देश- 1. नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखें।

2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरों से मिलान कर अपने उत्तर की त्रुटियों को दूर करें।

1. आचार्य विनोबा भावे सर्वसम्मति के बजाय बहुमत से निर्णय लेने का समर्थन करते थे।

(i) सत्य है

(ii) असत्य है

2. यह किसने कहा कि स्वराज्य का अर्थ ‘आत्मा का शासन’ है ?

3. आचार्य विनोबा भावे द्वारा 1952 में लिखे गये निबन्ध का शीर्षक क्या था ?

4. धनिकों एवं निर्धनों को समान रूप से संपत्ति दान करना चाहिए। यह कहा है-

(i) जवाहर लाल नेहरू ने ,

(ii) सुभाष चन्द्र बोस ने

(iii) आचार्य विनोबा भावे ने

(iv) इनमें से किसी ने नहीं

6.5 सारांश

आचार्य विनोबा भावे घोर आस्तिक थे। वे मानते थे कि ईश्वरसर्वव्यापी है। अपनी इसी मान्यता के कारण वे मानव के सेवा या कल्याण को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। मानवता के प्रति लगाव के कारण ही उनके द्वारा सर्वोदय दर्शनका प्रतिपादन किया गया और कहा गया कि समाज के सभी लोगों का उत्थान या कल्याण होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कई तरह के आन्दोलन व विचारों का नेतृत्व किया। उन्होंने माना कि समाज में सर्वाधिक भेदभाव संपत्ति के आधार पर होता है इसलिए निजी संपत्ति का उन्मूलन आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने भूदान, ग्राम दान, संपत्ति दान का कार्यक्रम प्रारम्भ किया। जिससे समाज के उच्च वर्ग से भूमि और संपत्ति प्राप्त कर इसे निम्न वर्गों को दिया जा सके। इन कार्यक्रमों द्वारा समाज की असमानता का अन्त हो जायेगा परिणामस्वरूप लोगों में कटुता, वैमनस्य तथा विरोध की सम्भावना का भी अन्त हो जायेगा।

आचार्य विनोबा भावे लोकतन्त्र में पायी जाने वाली राजनीतिक दलबन्दी के भी विरोधी थे। इसके लिए उन्होंने स्वराज्य और ग्रामदान का दर्शनदिया। उन्होंने कहा कि यही वह मार्ग है जिससे गांवों में आपसी प्रेम व भाईचारा स्थापित होगा। गांव आत्मनिर्भर बन हो जायेंगे तो उनमें लिया जाने वाला प्रत्येक निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाने लगेगा इससे लोगों में उसके प्रति लगाव बढ़ेगा। इतना ही नहीं सर्वसम्मति का निर्णय दलबन्दी या गुटबन्दी के उदय को भी रोकेगा। विनोबा भावे राजनीति के सुधार के लिए भी प्रयास किये इस सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण था कि राजनीति का ध्येय शक्ति और सत्ता प्राप्त करना होता है इसलिए लोकनीति के माध्यम से लोगों का उत्थान या कल्याण किया जा सकता है। सर्वोदय दर्शन में विश्वास करने वाले सत्ता को महत्व देने के बजाय लोगों के प्रति समर्पित रहते हुए उनकी सेवा करते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में दण्ड शक्ति और हिंसा की भी आवश्यकता नहीं होती है। अपने कार्यक्रमों द्वारा आचार्य विनोबा भावे लोगों का हृदय परिवर्तन इस प्रकार करना चाहते थे जिससे धनी व गरीब के बीच की खाई समाप्त हो जाय और लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में भागीदार बन सकें। इससे समाज स्वर्ग बन जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक व्यक्ति से प्रेमपूर्ण सम्बन्ध होगा।

6.6 शब्दावली

1.सर्वोदय	-	सबका उदय अर्थात् सबका उत्थान एवं कल्याण
2.अहंकार	-	अभिमान या घमंड
3.सत्यनिष्ठ	-	सत्यमय
4.संसदीय	-	मर्यादित या वैध
5.ट्रस्टीशिप	-	न्यास अर्थात् सेवाभाव से स्थापित व्यवस्था
6.बहुमत	-	आधे से अधिक लोगों का मत

7.दल	-	समूह या संगठन
8.सर्वसम्मति	-	सबकी सहमति
9.स्वराज्य	-	अपना राज्य
10.सत्ता	-	शक्ति का वैध रूप

6.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न1

1. (i) सत्य है ,2. हां,3. सबका उदय अथवा सबका उत्थान एवं कल्याण ,4. (iii) आचार्य विनोबा भावे ने

अभ्यास प्रश्न2

1.(ii) असत्य है, 2.आचार्य विनोबा भावे ,3.‘आऊट लाइन आफ सर्वोदय’ 4.(iii) आचार्य विनोबा भावे

6.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1.डॉ.वी.पी. वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
 - 2.डॉ. बी.एल. फाडिया, भारतीय राजनीतिक चिन्तन साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
 - 3.सुषमा गर्ग, भारतीय राजनीतिक चिन्तन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
-

6.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. ज्योति प्रसाद सूद, आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास, के.नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ।
 2. ए. अण्णादुराई, बीसवीं शताब्दी में भारतीय राजनीतिक चिन्तन, साउथएशियन पब्लिशर्स प्रा.लि. नई दिल्ली।
-

6.10 निबन्धात्मक प्रश्न

- 1.आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिन्तन में विनोबा भावे के योगदान का संक्षिप्त विवेचन कीजिए।
 - 2.विनोबा भावे द्वारा प्रतिपादित सर्वोदय दर्शनका विस्तृत उल्लेख कीजिए।
 - 3.आचार्य विनोबा भावे के भूदान एवं संपत्ति दान पर निबन्ध लिखिए।
 - 4.मार्क्सवाद के सम्बन्ध में विनोबा भावे के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए।
-

इकाई 7 : सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

7.1 प्रस्तावना

7.2 उद्देश्य

7.3 जीवन परिचय

7.4 राजनीतिक विचार

7.5 स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान

7.6 राजनीतिक कैरियर

7.7 बंगाल विभाजन पर विचार

7.8 सारांश

7.9 शब्दावली

7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

7.12 सहायक/उपयोगी सामग्री

7.13 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी तथा उदारवादी नेता थे। एक देशभक्त, एक प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक, ओजस्वी वक्ता थे। प्राचीन भारतीय गौरव की रक्षा तथा देश की रक्षा के लिए बंगाल के नवयुवकों में उन्होंने जो विचार दिए, उसके कारण वे हमारे देश के महान् व्यक्तित्वों में प्रमुख स्थान रखते हैं। वे ब्रिटिश राज के दौरान सबसे शुरूआती नेताओं में से एक थे। उन्होंने 'इंडियन नेशनल एसोसिएशन' की स्थापना की जो भारत के प्रारंभिक राजनैतिक संगठनों में से एक था। वरिष्ठ नेता बने। वे 'राष्ट्रगुरु' के उपनाम से भी जाने गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन नरमपंथी नेताओं में शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन का सदैव विरोध किया और देशवासियों के हितों को आगे बढ़ाया। कांग्रेस की स्थापना के बाद के शुरूआती दशकों में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी और गोपालकृष्ण गोखले जैसे नरमपंथी नेताओं का बोलबाला था। इन नेताओं के अनुसार अंग्रेजों के साथ सहयोग करके देशवासियों के हक में बदलाव लाया जा सकता था। धीरे-धीरे इनके विचारों का विरोध कांग्रेस के अन्दर ही होने लगा। हालांकि इनके विचारों, आजादी के संघर्ष और आजादी पाने के तरीकों से बहुत लोग असहमत थे लेकिन इस बात से बिलकुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन नेताओं ने आजादी के आंदोलन को तेज करने के लिए एक सशक्त जमीन तैयार की।

उन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन नामक एक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की, जिसके माध्यम से उन्होंने आनंदमोहन बोस के साथ 1883 और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दो सत्रों का नेतृत्व किया। बनर्जी बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य बने। सुरेन्द्रनाथ ने कांग्रेस के विपरीत, मॉटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों को अस्वीकार कर दिया, और कई उदार नेताओं के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन नामक एक नए संगठन की स्थापना की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे।

7.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के

1. राजनीतिक विचार को जान सकेंगे
2. स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनके योगदान को जान और समझ सकेंगे
3. बंगाल विभाजन पर विचार को भी जान सकेंगे

7.3 जीवन परिचय

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का जन्म 10 नवम्बर 1848 को बंगाल प्रांत के कोलकाता में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पूर्वज मूल रूप से फरीदपुर जिले के लोनसिंह नामक गांव से आए थे। यह उनके परदादा बाबू गौर किशोर बनर्जी थे, जो बैरकपुर के पास मोनीरामपुर नामक गाँव में आकर बस गए थे। उनके पिता दुर्गाचरण बनर्जी पेशे से एक चिकित्सक थे। उनके ऊपर पिता डॉ॰ दुर्गाचरण बनर्जी की गहरी उदार तथा प्रगतिशील सोच की अमिट छाप थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा परिवार के पत्रिक शिक्षा संस्थान 'हिन्दू कॉलेज' में हुई थी। 1863 में मैट्रिक और इसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति प्राप्त की। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद सन 1868 में रोमेश चन्द्र दत्त और बिहारी लाल गुप्ता के साथ भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिए इंग्लैंड चले गए। सन 1869 में उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली पर उम्र से सम्बंधित विवाद को लेकर उनका चयन रद्द कर दिया गया। न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद वे एक बार फिर परीक्षा में बैठे और सन 1871 में दोबारा चयनित हुए। चयन के बाद उन्हें सिलहट में सहायक मजिस्ट्रेट बनाया गया लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने उन पर नस्ली भेदभाव का आरोप लगाकर उन्हें हटा दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ वे इंग्लैंड गए लेकिन वहाँ भी उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अपने इंग्लैंड प्रवास (1874-1875) के दौरान उन्होंने एडमंड बर्क और अन्य दार्शनिकों के कार्यों का अध्ययन किया। इससे उन्हें ब्रिटिश सरकार का विरोध करने में सहायता मिली। सन् 1879 में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने उन्हें मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी का अध्यापक नियुक्त करा दिया, जहाँ पर उन्होंने विद्यार्थियों को देशभक्ति हेतु प्रेरित किया। देशहित में कार्य करते हुए इस महान् सपूत का 6 अगस्त 1925 को कलकत्ता बैरकपुर में निधन हो गया। उनके निधन पर पूरे भारत देश में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने 1925 में अपनी आत्मकथा, 'एक राष्ट्र का निर्माण (A Nation in Making)' लिखी थी।

7.4 राजनीतिक विचार

सुरेन्द्र नाथ बनर्जी उदारवादी विचारधारा के पोषक राजनीतिज्ञ थे। वे मैजिनी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। राजनीति में भी उनके आदर्श वही थे। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वे भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्थावान रहे। भारतीय धार्मिक ग्रन्थों के साथ-साथ उन्होंने पाश्चात्य विचारकों व चिन्तकों का अध्ययन किया और उनके नैतिक आदर्शों को अपनाने हेतु बल दिया। वे मानव स्वभाव को दैवीय गुणों से युक्त मानते थे। उनका मानना था कि भारत की राजनीतिक दासता ही भारत की गरीबी और भूखमरी का प्रमुख कारण है। वे बाल विवाह के विरोधी तथा विधवा विवाह, अन्तर्जातीय विवाह के समर्थक थे।

सुरेन्द्रनाथ बनर्जी एक महान विचारक और कुशल वक्ता थे। ब्रिटिश संसद एवं जनता के सामने भारतीय दृष्टिकोण को उपस्थित करने के लिए इन्हें कई बार शिष्टमण्डल का सदस्य नियुक्त कर इंग्लैण्ड भेजा गया था। अपने भाषण एवं तर्कपूर्ण विचार से वे अंगरेजों को बहुत प्रभावित कर देते थे। इंग्लैण्ड के प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन की तरह सुरेन्द्रनाथ बनर्जी भी एक प्रभावशाली वक्ता थे। इन्हें इंडियन ग्लैडस्टोन की संज्ञा दी गयी थी। सर हेनरी कॉटन ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की वाक्पटुता और योग्यता के सम्बन्ध में यह उद्गार प्रकट किया था कि “मुल्तान से लेकर चटगाँव तक वे अपनी वाणीकला के जादू से विद्रोह उत्पन्न कर सकते थे और विद्रोह को दबा भी सकते थे। भारत में उनकी स्थिति वही थी जो डैमोस्थानीज की यूनान में या सिसरो की इटली में थी।”

जून 1875 में भारत लौटने के बाद वह मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन और रिपन कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए, जिसकी स्थापना 1882 में उनके द्वारा की गई थी। वह राष्ट्रवादी और उदार राजनीतिक विषयों के साथ ही साथ भारतीय इतिहास पर सार्वजनिक भाषण देने लगे। उन्होंने आनन्दमोहन बोस के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 26 जुलाई 1876 को की। यह अपनी तरहका पहला भारतीय राजनीतिक संगठन था। इस संगठन का इस्तेमाल उन्होंने भारतीय आईसीएस परीक्षाओं में शरीक होने वाले छात्रों की आयु सीमा के मुद्दे से निपटने के लिए किया। उन्होंने पूरे देश में भाषणों के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत में नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने की निंदा की, जिससे वह बहुत लोकप्रिय हो गए। उन्होंने 1879 में ‘द बंगाली’ समाचार पत्र आरम्भ किया। 1883 में अदालत की अवमानना पर टिप्पणी प्रकाशित करने के कारण गिरफ्तार कर लिए गए। भारतीय शहरों आगरा, फैजाबाद, अमृतसर, लाहौर और पुणे के साथ-साथ पूरे बंगाल में हड़ताल और विरोध होने लगे। आई एन ए का काफी विस्तार हुआ और पूरे भारत से सैकड़ों प्रतिनिधि कलकत्ता में वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने आए। 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने आम उद्देश्यों और सदस्यता के कारण अपने संगठन का विलय कर दिया। उन्हें 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया।

सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और सरोजनी नायडू जैसे उभरते सहयोगी भारतीय नेता बन गए। 1906 में बाल गंगाधर तिलक के पार्टी के नेतृत्व को छोड़ने के बाद सुरेन्द्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ “उदारवादी” नेताओं में से एक थे - जो ब्रिटेन के साथ आरक्षण और बातचीत के पक्ष में थे। चरमपंथियों के बाद क्रांति और राजनीतिक स्वतंत्रता की वकालत करते थे। बनर्जी ने स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे विदेशी उत्पादों के खिलाफ भारत में निर्मित सामानों की वकालत करते थे। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें “बंगाल के बेताज राजा” कहा गया। धीरे-धीरे ‘इंडियन नेशनल एसोसिएशन’ के सदस्यों की संख्या भी बढ़ गयी और सन 1885 में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने इसका विलय ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ के साथ कर दिया क्योंकि दोनों संगठनों

का लक्ष्य एक ही था। वे कांग्रेस के अन्दर वरिष्ठ नरमपंथी नेताओं में से एक थे और उनका मत था की अंग्रेजी हुकुमत के साथ सामंजस्य बैठकर बात-चीत का रास्ता अपनाना चाहिए। उनका विचार गरमपंथी दल से बिल्कुल विपरीत था जो क्रांति के साथ-साथ पूर्ण आजादी चाहते थे। वे स्वदेशी आन्दोलन के बहुत बड़े प्रचारक और प्रवर्तक थे। उन्होंने लोगों से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया।

सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने 1909 के 'मोर्ले मिंटो सुधारों' की सराहना की जबकि देश के बड़े हिस्से और राष्ट्रवादी राजनेताओं द्वारा इसका घोर विरोध हुआ। उन्होंने महात्मा गाँधी के 'सविनय अवज्ञा' आंदोलन से भी सहमत नहीं थे। अंग्रेजी राज के समर्थन के लिए 'उन्हें नाइट' की पदवी से सुशोभित किया गया। बंगाल सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने कलकत्ता नगर निगम को लोकतांत्रिक बनाया। जून 1875 में भारत लौटने पर बनर्जी ने मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन और रिपन कॉलेज की स्थापना 1882 में की थी। उन्होंने सार्वजनिक भाषण देना शुरू किया। राष्ट्रवादी और उदार राजनीतिक विषयों के साथ-साथ भारतीय इतिहास पर भी व्याख्यान दिए। उन्होंने 26 जुलाई 1876 को आनंदमोहन बोस के साथ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की, जो अपनी तरह के शुरुआती भारतीय राजनीतिक संगठनों में से एक था। 1878 में एक बैठक में उन्होंने कहा शांति और सद्भावना का महान सिद्धांत हिंदू और मुसलमान, ईसाई और पारसी आदि सभी हैं। हमारे देश की प्रगति सभी वर्गों एवं लोगों से हैं। उन्होंने आईसीएस परीक्षाओं में बैठने वाले भारतीय छात्रों के लिए आयु-सीमा के मुद्दे से निपटने के लिए संगठन का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरे देश में भाषणों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए नस्लीय भेदभाव की निंदा की, जिसने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। 1879 में उन्होंने अंग्रेजी भाषा के एक समाचार पत्र द बंगाली (1962 में गिरीश चंद्र घोष द्वारा स्थापित) को खरीदकर 40 वर्षों तक इसे संपादित किया। इसका संपादन भी किया, जो उनके उदारवादी राजनीतिक विचारों का मुखपत्र भी था। 1883 में, जब बनर्जी को अपने पेपर में टिप्पणी प्रकाशित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, वह जेल जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार बने। कांग्रेस का काफी विस्तार हुआ, और भारत भर से सैकड़ों प्रतिनिधि कलकत्ता में इसके वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने आए। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद सुरेन्द्र नाथ बनर्जी ने अपने संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया था। बंबई में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद, बनर्जी ने 1886 में अपने सामान्य उद्देश्यों और सदस्यता के कारण अपने संगठन का विलय कर दिया। उन्हें 1895 के पुणे अधिवेशन और 1902 के अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया।

7.5 स्वतन्त्रता आन्दोलन में योगदान

सुरेन्द्र नाथ बनर्जी भारतीय स्वतन्त्रता के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने ने 1870 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश लेकर शराब बन्दी आन्दोलन प्रारम्भ किया। उन्होंने इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना कर अंग्रेज अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करने हेतु भारतीयों का एक संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य जनमत निर्माण, हिन्दू-मुस्लिम एकता, सामान्य जनता की स्वतन्त्रता में भागीदारी थी। उनका कहना था कि भारतीयों को स्वतन्त्रता दिलाने में उन्हें जीतने भी भी कष्ट सहने पड़ेंगे, वे सहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में उनका सर्वाधिक योगदान था। वे कांग्रेस के प्रथम बम्बई के अधिवेशन में सभापति भी रहे। अन्य अधिवेशनों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए 1919 में उन्होंने पृथक् उदारवादी संघ की स्थापना की। सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा सिविल सेवा की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष तक करने के लिए 24 मार्च 1877 में कलकत्ता में विशाल सभा की थी तथा एक शिष्ट मण्डल इंग्लैण्ड भेजा। इस आन्दोलन से बनर्जी को यह सफलता मिली कि ब्रिटिश सरकार को इसमें संशोधन कर 21 वर्ष आयु सीमा बढ़ानी पड़ी। उन्होंने सरकार द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। उनके विरोध से घबराकर तत्कालीन वायसराय ने एक्ट को रद्द किया। एक पत्रकार के रूप में बंगाली समाचार-पत्र के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह कर जनमानस को संगठित किया।

7.6 राजनीतिक कैरियर

जून 1875 में भारत लौटने के बाद, वह मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन, फ्री चर्च इंस्टीट्यूशन और रिपन कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बन गए, जिसकी स्थापना 1882 में उनके द्वारा ही की गई थी। वह राष्ट्रवादी और उदार राजनीतिक विषयों के साथ ही साथ भारतीय इतिहास पर व्याख्यान देने लगे। उन्होंने 26 जुलाई 1876 को आनन्दमोहन बोस के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। यह अपनी तरह का पहला भारतीय राजनीतिक संगठन था। उन्होंने इस संगठन का इस्तेमाल भारतीय आईसीएस परीक्षाओं में शरीक होने वाले छात्रों की आयु सीमा को कम करने के लिए किया। उन्होंने पूरे देश में भाषणों, व्याख्यानाओं, सम्मेलनों के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारत में नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा देने की निंदा की। 1879 में उन्होंने द बंगाली समाचार पत्र आरम्भ किया। 1883 में अपने समाचार पत्र में अदालत की अवमानना पर टिप्पणी प्रकाशित करने के कारण गिरफ्तार हुए। बंगाल समेत पूरे देश में इसका घोर विरोध हुआ। इंडियन नेशनल एसोसिएशन का काफी विस्तार हुआ और पूरे भारत से सैकड़ों प्रतिनिधि कलकत्ता में वार्षिक सम्मेलन में भाग लेने आए। 1885 में मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद बनर्जी ने आम उद्देश्यों और सदस्यता के कारण अपने संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन का विलय कर

दिया, क्योंकि दोनों संगठनों का लक्ष्य एक ही था। उन्हें दो बार, 1895 में पुणे में और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया।

स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान नरमपंथी नेताओं के घटते प्रभाव ने सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के प्रभाव को भी कम कर दिया। उन्होंने 1909 के 'मोर्ले मिन्टो सुधारों' की सराहना की जबकि देश के बड़े हिस्से और राष्ट्रवादी राजनेताओं द्वारा इसका घोर विरोध हुआ। उन्होंने महात्मा गाँधी के 'सविनय अवज्ञा' जैसे राजनितिक हथिआरों से भी सहमत नहीं थे। बंगाल सरकार में मंत्री पद स्वीकार करने के बाद उनकी घोर आलोचना हुई और सन 1923 के चुनाव में वे 'स्वराज पार्टी' के बिधान चन्द्र रॉय से हार गए और उनका राजनैतिक जीवन लगभग समाप्त हो गया। अंग्रेजी राज के समर्थन के लिए उन्हें नाइट की पदवी से सुशोभित किया गया। बंगाल सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने कलकत्ता नगर निगम को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाया।

1878 में भारतीय लोगों को प्रचार करने के लिए एक बैठक में उन्होंने कहा, "शांति और सद्भावना का महान सिद्धांत हिंदू और मुसलमान, ईसाई और पारसी, हमारे देश की प्रगति के सभी वर्गों के बीच चलो "एकता" शब्द को चमकदार सोने के पात्रों में अंकित किया जाए। हमारे बीच धार्मिक अंतर हो सकता है। सामाजिक हो सकता है हमारे बीच अंतर है। लेकिन एक साझा मंच है जहां हम सभी मिल सकते हैं, हमारे देश के कल्याण का मंच। उन्होंने आईसीएस परीक्षाओं में बैठने वाले भारतीय छात्रों के लिए आयु-सीमा के मुद्दे से निपटने के लिए संगठन का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरे देश में भाषणों के माध्यम से भारत में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किए गए नस्लीय भेदभाव की निंदा की, जिसने उन्हें बहुत लोकप्रिय बना दिया। 1906 में बाल गंगाधर तिलक के पार्टी के नेतृत्व को छोड़ने के बाद बनर्जी कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ "उदारवादी" नेताओं में से एक थे - जो ब्रिटिश के साथ आरक्षण और बातचीत के पक्ष में थे - चरमपंथियों के बाद - जो क्रांति और राजनीतिक स्वतंत्रता की वकालत करते थे। बनर्जी स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे - विदेशी उत्पादों के खिलाफ भारत में निर्मित माल की वकालत करते थे - उनकी लोकप्रियता ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया था, प्रशंसकों के शब्दों में वह "बंगाल के बेताज राजा" थे।

7.7 बंगाल विभाजन पर विचार

लॉर्ड कर्जन ने 1905 ई० में बंगाल के विभाजन की घोषणा की। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी विभाजन का विरोध करने वाले सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक नेताओं में से एक थे। बंग-विभाजन के विरुद्ध सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने विद्रोह छेड़ दिया और सारे राष्ट्र में अपने भाषण और लेख के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना में एक नई लहर पैदा कर दी। बनर्जी आंदोलन में सबसे आगे थे और पूरे बंगाल और भारत में विरोध, याचिकाएं और व्यापक जन समर्थन का आयोजन किया जिसके फलस्वरूप अंग्रेजी हुकुमत ने बंगाल विभाजन के फैसले को सन 1912 में वापस ले लिया। इसके विरोध में उन्होंने स्वदेशी

आंदोलन का बड़े स्तर पर प्रचार किया और लोगों से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वेदशी को अपनाने का अनुरोध किया। वह कांग्रेस के वरिष्ठ नरमपंथी नेताओं में से एक थे। उनका मत था कि ब्रिटिश हुकूमत के साथ संवैधानिक तरीके से देश को आजाद करवाया जा सकता है, जबकि गरम दल के क्रांतिकारी इसके विपरीत क्रांति द्वारा ही आजादी चाहते थे।

अभ्यास प्रश्न

1. 'इंडियन नेशनल एसोसिएशन' की स्थापना किसने की ?
2. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी को कांग्रेस के किन अधिवेशनों में अध्यक्ष चुना गया
3. 'A Nation in Making' किसकी आत्मकथा है ?

7.8 सारांश

सुरेन्द्र नाथ बनर्जी को भारतीय राजनीति के अग्रणी नेता के रूप में याद किया जाता है। उन्हें व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। बनर्जी न तो चरमपंथियों की राजनीतिक कार्यवाही को स्वीकारा और न ही गांधी के असहयोग आंदोलन का साथ दिया। वह एक अलग भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में एक प्रमुख कारक के रूप में उभरे। आज व्यापक रूप से सम्मानित भारतीय राजनीति के एक अग्रणी नेता के रूप में - सशक्तीकरण के पथ पर चलने वाले पहले भारतीय राजनीतिक के रूप में उन्हें याद किया जाता है। उनके महत्वपूर्ण प्रकाशित काम एक राष्ट्र का निर्माण, जिसकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई। ब्रिटिश ने उनका बहुत सम्मान किया और बाद के वर्षों के बाद उन्हें "सुरेन्डर नॉट" बनर्जी कहा।

7.9 शब्दावली

लोकतंत्र- जनता द्वारा निश्चित समय के लिए निर्वाचित उत्तरदायी सरकार

7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 2. पुणे अधिवेशन अहमदाबाद अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। 3. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी

7.11 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. मुखर्जी, सौम्यन (1996). "राजा राममोहन राय और उन्नीसवीं सदी में बंगाल में महिलाओं की स्थिति" समाज और संस्कृति में सिडनी अध्ययन।

2. “सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी द भारतीय राजनीतिज्ञ” एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका । 19 अप्रैल 2017 को लिया गया।
3. जयपालन, एन(2000) भारतीय राजनीतिक विचारक: आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचार अटलांटिक प्रकाशक
4. मित्तल, सतीश चंद्र (1986) हरियाणा, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य । अटलांटिक पब्लिशर्स एंड डिस्ट्री।
5. “भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस” मूल से 20 अप्रैल 2017 को संग्रहीत किया गया ।

7.12 सहायक/उपयोगी सामग्री

1. दास, एमएन (2017) इंडिया अंडर मॉर्ले एंड मिंटो: पॉलिटिक्स बिहाइंड रिवोल्यूशन, रिप्रेशन एंड रिफॉर्म्स। रूटलेज।
2. लाहा, एमएन (2015) “बिधान चंद्र रॉय और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस” (पीडीएफ) जर्नल ऑफ द एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया ।

7.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. स्वतंत्रता आंदोलन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के योगदान की व्याख्या कीजिए।
2. बंगाल के विभाजन पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विचार पर प्रकाश डालिए।
3. सुरेंद्र नाथ बनर्जी के राजनीतिक जीवन पर प्रकाश डालिए।
4. राष्ट्रवाद पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के विचारों के आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

इकाई 8: दादाभाई नौरोजी (1825-1917 ई.)

इकाई की संरचना

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचार
 - 8.3.1 व्यवहारवादी अर्थशास्त्र का प्रतिपादन
 - 8.3.2 आर्थिक निर्गम सिद्धान्त
 - 8.3.3 नैतिक निर्गम सिद्धान्त
 - 8.3.4 ब्रिटिश शासन की लूट पद्धति
- 8.4 दादाभाई नौरोजी के राजनीतिक विचार
 - 8.4.1 उदारवाद के प्रवक्ता
 - 8.4.2 नैतिक पुनर्जागरण
- 8.5 दादाभाई नौरोजी का समाजवाद
- 8.6 ब्रिटिश शासन के आलोचक मित्र
- 8.7 सारांश
- 8.8 शब्दावली
- 8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 8.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 8.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 8.12 निबन्धात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना

दादाभाई नौरोजी का जन्म बम्बई के एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त वे प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। एक प्राध्यापक के दायित्व-सामाजिक सेवा के प्रति उनका अटूट समर्पण था। उन दिनों ब्रिटिश शासन की क्रूर नीतियों के कारण भारत की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी। भारतीय जनता का कष्ट दादाभाई नौरोजी के हृदय को चोटिल किया। जिसके कारण उन्होंने भारतीय जनता को उसके कष्टों से छुटकारा दिलाने का वीणा उठाया। प्रारम्भिक जीवन में उन्होंने विभिन्न लेखों, पत्र-पत्रिकाओं और अपने ओजपूर्ण भाषणों से भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति भाव रखने की अपील की। भारतीयों की पीड़ा को ब्रिटिश शासन के समक्ष उठाने के उद्देश्यसे ही वे ब्रिटिश लोकसदन का चुनाव लड़े और काफी संघर्ष के बाद विजय प्राप्त किये। जीवन पर्यन्त उन्होंने भारतीयों के हक की लड़ाई लड़ी। भारतीय नेतृत्व और जनता उनको अत्यन्त आदर देती थी। इसलिए उन्हें 'भारत का महाबृद्ध पुरुष' (Grand old man of India) कहा जाता है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में व्याप्त बुराईयों को दूर करने के लिए कई संगठनों का निर्माण किया। उनका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में भी प्रमुखता से लिया जाता है। वे तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति चुने गये। अन्तिम बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्हें उस समय सभापति पद पर प्रतिष्ठित किया गया जब विचारधारा के आधार पर कांग्रेस टूटने के कगार पर थी। कांग्रेस के दोनो गुटो नरम दल और गरम दल को वे इस बात के लिए संतुष्ट करने में सफल रहे कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों के हक की लड़ाई हेतु दोनों तरह के साधन-समय और परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का एक अग्रणी प्रस्तोता तथा उन्नायक कहा जाता है।

8.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम-

1. राष्ट्रीय आन्दोलन में दादाभाई नौरोजी की भूमिका से परिचित होंगे।
2. दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों को समझ सकेंगे।
3. दादाभाई नौरोजी के राजनीतिक दर्शन के बारे में जान सकेंगे।
4. समाजवाद के प्रति उनके झुकाव को समझ सकेंगे।

8.3 दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचार

दादाभाई नौरोजी ने भारतीय जीवन के सम्पूर्ण इतिहास का सिंहावलोकन किया था। उन्हें जगह-जगह गरीबी, भूखमरी, बेकारी और विषमताये देखने को मिली। जिसके सम्बन्ध में उनका स्पष्ट मत था कि इसकी जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार है। अंग्रेज भारत में व्यापार करने आये थे लेकिन भारत के कमजोर और अशक्त राजाओं की कृपा के सहारे वे यहाँ जम गये। परिणामस्वरूप व्यापार का उनका दृष्टिकोण लुप्तप्राय हो गया और वे भारत के मालिक या शासक बन गये। अब तक भारत में बना माल दूसरे देशों में भेजा जाता था अब ब्रिटेन का माल भारत में विकने लगा। इससे भारत की उत्पादन क्षमता एकदम निर्र्जीव हो गयी। बेरोजगारी के थपेड़ों से भारतीय समाज झुलसने लगा। गरीबी अपने नग्न रूप में सामने आने लगी। भूखमरी से पीड़ित भारतीय समाज की कराह दादाभाई नौरोजी के कानों तक पहुँची। इसलिए उन्होंने इसके लिए जिम्मेदार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने का निर्णय लिया। वे आर्थिक शोषण को आधार बनाकर भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद का विगुल फूकना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी पुस्तक 'पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया' की रचना की। उनके आर्थिक विचारों का उल्लेख निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है-

8.3.1 व्यवहारवादी अर्थशास्त्र का प्रतिपादन-

उनकी आर्थिक पद्धति वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। उन्हें ऐसे विचारों एवं अलंकारिक कल्पनाओं में रुचि नहीं थी जिनका व्यावहारिक जगत से कोई सम्बन्ध न हो। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने तथा व्यावहारिक जीवन से सरोकार के कारण ही उनका ग्रन्थ भारतीय अर्थशास्त्र तथा राष्ट्रवाद के क्षेत्र में एक प्रमाणिक ग्रन्थ माना जाता है।

भारतीय वित्तीय समस्याओं के सम्बन्ध में दादाभाई नौरोजी के विचार कल्पनाओं एवं भावनाओं के परिणाम नहीं थे बल्कि इनके पीछे तथ्यों एवं आंकड़ों का बल था। विभिन्न आर्थिक समस्याओं को सारिणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत करने के कारण ही उन्हें भारतीय वित्तीय मामलों में सांख्यिकी पद्धति का पथ प्रदर्शक या अन्वेषक भी माना जाता है। उन्होंने आर्थिक समस्याओं को आधार बनाकर भारतीय जनमानस में राष्ट्रवाद की चेतना जागृत करने का प्रयास किया। उनके वित्तीय आंकड़ों ने भारतीय जनमानस को ब्रिटिश सरकार के आर्थिक शोषण के प्रति उद्वेलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। व्यावहारिक जीवन और समस्याओं से सम्बन्धित विचार प्रस्तुत करने के कारण ही उनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वे आनुभविक पद्धति का अनुसरण करने वाले एक भारतीय अर्थशास्त्री थे न कि कल्पनाशील तत्त्वज्ञानी उनका आर्थिक चिन्तन वस्तुगत प्रणाली पर आधारित होने के कारण भारतीयों की आर्थिक समस्याओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था। दादाभाई नौरोजी ने भारतीय आर्थिक समस्याओं का अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण किया, इसलिए उसके छोटे से छोटे दुष्परिणाम से भी वे भली भाँति परिचित थे।

दादाभाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन की उन नीतियों की भी घोर निन्दा की जिसके तहत अंग्रेजों ने भारतीय शासन के संचालन के लिए भारत तथा ब्रिटेन दोनों जगहों पर भारी-भरकम प्रशासकीय ढांचा निर्मित कर रखा था। उनका मानना था कि इस ढांचे के कारण भारत पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। जिसका दुष्परिणाम अप्राकृतिक रूप से भारतीयों को भोगना पड़ रहा है। इस आर्थिक बोझ के कारण देशवासी अपने प्राकृतिक अधिकारों तथा जीविका के साधनों से वंचित कर दिये गये हैं। यह सतत प्रक्रिया भारतीय आर्थिक जीवन के जीवन-रक्त को सुखा देने वाली अत्यन्त दुखदायी एवं हृदय विदारक दृश्य को जन्म दे रही है। देश के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने तथा देशवासियों को समृद्ध बनाने के लिए अभिवर्धन एक मात्र मार्ग है। अभिवर्धन के माध्यम से देश के साधनों के विनाशकारी निर्गम को रोका जा सकता है। उन्होंने लिखा है कि जब तक इस घातक निर्गम को समुचित रूप से रोका नहीं जाता है और देशवासियों को पुनः अपने देश में प्राकृतिक अधिकारों का उपयोग नहीं करने दिया जाता है तब तक इस देश के भौतिक उद्धार की आशा करना व्यर्थ है। प्राकृतिक अधिकारों की वकालत कर दादाभाई नौरोजी ने यह सिद्ध कर दिया कि जिन प्राकृतिक अधिकारों की धारणा को अब पश्चिमी देशों में नकार दिया गया है वे भारत में आज भी मान्य सिद्धान्त के रूप में स्थापित हैं।

भारत के आर्थिक विपन्नता के लिए अंग्रेज अर्थशास्त्री आर्थिक आवश्यकता के लौह नियम को जिम्मेदार मानते थे जिसके अनुसार भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन होता है। अंग्रेजों के इस तर्क को अस्वीकार करते हुए दादाभाई नौरोजी ने कहा कि इस देश के धन का निर्गम आर्थिक आवश्यकता के लौह नियम के कारण नहीं बल्कि उन नियमों में जान बूझकर हस्तक्षेप करने के कारण हो रहा है। उन्होंने लिखा है कि प्रायः जनसंख्या अतिरेक का घिसा-पिटा तर्क दिया जाता है वे कहते हैं और इतना सच कहते हैं कि ब्रिटेन द्वारा स्थापित शान्ति से जनसंख्या में वृद्धि हुई है किन्तु ब्रिटेन द्वारा देश के धन के लूट से जो विनाश हुआ है उसे वे भूल जाते हैं। उनका कहना है कि आर्थिक नियम निर्दयतापूर्वक कार्य करते हैं किन्तु वे भूल गये हैं कि भारत में आर्थिक नियमों के प्राकृतिक परिचालन नाम की कोई वस्तु नहीं है। भारत का विनाश आर्थिक नियमों के निर्दयता पूर्वक काम करने से नहीं हो रहा है बल्कि इसका कारण ब्रिटेन की क्रूर तथा विचारशून्य नीतियाँ हैं। भारत के साधनों का भारत में ही निर्दयतापूर्वक अपव्यय किया जाता है और इसके अतिरिक्त उन साधनों को निर्दयतापूर्वक लूट-खसोट कर इंग्लैण्ड ले जाया जाता है। इस प्रकार उन्होंने माना कि आर्थिक नियमों को निर्दयतापूर्वक विकृत कर ब्रिटिश सरकार भारत का खून चूसने में लगी हुई है। यदि इस विकृत को दूर कर आर्थिक नियमों को न्यायपूर्ण तरीके से लागू किया जाय तो भारत दूसरा इंग्लैण्ड बन जायेगा और इससे ब्रिटेन को भी कई गुना लाभ होगा।

8.3.2 आर्थिक निर्गम सिद्धान्त-

दादाभाई नौरोजी ने भारत की गरीबी और विपन्नता का सबसे बड़ा कारण आर्थिक निर्गम को बताया। आर्थिक निर्गम का अर्थ है भारत की पूंजी का इंग्लैण्ड भेजा जाना। अपने निर्गम सिद्धान्त को

सही सिद्ध करने के लिए दादाभाई नौरोजी ने अनेक विद्वानों के विचारों का उद्धरण तथा आकड़े प्रस्तुत किये। उन्होंने माना कि सुदूर इंग्लैण्ड से भारत का शासन संचालन अत्यधिक खर्चीला सिद्ध हो रहा है जो देश की आर्थिक अवनति का एक बड़ा कारण है। आर्थिक साधनों के निर्गम के कारण देश में पूंजीका संचय नहीं हो पा रहा है। जो पूंजीभारत में होनी चाहिए व इंग्लैण्ड चली जा रही है। भारत से इंग्लैण्ड भेजी जाने वाली यह राशि लगभग तीन-चार करोड़ पौण्ड होती है। यह कई रुपों में भारत से इंग्लैण्ड जाती है, जैसे ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, भारत में ब्रिटिश फौजों के खर्च के लिए ब्रिटेन के युद्ध विभाग को भुगतान, भारतीय शासन हेतु इंग्लैण्ड का खर्च और ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा अपनी कमाई को स्वदेश भेजना। इस प्रकार का वित्तीय निर्गम देश की दरिद्रता और आर्थिक विपन्नता को सीचने का काम कर रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा ब्रिटिश नौकरशाही के विलासितापूर्ण जीवन निर्वाह का हिस्सा बन गयी है। ब्रिटिश नौकरशाहों के तड़क-भड़क पूर्ण जीवन शैली हेतु देश की जनता से अनेक प्रकार के कर वसूलने का कार्य किया जाता है जो कदापि देश हित के अनुकूल नहीं कहा जा सकता है।

निर्गम के माध्यम से जो धन लूट-खसोट कर अंग्रेज इंग्लैण्ड ले जाते थे वही धन पूंजी के रूप में व्यापार हेतु भारत लाया जाता था जिससे व्यापार एवं प्रमुख उद्योगों पर भी उनका एकाधिकार स्थापित हो गया था। परिणाम स्वरूप भारत का और अधिक आर्थिक शोषण कर धन को निर्गम के माध्यम से देश के बाहर ले जाया जाता था। वित्तीय दृष्टि से यह निर्गम एक घातक प्रक्रिया थी। निर्गम के कारण देश में अन्तर्विरोध की भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। देश में धन और साधन तो उपलब्ध था परन्तु जनता के उपर ऐसी अर्थ नीति थोप दी गयी थी जिसके कारण वैदेशिक व्यापार देशवासियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता था। भारतीयों से नमक कर तथा लगान के रूप में भारी मात्रा में धन उगाही की जाती थी जिससे राष्ट्र तथा राष्ट्र के लोगों की बदहाली स्वाभाविक थी। अत्यधिक धन उगाही और उसको इंग्लैण्ड भेजने के कारण भारतीय जनता की धन बचाने की क्षमता लगभग पूर्णतः नष्ट हो गयी थी। यदि इस प्रकार के निर्गम की अन्यायपूर्ण आर्थिक प्रक्रिया को भारत पर नहीं थोपा गया होता तो भारतीयों के द्वारा की जाने वाली बचत से धन देश में बना रहता और पूंजीका संचय होता जो कालान्तर में राष्ट्र निर्माण के कार्यों को गति प्रदान करता। इतना ही नहीं इस पूंजीके माध्यम से जो आर्थिक लाभ होता वह भी भात और भारतीयों के पक्ष में था। यह पूंजी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती और राष्ट्र प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर तेजी से बढ़ता रहता। आर्थिक निर्गम का सकना राष्ट्र के आर्थिक हित के दृष्टि अत्यन्त आवश्यक था।

8.3.3 नैतिक निर्गम सिद्धान्त -

दादाभाई नौरोजी के द्वारा अंग्रेजी शासन के कुकृत्यों को उजागर कर भारतीयों में राष्ट्रवाद का विगुल फूंकने के लिए न सिर्फ आर्थिक निर्गम की धारणा का उल्लेख किया गया बल्कि नैतिक निर्गम के विचार का भी प्रतिपादन किया गया। नैतिक निर्गम की व्याख्या करते हुए उन्होंने लिखा कि जितने अंग्रेजों को नौकरी दी जाती थी उसकी कीमत उतने ही भारतीयों की बेरोजगारी होती थी अर्थात् उतने

ही भारतीय बेरोजगार रह जाते थे। जिससे आमदनी के अभाव में भारतीयों से बचत की आशा ही व्यर्थ थी। इसके अलावा जिन अंग्रेजों को नौकरी दी जाती थी उसका दोहरा नुकसान भारत को उठाना पड़ता था। एक तो नौकरी करने वाला अंग्रेज यह सोचता था कि भारत हमारा गुलाम देश है और हमारे द्वारा शासित होना इसकी नियति है। इसलिए वह यहां घर बनाना या स्थायी रूप से निवास करना नहीं चाहता था और अपनी बचत को अपने देश भेज देता था। दूसरे जब वह अपनी सेवा से सेवानिवृत्त होता था तो वह इंग्लैंड चला जाता था जिसके कारण सेवाकाल में उसको प्राप्त व्यवसायिक तथा प्रशासनिक अनुभव भी उसके साथ इंग्लैंड चला जाता था। जिससे उस अनुभव का लाभ भी भारत और भारतवासियों को नहीं मिल पाता था। दादाभाई नौरोजी ने लिखा है कि "भारतीयों को डिप्टी-कलेक्टर, अतिरिक्त कमिश्नर अथवा इंजीनियरिंग और स्वास्थ्य विभागों में इन्हीं स्तरों के अधीनस्थ पदों से ऊँची नौकरियां नहीं दी जाती थी। परिणाम यह होता था है कि जब राजनीति, प्रशासन, विधान अथवा वैज्ञानिक तथा शिक्षित व्यवसायों का अनुभव रखने वाले अधिकारी अपने पद से निवृत्त होकर इंग्लैंड चले जाते हैं तो उनके साथ तत्सम्बन्धी ज्ञान और अनुभव भी चला जाता है।" इस प्रकार के अनुभव के चले जाने को ही दादाभाई नौरोजी के द्वारा नैतिक निर्गम की संज्ञा दी गयी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन काल के पूर्व यह स्थिति कभी नहीं थी जब देश नैतिक निर्गम का शिकार हुआ हो। अन्य शासकों के शासन काल में जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था उससे सम्बन्धित अनुभव देश में ही बना रहता था क्योंकि उत्पादन कार्य करने वाले भारत के लोग ही होते थे। अंग्रेजों के विनाशकारी आर्थिक एवं नैतिक निर्गम से भारत माता का रक्त निचुड़कर इंग्लैंड जा रहा था और सार्वजनिक ऋण उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था और अंग्रेज इस प्रक्रिया का गुणगान सभ्यता के विकास एवं राष्ट्रीय प्रगति के रूप में कर रहे थे।

8.3.4 ब्रिटिश शासन की लूट पद्धति-

दादाभाई नौरोजी ने यह भी बताया कि अब तक जितने भी आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण किये वे लूट-खसोट कर भारत से चले गये किन्तु ब्रिटिश शासक देश को एकमुष्ट लूटने के बजाय लूट की एक चिरस्थायी प्रक्रिया की स्थापना कर दिये हैं। जिसमें निरन्तर आर्थिक लूट बढ़ती जा रही है। भारत के जीवनदायी भौतिक साधनों का निर्दयतापूर्ण दोहन किया जा रहा है और भारत विवश होकर सब कुछ सहन कर रहा है। आर्थिक निर्गम ने देश की उत्पादन क्षमता को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। यही स्थिति बनी रही तो वह दिन दूर नहीं है जबकि देश कुचल कर मृत्यु के मुंह में चला जायेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देश के ऊपर एक नये तरह का संकट मडरा रहा है। अभी तक तो भारत भूमि के ऊपर की संपत्ति का निर्गम इंग्लैंड को रहा था अब भूमि के नीचे की संपत्ति का भी अपहरण होने वाला है और देश भूमिसात हो गया है और अपनी सहायता करने में असमर्थ है। इंग्लैंड उसकी पूंजी छीन ले गया है। अब उस पूंजी को फिर से देश में वापस लाया जायेगा ताकि उसकी सहायता से देश की उस समस्त खनिज संपत्ति की लूट को रोककर उसका दोहन किया जा सके। इससे दोहन के लिए भारी पूंजी तथा बहुमूल्य मशीनरी की आवश्यकता होगी। भारतवासियों

को केवल निम्नकोटि के शारीरिक और मानसिक मजदूरों के रूप में नौकर रख कर अत्यन्त कम वेतन दिया जायेगा जबकि उपज का बड़ा हिस्सा अंग्रेज पहले वेतन के रूप में खा जायेंगे और फिर लाभ या लाभांश के रूप में स्वदेश ले जायेंगे। भारत को अपने ग्रहों का आभारी होना पड़ेगा कि उनकी सन्तानों को नीची नौकरियों के रूप में कुछ टुकड़े मिल गये और फिर भारत की संपत्ति और बख्शी गयी नियामतों का जोर-शोर से ढोल पीटा जायेगा जैसा कि अभी रेल पथों तथा वैदेशिक व्यापार की नियामतों का नीरस गीत हमें दिन-रात सुनाया जा रहा है।” दादाभाई नौरोजी के द्वारा देश की पूंजी तथा साधनों के निर्मम एवं क्रूर निर्मम का विरोध करते हुए इसे न्याय की मान्यताओं तथा अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के विपरीत माना गया। उनका कहना था कि इस प्रकार से देश के खून को चूसना किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है बल्कि यह तो क्रूरतापूर्ण, कुचल देने वाला तथा मूर्खतापूर्ण कृत्य था।

दादाभाई नौरोजी निर्मम के विरोधी होते हुए भी भारत के साधनों के विकास के लिए ब्रिटिश पूंजीके महत्व को स्वीकारने के लिए तैयार थे परन्तु उस सम्बन्ध में उनका कहना था कि इसका उद्देश्य भारतवासियों को इस प्रकार की सहायता देना होना चाहिए जिससे वे देश के साधनों का विकास करने के लिए अपने को योग्य बना सकें। उन्होंने इस सम्बन्ध में मैकाले द्वारा व्यक्त उस विचार का समर्थन किया जिसमें उसने कहा था कि भारत को ब्रिटेन का अच्छा ग्राहक बनने में सहयोग दिया जाय न कि उसे गुलाम बनाकर रखा जाय। उन्होंने लिखा है कि “जब तक हर काम को यूरोपवासियों के द्वारा कराने की विनाशकारी नीति में परिवर्तन नहीं होता और जब तक देश में जान नहीं आ जाती तथा वह उद्योग के क्षेत्र में मुक्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य नहीं हो जाता तब तक कुछ समय के लिए यह आवश्यक है कि देश के साधनों के विकास के लिए जरूरी जिन उद्योगों को भारत स्वयं नहीं चला सकता उन्हें राज्य अपने हाथों में ले ले किन्तु शर्त यह होगी की उसमें काम देशी लोगों से ही कराया जाय और उसके लिए उन्हें अप्रेक्षित प्रशिक्षण दिया। तब देश के जीवन में हर ओर से रक्त का संचार होने लगेगा। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत को ब्रिटिश पूंजी की आवश्यकता है किन्तु उसे केवल पूंजी ही चाहिए। वह यह नहीं चाहता है ” कि अंग्रेज उसकी पूंजी तथा उत्पादन को हड़पने के लिए देश पर आक्रमण करें।”

इस प्रकार यह देखने को मिलता है कि दादाभाई नौरोजी भारत के शोषण के भयावह दृश्य को देखकर अत्यन्त दुखी थे। उन्होंने देखा कि भारत के करोड़ों निवासी नमक कर, भारी लगान तथा विनाशकारी दुर्भिक्ष से पीड़ित थे और उनका जीवन भयंकर बीमारियों, अल्पाहार तथा भुखमरी की चपेट में था परन्तु ब्रिटिश सरकार इन पर ध्यान देने के बजाय अपने धुन में मस्त थी। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में दो देश है- एक थोड़े से धनिकों तथा शोषकों का भारत और दूसरा करोड़ों शोषितों का भारत। उन्होंने अंग्रेजों से आग्रह किया कि वे भारत को निरन्तर दरिद्र होने से बचायें। उन्होंने लिखा भी मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि कोई ऐसा न्यायसंगत मार्ग अपनाया जाय जिससे दोनों देशों के बीच सम्बन्ध प्रगाढ़ हो सके और उस सम्बन्ध से दोनों को ही लाभ हो और वह

सम्बन्ध दोनों के लिए वरदान साबित हो। जो सम्बन्ध दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण तथा लाभदायक बनाया जा सकता है, उसे बिना सोचे-समझे और मूर्खतापूर्ण तरीके से छिन्न-भिन्न तथा नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है। अपने पुराने वक्तव्यों में मैंने इस बात का उल्लेख किया है कि भारत और ब्रिटेन का सम्बन्ध दोनों देशों के लिए वरदान है अथवा अभिषाप! इस प्रश्नका उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि 1833 के अधिनियम और 1858 के घोषणाओं का सम्मानपूर्वक तथा सच्चाई से पालन किया जाता है अथवा उनका पालन न करके निर्लज्जता का परिचय दिया जाता है। न्यायोचित आचरण से ही किसी राष्ट्र का उत्थान हो सकता है अन्याय बलवान से बलवान को अधपतन के गर्त में गिरा देता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि दादाभाई नौरोजी का यह स्पष्ट मानना था कि भारत की दरिद्रता और भौतिक विनाश का मुख्य कारण अंग्रेजों का वह अस्वाभाविक व्यवहार था जिसके कारण अनेक प्रकार के खर्चीले दबावों से भारत तथा इंग्लैण्ड का पहले से ही जर्जरित आर्थिक ढांचा और अधिक चरमराने लगा था। यही कारण था कि देश के बच्चे विस्थापित हो गये और उन्हें अपने प्राकृतिक अधिकारों तथा जीविकोपार्जन के साधनों से वंचित हो जाना पड़ा।

अभ्यास प्रश्न 1

निर्देश- 1. नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखें।

2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरसे मिलान कर अपने उत्तरकी त्रुटियों को दूर करें।

1. दादाभाई नौरोजी की पुस्तक का नाम था-

(i) पावर्टी एण्ड अन ब्रिटिश रूल इन इण्डिया (ii) डिस्कवरी आफ इण्डिया

(iii) गीता रहस्य

(iv) इनमें से कोई नहीं

2. दादाभाई नौरोजी की आर्थिक पद्धति वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है।

(i) सत्य है

(ii) असत्य है

3. दादाभाई नौरोजी ने भारत की आर्थिक विपन्नता और दरिद्रता का मूल कारण क्या माना था?

4. दादाभाई नौरोजी के अनुसार आर्थिक निर्गम ने भारत के उत्पादन की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित किया है।

(i) सत्य है

(ii) असत्य है

8.4 दादाभाई नौरोजी के राजनीतिक विचार

दादाभाई नौरोजी के प्रमुख राजनीतिक विचारों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है-

8.4.1 उदारवाद के प्रवक्ता-

दादाभाई नौरोजी को भारतीय राजनीतिक चिन्तन में उदारवादी दर्शन का अवलम्बन करने वाला माना जाता है। वे सदैव इस धारणा का समर्थन करते हुए दिखायी देते हैं कि ब्रिटिश शासन की कमियों को दूर करने के लिए कदापि शक्ति या बल का उपयोग न किया जाय बल्कि उन्हें यह

एहसास कराने की आवश्यकता है कि भारत एवं भारतीयों की रक्षा उनके लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि ब्रिटेन और वहाँ के निवासियों की। वे मन और विचार से इतने सच्चे एवं निष्कपट थे कि उन्होंने इस बात को स्वीकारने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखायी कि ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारत को बहुत कुछ मिला है। पाश्चात्य शिक्षा, प्रशिक्षित प्रशासकीय अधिकारी तथा रेल पथ सहित विभिन्न यान्त्रिक उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। परन्तु उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश शासन के दोषों को उजागर करने का प्रयास भी अत्यन्त निर्भीकता पूर्वक किया। ब्रिटिश शासन की कमियों को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा कि वर्तमान शासन प्रणाली भारतीयों के लिए विनाशकारी एवं निरंकुश है और इंग्लैण्ड के लिए आत्मघाती तथा उसके राष्ट्रीय चरित्र, आदर्श तथा परम्पराओं के प्रतिकूल है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन टिकाऊ नहीं होता क्योंकि उसकी कमियाँ खुद उसके लिए कब्र खोदने में सहयोग करती हैं। यदि ब्रिटिश शासन विदेशी तथा प्रजापीड़क का भारी जुआ ही बना रहा तो उनका विनाश अवश्यंभावी है। 2 मई 1867 को उनके द्वारा ईस्ट इण्डिया एसोसिएशन की लन्दन बैठक में 'भारत के प्रति इंग्लैण्ड के कर्तव्य' नामक निबन्ध को पढ़ते हुए कहा गया कि यदि अन्त में 20 करोड़ असन्तुष्ट भारतीयों और एक लाख ब्रिटिश सैनिकों में संघर्ष हुआ तो उसका परिणाम स्पष्ट रूप से हाँनिकर होगा। ब्रिटिश सैनिक चाहें जितने भी शक्तिशाली क्यों न हों राष्ट्र को कई बार हराकर भी वे उसकी आत्मा को कुचलने में सफल नहीं हो सकते हैं। दादाभाई नौरोजी साल्सवरी के इस कथन को बार-बार दोहराते थे कि अन्याय बलवान से बलवान का भी नाश कर देगा। उनका जोर देकर यह भी कहना था कि निरंकुश शासन का अत्याचार और कुकृत्य स्थायी नहीं रह सकते बल्कि वे उसके विनाश की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं जिससे उनका विनाश निश्चित हो जाता है।

कोई राजनीतिक व्यवस्था दीर्घजीवी तभी हो सकती है जबकि उसके नागरिकों में स्वस्थ इच्छा तथा आकांक्षाओं का तादात्म्य हो। न्याय, उदारता और मानवता ही वे सुनहरे बन्धन हैं जो किसी राजनीतिक व्यवस्था को बाधकर रखने में सहयोग करते हैं। इसके विपरीत यदि नागरिकों के ऊपर किसी विचार या व्यवस्था को शक्ति के बल पर थोपा जाता है तो उसे टूटने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि “आप एक साम्राज्य का निर्माण अस्त्र-शस्त्र या नाशवान पाषविक भौतिक बल के आधार पर तो कर सकते हैं परन्तु उसका परिरक्षण केवल शाश्वत नैतिक शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। पाषविक बल कभी न कभी क्षीण या नष्ट हो जायेगा जबकि धर्म एवं न्याय शाश्वत हैं। हृदयानुभूति और भावनाओं की एकता ही राजनीतिक शक्ति का वास्तविक आधार है। इनका यह विश्वास ग्रीन की उस धारणा के नजदीक दिखायी देता है जिसमें वह मानता है कि “शक्ति नहीं वरन इच्छा राज्य का आधार है।” शक्ति को सत्ता का आधार मानना एक दकियानूस तथा घिसापिटा दृष्टिकोण है परन्तु गहराई से जांच की जाय तो इसका खोखलापन स्वतः प्रकट हो जाता है।

दादाभाई नौरोजी ने लिखा है कि यदि वे समझते हैं कि उनके असैनिक अधिकारियों अथवा ब्रिटेन की जनता के सुरक्षा का भारतवासियों के सन्तोष के बजाय अन्य कोई साधन हो सकता है तो वे अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनका सैन्य बल चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो जाय, भारत में उनके शासन की सुरक्षा पूर्णरूपेण भारतीयों के सन्तोष पर ही आश्रित है। पाषविक बल से साम्राज्य का निर्माण तो किया जा सकता है किन्तु पाषविक बल उसका परिरक्षण नहीं कर सकता बल्कि उसकी रक्षा धर्म, नैतिक बल और न्याय ही कर सकते हैं। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अस्त्र-शस्त्र और पाषविक बल के बजाय लोगो में शुभ संकल्प एवं विश्वास की स्थापना की जाय। यदि ऐसा नहीं किया जाता है और ब्रिटेन भारत में उकसावे की नीति का अनुसरण करता है तो इसका अनिवार्य परिणाम ब्रिटिश साम्राज्य का पतन सिद्ध होगा।

ब्रिटिश शासन के सम्बन्ध में दादाभाई नौरोजी को यह विश्वास था कि वह भारत तथा भारतीयों के हित को अधिक दिनों तक नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं। उनका मानना था कि इंग्लैण्ड के लोग स्वभाव से उदार, न्यायप्रिय तथा स्वतन्त्रता प्रेमी होते हैं। इसलिए यदि भावनाओं में आकर उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जो भारतवासियों के हित में नहीं है तो वे इसे शीघ्र ही महसूस करेंगे और ऐसा कार्य करना बन्द कर देंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इंग्लैण्ड शीघ्र ही यह महसूस करने लगेगा कि बढ़ती हुई आर्थिक लोलुपता लज्जाजनक एवं संकुचित दृष्टिकोण का परिचायक है, इतना ही नहीं इसमें शासक के लिए खतरे के बीज भी विद्यमान हैं। वे चाहते थे कि भारत से आर्थिक निर्गम को तुरन्त बन्द किया जाय क्योंकि यही वह शर्त है जो भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व दिला सकती है। उन्होंने 13 सितम्बर 1880 को भारत के अवर राज्य सचिव लुई मालेट को लिखे अपने पत्र में लिखा कि "शिक्षित एवं विचारशील भारतीयों को यह दृढ़ विश्वास है कि पृथ्वी पर अन्य सब राष्ट्रों की तुलना में केवल ब्रिटेन ही ऐसा राज्य है जो कभी किसी भी स्थिति में जानबूझकर किसी जाति के साथ न तो अन्याय करेगा, न उसको दास बनायेगा, न उसका अपमान करेगा और नहीं उसे दरिद्र बनायेगा और यदि उसे विश्वास हो जाय कि अनजाने में उसने किसी को क्षति पहुंचा दी है तो वह तुरन्त बिना कोई संकोच किये हर उचित मूल्य चुकाकर उस क्षति को पूरा कर देगा। इसी विश्वास के कारण विचारशील भारतवासी ब्रिटिश शासन के पक्के भक्त बने हुए हैं। वे जानते हैं कि भारत का वास्तविक पुनरुद्धार, उसकी सभ्यता का भौतिक, नैतिक और राजनीतिक प्रगति तभी सम्भव है जबकि ब्रिटिश शासन दीर्घकालिक हो जाय। अंग्रेज जाति के चरित्र में उच्च कोटि की सभ्यता, उत्कृष्ट स्वातंत्र्य प्रेम तथा आत्मा की श्रेष्ठता आदि गुणों का सुन्दर समन्वय होता है इसलिए वह एक बड़े राष्ट्र को पैरो तले कुचलने के बजाय उसे उठाने की यश कामना से प्रेरित होकर कार्य करेगी। इस प्रकार का भाव ब्रिटेन के कुछ महापुरुषों ने समय-समय पर व्यक्त भी किया है। अंग्रेजों के सामने भारत में करने हेतु अनेक ऐसे कार्य हैं जिनका उदाहरण विश्व में अन्य कहीं नहीं मिल सकता है। संसार में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो विजेता होने के बावजूद ब्रिटेन की भांति भारत के कल्याण की इच्छा रखता हो अथवा उसके कल्याण की आत्मानुभूति करता हो। यदि वर्तमान निर्गम बन्द कर

दिया जाय और देश के विधि निर्माण में भारतीयों के प्रतिनिधियों की राय शुमारी की व्यवस्था कर दी जाय जो भारतवासी आशा के साथ ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकते हैं जो उनके इतिहास के महानतम तथा सबसे गौरवशाली युग को भी लज्जित कर देगा।”

8.4.2 नैतिक पुनर्जागरण-

दादाभाई नौरोजी का मानना था कि भारतीयों की राजनीतिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए इंग्लैण्ड का नैतिक पुनर्जागरण आवश्यक है। नैतिक पुनर्जागरण ही अंग्रेजों को यह एहसास दिलायेगा कि उन्होंने भारत को जो बचन दिया जो प्रतिज्ञाएं की थीं उनको ईमानदारी, सच्चाई, सम्मान तथा कर्तव्यनिष्ठा के साथ पूरा किया जाना चाहिए। उनको विश्वास था कि यदि अंग्रेज ऐसा कर दे तो भारत की समस्त समस्याओं का हल स्वतः हो जायेगा। वे कहा करते थे कि भारत और इंग्लैण्ड का सम्बन्ध धर्म, न्याय तथा उदारता के आधार पर स्थापित होना चाहिए क्योंकि अंग्रेज न्याय, उदारता तथा स्वतन्त्रता के कट्टर समर्थक होते हैं। यदि इंग्लैण्ड भारत को दिये अपने बचनों, प्रतिज्ञाओं, का ईमानदारी व सच्चाई से पालन करता तो भारत से दरिद्रता और अधःपतन का नामो निषान मिट जाता। उनको पूरा विश्वास था कि इंग्लैण्ड में ऐसे राजनीतिज्ञ अवश्य उत्पन्न होंगे जो अतीत में ब्रिटिश शासकों द्वारा दिये गये बचनों को पूरा करते हुए मानवता के प्रति ब्रिटेन के दायित्व को पूरा करेंगे। 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गयी घोषणाओं से दादाभाई नौरोजी अत्यन्त प्रसन्न थे और उसको उन्होंने भारत का महान अधिकार पत्र समझा। इस घोषणा पत्र में मुख्य रूप से धार्मिक सहिष्णुता, स्वतन्त्रता, योग्यतानुसार नौकरी और विधि के समक्ष समता की बात की गयी थी। इसके अलावा उसमें इस बात पर भी बल दिया गया था कि भारत में उद्योगों को प्रोत्साहित किया जायेगा। सार्वजनिक उपयोगिता के कार्यों में वृद्धि होगी और शासन का उद्देश्यलोक कल्याण होगा। इस प्रकार दादाभाई नौरोजी को यह विश्वास था कि यदि ब्रिटेन का नैतिक पुनर्जागरण होगा और अंग्रेज भारत में अपने नैतिक दायित्व को महसूस करेंगे तो भारतीय समस्याओं के समाधान में कोई अवरोध नहीं होगा।

दादाभाई नौरोजी ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों प्रकार के जीवन में नैतिक आदर्शों के पालन को आवश्यक माना। उन्होंने जोर देकर कहा कि मनुष्य चाहे राजनीतिक कार्यों में भाग ले अथवा सामाजिक कार्यों में, आर्थिक कार्यों को सम्पन्न करे अथवा शैक्षणिक कार्य करे उसके प्रत्येक कार्य का आधार नैतिकता ही होनी चाहिए। उन्होंने माना कि यदि भारतीयों और अंग्रेजों का सम्बन्ध नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा तो उनके बीच स्वाभाविक प्रेम और सहयोग की भावना स्थापित होगी परन्तु यदि वे अनैतिक मूल्यों पर आगे बढ़ा तो वह स्थायी नहीं होगा। उन्होंने नैतिकता को शासन के लिए भी आवश्यकतामाना क्योंकि वह किसी भी शासन को अमानवीय सत्ता समर्पित करने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने लिखा है कि “राक्षसी शक्ति से साम्राज्य बन सकते हैं लेकिन यह राक्षसी शक्ति उसे स्थायित्व प्रदान नहीं कर सकती चारित्रिक शक्ति, न्याय तथा सत्यता ही अकेले साम्राज्य को जीवित रखती हैं।”

8.5 दादाभाई नौरोजी का समाजवाद

दादाभाई नौरोजी का सम्पूर्ण जीवन सामाजिकता के परिवेष्ट में डूबा रहा। वे सामाजिक हितों के प्रति अपने समर्पण के कारण कभी भी व्यक्तिगत प्रश्नों एवं सुविधाओं को महत्व नहीं दिये। उनके सामाजिकता का ही परिणाम था कि वे लोगों को शिक्षित एवं जागरूक बनाना चाहते थे जिससे लोग अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें। उनको यह पूर्ण विश्वास था कि राजनीतिक प्रगति के लिए शिक्षा का प्रसार अत्यन्त आवश्यक है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के आत्मा के ज्ञान को प्रदीप्त करती है बल्कि यह लोगो के मन में अधिकारों की चेतना भी उत्पन्न करती है। शिक्षा का प्रसार और प्रशासनिक अनुभव का संचय स्वराज के मार्ग पर बढ़ने में लाभदायक सिद्ध होगा। इसलिए उन्होंने अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा की पुरजोर वकालत की। इतना ही नहीं उन्होंने यह भी माना कि शिक्षा समानता स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। वे स्वयं एक शिक्षक के रूप में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर्तव्यनिष्ठ तरीके से कर रहे थे। शिक्षक से जिस सामाजिक सेवा के व्रत की अपेक्षा की जाती है वे उसके जीवन्त उदाहरण थे। वे स्त्री शिक्षा के भी प्रबल समर्थक थे इसी उद्देश्यसे उनके द्वारा एक विद्यालय की स्थापना भी की गयी थी। सामाजिक सेवा ही उनके जीवन तथा जीने की प्रेरणा थी। 'गुजराती ज्ञान प्रकाशन मण्डली' को उन्होंने स्त्री शिक्षा की ओर प्रवृत्त किया। इतना ही नहीं उन्होंने समाज में व्याप्त विभिन्न बुराईयों को दूर करने के लिए बहुत सी संस्थाओं की स्थापना की। इन संस्थाओं के माध्यम से उन्होंने विधवा विवाह के प्रचार तथा बाल विवाह के निषेध की भी पुरजोर कोशिश की।

दादाभाई नौरोजी के सम्पूर्ण चिन्तन में समाज के प्रति उनके समर्पण के कारण ही उनको समाजवादी चिन्तक की संज्ञा भी दी जाती है। यद्यपि उनके जीवन काल में समाजवाद की उतनी वैज्ञानिक टीकाएं नहीं हुई थी जितनी आज हो रही हैं। सच्चे अर्थों में वे श्रमिकों और साधारण जनता के समीप थे और उनके जीवन का उद्धार उनका ध्येय था। समाजवाद के प्रति उनके लगाव का ही प्रतिफल था कि वे 'अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भाग लिये तथा भारत की आर्थिक अवस्था पर अपने विचारों को सबके समक्ष प्रभावपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किये। यह एक ऐसा मंच था जिसमें उनके द्वारा पुनः ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध रक्त चूसने तथा आर्थिक निर्गम के आरोप को दोहराया गया। एक अन्य सभी में उनके द्वारा संसार भर के वृद्धों को पेंशन देने की मांग की गयी। 'श्रमिकों के अधिकार' नामक शीर्षक से लिखी गयी एक पुस्तिका में उनके द्वारा औद्योगिक आयुक्तों के न्यायालय स्थापित करने का समर्थन किया गया। उन्होंने इस दावे का भी समर्थन किया कि श्रम एक प्रकार की संपत्ति है।

8.6 ब्रिटिश शासन के आलोचक मित्र

दादा भाई नौरोजी एक सच्चे मित्र की भांति ब्रिटिश शासन को उनकी अच्छाईयों तथा बुराईयों से अवगत कराते रहते थे। यही कारण था कि जहां एक तरफ उन्होंने ब्रिटिश शासन का अहित नहीं चाहा तो दूसरी तरफ भारतीय जनता के दुखों, अवसादों और परेषानियों से भी कभी आंखें नहीं फेरी।

ब्रिटिश शासन की क्रूर नीतियों के कारण भारतीयों के मन में तत्कालीन शासन के प्रति किसी प्रकार की दया और सहानुभूति नहीं थी। भारतीयों के दुखों एवं कष्टों से ब्रिटिश शासक एवं जनता को अवगत कराने के लिए ही उन्होंने ब्रिटिश लोक सदन का चुनाव लड़ा और कठिन संघर्ष के बाद वे लोक सदन के सदस्य चुने गये लोक सदन की चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने भारत की गरीबी का उल्लेख किया और बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये है जिस पर गम्भीर वाद-विवाद प्रारम्भ हो गया। वे इस गरीबी एवं दीन-हीन दशा के लिए ब्रिटिश शासन को उत्तरदाई मानते थे।

वह प्रशासन के क्षेत्र में किए जा रहे भेदभाव पूर्ण व्यवहार से भी अत्यधिक रुष्ट थे इसलिए उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा तथा विभिन्न प्रशासनिक इकाईयों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। 1886 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अपना अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के पूर्ण भक्ति की घोषणा की थी। उनको आशा थी कि अंग्रेज भारत के साथ यह समझकर व्यवहार करेंगे कि वह उनको सुपुर्द एक पवित्र धरोहर है। वे मूल रूप से भारत और ब्रिटेन के सम्बन्धों को नैतिक दृष्टि से सबल बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि वे भारतीय नागरिकों से यह आशा करते हैं कि वे पूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ अंग्रेजों के साथ चलें। देश के प्रति भक्ति की भावना के आधार पर ही प्रगति पथ पर अग्रसर हो। यदि हम अपने दायित्व को पूरा कर सके तो निश्चित ही ब्रिटिश जनता भी हमारे साथ मित्रता का हाथ बढ़ायेगी। इसी से सम्पूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। वे न सिर्फ भारतीयों से ऐसी आशा करते थे बल्कि अंग्रेजों से भी उनको आशा थी कि वे अपने स्वभाव के अनुरूप भारत के शासन में उदारता का परिचय देंगे। वे मानते थे कि जब तक अंग्रेज कुशल, उदार और निष्पक्ष तरीके से शासन कार्य करेंगे उनका भविष्य भारत में सुरक्षित होगा किन्तु 1905 में बंग-भंग की घटना ने उनको हृदय को कुरेदने का कार्य किया परिणाम स्वरूप उन्होंने भारतीय जनता को संवैधानिक तरीके से आन्दोलन करने की अनुमति प्रदान कर दी। वे कभी भी देश को हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते थे फिर भी वे इस बात से परिचित हो गये थे कि अंग्रेजों के लिए आन्दोलन की भाषा ही उपयुक्त है। इसलिए उन्होंने जीवन के संध्याकाल में भारतीय जनता को आन्दोलन के लिए अनुप्रेरित किया। स्वदेशी, स्वराज्य (स्वशासन), राष्ट्रीय शिक्षा तथा बहिष्कार का प्रस्ताव उनके उपस्थिति में ही कांग्रेस ने पारित कर दिया था। ब्रिटिश शासन की कमियों के कारण उनका हृदय दुखी होने लगा और इसका उदाहरण 1906 में देखने को मिला जब उन्होंने कलकत्ता कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में कहा कि “एक हो जाओ, दृढ़ता से कार्य करो और स्वराज्य प्राप्त करो, जिससे उन करोड़ों आदमियों को पेटभर भोजन मिल सके जो भूखों मर रहे हैं जिससे भारत संसार के श्रेष्ठ और साम्य राष्ट्रों में फिर वही गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके जो प्राचीन काल में उसका था।”

1906 के अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के द्वारा मुख्य रूप से भारतीयों को तीन प्रकार के अधिकार दिलाने पर विशेष बल दिया गया पहला भारतीयों को लोक सेवाओं में अधिकाधिक संख्या में नियुक्त करते हुए सम्पूर्ण विभागीय प्रशासन उनके हाथों में सौंप दिया जाय। दूसरा भारतीय शासन के

स्वरूप को प्रतिनिध्यात्मक बनाया जाय जिससे भारतीय स्वशासी उपनिवेशों की तरह अपने यहां भी विधान सभाएं स्थापित कर सके। तीसरा ब्रिटेन और भारत के बीच न्यायसंगत वित्तीय सम्बन्ध निर्धारित हो। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस का तीन सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया-

1. जिस प्रकार ब्रिटेन की सभी सेवाओं, विभागों तथा व्यौरों से सम्बन्धित प्रशासन वहां के निवासियों के हाथों में है, उसी प्रकार भारत की भी सभी सेवाओं, विभागों तथा व्यौरों का प्रशासन भारतीयवासियों के हाथों में होना चाहिए। यह आर्थिक निर्गम रूपी बुराई का एक मात्र उपचार है जिसके कारण भारतीयों की आर्थिक दुर्दशा और दरिद्रता निरन्तर बढ़ती जा रही है। यह भारतीय जनमानस के भौतिक, बौद्धिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कल्याण व प्रगति के दृष्टि से भी वांछनीय है।

2. जिस प्रकार ब्रिटेन तथा उसके अन्य उपनिवेशों में कानून बनाने, कर लगाने तथा इक्कठा किये गये करों को व्यय करने का अधिकार वहां के जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को दिया गया है उसी प्रकार भारत में भी यह अधिकार जनता तथा उसके प्रतिनिधियों को प्राप्त होना चाहिए।

3. भारत तथा ब्रिटेन के बीच न्यायोचित एवं समता पर आधारित आर्थिक सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए। यह तभी सम्भव है जबकि 'स्वराज' की स्थापना की जाय। स्वराज की स्थापना के लिए उन्होंने भारतीयों को हिंसक आन्दोलन के बजाय संवैधानिक मार्ग पर डटे रहने की सलाह दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन का आधारभूत सिद्धान्त अनुचित है इसलिए कांग्रेस को उनके विरुद्ध आन्दोलन करने में गुरेज नहीं करना चाहिए।

यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से दादाभाई नौरोजी मुक्त व्यापार के समर्थक थे परन्तु भारत में फैली हुई अप्राकृतिक दुर्व्यवस्था, निराशा तथा दुखों को देखकर उनका हृदय स्वदेशीके समर्थन के लिए प्रेरित हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि यदि भारत में मुक्त अर्थव्यवस्था की नीति को जारी रखा गया तो भारत का आर्थिक निर्गम होता रहेगा। यह भारतीयों के दुख एवं दरिद्र का कारण का प्रमुख कारण है। भारतीयों को दरिद्रता के जाल से निकालने के लिए विदेशीव्यापार पर प्रतिबन्ध आवश्यक है। विदेशी व्यापार पर प्रतिबन्ध ब्रिटेन को मनमाने तरीके से भारत से कच्चे माल ले जाने तथा उनसे निर्मित वस्तुओं को भारत लाकर मनमानी कीमत पर बेचने से रोकेगा।

अभ्यास प्रश्न 2

1. नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखें।
2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तर से मिलान कर अपने उत्तर की त्रुटियों को दूर करें।
1. दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश शासन को भारत में अभिषाप मानते थे।

(i) सत्य है	(ii) असत्य है
-------------	---------------
2. 'भारत के प्रति इंग्लैण्ड के कर्तव्य' शीर्षक निबन्ध की रचना की थी।

(i) जवाहर लाल नेहरू ने	(ii) महात्मा गांधी ने
(iii) दादाभाई नौरोजी ने	(iv) इनमें से कोई नहीं

3. 'भारत का महाबद्ध पुरुष' किसे कहा जाता है ?
4. दादाभाई नौरोजी ने किस घोषणा को भारत में महान अधिकार पत्र समझा ?
5. दादाभाई नौरोजी अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा के समर्थक थे।
(i) सत्य है (ii) असत्य है

8.7 सारांश

दादाभाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रवाद के पथ-अन्वेशक थे। जिन्होंने अथक परिश्रम करते हुए भारतीय जनमानस के कष्टों को दूर करने का प्रयास किया। यद्यपि प्रारम्भिक जीवन में उनके मन में ब्रिटिश शासन के प्रति अत्यन्त आदर का भाव था जिसके कारण उन्होंने भारतीयों से कई बार यह अपील की थी कि वे ब्रिटिश शासन के प्रति राजभक्ति रखें इसके पीछे उनका मानना था कि ब्रिटिश नागरिक उदार, न्यायप्रिय तथा समानता एवं स्वतन्त्रता के पोषक होते हैं। इसलिए अंग्रेजों के नेतृत्व में भारत भी प्रगति मार्ग पर तेजी से बढ़ेगा। किन्तु धीरे-धीरे उनका यह भ्रम दूर होने लगा और उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों को उनके कष्टों से तब तक छुटकारा नहीं मिल सकता है जब तक कि उन्हें 'स्वराज' का अधिकार प्राप्त न हो जाय। ब्रिटिश शासन की अप्राकृतिक नीतियों की ओर भारतीयों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही उन्होंने निर्गम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि किस प्रकार भारत की पूंजी को इंग्लैण्ड भेजा जा रहा है। भारतीय दरिद्रता, भूखमरी, प्लेग आदि से पीड़ित हैं और ब्रिटिश सरकार उनका कल्याण करने के बजाय भारत का भारी भरकम प्रशासकीय खर्च भारत के ऊपर थोप रही है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संवैधानिक लड़ाई लड़ने हेतु भारतीयों को प्रेरित किया। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने कहा कि हम कोई कृपा याचना नहीं कर रहे हैं। हमें तो केवल न्याय चाहिए। आरम्भ से ही अपने प्रयत्नों के दौरान मुझे इतनी असफलताएं मिली हैं जो व्यक्ति को निराश ही नहीं बल्कि विद्रोही बना देने के लिए पर्याप्त थी पर मैं हताशन नहीं हुआ हूँ और मुझे विश्वास है कि उस थोड़े से समय के भीतर ही जब मैं जीवित हूँ, सद्भावना, सच्चाई तथा सम्मान से परिपूर्ण स्वायत्त शासन की मांग को परिपूर्ण करने वाला संविधान भारत के लिए स्वीकार कर लिया जायेगा। उनकी यह आशा तब पूरी हुई जब वे सार्वजनिक जीवन से अवकाश ग्रहण कर चुके थे।

8.8 शब्दावली

1. निर्गम	-	बाहर जाना
2. राष्ट्रवाद	-	राष्ट्रीयता की भावना का प्रबल होना
3. अन्वेशक	-	खोज करने वाला
4. तत्त्वज्ञानी	-	वास्तविक ज्ञाता
5. अभिवर्धन	-	चतुर्दिक बृद्धि

- | | | |
|------------------|---|---|
| 6.अवनति | - | पतन |
| 7.विलासिता पूर्ण | - | ऐषो आराम से परिपूर्ण |
| 8.सेवानिवृत्ति | - | अवकाश प्राप्त करना |
| 9.वरदान | - | महापुरुषो द्वारा दिये गये साधनात्मक बचन जो पूर्ण हो |
| 10.अभिषाप | - | महापुरुषो द्वारा दिये गये ऐसे बचन जो नुकसान पहुंचाते हो |

8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. (i) पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया ,2. (i) सत्य है ,3. आर्थिक निर्गम ,4. (i) सत्य है
अभ्यास प्रश्न 2

- 1.(पप) असत्य है ,2.(पपप) दादाभाई नौरोजी ने ,3.दादाभाई नौरोजी को ,4. 1858 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गयी घोषणा को, 5. (प) सत्य है

8.10 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- 1.डॉ.वी.पी. वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
- 2.डॉ. वीरेन्द्र शर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक विचारधाराएं, श्री पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।

8.11 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. ए. अप्पादुराई, बीसवीं शताब्दी में भारतीय राजनीतिक चिन्तन, साउथ एशियन पब्लिशर्स प्रा.लि. नई दिल्ली।
2. आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिन्तन, MPSE-004, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय पाठ्य सामग्री।

8.12 निबन्धात्मक प्रश्न

- 1.दादाभाई नौरोजी के राजनीतिक विचारों का उल्लेख संक्षेप में करें।
- 2.“हम किसी प्रकार के अनुग्रह की याचना नहीं करते, हम केवल न्याय चाहते हैं।” इस कथन के परिप्रेक्ष्य में दादाभाई नौरोजी के विचारों का उल्लेख करें।
- 3.दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए।
- 4.भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में दादाभाई नौरोजी की भूमिका का उल्लेख करें।

इकाई 9 विनायक दामोदर सावरकर

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 जीवन परिचय
- 9.4 प्रमुख कृतियां
- 9.5 अस्पृश्यता संबंधी विचार
- 9.6 हिन्दुत्व का सिद्धान्त
- 9.7 अहिंसा एवं सशस्त्र क्रांति संबंधी विचार
- 9.8 सैन्यीकरण संबंधी विचार
- 9.9 अखण्ड भारत संबंधी विचार
- 9.10 हिंदी भाषा संबंधी विचार
- 9.11 सारांश
- 9.12 शब्दावली
- 9.13 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 9.14 सहायक/उपयोगी सामग्री
- 9.15 निबंधात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना

विनायक दामोदर सावरकर एक चिंतक, उग्र राष्ट्रवादी स्वातंत्र्य के प्रचेता, हिन्दुत्व के ध्वजवाहक, हिन्दू संस्कृत के प्रसारक एवं व्याख्याता थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु इनके उद्घोष एवं आह्वान ने राष्ट्र के धमनियों में रक्त संचार को तीव्र कर दिया तथा ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिल दिया। सावरकर ने अपना संपूर्ण जीवन हिन्दुत्व को समृद्ध बनाने में हवन कर दिया।

9.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्याय के उपरान्त

1. अस्पृश्यता संबंधी विचार के सम्बन्ध में जान सकेंगे
2. हिन्दुत्व का सिद्धान्त के सम्बन्ध में जान सकेंगे
3. अहिंसा एवं सशस्त्र क्रांति संबंधी विचार के सम्बन्ध में जान सकेंगे
4. सैन्यीकरण संबंधी विचार के सम्बन्ध में जान सकेंगे
5. अखण्ड भारत संबंधी विचार के सम्बन्ध में जान सकेंगे
6. हिंदी भाषा संबंधी विचार के सम्बन्ध में जान सकेंगे

9.3 जीवन परिचय

विनायक दामोदर सावरकर का जन्म महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गाँव के चितपावन ब्राह्मण वंश में 28 मई 1883 को हुआ था। इनका नामकरण पूर्वज विनायक एवं पिता दामोदर के नामों को संयुक्त कर दिया गया। सावरकर के मन एवं व्यक्तित्व पर 1892 में माँ का देहावसान 1893-95 के हिन्दू-मुसलमान दंगे, 1897 का पूना प्लेग, 12 जून 1897 का शिवा जी का अभिषेकोत्सव, रैण्ड की हत्या के आरोप में तिलक को मिली सजा तथा मैजिनी एवं शिवा जी की जीवनी ने प्रभाव डाला।

1901 में सावरकर मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर फर्ग्युसन कॉलेज पूना में दाखिला प्राप्त किया। बी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण कर सावरकर ने एक गुप्त सभा/सम्मेलन के माध्यम से 'अभिनव भारत' नामक संस्था का गठन किया, जिसका उद्देश्य नवयुवकों को सशस्त्र क्रांति करने हेतु प्रेरित करना था। सावरकर वैरिस्ट्री का अध्ययन करने हेतु लंदन गये जहाँ पर तिलक की सिफारिश पर श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा छात्रवृत्ति भी प्राप्त किया।

सावरकर लंदन पहुँचकर 'फ्री इण्डिया सोसायटी' की स्थापना किया जिसमें भाई परमानंद, मदन लाल धींगरा हरनाम सिंह, कोरगाँवकर, लाल हरदयाल, जैसे लोग सदस्य बन गये। सावरकर लंदन में इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल दिया तथा 1857 की क्रान्ति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिद्ध करने का पूर्ण प्रयत्न किया। सावरकर लंदन से ही देश की आजादी के लिए कार्य करने लगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा के लंदन से फ्रांस जाने पर इण्डिया हाऊस का भी संचालन किया तथा भारतीय सैनिकों की क्रांति का प्रचार भी किया। सावरकर की गतिविधियों को लेकर 23 मार्च 1910 को ब्रिटिश पुलिस ने इन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया तथा इन्हें 1 जुलाई 1910 को मार्सेल्स बंदरगाह पहुँचा तो सावरकर ने समुद्र में छल्ला लगा कर भाग निकले, किन्तु फ्रांस की पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर इंग्लैण्ड की पुलिस को सौंप दिया। सावरकर को भारत में लाकर अभियोग चलाया गया जिसमें न्यायधीश ब्रेसिल स्कॉट ने 'दो आजन्म अर्थात् पचास वर्ष तक काले पानी में रखने की सजा' सुनाया। सावरकर को अंडमान एवं रत्नागिरि के जेलों में कई वर्ष रखा गया तथा 10 मई 1937 को का इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया गया।

सावरकर कारावास से मुक्त होने के बाद देश के कई हिस्सों का भ्रमण किया तथा हिन्दू महासभा की सदस्यता को अंगीकार कर लिया। वायसराय लिनलिथगो ने 9 अक्टूबर 1939 को सावरकर से भेंट किया तथा उनकी यह टिप्पणी उल्लेखनी है-“दीर्घ समय तक कारावास तथा स्थानबद्धता में रहने पर भी सावरकर का तेज कम नहीं हुआ और न उनके विचारों में ही कोई परिवर्तन आया। युद्ध के प्रश्न पर भारतीय हित को दृष्टि में रखने वाला केवल एक ही नेता हैं, वह हैं- सावरकर।”

9.4 प्रमुख कृतियां

सावरकर की रचनायें निम्न हैं -

1. 1857 का स्वाधीनता संग्राम
2. हिन्दू - पद-पादशाही

9.5 अस्पृश्यता संबंधी विचार

हिन्दू समाज में अस्पृश्यता की बुराई अपने चरम स्तर पर व्याप्त थी। इसने हिन्दू समाज के लोगों को विभाजित कर दिया था। सावरकर की राय में यह हिन्दू समाज के लिये कलंक था। सावरकर हिन्दू धर्म में व्याप्त बुराईयों को कभी अपना समर्थन नहीं दिया। उन्होंने इस कलंक को समाप्त करने के लिए प्रयास किया। उनका विचार था कि हिन्दुओं को संगठित करने के लिए सवर्णों एवं अवर्णों के मध्य सहभोज आयोजित किये जाने चाहिए। उन्होंने इस प्रकार के भोज अपने एक शिष्य स्वामी समतानंद के सहयोग से किया।

गाँधी जी एवं डॉ० अम्बेडकर दोनों हरिजनों के कल्याण के लिए प्रयासरत थे। गाँधीजी जहाँ हरिजनों के प्रति सहानुभूति की नीति अपनायी वहीं अम्बेडकर ने हिन्दू धर्म परित्याग की नीति को स्वीकारते हुये दिखलायी पड़ते हैं। सावरकर इन दोनों नीतियों की आलोचना करते थे। सावरकर अम्बेडकर के धर्म परिवर्तन प्रस्ताव का विरोध भी किया। वह समाज सुधार के माध्यम से हिन्दू धर्म में समानता की स्थापना करना चाहते थे। सावरकर ने हरिजन बच्चों को प्राथमिक पाठशालाओं में प्रवेश दिलाने हेतु आंदोलन भी चलाया। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप हरिजन बच्चे भी सवर्ण बच्चों के साथ अध्ययन करने लगे। सावरकर ने अस्पृश्यता के उन्मूलन हेतु धर्मगुरुओं एवं आचार्यों से आगे आने की अपील किया। इसी आह्वान के क्रम में रत्नागिरि में शंकराचार्य ने भंगी एवं महार जाति लोगों से पुष्पमालायें ग्रहण किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि सावरकर अस्पृश्य जातियों को भी हिन्दू समाज का अभिन्न अंग मानते हुए सम्मानजनक स्थान दिलाने हेतु प्रयासरत रहे।

9.6 हिन्दुत्व का सिद्धान्त

धर्म, राजनीति, राष्ट्र, सभ्यता, संस्कृति एवं समाज के विषय में सावरकर का एक विशेष में दृष्टिकोण एवं चिंतन था। सावरकर ने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंश कारागार में व्यतीत करते हुए हिन्दुत्व के उत्थान हेतु कार्य करते रहे। अंडमान की जेल में जब जेल इस्लाम या अन्य धर्म ग्रहण करते तो वे शुद्धीकरण के द्वारा पुनः उस व्यक्ति को हिन्दू धर्म ग्रहण करवाते थे। सावरकर हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान के लिए सदैव सजग रहते हुए हिन्दुत्व की सांस्कृतिक श्रेष्ठता पर बल प्रदान किया। वे हिन्दुत्व को एक उदार जीवन पद्धति के रूप में स्वीकार करते थे। वे कहते थे कि हिन्दुत्व न तो पगड़ी,

न ही चोटी और गोमूत्र में निहित है और न ही किसी ताड़पत्र पर लिखी हुयी पोथी से ही जाना जा सकता है यदि हिन्दुत्व मोक्ष एवं ईश्वर जैसी पारलौकिक समस्याओं एवं तत्वों में व्याप्त है तो कोई विचलित होने वाली बात नहीं है। ऐह लौकिक जीवन में हिन्दू सामान्य संस्कृति, सामान्य इतिहास, सामान्य धर्म, भाषा, लिपि आदि से बँधे होने के कारण एक राष्ट्र है।

सावरकर ने अपनी पुस्तक “हिन्दुत्व” (प्रकाशन 1923) में हिन्दू को परिभाषित करने का इस प्रकार प्रयास किया है -

आसिन्धु- सिन्धु -पर्यन्ता यस्य भारत भूमिका ।.

पितृभूः पुण्य भूश्चैव स वै हिन्दुरिति स्मृतः॥

अर्थात्, जो कोई भी व्यक्ति सिंधु से लेकर समुद्र तक फैली हुयी इस भारत भूमि को अपनी पितृभूमि एवं पुण्यभूमि मानता है और आधिकारिक रूप से इस तथ्य को अभिव्यक्त करता है, वह प्रत्येक व्यक्ति ‘हिन्दू’ है। सावरकर के उक्त ग्रंथ के अध्ययन से हिन्दुत्व के 3 लक्षणों का ज्ञान प्राप्त होता है जो इस प्रकार है -

1. हिन्दुत्व के प्रथम लक्षण में सावरकर प्रादेशिक एकता अर्थात् भू भागीय एकता को प्रथम स्थान देते हैं। वे मानते हैं कि जिसके मन में हिमालय से कन्याकुमारी एवं सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक के भौगोलिक क्षेत्र के लिए मातृ एवं पितृ भाव निहित है, वह हिन्दू है।

2. द्वितीय लक्षण के अन्तर्गत सावरकर ने रक्त प्रवाह को आधार बनाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि हिन्दू वह जिनके शरीर में ऐसे लोगों का रक्त संचारित होता है जो वैदिक सप्तसिन्धव एवं हिमालय प्रदेश में रहते रहे हों। इसके माध्यम से वह कोई नस्लवाद के सिद्धान्त को स्थापित नहीं कर रहे हैं अपितु वे चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शताब्दियों से रहने वाले लोगों में कतिपय ऐसी विशेषतायें स्थापित हो गयी हैं जो चीनियों एवं इथियोपियाइयों में नहीं हैं। सावरकर का मानना है कि कोई हिन्दू चाहे जिस पंथ, सिद्धान्त, एवं दर्शन को अंगीकार कर ले उसे हिन्दू से च्युत तो किया जा सकता है किन्तु देशज होने के कारण उसे हिन्दुत्व से असम्बद्ध नहीं किया जा सकता है।

3. तृतीय लक्षण के अन्तर्गत सावरकर ने ‘संस्कृति’ को स्वीकार किया है। वे मानते हैं कि एक भाषा एक लिपि हिन्दुत्व का लक्षण है। वे मानते हैं कि जिस व्यक्ति को हिन्दू सभ्यता एवं परम गर्व है, वह हिन्दू है।

इस प्रकार सावरकर ने राष्ट्रीय एकता, रक्त संबंध, तथा संस्कृति को आधार बनाकर हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। वे हिन्दू राष्ट्र के विषय में स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि - ‘जो लोग हिन्दू राष्ट्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं वे क्या यह बतलायेंगे कि इंग्लैण्ड, इटली, जर्मनी आयरलैण्ड आदि देशों में विशेष घटक क्या हैं? यदि उक्त देशों में जो घटक स्थित हैं वे हिन्दू राष्ट्र में भी दिग्दर्शित होते हैं तो आपको हिन्दू राष्ट्र के अस्तित्व को स्वीकारना होगा। अन्यथा सारे

संसार में राष्ट्र नाम का कोई भी भाव ही नहीं है, यह कहकर अलग हो जाना पड़ेगा।' सावरकर कहते हैं कि मैं निर्विवाद रूप से इस ध्येय वाक्य को मानता हूँ कि संपूर्ण मानव जाति ही केवल एक राष्ट्र है, पृथ्वी ही एक देश है और मानवता ही एक धर्म है। जब आय इस ध्येय वाक्य को व्यवहार में लायेगे तब आपको महसूस होगा कि इस ध्येय वाक्य का प्रथम हस्ताक्षर हिन्दू जाति एवं हिन्दू राष्ट्र ही है। सावरकर कहते हैं कि अंग्रेज, फ्रेंच, जापान, अमेरिकन को राष्ट्र की पदवी परम्परागत भूमि पर निवास के कारण मिली है तो हिंदुओं को भी राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

दो सौ वर्षों के समान अतीत, एकत्र निवास स्थान, समान आर्थिक हित, से यदि अमेरिक सदृश अनेक वंश, जाति एवं भाषा के भेदों से युक्त क्षेत्र एक जीवित राष्ट्र हो सकता है तो पौराणिक राम-कृष्ण का श्रुति रामायण, महाभारत का काल छोड़ भी दिया जाय तो हम हिन्दुओं के पीछे चन्द्रगुप्त से लेकर दो हजार से अधिक वर्षों के इतिहास का जो समान महनीय, एवं भव्य भूतकाल हिमालय के समान खड़ा है, उसके कारण यह हिन्दू जाति लक्षणों की कसौटी से भी एक जीवित राष्ट्र अवश्य है।

सावरकर का मत है कि हिन्दू के नाम, जीव एवं व्यवहार समान हैं। हिन्दुओं के त्यौहार समान है दीपावली, भैय्यादूज, होली में पूरा हिन्दुस्तान समान रूप से उत्साह एवं उमंग में दिखलायी पड़ता है। इन त्यौहारों के धार्मिक कारणों को नजरंदाज कर दिया जाय तो भी इनमें एक सामाजिक समरसता का भाव भरा पड़ा है। इन सब तथ्यों के बावजूद भी यदि इस भूभाग को राष्ट्र नहीं कहा जा सकता तो हमें यह कहना पड़ेगा कि विश्व में राष्ट्रीय संस्कृति जैसा कोई तत्व नहीं होता है।

इन सब तथ्यों के अतिरिक्त सावरकर मानते हैं कि संख्या बल भी राष्ट्र का एक लक्षण है। हिंदूओं के संदर्भ संख्या पूछना कुबेर से जमानता माँगने जैसा ही है। विश्व में ऐसे भी राष्ट्र हैं जिनके पास अपना देश नहीं है, वे केवल भाषा की एकता एवं समान संस्कृति के कारण ही राष्ट्र कहलाये हैं। पोलैण्ड, हंगरी, रुमानिया, स्पेन, पुर्तगीज आदि एक करोड़ की जनसंख्या राष्ट्र कहलाने के लिए पर्याप्त हो सकता है तो 30 करोड़ से अधिक कट्टर हिन्दुओं की संख्या होने पर भी हिन्दू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है। एक देश, एक भाषा, एक लिपि, एक इतिहास, एक भूतकाल, एक भवितव्य: एक संस्कृति, एक पितृभूमि, एक पुण्यभूमि इतने आत्मीय संबंधों से तीस करोड़ संख्या बल का यह हिन्दू राष्ट्र संसार के महनीय राष्ट्रों में भी एक महत्तम राष्ट्र है।

सावरकर हिन्दुत्व एवं राष्ट्रवाद के मध्य कोई भी विरोधाभास नहीं देखते हैं। वे मानते हैं कि हिन्दू भक्त भारत माँ में अपनी आस्था प्रकटीकरण के बिना अपना नाम सार्थक नहीं कर सकता है। हिन्दुओं के लिए यह देश पितृभूमि एवं पुण्यभूमि है। यही कारण है कि यहाँ के निवासी हिन्दुस्तान से असीमित प्रेम करते हैं। सावरकर यह सिद्ध करने में सफल रहे हिन्दू सभी प्रकार से एक राष्ट्र हैं क्योंकि इनके पास शताब्दियों से रहने का एक निश्चित स्थान है, इनकी एक प्राचीन भाषा एवं लिपि है। इनके धर्मों का जन्म इस भूमि में हुआ है। इनके पूर्वज भी इस भूमि में निवास करते आये हैं तथा इनकी संस्कृति समान होने के साथ-साथ इनके पास संख्या बल की कोई कमी नहीं है।

9.7 अहिंसा एवं सशस्त्र क्रांति संबंधी विचार

सावरकर का निरपेक्ष अहिंसा में कोई भी विश्वास नहीं था। वे कहते थे कि अहिंसा तो भिखारियों का मार्ग है। अहिंसा केवल संतों एवं देवदूतों के समाज हेतु ही उपयुक्त है। यह संसार अन्तर्विरोधों एवं बुराईयों से परिपूर्ण है अतः इस संसार में न्याय हेतु की गयी हिंसा उचित है। सावरकर का मत है कि हिंसा केवल सतयुग जैसे समाज में अनुचित एवं घृणास्पद है। अतएव जब तक सतयुग जैसा समाज का अस्तित्व नहीं होता तब तक विद्रोह, रक्तपात, एवं प्रतिशोध को अनौचित्य नहीं माना जा सकता है। इन्हीं कारणों से सावरकर न्याय रक्षा हेतु महापुरुषों एवं नेताओं द्वारा की गयी हिंसा को उचित मानते हैं। सावरकर ने लिखा है कि 'ब्रूटस की तलवार पवित्र है। शिवाजी का बघानखा भी पुनीत है। इसलिए इटली की क्रांतियों का रक्त निष्कलंक यश का भागी है।

सावरकर सत्यमेव जयते के स्थान पर शस्त्रमेव जयते को मानते थे। उनका मता था कि भारत की गुलामी बिना सशस्त्र क्रांति के समाप्त नहीं हो सकती है। उन्होंने अपने भाषणों में कहा कि- 'छत्रपति शिवाजी की संतानों! जिस प्रकार शिवा जी ने मुगल साम्राज्य का विध्वंस किया, सदाशिव राव भाऊ ने मुगल सिंहासन को चकनाचूर कर दिया, उसी प्रकार अब तुम्हें भारत माता को अत्याचारी साम्राज्य की स्थापना करनी है। सशस्त्र क्रांति से ही इस विदेशी साम्राज्य का तख्ता पलट होगा।'

9.8 सैन्यीकरण संबंधी विचार

सावरकर का स्पष्ट मत था कि दुर्बल राज्यों का अविलंब पतन हो जाता है। अतः राज्यों को शक्ति अर्जित कर बलशाली बनने का प्रयास सदैव करना चाहिए। अपने उक्त कथन को प्रमाणित करने हेतु सावरकर ने प्राचीन इतिहास से उदाहरण देते हुए कहा कि बुद्ध नीति के अनुगामी भारत को शकों एवं हूणों ने रौंद दिया सावरकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिन्दुओं को सेना में सम्मिलित होने हेतु प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। वे स्कूलों एवं कॉलेजों में अनिवार्य सैन्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनवाना चाहते थे।

सावरकर ने पं० नेहरू की पंचशील एवं विश्वशांति की नीति की कटु आलोचना किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि चीन विश्वसनीय नहीं है। उन्होंने 1906 में पूना की एक सभा में भारत को चीन से सावधान रहने की चेतावनी तक दिया था। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब सावरकर ने कहा था कि 'काश ये सत्ताधारी मेरे परामर्श को मानकर सर्वप्रथम राष्ट्र का सैनिकीकरण कर देते तो आज हमारी वीर एवं पराक्रमी सेना चीनियों को खदेड़ कर उनका मद चूर कर देती।'

सावरकर ने पं० नेहरू के अणुबम न बनाने की नीति की बड़ी आलोचना किया। उन्होंने कहा था कि 'जिसकी सेना मजबूत है उसका राज्य सुरक्षित है' का सिद्धान्त ही व्यवहारिक है चीन आक्रमण के बाद भारत सरकार ने जब सैन्य शक्ति बढ़ाने का निर्णय लिया तब सावरकर ने कहा था कि 'कम से

कम पच्चीस लाख सैनिकों की नियमित सेना बनायी जाय तथा उसे आधुनिकतम शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित किया जाय।

9.9 अखण्ड भारत संबंधी विचार

सावरकर संपूर्ण जीवन अखण्ड भारत का ही स्वप्न देखते रहे। भारत के विभाजन से वे अत्यंत दुःखी थे। वे बार-बार कहते थे कि तीन चौथाई भारत स्वतंत्र हुआ है, अभी एक चौथाई भारत को भी मुक्त करवाना है। यह मुक्ति का कार्य भारत के नवयुवक लोग करेंगे। उनका सिंधु नदी एवं प्रांत के प्रति अगाध लगाव था। वे कहते थे कि हम सिंधु नदी से विच्छेद को किसी भी दशा में सहन नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र सिंधु नदी को अखण्ड भारत का हिस्सा अवश्य बनायेगा। सावरकर कहते हैं कि, 'पुण्य सलिला माँ सिंधु! तुझे हम कैसे भुला दे ---- यह महाराष्ट्र अकेला महाराष्ट्र फिर एक बार उठकर तुझे विमुक्त करके ही रहेगा' इसलिए मैं कहता हूँ

“ऐ सिंधु! मुक्त करेगी तुझे।

महाराष्ट्र की रक्त बिंदु।”

सावरकर ने गोवा मुक्ति के लिए आवाज बुलन्द किया। उन्होंने हिन्दू महासभा अहमदाबाद के अधिवेशन में कहा था कि-

‘हम हिन्दुस्तान की पूर्ण स्वाधीनता चाहते हैं। फ्रेंच, हिन्दुस्तान, पुर्तगीज हिन्दुस्तान ये शब्द हमारे कानों को असह्य लगते हैं। इस कृत्रिम विभाजन को समाप्त कर हमें अखण्ड हिन्दुस्तान बनाने की शपथ लेनी है।’

वे कहते थे कि हम हिन्दुओं को दृढ़ता के साथ घोषित करना चाहिये कि कश्मीर से रामेश्वरम् तक तथा सिंधु से आसाम तक एक अखण्ड, संयुक्त एवं अभिन्न हिन्दुस्तान ही हमें मान्य होगा।

सावरकर 82 वर्ष की बीमारी अवस्था में भी अखण्ड भारत को स्वप्न देखते रहे। 1956 में भारत - पाक युद्ध के दौरान वे अपनी चरपायी पर लेटकर दीवाल में टंगे हुए भारत के नक्शे को देखते हुए कहते थे कि इस स्थान पर शत्रु हमारे जाल में घिर जायेगा। यदि थोड़ा तेजी से हमारी विजय वाहिनी सेना आगे बढ़ीं और एक बार लाहौर हाथ में आ गया तो काबुल तक हम जीत सकते हैं।’ उन्हें यह लगने लगा था कि सिंधु नदी के तट पर उनकी अन्त्येष्टि की अंतिम इच्छा पूर्ण हो जायेगी। वे आ गया तो काबुल तक हम जीत सकते हैं।’ उन्हें यह लगने लगा था कि सिंधु नदी के तट पर उनकी अन्त्येष्टि की अंतिम इच्छा पूर्ण हो जायेगी। वे कहने लगे थे कि अब समय आ गया है कि 1947 के विभाजन की भूल को सुधार ले किंतु जब उन्हें पता लगा कि अब युद्ध विराम हो गया है तब उनको बहुत ही मानसिक आघात पहुँचा। उन्होंने कहा कि ‘हजारों हिन्दू युवकों ने अपना बलिदान देकर जो विजय श्री प्राप्त की थी, ये गाँधीवादी नेता उसे गवाँ देंगे। अब इनसे किंचित भी आशा करना व्यर्थ है।

9.10 हिंदी भाषा संबंधी विचार

सावरकर मराठी होते हुए भी राष्ट्रीय एकता के भाव को शक्तिशाली बनाने हेतु हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि को एक बेहद सशक्त माध्यम मानते थे। सावरकर अंडमान में बंदी जीवन के दौरान इसका खूब प्रचार प्रसार किया। रत्नागिरि में हिन्दी भाषा के लिए आंदोलन चलाया तथा भाषा शुद्धि के लिए लेख भी लिखा। इस लेख के द्वारा सावरकर ने विशुद्ध संस्कृत निष्ठ हिन्दी का समर्थन किया। सावरकर हिन्दी में प्रचलित ऊर्दू शब्दों के बहिष्कार का प्रस्ताव भी किया। उनका मत था कि भारत के सभी भाषा-भाषी हिन्दी भाषा में भाषा की समस्या समाप्त हो जायेगी।

9.11 सारांश

सावरकर भारत की स्वतंत्रता हेतु सशस्त्र क्रांति का आवाहन करने वाले उग्रवादी विचारक थे। उनका मानना था कि भारत एक हिन्दू राष्ट्र है और जो लोग सिंधु नदी के पार रहते हैं भले ही उनका कोई भी पंथ पा दर्शन हो, वे सब हिन्दू हैं। वे भारत की अतीत गौरवशाली परम्परा का सम्मान करते थे इसी अतीत पर भविष्य के निर्माण की संभावना तलाशते रहे। वे आजीवन अखण्ड भारत का स्वप्न देखते रहे तथा नवयुवकों से भारत एकीकरण हेतु संघर्ष को प्रेरित करते रहे। सावरकर ने चीन के संदर्भ में जो चेतावनी दिया वह सत्य प्रमाणित हुयी। वे भारत के भविष्य के प्रति चिंतित रहने वाले विचारकों में से एक थे इसीलिए हिन्दुओं के सैन्यीकरण की अपील एवं पं० नेहरू के विश्व शांति की नीति का विरोध करते रहे।

9.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. भारत के अमर क्रांतिकारी वीर सावरकर: डॉ० भवान सिंह राणा
2. गाँधी और सावरकर: राकेश कुमार आर्य
3. आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन: डॉ० वी० पी० वर्मा

9.13 सहायक/उपयोगी सामग्री

1. भारतीय राजनीतिक चिन्तक – के. एस. पाण्डेय

9.14 निबंधात्मक प्रश्न

1. सावरकर के हिन्दू राष्ट्रवाद का विश्लेषण करिये?
2. सावरकर के अखण्ड भारत के स्वप्न की मीमांशा कीजिये?

इकाई: 10 डॉ० भीमराव राम जी अम्बेडकर

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 जीवन परिचय
- 10.4 प्रमुख कृतियां
- 10.5 वर्ण व्यवस्था का विरोध
- 10.6 जाति व्यवस्था का विरोध
- 10.7 अस्पृश्यता का विरोध
- 10.8 दलितों के उद्धार हेतु सुझावः
- 10.9 लोकतंत्र संबंधी विचार
- 10.10 राज्य संबंधी विचार
- 10.11 सारांश
- 10.12 शब्दावली
- 10.13 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 10.14 सहायक/उपयोगी सामग्री
- 10.15 निबंधात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना

डॉ० अम्बेडकर का भारतीय समाज एवं राजनीति में अभ्युदय एक ऐसे समय हुआ जब अश्वपश्यता के कारण मानवता कराह रही थी। विवेकानन्द के शब्दों में कहे तो ‘मत छू, मत छू, की अवस्था संपूर्ण समाज में व्याप्त थी। इस अश्वपश्यता के विरुद्ध डॉ० अम्बेडकर ने एक संग्राम आरंभ किया तथा अपनी संपूर्ण क्षमता दलितों एवं दीन-हीनों के उत्थान एवं सम्मान दिलाने हेतु समर्पित कर दिया। डॉ० अम्बेडकर 20वीं शताब्दी के ऐसे दूरदर्शी चिंतक थे जिन्हें स्वतंत्र भारत में अछूत एवं वंचित वर्ग की भूमिका का स्पष्ट ज्ञान था। डॉ० अम्बेडकर ने अश्वपश्यता के प्रति जिम्मेदार लोगों के सद्बुद्धि हेतु सत्याग्रह किया परिणाम स्वरूप भारत में सामाजिक न्याय के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध हुये।

10.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त

1. वर्ण व्यवस्था के सम्बन्ध में जान सकेंगे
2. जाति व्यवस्था और अश्वपश्यता के सम्बन्ध में जान सकेंगे
3. दलितों के उद्धार हेतु उनके सुझाव के सम्बन्ध में जान सकेंगे
4. राज्य और लोकतंत्र संबंधी विचार के सम्बन्ध में जान सकेंगे

10.3 जीवन परिचय

डॉ० अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के अंबावडे नामक ग्राम के मध्यवर्गीय महार परिवार से संबंधित 'रामजी सकपाल' के घर में हुआ था। इनके पिता कबीर पंथी विचार मार्ग से जुड़े हुए सैन्य सेवान्तर्गत प्रिंसिपल थे। भीमराव को 5 वर्ष के बाल्यावस्था में मातृ शोक हो गया। ऐसी परिस्थिति में पिता राम जी सकपाल ने जीजाबाई नामक विधवा महिला से पुनर्विवाह कर लिया। भीमराव को अपनी विमाता से कोई प्यार/लगाव नहीं था। इनका लालन-पालन मीराबाई ने किया। अम्बेडकर का प्रारम्भिक नाम भीमराव राम जी अंबावडेकर था किंतु नाम उच्चारण की दुरुहता को देखते हुए एक ब्राह्मण अध्यापक ने अपना अंबेडकर उपनाम इनको दे दिया तब से यह भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पहचाने जाने लगे।

भीमराव के महार जाति से होने के कारण बाल्यकाल में कुछ कटु एवं पीड़ादायक अनुभव प्राप्त हुये। भीमराव को गोरगाँव में बैलगाड़ी की घटना एवं सतारा में पानी पीने की घटना ने बहुत ही आहत करते हुए आत्मसम्मान को चोट पहुँचाया।

परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भीमराव में स्वावलंबी बनने की इच्छा बलवती होने लगी। वे मुंबई जाकर मिल मजदूर बनना चाहते थे। इस हेतु संदर्भ में किराये हेतु अपने बुआ की थैली को चुराया जिसमें 'आधा आना' पैसा प्राप्त हुआ। इस चोरी की घटना ने भीमराव को हीनता से भर दिया परिणामस्वरूप भीमराव मुंबई जाने का इरादा त्याग कर पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करने का प्रण लिया। कालान्तर में इनके पिता ने परिवार को दपोली से मुंबई ले आये तथा इनका दाखिला ऐलफिन्स्टन स्कूल में कराया।

हाई स्कूल में संस्कृत के स्थान पर इनको फारसी भाषा अध्ययन हेतु आबंटित हुयी जिससे भीमराव अत्यंत दुःखी हुये। वे संस्कृत को महाकाव्यों का स्वर्णकोष मानते थे। जब 1907 में भीमराव ने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण किया तब के० ए० केलूस्कर नामक समाज सुधारक ने एक सभा में भीमराव का अभिनन्दन भी किया केलूस्कर ने इनको अध्ययन हेतु कुछ पुस्तक भी उपलब्ध करवाया। भीमराव उसी स्कूल से इण्टर की परीक्षा भी उत्तीर्ण किया। घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण भीमराव के लिए बी० ए० में अध्ययन करना अत्यंत कठिन हो गया था। भीमराव की परिस्थिति को देखकर केलूस्कर ने बड़ौदा के महाराज से रु० 25 की मासिक छात्रवृत्ति दिलवायी। 1912 में भीमराव स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर बड़ौदा के 'स्टेट फोर्सेज' में लेफ्टीनेण्ट की नौकर कर लिया।

कालान्तर में बड़ौदा के महाराज ने भीमराव को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेज दिया कोलंबिया विश्वविद्यालय में भीमराव ने प्रवेश लेकर एम० ए० एवं पी० एच० डी० की डिग्री प्राप्त किया तथा लंदन के 'ग्रेज इन' से विधि स्नातक की उपाधि भी प्राप्त किया।

भीमराव का विवाह 1905 में रमाबाई के साथ हो गया था उनकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने 15 अप्रैल 1948 को एक ब्रह्मण महिला डॉ० सविता कबीर से पुनर्विवाह कर लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया।

अम्बेडकर के जीवन एवं व्यक्तित्व पर कबीर, ज्योतिबा राव फूले, एवं वाशिंगटन का अत्याधिक प्रभाव रहा है। उक्त के अतिरिक्त अम्बेडकर को राजनीतिक मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व की भावना ने भी अनुप्राणित एवं प्रभावित किया।

10.4 प्रमुख कृतियां

अम्बेडकर की कतिपय मुख्य पुस्तके निम्न है-

1. द अनटचेबलस, हू आर दे एण्ड दे विकम अनटचेबल, 2. हू बेयर द शीड्रलस?, 3. एनीहिलेशन ऑफ कास्ट।

4. कस्टम्स इन इण्डिया, 5. स्टेट्स एण्ड माइना रटीज,

डॉ० अम्बेडकर के सामाजिक व राजनीतिक विचार निम्नवत है:-

10.5 वर्ण व्यवस्था का विरोध

अम्बेडकर जी तत्कालीन सामाजिक भेदभाव एवं अमानवीय व्यवहार से अत्यंत दुखी थे। उनका मत था कि हिन्दू समाज रुढ़िवाद एवं दकियानूसी के कारण कतिपय विकृतियों को आत्मसात कर लिया है। वे शूद्रों एवं दलितों की दीन-हीन स्थिति के लिए वर्ण व्यवस्था एवं मनुस्मृति को उत्तरदायी मानते थे। वे वर्णव्यवस्था का अवैज्ञानिक मानते हुए कहते थे कि यह कुछ विशेष लोगों को ही लाभान्वित करती है। मनुस्मृति की कटु आलोचना करते हुए कहते हैं कि इसने शूद्रों को ब्रह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य का सेवक बनाकर अन्याय का प्रतिकार करने वाले साधनों को भी शूद्रों से छीन लिया। वे ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का भी विरोध करते रहे। उनका मानना था कि आर्यों की सामाजिक संरचना में शूद्र वर्ण का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इसलिए ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद का मौलिक अंश नहीं है। आर्य समाज में केवल तीन ही वर्ण थे, ब्रह्मणों ने क्षत्रियों को पराजित कर शूद्र वर्ण में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि शूद्र वर्ण के लोग वास्तव में क्षत्रिय वर्ण में ही थे। यह चतुर्वर्ण व्यवस्था सामाजिक न्याय के विपरीत है अतएव इसको समाप्त किया जाना स्वाभाविक एवं न्याय संगत है।

10.6 जाति व्यवस्था का विरोध

अम्बेडकर का मानना था कि वर्ण आधारित व्यवस्था ही जाति व्यवस्था का मूल कारक है। कर्म पर आश्रित वर्ण व्यवस्था रुढ़ एवं विकृत होकर जन्म आधारित हो गयी जिससे जाति व्यवस्था का उद्य

हुआ। भारत में वाहय आक्रमणकारियों के आकर बस जाने से भी जातीय व्यवस्था बहुत मजबूत हुयी है। अम्बेडकर कहते थे कि कर्म के विशेषीकरण ने एक वर्ण में कई जातियों का सृजन किया। इस जातीय व्यवस्था का अपना सुविधा के लिए शादी-विवाह आदि माध्यमों से नियम भंग किया उसे जाति से बाहर कर दिया गया। यह जाति व्यवस्था समाज की प्रगति को अवरुद्ध कर रही है। यह जाति हिन्दू धर्म पर कलंक बन गयी है। उन्होंने अपने ग्रंथों में जातिवाद के दोषों पर चर्चा करते हुए समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है कि-

1. जातिवाद हिन्दुओं के अवनति एवं विनाश का कारण है।
2. चतुर्वर्ण व्यवस्था शोषणकारी है अतएवं इस पर हिन्दू जाति का संगठन अन्यायोचित है।
3. यह जाति संरचना कुछ लोगों को ही शिक्षा एवं शस्त्र प्रशिक्षण का अधिकार देती है अतएवं हानिकारक है।
4. जातीय संरचना किसी भी समाज में राजनीतिक मूल्यों यथा-स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व को समाप्त कर देती है अतएवं जातीय भावना को प्रोत्साहित करने वाले सामाजिक चेतना को समाप्त करते हुए शास्त्रों के ईश्वरीय आधार को ध्वस्त कर देना चाहिए।

वे मानते थे कि 'जाति प्रथा ने हिन्दू वंश का नाश किया है। हिन्दू समाज को इसने गहन अंधकार में डाल दिया है और यह एक अशक्त एवं दुर्बल समाज बनकर रह गया है। अम्बेडकर मानते थे कि जातिवाद का स्रोत धर्मग्रंथ है अतएवं लोगों को पवित्र ग्रंथों एवं उसकी दिव्यता के प्रति आस्था का परित्याग कर देना चाहिए। अम्बेडकर ने जातिवाद की समाप्ति हेतु अन्तर्जातीय विवाह पर बल देते हुए कहा कि दो जातियों के रक्त मिश्रण से पारस्परिक संबंधों में निकटता स्थापित होती है। जातिमुक्त समाज ही प्रगतिगामी हो सकता है इसलिए अम्बेडकर चाहते थे कि हिन्दू समाज पूर्णतः जातीय बंधनों से मुक्त हो जाय।

10.7 अश्वृश्यता का विरोध

अम्बेडकर मानते थे कि अश्वृश्यता हिन्दू धर्म की जाति प्रथा की उपज है। अश्वृश्यता के कारण ही निर्धनता, निरक्षरता और हीनता की भावना लोगों में बनी हुयी है। अश्वृश्य लोगों उच्च जातियों के दास के रूप में जीवन गुजार रहे हैं। अतएवं आवश्यक है कि वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया जाय। अम्बेडकर जाति बहिष्कृत एवं अछूतों के उद्धार हेतु संघर्ष करने का प्रण लिया। इसके परिणामस्वरूप जिन अश्वृश्य लोगों को जो कुँयें से जल नहीं ले सकते थे, पूजागृहों एवं मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, सबके साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे, उन को एक नई दिशा प्राप्त हुयी। अम्बेडकर ने अछूतों के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' की

स्थापना 20 जुलाई 1924 को मुंबई में किया। इसका उद्देश्य दलितों की शिक्षा एवं आवासों के लिए व्यवस्था करते हुए अश्वपृथ्यता उन्मूलन हेतु आंदोलन प्रारम्भ करना था।

अम्बेडकर ने अश्वपृथ्यता उन्मूलन हेतु महाड़ एवं नासिक में सत्याग्रह/आंदोलन किया। कोलाबा जिले के महाड़ क्षेत्र में स्थित महानगर पालिका के तालाब के जल प्रयोग में अश्वपृथ्यों की पहुँच को लेकर 20 मार्च 1927 को 5000 अश्वपृथ्यों के साथ सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह के भाषण में अम्बेडकर ने कहा कि अछूतों की जो सेना में भर्ती बंद की गयी है उसे पुनः प्रारम्भ किया जाय। अम्बेडकर सत्याग्रह करते हुए तालाब पर पहुँच कर जल आचमन करते हुए पानी की पी लिया अम्बेडकर ने कहा कि हम तालाब पर इसलिए जाना चाहते हैं कि हम तालाब पर इसलिए जाना चाहते हैं कि हम भी औरों की तरह हैं और मनुष्य की तरह जीवन जीना चाहते हैं। हम इस विषय पर भी निर्णय चाहते हैं कि अछूत समाज हिन्दू धर्म के अन्तर्गत है या नहीं। यह बड़ी बिड़बना है कि जिस तालाब पर खतरनाक पशु पानी पी सकते हैं, उस तालाब पर शूद्र क्यों नहीं?

अश्वपृथ्यों को मंदिर में प्रवेश दिलाने के लिए अम्बेडकर ने 2 मार्च 1930 को नासिक में कालाराम मंदिर सत्याग्रह प्रारम्भ किया। अछूत लोग इनके नेतृत्व में अक्टूबर 1935 में मंदिरों में प्रवेश पा गये। अम्बेडकर कहते थे कि प्रश्न यह है कि अछूत जातियाँ मंदिर में प्रवेश करना चाहती हैं या नहीं। वे कहते थे कि इस प्रश्न में अछूतों में दो प्रकार के विचार थे। प्रथम-वर्ग मानता था कि भौतिक उन्नति पर बल दिया जाय और द्वितीय वर्ग सामाजिक समानता पर बल देता था। अम्बेडकर कहते थे कि मंदिर के दरवाजे अछूतों के लिए खोलना या न खोलना यह हिन्दुओं के लिए विचारणीय प्रश्न है, मेरे लिए यह आंदोलन करने का नहीं। अगर हिन्दू समझते हैं कि मानव के व्यक्तित्व की पवित्रता को अपमानित करना एक बुरी बात है- तो मंदिर के दरवाजे खोल दें और एक शरीफ आदमी बन जाय।

अम्बेडकर अश्वपृथ्यता एवं विषमता के मूल में मनुस्मृति को देखते थे। वे कहते थे कि 'मनुस्मृति विषमता का समर्थन करती है, शूद्र जाति की निंदा करती है। स्वयं निर्णय के सिद्धान्त स्वीकार करने वाले व्यक्तियों को यह ग्रंथ कभी स्वीकार्य नहीं होता। अश्वपृथ्य वर्ग इस ग्रंथ की मान्यताओं को स्वीकार नहीं करता, इसको दिखलाने के लिए जलाने का मैंने निर्णय लिया है। उन्होंने 25 दिसम्बर 1927 को महाड़ में मनुस्मृति को आग के हवाले कर दिया

अछूतों एवं दलितों के उद्धार हेतु डॉ० अम्बेडकर ने 19 मार्च 1928 को एक 'महार वतन सुधार' विधयेक प्रस्तुत किया जिसमें दलितों एवं अछूतों के सुधार हेतु सरकारी खजाने से सहायता देने की व्यवस्था की माँग की गयी थी। अम्बेडकर अछूत विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सदैव चिंतित रहते थे। इसलिए उन्होंने 'दलित जाति शिक्षण समिति' की स्थापना किया जिसमें सरकार ने भी अछूत छात्रों के लिए अनुदान राशि प्रदान किया। समाज समता संघ के माध्यम से अम्बेडकर ने अछूतों को नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। गणेश उत्सव के पण्डालों में अछूतों को सम्मानजनक स्थान दिलाने में अम्बेडकर ने महती भूमिका अदा किया।

अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कहा था कि मैं यहाँ अश्वपृथु लोगों के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। ये अश्वपृथु लोग भारत की कुल आबादी का 20% हैं जिनकी दशा गुलामों से बदतर घृणित एवं पशुवत है। ब्रिटिश सरकार से पूर्व भी हमारी स्थिति दयनीय थी और आज भी दयनीय बनी हुयी है। ब्रिटिश सरकार के आने के बाद भी अछूतों को कुओं से जल लेने का प्रतिषेध, मंदिरों में प्रवेश हेतु निषेध और सेना भर्ती में भी मनाही बनी हुयी है। हम अपने दुःख स्वयं दूर करेंगे। इसके लिए हमें सत्ता के बागडोर की चाभी अपने हाथों में लेनी होगी।

10.8 दलितों के उद्धार हेतु सुझावः

अम्बेडकर एक सामाजिक न्याय से युक्त समाज की स्थापना करना चाहते थे, जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व जैसे राजनीतिक मूल्यों का सहअस्तित्व हो। अम्बेडकर तिलक का सम्मान करते थे किन्तु उनके 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' के नारे से सहमत न थे। वे सामाजिक सुधार पर ज्यादा बल देना चाहते थे। वे कहते थे कि जब तक अछूतों दलितों को उच्च वर्णों के समान आर्थिक एवं सामाजिक अधिकार नहीं प्राप्त हो जाते तब तक राजनीतिक स्वतंत्रता बेमानी है। अतएव दलितों के उत्थान हेतु उच्च वर्णों के विचार एवं दृष्टि में प्रगतिशील परिवर्तन आवश्यक हैं। यह परिवर्तन राज्य तंत्र के द्वारा किया जा सकता है। दलितों के उद्धार हेतु निम्न सुझाव उनके द्वारा दिये गये-

1. सभी हिन्दुओं द्वारा स्वीकृत हिन्दू धर्म का एक प्रामाणिक ग्रंथ हो।
2. हिन्दुओं में पुरोहितवाद खत्म हो। यदि इसे बनाये रखना अनिवार्य हो तो उसके लिए पैतृक आधार को स्वीकार न किया जाय
3. लोगों की आवश्यकतानुसार पुरोहितों की संख्या निर्धारित होनी चाहिए।
4. पुरोहित एक प्रकार से राजकीय कर्मचारी होने चाहिये।
5. हिन्दू धर्म का सर्वसमता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के आधार पर पुर्नगठन किया जाना चाहिए।
6. प्रचलित पारिवारिक पद्धति में तत्काल परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा अन्तर्जातीय विवाह का प्रचलन किया जाना चाहिए।
7. सहभोज की व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
8. दलितों एवं अछूतों को मानसिक दासता को त्यागना चाहिये तथा अपने खान - पान को शुद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिये।
9. दलितों को सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पृथक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।

10. दलितों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेने हेतु स्थानों को सुरक्षित करने के साथ-साथ कुछ छात्रवृत्तियाँ प्रोत्साहन हेतु प्रदान की जानी चाहिए।

11. दलितों को रोजगार में समुचित अवसर प्रदान करने हेतु स्थानों को आरक्षित किया जाना चाहिए।

10.9 लोकतंत्र संबंधी विचार

अम्बेडकर सामाजिक न्याय के पक्षधर होने के कारण प्रजातंत्र में उनका अतीव विश्वास था। वे संपूर्ण जीवन में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को स्थापित करने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहे जो प्रजातंत्र का मूल आधार है। उनका मता था कि प्रजातंत्र केवल सरकार एक रूप मात्र न होकर सामाजिक संगठन का स्वरूप भी है। अतएवं प्रजातंत्र को उच्चता व निम्नता पर बिना विचार किये हुए सभी के कल्याण हेतु कार्य करने चाहिए। वह राजनीतिक प्रजातंत्र के संदर्भ में 4 आधार स्तम्भ की चर्चा करते हैं-

1. व्यक्ति अपने आप में स्वतः एक साध्य है।
2. व्यक्ति के कुछ ऐसे अधिकार हैं जिसे देने का वायद संविधान को करना चाहिए।
3. व्यक्ति को किसी प्रकार का विशिष्ट अधिकार देने की यह शर्त न हो कि उसे संवैधानिक अधिकार छोड़ने पड़ेंगे।
4. राज्य किसी व्यक्ति को ऐसा अधिकार नहीं देगा जिससे वह दूसरों पर शासन करे।

अम्बेडकर चाहते थे कि प्रजातंत्र में स्वतंत्रता एवं समानता के मध्य संतुलन स्थापित रहे। प्रजातंत्र अहिंसात्मक उपायों पर अवलंबित रहे। वे कहते हैं कि 'प्रजातंत्र शासन की एक ऐसी पद्धति है का प्रतिनिधित्व करता है जिसके माध्यम से लोगों के राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में भी बिना रक्त रंजित तरीकों को अपनाये आमूल-चूल परिवर्तनों को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जा सके।

अम्बेडकर प्रजातंत्र के संसदीय स्वरूप को अत्याधिक पसंद करते थे। वे संसदीय शासन व्यवस्था के निम्नांकित लक्षणों के कारण भारत के लिए उपयोग मानते थे-

1. इसमें शासन का अधिकार वंशानुगत नहीं होता है।
2. इसमें व्यक्ति विशेष शासन/सत्ता का प्रतीक नहीं होता है।
3. निर्वाचित प्रतिनिधियों में जनता का विश्वास रहता है

लेकिन अम्बेडकर पश्चिम देशों जैसे जर्मनी, रूस, स्पेन इत्यादि में संसदीय शासन प्रणाली की विफलता से चिंतित भी थे। वह भारत के लिए चाहते थे इसे स्वीकारने से पूर्व इस बात पर मंथन होना चाहिए कि उक्त देशों में यह किन कारणों से विफल हुआ है। वे कहते थे कि संसदीय लोकतंत्र तभी

सफल हो सकता है जब समाज में असमानताएँ न हो तथा एक सशक्त विपक्ष भी अस्तित्व में हो। वे लोकतंत्र के लिए स्थायी रूप से प्रशासनिक तंत्र एवं संवैधानिक नैतिकता की भी बात करते हैं।

भारत के संदर्भ में अम्बेडकर ने मुसलमानों के पृथक् निर्वाचन संघ का विरोध किया क्योंकि यह प्रजातांत्रिक सिद्धान्तों के विपरीत था। वे लोकतंत्र हेतु व्यस्क मताधिकार की वकालत करते थे। वे कहते थे हरेक व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए तभी देश का विकास हो सकता है। वे कहते थे कि यदि हम भारत देश में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो मत देने का अधिकार, पढ़े-लिखे, धनी एवं सम्मानित व्यक्ति को ही न देकर भारत के समस्त बालिग नागरिकों को देना होगा तभी हम देश में सही लोकतंत्र स्थापित कर सकते हैं। अगर हम मत देने का अधिकार सिर्फ शिक्षित, धनी एवं सम्मानित व्यक्तियों को ही देना चाहेंगे तो देश के 'मूल निवासियों' (वंचित वर्ग) के साथ घोर अन्याय होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति की शिक्षा एवं धन नहीं है, उसके लिए वह व्यक्ति दोषी नहीं है अपितु मनुवादी व्यवस्था दोषी है।

अम्बेडकर लोकतंत्र को सामाजिक व्यवस्था की नींव मानते थे इसलिए इसे भारत में सफल बनाने हेतु कतिपय परिस्थितियों का उल्लेख किया है। जो इस प्रकार है

1.26 जनवरी 1950 को राजनीतिक जीवन में समता का युग प्रारम्भ हो गया है किंतु यह तभी सफल होगा जब सभी प्रकार के सामाजिक भेद-भाव का अन्त हो जायेगा।

2. लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा की भावना का अन्त होना चाहिए।

3. संवैधानिक साधनों के प्रति आम नागरिकों में आस्था होनी चाहिए।

4. द्विदलीय व्यवस्था होने के साथ विपक्ष सशक्त होना चाहिए।

5. प्रशासनिक तंत्र निष्पक्ष एवं निरपेक्ष होना चाहिए।

10.10 राज्य संबंधी विचार

अम्बेडकर के विचारों में उदारवाद एवं समाजवाद दोनों के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि अम्बेडकर एक ऐसा राज्य चाहते हैं जो व्यक्ति के स्वतंत्रता एवं गरिमा का सम्मान करते हुए लोककल्याण के मार्ग को प्रशस्त करे। समाजवादी विचारों से व्यक्ति को साध्य मानते हैं, इसलिए वे व्यक्ति की स्वतंत्रता को संकट में डालकर लोककल्याण नहीं चाहते हैं। वे कुल मिलाकर उदारवादियों की तरह राज्य के सकारात्मक भूमिका को स्वीकारते हैं किंतु व्यक्ति स्वातन्त्र्य का क्षरण न हो। लोक कल्याणकारी राज्य में ही सर्वांगीण विकास एवं समस्त नागरिकों की प्रगति संभव है

अम्बेडकर चाहते थे कि राज्य का संचालन 'नियंत्रण एवं संतुलन' सिद्धान्त पर आधारित संसदीय प्रणाली के माध्यम से हो। ताकि शासन के तीन अंग संयमित एवं मर्यादित रहें। वे अल्पसंख्यकों के

अधिकारों पर बहुमत के अतिक्रमण होने की संभावना के प्रति सचेत करते थे। अम्बेडकर मिल की भाँति स्वतंत्रता के परम उपासक थे। इसलिए वे एक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना हेतु वयस्क मताधिकार की वकालत करते थे। वे मताधिकार हेतु आयु के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिबंध के हिमायती न थे।

10.11 सारांश

डॉ० अम्बेडकर अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर अन्त तक सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे हैं। वे मानवाधिकार के उल्लंघन से बहुत ही चिंतित रहते थे। उनका मत था कि हिन्दू धर्म में कतिपय विकृतियाँ समावेशित हो गयी हैं उसकी शल्य क्रिया होनी आवश्यक है। वे मनुवादी व्यवस्था के कटु आलोचक थे किंतु हिन्दू धर्म छोड़कर इस्लाम को भी स्वीकारने हेतु तैयार नहीं हुये। वे दलित प्रेम को ही राष्ट्रीय प्रेम मानते थे। अम्बेडकर में उदारवाद एवं समाजवाद का पूर्ण समन्वय था इसीलिए संसदीय लोकतंत्र का सदा पक्ष पोषण करते थे। उनका मानना था कि राज्य का स्वरूप कभी भी अधिनायकवादी नहीं होना चाहिए। राज्य को सदा सकारात्मक कार्यों से जुड़ा होना चाहिए। कुल मिलाकर अम्बेडकर दलितों एवं अछूतों के लिए जीवन भर संघर्ष किया तथा भारत के संविधान में समाज के सभी वर्गों को समन्वित करने का जो प्रयास किया वह उन्हें 'आधुनिक मनु' के रूप में स्थापित करती है।

10.12 संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1.. भीमराव अम्बेडकर - सुनीता जोगी
2. भारतीय राजनीतिक चिंतन - अरुण कुमार
3. भारत में सामाजिक व राजनीतिक चिंतन - अवस्थी एवं अवस्था ।

10.13 निबंधात्मक प्रश्न

1. डॉ० भीमराव अम्बेडकर द्वारा अछूतों एवं दलितों के संदर्भ में किये गये प्रयासों का वर्णन करिये
2. डॉ० भीमराव अम्बेडकर का लोकतंत्र पर क्या विचार है? विश्लेषण करिये।
3. डॉ० भीमराव अम्बेडकर सामाजिक न्याय के पैगम्बर थे-व्याख्या करिये।

इकाई 11 : एम.एन.राय

इकाई की संरचना

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 उद्देश्य
- 11.3 जीवन परिचय
- 11.4 एम.एन.राय की रचनाएँ
- 11.5 राय और मार्क्सवाद
- 11.6 मार्क्सवादी सिद्धान्त से असहमति
- 11.7 राय का नव मानवतावाद
- 11.8 राय के लोकतन्त्र सम्बन्धी विचार
- 11.9 सारांश
- 11.10 शब्दावली
- 11.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 11.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 11.13 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 11.14 निबंधात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

भारत में मानवतावादी चिंतन को जिन विचारकों ने पल्लवित-पुष्पित कर गति प्रदान की, उनमें मानवेन्द्र नाथ राय का नाम बड़ा ही आदर से लिया जाता है। मानवेन्द्र नाथ राय आधुनिक भारत के अत्यंत प्रतिभाशाली राजनीतिक विचारक और क्रांतिकारी थे। उनका आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में विशिष्ट स्थान है। वे किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं रहे तथा उन्होंने विचारों की भौतिकवादी आधार भूमि और मानव के अस्तित्व के नैतिक प्रयोजनों के मध्य समन्वय करना आवश्यक समझा। जहाँ उन्होंने एक ओर पूँजीवादी व्यवस्था की कटु आलोचना की, वहीं मार्क्सवाद की आलोचना में भी पीछे नहीं रहे। राय के अनुसार विश्व की प्रचलित आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियाँ मानव के समग्र कल्याण को सुनिश्चित नहीं करतीं। पूँजीवाद, मार्क्सवाद, गाँधीवाद तथा अन्य विचारधाराओं में उन्होंने ऐसे तत्वों को ढूँढ निकाला जो किसी न किसी रूप में मानव की सत्ता, स्वतंत्रता, तथा स्वायत्तता पर प्रतिबन्ध लगाते हैं।

राय ने अपने नवीन मानववादी दर्शन से मानव को स्वयं अपना केन्द्र बताकर मानव की स्वतंत्रता एवं उसके व्यक्तित्व की गरिमा का प्रबल समर्थन किया है। वस्तुतः बीसवीं सदी में फासीवादी तथा साम्यवादी समग्रतावादी राज्य-व्यवस्थाओं ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं व्यक्तित्व का दमन किया और उदारवादी लोकतन्त्र में मानव-कल्याण के नाम पर निरन्तर बढ़ती केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति से सावधान किया। राय ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता एवं व्यक्तित्व की गरिमा के पक्ष में जो उग्र बौद्धिक विचार दिये हैं, उनका आधुनिक युग के लिए विशिष्ट महत्व है। जहाँ एक ओर उन्होंने एशिया और भारत को साम्यवाद का सन्देश उन्होंने दिया वहीं सर्वप्रथम उन्होंने साम्यवाद की भर्त्सना कर सारे विश्व को मानवतावाद का सन्देश भी दिया। राय के दर्शन में भौतिकवाद, निरीश्वरवाद, व्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतन्त्र, अंतर्राष्ट्रीयता और मानवतावाद का विशेष महत्व है।

11.2 उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य पाठकों को भारतीय राजनीतिक विचारक मानवेन्द्र नाथ राय के राजनीतिक विचारों से परिचय कराना है। मानवेन्द्र नाथ राय ने जीवन का प्रारंभ एक मार्क्सवादी विचारक के रूप में किया लेकिन कुछ समय बाद मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति अलगाव की भावना आ गयी और उसमें व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देते हुए नव मानवतावादी दर्शन प्रस्तुत किया। इस अध्याय में मानवेन्द्र नाथ राय के मार्क्सवाद, मार्क्सवादी सिद्धान्त से असहमति, नव मानवतावाद एवं लोकतन्त्र से सम्बंधित विचार पर चर्चा से भी पाठकों का ज्ञानवर्धन होगा।

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपको

i. मानवेन्द्र नाथ राय के राजनीतिक चिंतन के मूल तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा।

- ii. साथ ही आप मानवेन्द्र नाथ राय के मार्क्सवाद एवं मार्क्सवाद से असहमति सम्बन्धी विचारों के बारे में जान सकेंगे।
- iii. आप नवीन मानवतावाद के सम्बन्ध के बारे में जान सकेंगे तथा
- iv. मानवेन्द्र नाथ राय के लोकतन्त्र से सम्बंधित विचारों से भी आप अवगत होंगे।

11.3 जीवन परिचय

भारत के आधुनिक राजनीतिक चिन्तन के इतिहास में मानवेन्द्र नाथ राय का अग्रणी स्थान है। मानवेन्द्र नाथ राय वर्तमान शताब्दी के भारतीय दार्शनिकों में क्रान्तिकारी विचारक तथा मानवतावाद के प्रबल समर्थक हैं।

मानवेन्द्र नाथ राय का जन्म 21 मार्च, 1887 को पश्चिम बंगाल के एक छोटे-से गांव में हुआ था। उनका परिवार काफी धर्मपरायण और पिता धर्मप्रचार के द्वारा जीविकोपार्जन करते थे। राय के बचपन का नाम नरेन्द्र नाथ भट्टाचार्य था, जिसे बाद में बदलकर उन्होंने 'मानवेन्द्र नाथ राय' कर लिया और इसी नाम से उन्होंने दर्शन तथा राजनीति के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। यद्यपि उनका पालन पोषण धर्मपरायण परिवार में हुआ था, फिर भी बाल्यकाल से ही धर्म में उनकी आस्था नहीं थी।

मानवेन्द्रनाथ राय मेक्सिको और भारत दोनों के ही कम्युनिस्ट पार्टियों के संस्थापक थे। राय ने शिक्षण के आरम्भिक काल में ही क्रान्तिकारी आन्दोलन में रुचि लेने लगे थे। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के पहले ही मानवेन्द्रनाथ राय क्रान्तिकारी आन्दोलन में कूद पड़े थे। पुलिस उनकी तलाश कर ही रही थी कि वो दक्षिणी पूर्वी एशिया की ओर निकल गये और जावा सुमात्रा होते हुए अमेरिका पहुँच गये और वहाँ आतंकवादी गतिविधि का त्याग कर मार्क्सवादी विचारधारा के समर्थक बन गये। मेक्सिको की क्रान्ति में उन्होंने योगदान किया, जिससे उनकी प्रसिद्धि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गयी। उनके कार्यों से प्रभावित होकर थर्ड इंटरनेशनल में उन्हें आमंत्रित किया गया था और उन्हें उसके अध्यक्ष मंडल में स्थान दिया गया। 1921 में वे मास्को के प्राच्य विश्वविद्यालय के अध्यक्ष नियुक्त किये गये। 1922 से 1928 के बीच उन्होंने कई पत्रों का सम्पादन किया, जिसमें वानगार्ड और मासेज मुख्य थे। सन 1927 ई. में चीनी क्रान्ति के समय राय को वहाँ भेजा गया किन्तु इनके स्वतंत्र विचारों से वहाँ के नेता सहमत न हो सके और मतभेद उत्पन्न हो गया। रूसी नेता इस पर इनसे क्रुद्ध हो गये और स्टालिन के राजनीतिक कोप का इनको शिकार बनना पड़ा। विदेशों में इनकी हत्या का कुचक्र चला तथा जर्मनी में इनको विष देने की चेष्टा की गयी पर सौभाग्य से ये बच गये। इधर देश में मानवेन्द्र राय की क्रान्तिकारी गतिविधि के कारण उनकी अनुपस्थिति में कानपुर षड्यंत्र का मुकदमा चल गया। ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर इनपर कड़ी नजर रखे हुए थे फिर भी 1930 में आप गुप्त रूप से भारत लौटने में सफल हो गये तथा मुम्बई आकर डॉक्टर महमूद के नाम से राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने

लगे। 1931 में ये गिरफ्तार कर लिए गये। 20 नवम्बर 1936 को जेल से रिहा होने के बाद कांग्रेस की नीतियों से उनका मतभेद हो गया था। उन्होंने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी। सक्रिय राजनीति से अवकाश ग्रहण कर ये जीवन के अंतिम दिनों में देहरादून रहने लगे और यहाँ 26 जनवरी 1954 को उनका निधन हो गया।

11.4 एम.एन.राय की रचनाएँ

राय प्रतिभाशाली विद्वान और लेखनी के अपूर्व धनी व्यक्ति थे। उनके कुल ग्रन्थों की संख्या लगभग 110 है। राय के दार्शनिक विचारों का प्रमुख संग्रह 'Philosophical Consequences of Modern Science' नामक ग्रन्थ है। यह 9 खंडों में लिखा हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएँ निम्नलिखित हैं:

- (1) रीज़न, रोमाण्टिसिज़्म एण्ड रिवोल्यूशन
- (2) वन ईयर ऑफ नॉन-कोऑपरेशन
- (3) दी रिवोल्यूशन एण्ड काउण्टर रिवोल्यूशन इन चाइना
- (4) इण्डियन इन ट्रांजीशन
- (5) दी वे टू ड्यूरेबिल पीस
- (6) न्यू ह्यूमेनिज़्म एण्ड पॉलिटिक्स
- (7) पॉलिटिक्स, पावर एण्ड पार्टीज़
- (8) दी प्रिंसिपल्स ऑफ रेडिकल डेमोक्रेसी
- (9) कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ फ्री इण्डिया
- (10) रेडिकल ह्यूमेनिज़्म
- (11) अवर डिफरेंसेज़
- (12) इंडियन प्रॉबलम्स एण्ड देयर सोल्यूशन्स
- (13) दी फ्यूचर ऑफ इण्डियन पॉलिटिक्स
- (14) हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम
- (15) फासिज़्म : इट्स फिलॉसफी, प्रोफेशनल्स एण्ड प्रैक्टिस
- (16) मैटिरियलिज़्म
- (17) न्यू ओरियन्टेशन
- (18) बियोन्ड कम्यूनिज़्म टू ह्यूमेनिज़्म
- (19) साइन्स एण्ड फिलॉसफी
- (20) ट्वेण्टि टू थीसिस

11.5 राय और मार्क्सवाद

साम्यवादी देशों के मार्क्सवाद पर आधारित शासन प्रणाली को मानवेन्द्र नाथ राय समाज के लिए उपादेय नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें व्यक्ति राज्य की प्रगति का साधन मात्र माना जाता है और इस प्रकार उनकी महत्ता एवं स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं किया जाता है। साम्यवादियों के विपरीत राय के सामाजिक तथा राजनीतिक दर्शन का केन्द्र व्यक्ति है, जिसकी स्वतंत्रता के लिए वे सदैव उन अधिनायकवादी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे जो मनुष्य को उस की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करती है। उनका विचार है कि स्वतंत्रता चाहने वाले सभी व्यक्तियों को इन शक्तियों के विरुद्ध संगठित रूप से निरन्तर संघर्ष करना होगा, अन्यथा व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती। परन्तु राय व्यक्ति की स्वतंत्रता को असीमित न मानकर सामाजिक हित द्वारा मर्यादित ही मानते हैं। समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के साथ-साथ दूसरों की स्वतंत्रता का भी सम्मान करना होगा, अतः किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से व्यवहार करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। ऐसी असीमित स्वतंत्रता वास्तव में व्यक्ति की स्वतंत्रता का निषेध करती है।

राय ने अपनी आरंभिक कृति 'India in Transition -1922' के अंतर्गत मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भारत की तत्कालीन स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया। राय ने तर्क दिया कि ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ते हुए जन-आक्रोश के खतरे से चौक गई है। उसने रोकने के उद्देश्य से वह भारत के बुर्जुवा वर्ग को कुछ रियायतें देकर उसका समर्थन प्राप्त करना चाहती है। उधर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने उद्योगों के साथ-साथ कृषि-उत्पादन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। परिणाम यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में भारत के कृषक वर्ग को विदेशी और भारतीय दोनों तरह की पूंजी की दोहरी मार सहनी पड़ रही है।

भारतीय इतिहास का जो क्षण मशीनी उत्पादन युग के आरंभ के लिए उपयुक्त था, तब यहाँ ब्रिटिश आक्रमण हो गया जिससे औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बहुत धक्का लगा। इसी से यही शहरी सर्वहारा के विकास में देर लगी। अब यही पूंजीवाद के विकास के परिणामस्वरूप वर्ग संघर्ष को बल मिला है, और यह संघर्ष राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संघर्ष के साथ-साथ चल रहा है। राय ने यह मत व्यक्त किया कि भारत का भविष्य बड़े-बड़े उद्योगों के भविष्य पर निर्भर है। औद्योगिक उन्नति से कामगार वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। अतः भारत को स्वतंत्र कराने का दायित्व मजदूर और किसान वर्ग मिलकर संभालेंगे जो वर्ग संघर्ष के प्रति सजग हो जाने के कारण संगठित हो जाएंगे। एम.एन.राय ने मार्क्स तथा अन्य समाजवादी लेखकों की रचनाओं का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने बहुत शीघ्र ही मार्क्स के द्वन्द्वत्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष के सिद्धान्त पर अधिकार जमा लिया और वे मार्क्स के दर्शन से प्रभावित थे। उन्होंने मैक्सिको में साम्यवादी दल की स्थापना की और 'साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय' के संस्थापक

सदस्य के रूप में अपने दृढ़ मार्क्सवादी होने का परिचय दिया। उन्होंने भारत में साम्यवादी आन्दोलन के आगे बढ़ाने का भी कार्य किया।

मार्क्स ने द्वन्दवादी भौतिकवाद का प्रतिपादन किया था जिसमें मानवेन्द्र नाथ की गहरी आस्था थी। अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद से अलग होने के बाद भी भौतिकवाद में उनकी आस्था बनी रही। राय मार्क्स की वैज्ञानिक पद्धति से बहुत प्रभावित थे। राय का मत था कि सर्वाधिक अनुकरणीय और प्रशंसनीय बात वैज्ञानिक पद्धति की है। मार्क्स ने कमजोर दलित एवं श्रमिकों के प्रति गहरी सहानुभूति का भाव रखते हुए इस बात की निन्दा की कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करो। मार्क्स का लक्ष्य शोषण की इस स्थिति को समाप्त कर एक समतावादी समाज की स्थापना करना था। राय मार्क्स के चिन्तन को इस मानवीय तथा उदारवादी प्रवृत्ति और उसके सम्पूर्ण चिन्तन के मूल लक्ष्य के प्रति भारी आस्था रखते थे। राय ने मार्क्स के सिद्धान्त के उस अंश को स्वीकार किया जो चिन्तन तथा कर्म की एकता पर बल देता है। कोई भी कार्य तभी सफल हो सकता है जबकि सोच-समझकर कर निश्चित की गई एक योजना के अनुरूप हो और विद्यमान वस्तु स्थिति पर आधारित हो।

दूसरे विश्व युद्ध (1939-45) के दिनों में राय ने अपने फासिस्ट-विरोधी दृष्टिकोण के कारण ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया। इसके बाद उनका झुकाव मार्क्सवाद से हटकर एक तरह के उदारवाद की ओर हो गया। अपने नए चिन्तन को उन्होंने 'नव-मानववाद' के रूप में विकसित किया।

11.6 मार्क्सवादी सिद्धान्त से असहमति

मानवेन्द्र नाथ राय मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि उनके विचार में इस स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति वास्तव में सुखी नहीं हो सकता। उनके राजनीतिक दर्शन का मूल आधार मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता से उनका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के कार्यों तथा विचार तथा अभिव्यक्ति पर राज्य एवं समाज द्वारा अनुचित तथा अनावश्यक प्रतिबंध न लगाये जाएं और समाज को उन्नति का साधन मात्र न मानकर उसके विशेष महत्व को स्वीकार किया जाये। इस सम्बन्ध में राय का मार्क्सवादियों से तीव्र मतभेद है, क्योंकि मार्क्सवाद में मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान नहीं है। अपनी युवावस्था में वे मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित हुए थे, किन्तु बाद में उनके विचारों में परिवर्तन हुआ और वे इस विचारधारा को एकांगी तथा दोषपूर्ण मानने लगे।

राय मार्क्स के चिन्तन में गहरी आस्था रखते थे। मार्क्स के सम्पूर्ण चिन्तन को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इसलिए मार्क्सवादियों के साथ उनके वैचारिक मतभेद शीघ्र ही शुरू हो गये। राय ने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाने, मार्क्स की विचारधारा को लचीला बनाने और इस विचारधारा को सजीव एवं गतिशील दर्शन बनाने पर बल दिया। इन्हीं मतभेदों के चलते 1928 में राय का

‘साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय’ से निष्कासित कर दिया। राय ने मार्क्सवाद चिन्तन पर जो असहमति व्यक्त की है, वह इस प्रकार है।

राय मार्क्स के द्वन्द्ववाद से कभी भी सहमत नहीं हो पाये। राय का मत था कि द्वन्द्ववाद एक वैचारिक प्रक्रिया है। इससे भौतिक जीवन के विभिन्न चरणों और भौतिक स्थिति की व्याख्या नहीं की जा सकती। राय मार्क्स की इस बात से सहमत नहीं हैं कि व्यक्ति की नियति का निर्धारण मात्र आर्थिक कारकों से होता है। उनके अनुसार सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को मानवीय जीवन का मूल तत्व माना है। उनके अनुसार हमेशा से ही समाज में दो प्रतिद्वन्द्वी वर्ग चले आ रहे हैं, जिनके बीच नियमित संघर्ष चलता रहता है लेकिन राय का मत है कि समाज के वर्गों में संघर्ष रहता तो समाज का अस्तित्व कभी का समाप्त हो जाता। समाज तो आपसी, सामाजिक एकता बनाने में सहायक है। कार्ल मार्क्स मध्यम वर्ग को एक ऐसे अवसरवादी वर्ग के रूप में मानते हैं जो मौका मिलने पर पूँजीपतियों का साथ देता है। अतः समाजवादी व्यवस्था में मध्यम वर्ग का अन्त हो जाएगा। लेकिन मार्क्स की भविष्यवाणी गलत साबित हुई है इसके विपरीत मध्यम वर्ग एक शक्ति के रूप में उभरा और सामाजिक परिवर्तन में सफल रहा।

मार्क्स ने पूँजीवादी व्यवस्था के अन्त के बाद सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की स्थापना का प्रतिपादन किया। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के नाम पर राज्य की तानाशाही स्थापित होगी। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है। राय व्यक्ति की स्वतंत्रता की दृष्टि से मार्क्सवाद पर आधारित इस सर्वाधिकारवाद का विरोध और उदारवाद का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही, मानव एक स्वतंत्रता प्रिय, कल्पनाशील और रचनात्मक प्रवृत्ति का प्राणी है, मार्क्सवादी दर्शन में इन पर कोई ध्यान न देकर मानव को साधन मात्र बना दिया है। मानव का विकास नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता से ही सम्भव है। मार्क्सवादी दर्शन में व्यक्ति को इस स्वतंत्रता से वंचित कर समष्टि की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर दिया गया है। मार्क्स ने अपने संपूर्ण चिन्तन में नैतिकता को महत्व न देकर भौतिक तत्वों को महत्व दिया है। राय की दृष्टि में मार्क्स का सबसे बड़ा दोष है। और भी, मार्क्सवाद हिंसा और बल प्रयोग की प्रवृत्ति में विश्वास करता है और क्रांति एवं संघर्ष के माध्यम से व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। राय भी सामाजिक परिवर्तन के पक्षधर है, लेकिन राय शांतिपूर्ण तरीकों से परिवर्तन लाने में विश्वास करते हैं।

यद्यपि राय ने मार्क्सवाद के कुछ सिद्धान्तों में विश्वास किया लेकिन अपने जीवन काल के अंतिम वर्षों में उनके मन में मार्क्सवाद के प्रति असहमति बनी और मार्क्सवाद का पूर्णतया परित्याग कर एक नवीन विचारधारा मौलिक मानवतावाद के साथ जुड़ गए।

11.7 राय का नव मानवतावाद

मानवेन्द्र नाथ राय आधुनिक भारत के अत्यंत प्रतिभाशाली राजनीति-विचारक और क्रांतिकारी थे। उनका संबंध भारतीय साम्यवादियों की पहली पीढ़ी से था। रूस में बोल्शेविक क्रांति (1917) के बाद वे वहीं चले गए, और लेनिन (1870-1924) के निकट सहयोगी रहे। फिर, 1930 में भारत लौटकर उन्होंने यहां की स्थिति का विश्लेषण किया। आगे चलकर उन्होंने एक नए सिद्धांत नव-मानववाद का प्रतिपादन किया जो उनकी ख्याति का मुख्य आधार है। फिर, 1930 में भारत लौटकर उन्होंने यहां की स्थिति का विश्लेषण किया। आगे चलकर उन्होंने एक नए सिद्धांत नव-मानववाद का प्रतिपादन किया जो उनकी ख्याति का मुख्य आधार है।

राय ने नव-मानववाद की संकल्पना अपनी अनेक कृतियों के अंतर्गत प्रस्तुत की। इनमें 'New Humanism: A Manifesto – 1947', 'Reason, Romanticism and Revolution', 'The Problem of Freedom', 'Scientific Politics' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस नव-मानववाद को 'उत्कट मानववाद' या 'आमूलपरिवर्तनवादी मानववाद' तथा 'वैज्ञानिक मानववाद' की संज्ञा भी दी गई है। इसका मूल स्वर 'मनुष्य की स्वतंत्रता' है जो उसकी सृजनात्मक शक्तियों के प्रयोग में निहित है। अज्ञान की स्थिति में मनुष्य अंधविश्वासों में फँस जाता है और अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हुए अपने-आपको विवश अनुभव करता है जिससे उसकी सृजनात्मक शक्तियाँ कुंठित हो जाती हैं। ज्ञान और विज्ञान मनुष्य को इन निराधार विश्वासों से मुक्ति प्रदान करते हैं।

राय ने तर्क दिया कि आधुनिक युग में विज्ञान की उन्नति ने मनुष्य को अंधविश्वासों और भूत-प्रेतों के भय से मुक्त कर दिया है। इसने सिद्ध कर दिया है कि सृष्टि की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जिसे मनुष्य अपने ज्ञान और सूझबूझ के बल पर अपने वश में नहीं कर सकता। अतः मनुष्य स्वयं अपनी नियति का नियंता है। किसी युग में मनुष्य अपनी नियति को कैसे नियत करेगा- यह ज्ञान-विज्ञान की उन्नति पर निर्भर है। ज्ञान-विज्ञान की उन्नति की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मनुष्य के भविष्य की कोई निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की जा सकती।

अतः नव-मानववाद स्वतंत्रता के प्रयोग की अनंत संभावनाओं में आस्था रखते हुए उसे किसी ऐसी विचारधारा के साथ नहीं बांधना चाहता जो किसी पूर्वनिर्धारित लक्ष्य की सिद्धि को ही उसके जीवन का ध्येय मानती हो। दार्शनिक आमूल परिवर्तनवादियों ने अपनी समकालीन सामाजिक-आर्थिक स्थिति के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर नैतिक समस्याओं के बारे में व्यक्तिवादी सिद्धांत विकसित किया था। मार्क्स ने उनके दृष्टिकोण को बुर्जुवा मनोवृत्ति मानते हुए इसका खंडन किया था- यह उसकी भूल थी। आधुनिक सभ्यता जिस व्यापक नैतिक और सांस्कृतिक संकट से गुजर रही है, उसके निवारण के लिए मानववादी मूल्यों का पुनरुत्थान जरूरी है। आज के युग की मूल समस्या सर्वाधिकारवाद से मानव-स्वतंत्रता की रक्षा करना है।

‘पूँजी बनाम श्रम’ की आर्थिक समस्या आज का मुख्य मुद्दा नहीं है हालांकि इसका समाधान भी जरूरी है।

राय ने भौतिकवाद के साथ-साथ मानव-विकास के सिद्धांत में विश्वास करते हुए यह तर्क दिया कि स्वयं ‘मनुष्य का अस्तित्व भौतिक सृष्टि के विकास का परिणाम है। भौतिक सृष्टि अपने-आपमें निश्चित नियमों से बँधी है, इसलिए उसमें सुसंगति पाई जाती है। मनुष्य के अस्तित्व में यह सुसंगति तर्कशक्ति या विवेक के रूप में सार्थक’ होती है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य का विवेक भौतिक जगत में व्याप्त सुसंगति की ही प्रतिध्वनि है, यह मनुष्य के जीव-वैज्ञानिक विकास की परिणति है। अपने विवेक से प्रेरित होकर मनुष्य जिन सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं, उनमें भी वे ऐसी सुसंगति लाने का प्रयत्न करते हैं जो नैतिकता के रूप में व्यक्त होती है। जब मनुष्यों के सामाजिक संबंध नियमित तौर तरीकों में बँधकर एक स्थिर ढाँचे का रूप धारण कर लेते हैं, तब समाज का जन्म होता है। व्यक्ति का जीवन केवल तर्कसम्मत आत्माभिव्यक्ति है; उसका आदि-अंत स्वतन्त्रता है; सामाजिक संबंध इसके साधन मात्र है। व्यक्ति आत्मसिद्धि के लिए ही समाज को अपनाता है।

आदर्शवादी नैतिकता को तर्कबुद्धि से ऊँचा मानते हैं, और समाज को व्यक्ति से ऊँचा स्थान देते हैं। राय ने इस दृष्टिकोण का खंडन करते हुए यह तर्क दिया कि मनुष्य ही अपनी तर्कबुद्धि से समाज और नैतिकता के स्वरूप को निर्धारित करता है। अतः उसका स्थान सबसे पहले और सबसे ऊँचा है। मनुष्य स्वयं अपने जीवन और जगत का निर्माता है। कोई सामाजिक दायित्व या नैतिक सिद्धांत मनुष्य को स्वतंत्रता में कटौती नहीं कर सकता। राय का नव-मानववाद मनुष्य को संपूर्ण सृष्टि का मानदंड स्वीकार करता है।

राय के अनुसार, मनुष्य का बौद्धिक पुनर्जागरण राजनीतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण की जरूरी शर्त है। स्वतंत्रता की क्षमता स्वयं मनुष्य में निहित है। यदि मनुष्य अपनी सृजनात्मक शक्तियों के प्रति सजग हो जाए तो वह परंपरागत धार्मिक सत्ता और अलौकिकवाद के बंधनों को काटकर आध्यात्मिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्र मनुष्य ही स्वतंत्र समाज का निर्माण कर सकते हैं। राय ने तर्क दिया कि राजनीतिक चिंतन की प्रत्येक प्रचलित परंपरा-चाहे वह उदारवादी हो, रूढ़िवादी हो, या समाजवादी; कम्युनिस्ट हो या फासिस्ट-मनुष्य के अस्तित्व को जनपुंज में विलीन कर देती है, और इस तरह वह किसी विशेष राजनीतिक प्रणाली के वर्चस्व को स्थापित करके मनुष्य को नगण्य बना देती है।

नव-मानववाद ऐसी प्रत्येक परंपरा का खंडन करता है। यह राष्ट्रवाद की जगह विश्व-भ्रातृत्व को मान्यता देता है जिसमें मनुष्य सहज-स्वाभाविक सहयोग और साहचर्य की भावना से प्रेरित होंगे। नव-मानववाद मार्क्सवाद के आर्थिक नियतिवाद का खंडन करता है और मानव-इच्छा को ही सामाजिक विकास की प्रेरक-शक्ति मानता है। इसके अनुसार, क्रांति का ध्येय समाज का आर्थिक पुनर्गठन मात्र नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के नए जगत का निर्माण

करना चाहिए। राय मनुष्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीयतावाद के भी प्रबल समर्थक हैं। उनका विचार है कि वर्तमान युग में मानव समाज के समक्ष सबसे बड़ी समस्या विभिन्न राष्ट्रों के नागरिकों में संकुचित राष्ट्रीयता की तीव्र भावना है, जो उन्हें सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सोचने तथा प्रयास करने से रोकती है। प्रत्येक देश के नेता दूसरे देशों के हित की चिंता किये बिना केवल अपने देश की प्रगति के लिए ही प्रयत्न करते हैं। फलतः मानव समाज भिन्न-भिन्न टुकड़ों में विभक्त हो गया है, जो प्रायः एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। आज विश्व में जो संघर्ष, निर्धनता, बेरोजगारी तथा पारस्परिक अविश्वास है, उसका मुख्य कारण यह संकुचित राष्ट्रीयता की भावना ही है। राय का मत है कि जब तक मानव जाति इस संकुचित राष्ट्रवाद से मुक्त नहीं होती तब तक इन समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है। विश्व में एकता और शांति तभी स्थापित हो सकती है। जब हम केवल अपने देश के हित की दृष्टि से नहीं बल्कि सम्पूर्ण मानव जाति के कल्याण की दृष्टि से सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार करें। राय यह मानते हैं कि वर्तमान वैज्ञानिक युग में संकुचित, राष्ट्रवाद के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसके अनुसार आचरण करना अंततः मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। यही कारण है कि मानव समाज में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास को विशेष महत्व देते हैं।

राय ने अपने मानवतावादी दर्शन को 'नव मानवतावाद' अथवा 'वैज्ञानिक मानवतावाद' की संज्ञा दी है, क्योंकि वह मनुष्य के स्वरूप तथा विकास के सम्बन्ध में विज्ञान द्वारा उपलब्ध नवीन ज्ञान पर आधारित है। राय के इस विज्ञानसम्मत नव मानवतावाद में ईश्वर अथवा किसी अन्य दैवी शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। मनुष्य के लिए यह समझ लेना बहुत आवश्यक है कि वह स्वयं ही अपने सुख-दुःख के लिए उत्तरदायी है और वही अपने भाग्य का निर्माता है, इसमें कोई दैवी शक्ति उसकी सहायता नहीं कर सकती। इस संसार में मनुष्य के जीवन की कहानी उसके शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है, अतः मोक्ष की परम्परागत अवधारणा मिथ्या एवं भ्रामक है। राय के मत के अनुसार हमें कल्पित पारलौकिक जीवन की चिंता किये बिना इसी संसार में मनुष्य की वर्तमान समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक ढंग से प्रयास करना चाहिए। अंततः इसी में सम्पूर्ण मानव जाति का कल्याण निहित है और मनुष्य के लिए यह व्यावहारिक मानवतावादी दर्शन ही वास्तव में सार्थक हो सकता है।

नव मानवतावाद या मौलिक मानववाद राय के संपूर्ण चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके माध्यम से राय ने व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और नैतिक उत्थान पर बल दिया है। साम्यवादी अन्तर्राष्ट्रीय से निष्कासित होने के बाद राय मार्क्सवाद से हटने लगे और भारतीय राजनीति में प्रवेश लेने के पश्चात उन्होंने पाया कि जब तक भारत में सांस्कृतिक एवं बौद्धिक क्रांति नहीं आएगी, तब तक भारतीय मौलिक साम्यवाद के सिद्धान्त को नहीं समझ सकेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी समस्त शक्ति बौद्धिक पुनर्जागरण में लगा दी। जिसका उद्देश्य नव मानवतावाद

का मार्ग प्रशस्त करना था। नव मानवतावाद का प्रतिपादन राय ने अपने ग्रन्थ नव मानववाद में किया।

राय ने लिखा है कि मनुष्य स्वभाव से विवेकपूर्ण और नैतिक है, अतः उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में स्वतंत्र है, पर चूंकि समकालीन विश्व का नैतिक और चिन्तन का स्तर गिर चुका है तथा सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो चुका है। अतः एक स्वस्थ, उन्मुक्त और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के लिए हमें कठोर प्रयत्न करने होंगे।

राय के अनुसार स्वतंत्रता मनुष्य स्वभाव का मुख्य गुण है। नव मानवतावाद व्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्ति का आन्दोलन है। स्वतंत्रता ही व्यक्ति के अस्तित्व का सार है। स्वतंत्रता के बिना न केवल व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास अवरूद्ध होता है, अपितु राज्य एवं समाज का विकास अवरूद्ध हो जाता है। इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए मनुष्य प्रयास करता रहता है। ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति ही न्यायप्रिय समाज को मुख्य आधार प्रदान करता है। राय ने आर्थिक स्वतंत्रता की तुलना में बौद्धिक स्वतंत्रता का सर्वोपरि माना है किन्तु स्वतंत्रता का अर्थ नियन्त्रण का अभाव नहीं है। राय के अनुसार स्वतन्त्रता व्यक्ति में चेतना जागृत करती है। जिसके कारण व्यक्ति अपने अधिकारों व हितों के प्रति सजग होता है।

राय के अनुसार मनुष्य स्वभाव से विवेकपूर्ण होता है। बुद्धि व्यक्ति का मौलिक व विशिष्ट तत्व है। राय व्यक्ति की बौद्धिक शक्ति में पूर्ण विश्वास करता है। ब्राइस थिसिस में राय ने कहा कि व्यक्ति की विवेकशीलता एक सहज गुण है। अन्धविश्वास प्राकृत धर्म के प्रति सुझाव विवेकहीनता का द्योतक है। जैसे-जैसे व्यक्ति ने ज्ञान के आधार पर नवीन आविष्कार किये, वैसे-वैसे अन्धविश्वास के प्रति, उसकी धारण कम होती है।

राय राष्ट्रवाद को एक संकीर्ण विचारधारा मानता है। वे विश्व बन्धुत्व को महत्ता प्रदान करते हुए कहते हैं कि इससे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास सम्भव हो सकेगा। वह राष्ट्रवाद के बन्धन से परे एक सार्वभौम समुदाय की बात करता है। यह स्वतंत्र व्यक्ति का समुदाय है जो समस्त विश्व के व्यक्तियों के साथ जुड़ा हुआ है। आज वास्तव में राष्ट्रवाद की अपेक्षा विश्व बन्धुत्व की आवश्यकता है। राय के अनुसार नैतिकता व्यक्ति का एक स्वाभाविक लक्षण है। यह व्यक्ति में विवेकशीलता का परिणाम है। यदि व्यक्ति नैतिकता विहीन है तो मानववादी दर्शन का कोई मूल्य नहीं रह जाता। नैतिकता और विवेकशीलतापूर्ण व्यक्ति ही सुदृढ़ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कर सकता है। व्यक्ति में अच्छाई के प्रति झुकाव किसी भय के कारण नहीं होना चाहिए अपितु स्वाभाविक रूप से होना चाहिए।

राय ने व्यक्ति को स्वार्थी नहीं माना है। इनका मानना है कि मनुष्य स्वभाव से विकासवान है। उसमें विकास की प्रवृत्ति हमेशा रही है। राय के अनुसार मानव स्वभाव के विवेक, स्वतंत्रता एवं नैतिकता प्रमुख तत्व हैं। जैसे व्यक्ति होंगे वस्तुतः वैसा ही समाज होगा। अर्थात् श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ

समाज का आधार होता है। इसमें व्यक्ति बर्बरता से सभ्यता की आर बढ़ता है और नव मानवतावाद की स्थापना शिक्षित प्रबुद्ध एवं अच्छे स्वभाव वाले व्यक्तियों के माध्यम से ही हो सकती है। राय का मानवतावाद व्यक्ति के आर्थिक पक्ष को भी महत्वपूर्ण मानता है। वह एक ऐसे समाज की रचना करना चाहता है, जिसमें किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं हो और संपूर्ण समाज का आर्थिक विकास हो। सभी व्यक्ति एक-दूसरे का सहयोग करें न कि प्रतिस्पर्धा। राय व्यक्ति को एक आर्थिक इकाई नहीं मानते हैं। उनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हो ताकि समाज में बढ़ती आर्थिक असमानता को समाप्त किया जा सके। सम्भवतः राय में यह विचार मार्क्सवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप आये।

राय के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। मानव जीवन अपने आप में पूर्ण है। व्यक्ति की प्रत्येक वस्तु का मापदण्ड है। राय के अनुसार व्यक्ति समस्त राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं का मूल आधार है। ये संस्थाएँ व्यक्ति को स्वतंत्र बनाए रखने में सहयोग करती हैं। यही एम.एन. राय के नव मानवतावाद के दर्शन का आधार है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं नैतिक संबंध इस तरह से निर्धारित किये जाएं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व मिले।

नव मानवतावाद: एक जीवन दर्शन

राय द्वारा प्रतिपादित नव मानवतावाद का सिद्धान्त केवल दर्शन पद आधारित न होकर व्यक्ति को जीवन जीना सिखाता है क्योंकि इसमें व्यक्ति को केन्द्र बिन्दु मानकर उसकी गरिमा को बचाने पर बल दिया जाता है। राय यह नहीं मानते हैं कि सृष्टि का निर्माण किसी देवी शक्ति से हुआ है। उनका स्पष्ट मत है कि व्यक्ति ही मानव जाति का मूल है। राय ने अपने दर्शन में विवेकशीलता, नैतिकता, वैज्ञानिकता, बौद्धिक शक्ति, स्वतंत्रता, विश्व बन्धुत्व की भावना आदि को प्रमुख स्थान दिया है। राय ने लोगों के प्रेम व विश्वास पर आधारित समुदाय निर्माण की बात कही, जिसमें मानव अपना जीवन सुखमय बना सके। इस प्रकार नव मानवतावाद राय की मुख्य देन है, जिसका मूल आधार स्वतंत्रता, बौद्धिक शक्ति एवं नैतिकता है, जो मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में है।

11.8 राय के लोकतन्त्र सम्बन्धी विचार

भारत के पुनर्निर्माण के लिए कौन-सा मार्ग अपनाया जाए- इस मामले में मार्क्सवाद, गांधीवाद और लोकतंत्र अपनी-अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं। राय ने अपने नव-मानववाद के परिप्रेक्ष्य में इन तीनों की समीक्षा प्रस्तुत की है। उन्होंने तर्क दिया कि मार्क्सवाद केवल आर्थिक प्रेरक और आर्थिक हितों के संघर्ष को मानव-इतिहास की प्रेरक शक्ति मानता है। यह दृष्टिकोण उपयुक्त नहीं है। वस्तुतः मानव-जीवन परस्पर सहयोग का प्रयास है, और सुसंगति या सामंजस्य की तलाश उसकी प्रेरणा-शक्ति है। मार्क्सवाद मनुष्य की गरिमा को उचित मान्यता नहीं देता, इसलिए वह मूल नैतिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाया है। जब सारी मानवता

सवाधिकारवाद के जाल में फँसती जा रही है, तब भी मार्क्सवाद 'पूँजी बनाम श्रम' के विवाद में उलझा है। अतः वह मानव मुक्ति के जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन्मा था, उसे ही इसने विफल कर दिया है।

एम.एन. राय महात्मा गांधी के व्यक्तिगत गुणों और नेतृत्व की क्षमता के प्रशंसक थे, परंतु उन्हें गांधीवाद की मान्यताएं सही नहीं लगीं। उन्होंने तर्क दिया कि गांधीवाद भारत में पुराने अध्यात्मवाद के पुनर्वास का प्रयत्न है जबकि देश उससे बहुत आगे बढ़ चुका है। यह देश को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास है। गांधीवाद को जनसाधारण के सांस्कृतिक पिछड़ेपन के कारण सम्मान मिला है। गांधीजी के नेतृत्व ने अनजाने में जनसाधारण की तर्कसम्मत क्रांति की आग को ठंडा करने की भूमिका निभाई है। इसी के परिणामस्वरूप भारत में एकाधिकार-पूँजीवाद का पंजा फैलता जा रहा है। फिर, आधुनिक लोकतंत्र भी मनुष्य की स्वतंत्रता का साधन नहीं रह गया है।

वैसे लोकतंत्र व्यक्ति को राज्य की नागरिकता प्रदान करता है जिससे ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता देता है परंतु वस्तुतः वह व्यक्ति को राष्ट्र का उपाश्रित बना देता है। इस तरह लोकतंत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता को राष्ट्र-राज्य के क्षेत्रीय विस्तार तक सीमित कर देता है जिसमें उसका अस्तित्व विलीन हो जाता है, चाहे वही एकदलीय प्रणाली प्रचलित हो या बहुदलीय प्रणाली हो। मानवेन्द्र नाथ राय मनुष्य को नैतिक इकाई के रूप में स्वीकार करते हैं और इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि इस नैतिक मनुष्य का विकास स्वतंत्रता के आधार पर ही संभव है, इसके अलावा राय के नव मानवतावाद का लक्ष्य लोकतंत्र में ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह राय ने उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन किया है। लेकिन उनका कहना था कि वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था दूषित है और इससे हमारे मन-मस्तिष्क में लोकतंत्र के प्रति आस्था को आघात पहुँचा है। इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र के स्वरूप में भारी परिवर्तन की आवश्यकता बतायी। उनके द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई, उसे वे संगठित लोकतंत्र का नाम देते हैं। लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु राय द्वारा दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं-

जन समितियों के माध्यम से समस्त कार्यों का सम्पादन

राय ने अनुभव किया कि वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीति सत्ता केन्द्रित हो गई है और इसमें योग्य व्यक्तियों के चुने जाने का कोई गुंजाइश नहीं है। वे जनता के बौद्धिक और नैतिक स्तर को ऊँचा उठाने की आवश्यकता का अनुभव करते हैं और आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था के दोषों का निवारण करने के लिए संगठित लोकतंत्र का आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसका सबसे प्रमुख तत्व है, जन समितियों के माध्यम से समस्त कार्यों का सम्पादन। राजनीतिक दलों के बढ़ते हुए दुष्प्रभावों ने समस्त शासन की विचार शक्ति कुण्ठित कर दी है। 'विधि का शासन' मात्र औपचारिक घोषणा रह गयी है, इसलिए वह स्थानीय व्यक्तियों की जन समितियों के द्वारा वर्तमान प्रजातंत्र को संगठित करना चाहते हैं और राय इन समितियों को अधिकाधिक कार्य

सौपने के पक्ष में है। ये जन समितियाँ विवेकशील व्यक्तियों के सहयोग से स्थानीय, प्रान्तीय और केन्द्र की सामाजिक संस्थाओं की इकाई के रूप में कार्य करेंगी। इन समितियों के कारण राज्य के सर्वशक्तिमान होने का भय समाप्त हो जाएगा। राय इन समितियों में अधिक से अधिक जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, ताकि संगठित लोकतंत्र की स्थापना की जा सके।

विकेन्द्रित सत्ता पर बल

राय वर्तमान समय की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में बढ़ती हुई केन्द्रीकरण की प्रवृत्तिको आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं मानते। उन्होंने वर्तमान लोकतंत्र में केन्द्रीय सत्ता के स्वरूप को मानवीय विकास के मार्ग को भारी बाधा घोषित किया है। समाज के मूलभूत पुनर्गठन की आवश्यकता बतलाते हुए विकेन्द्रीकरण पर बल देते हैं और कहते हैं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण को अपनाने पर राजनीतिक के स्थान पर लोक नीति को प्रतिष्ठा सम्भव हो सकेगी।

दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना पर बल:

राय वर्तमान लोकतंत्र की समस्याओं के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार राजनीतिक दलों को मानते हैं। इनका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया है कि लोकतंत्र 'दलतंत्र' बन कर रह गया है। दलों ने व्यक्ति की प्रेरणा शक्ति और निर्णय शक्ति दोनों को ही कुंठित कर दिया है और व्यक्ति के स्वतंत्र अस्तित्व की कल्पना असम्भव हो गयी है। राजनीतिक दलों का जन हितों की समस्याओं से कोई वास्ता नहीं है। उनका उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना है और इसके लिए वे किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं। इसके अलावा विश्व में जो नैतिक पतन हो रहा है इसके लिए राजनीतिक दल ही जिम्मेदार है। अतः राय के अनुसार- 'यदि हमें लोकतन्त्रवाद की रक्षा करनी है तो उसे 'दल रहित' बनाना होगा अर्थात् एक दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करनी होगी।

मतदाताओं के शिक्षित होने पर बल

'संगठित लोकतंत्र' के प्रतिपादन में राय ने मतदाताओं के शिक्षित होने की अनिवार्यता पर बल दिया है, ताकि वे भाषण कला में निपुण नेताओं के बहकावे में नहीं आ सके। वे नैतिक तथा बौद्धिक दृष्टि ईमानदार तथा पक्षपात रहित लोगों को ही शासन का नेतृत्व सौंपने के पक्षों में थे। उन्होंने प्रारम्भ में कुशल तथा गुणों शासकों के निर्वाचक के स्थान पर मनोनयन का प्रावधान भी प्रस्तुत किया।

अभ्यास प्रश्न

1. नव मानवतावाद का प्रतिपादन किसने किया है ?
2. मानवेन्द्र नाथ राय ने किस दल की स्थापना की थी ?
3. मानवेन्द्र नाथ राय का देहांत कहाँ हुआ ?
4. नव मानवतावाद का मूल आधार क्या है ?
5. मानवेन्द्र नाथ राय ने अपनी किस रचना में नव मार्क्सवाद का प्रतिपादन किया है ?

11.9 सारांश

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मानवेन्द्रनाथ राय के विचार मानवता के कल्याण एवं गरिमा को प्रोत्साहन देने वाले हैं। मार्क्सवादी विचारधारा के विरुद्ध उनका मुख्य कारण इसका व्यावहारिक होना नहीं था। इसलिए उन्होंने मार्क्सवाद के कुछ बुनियादी सिद्धान्तों की आलोचना की। उनका मत था कि हिंसा या क्रांति के माध्यम से किसी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। नवमानवतावादी दृष्टि पूर्णतया स्वतंत्रता, विकास, नैतिकता तथा विश्वबन्धुत्व पर आधारित है, जिसको अपना लेने से समाज अपने निहित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। यद्यपि वे स्वतंत्र लोकतंत्र के समर्थक थे लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में विद्यमान कमजोरियों को देखकर उसमें भी सुधार की आवश्यकता पद बल दिया। उनका मत था कि जब तक शासन में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तब तक लोकतंत्र की सुखद अनुभूति नहीं की जा सकती, साथ ही साथ राय ने लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियों के लिए राजनीतिक दलों को उत्तरदायी माना। इसके लिए उन्होंने दल विहीन प्रजातंत्र के औचित्य पर बल दिया। शिक्षा पर आधारित मताधिकार का समर्थन कर उन्होंने मताधिकार के महत्व को बढ़ाने का प्रयास किया ताकि योग्य एवं प्रतिभाशाली जन-प्रतिनिधित्व का चयन किया जा सके।

एम.एन. राय के अनुसार, व्यक्ति की तर्कशक्ति उसके ज्ञान के विस्तार के साथ जुड़ी है। अतः जहाँ अज्ञान की सीमाएं टूटती हैं, वहाँ वह नई जीवन-पद्धति की तलाश करता है। यही तलाश उसकी स्वतंत्रता को सार्थक करती है। अतः मनुष्य की स्वतंत्रता ज्ञान के विस्तार के साथ-साथ अपनी आकांक्षाओं के विस्तार में निहित है। मार्क्सवाद, गांधीवाद और लोकतंत्र में से कोई भी प्रणाली व्यक्ति को अपनी अनंत स्वतंत्रता की तलाश नहीं करने देती क्योंकि ऐसी प्रत्येक विचारधारा अपनी-अपनी प्रयोजनवादी विश्व-दृष्टि से बंधी है। ऐसी प्रत्येक विचारधारा पहले से उपलब्ध ज्ञान पर आधारित है, और वह मनुष्य के जीवन को किसी-न-किसी पूर्व-निर्धारित लक्ष्य के साथ बाँध देती है। अतः वह ज्ञान के अनंत विस्तार और स्वतंत्रता की अनंत संभावनाओं को मान्यता नहीं देती। राय का नव-मानववाद 'मनुष्य' को संपूर्ण सृष्टि की धुरी मानता है। वह शुद्ध 'मनुष्य' को मान्यता देता है-ऐसे मनुष्य को नहीं जो किसी 'वर्ग', 'राष्ट्र' या अन्य प्रकार के सीमित समूह के पूर्व-निर्धारित लक्ष्य के साथ बँधा हो। स्वतंत्र मनुष्य अपनी सहज-स्वाभाविक तर्कशक्ति से प्रेरित होकर अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परस्पर सहयोग के संबंध में बंध जाते हैं। ये स्वैच्छिक संबंध या संगठन मनुष्य की स्वतंत्रता में कोई बाधा नहीं डालते। संक्षेप में, राय ज्ञान के अनंत विस्तार और मानव-विकास की अनंत संभावनाओं के प्रति आशावान हैं। चूंकि इस विकास की कोई सीमा नहीं है, इसलिए हमारे वर्तमान ज्ञान के आधार पर इसका कोई पूर्व-निर्धारित लक्ष्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। स्वतंत्रता की पहली शर्त वर्तमान बंधनों को तोड़ना है। पिंजरा तोड़ देने पर पंछी खुले आकाश में किधर उड़ेगा-यह तय

करने का प्रयत्न निरर्थक है। राय के चिंतन में समकालीन आलोचनात्मक सिद्धांत का पूर्वसंकेत मिलता है।

11.10 शब्दावली

मार्क्सवाद - कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ,
सर्वहारा - गरीब एवं मजदूर
निकाय - संगठन , व्यवस्था

11.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. मानवेन्द्र नाथ राय 2. रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 3. देहरादून 4. मनुष्य की स्वतंत्रता
5. India in Transition

11.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मानवेन्द्र नाथ राय , 1997, *रीजन , रोमांटिसिज्म एंड रेवोलुशन* , रेनेसांस प्रकाशन , कोलकाता .
2. मानवेन्द्र नाथ राय , 1995, *दि अल्टरनेटिव*, बोरा एंड कंपनी , मुंबई .
3. निरंजन धर , 2005, *द पोलिटिकल थॉट ऑफ़ एम.एन.राय* , यूरेका , कोलकाता .
4. चंद्रोदय दीक्षित , 2000, *मानवतावादी विचारक : एम.एन.राय* , राधा प्रकाशन जयपुर .

11.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

2. भारतीय राजनीतिक चिन्तक - के. एस. पाण्डेय

11.14 निबंधात्मक प्रश्न

1. मानवेन्द्र नाथ राय के मार्क्सवाद सम्बन्धी विचारों की समीक्षा कीजिए।
2. मानवेन्द्र नाथ राय के नव मार्क्सवाद पर लेख लिखिए।
3. मानवेन्द्र नाथ राय के संगठित लोकतंत्र सम्बन्धी विचारों का विस्तार से वर्णन कीजिए।
4. मानवेन्द्र नाथ राय के दलविहीन लोकतंत्र सम्बन्धी विचारों का मूल्यांकन कीजिए।

इकाई 12 : जय प्रकाश नारायण

इकाई की संरचना

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.1 उद्देश्य
- 12.2 जय प्रकाश नारायण का जीवन परिचय
- 12.3 जय प्रकाश नारायण की रचनाएँ
- 12.4 जय प्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन के मूल तत्व
- 12.5 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पुनर्रचना
- 12..6 नवीन राजनीतिक व्यवस्था एवं दलविहीन प्रजातंत्र
- 12.7 नवीन आर्थिक व्यवस्था
- 12.8 सर्वोदयी समाजवाद
- 12.9 राष्ट्रवाद की अवधारणा
- 12..10 साधन और साध्य
- 12.11 सम्पूर्ण क्रांति की अवधारणा
- 12.12 सारांश
- 12.13 शब्दावली
- 12.14 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 12.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 12.16 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 12.17 निबंधात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना

लोकनायक जयप्रकाश नारायण आधुनिक भारत के ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्हें भारतीय समाजवाद का अग्रणी प्रवक्ता माना जाता है। भारत में समाजवादी चिंतन को जिन विचारकों ने पल्लवित-पुष्पित कर गति प्रदान की, उनमें जयप्रकाश नारायण का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इन्होंने समाजवाद के भारतीयकरण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। जो स्थान गांधी जी के समस्त चिंतन में धार्मिकता व आध्यात्मिकता का है तथा जो स्थान बिनोबा भावे के समस्त चिंतन व क्रिया-कलाप में सत्य एवं अहिंसा का है, ठीक वही स्थान जयप्रकाश नारायण के चिंतन व कार्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता में उनके अदम्य विश्वास का है। उनके इसी विश्वास ने उन्हें सिर्फ लोकाकर्षक बना दिया, बल्कि इसी वजह से वे एक महान लोकतांत्रिकवादी के रूप में भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उभरे भी। वे भारत में एक ऐसे नवीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जो उन विसंगतियों तथा बुराइयों से मुक्त हो, जिनसे कि पाश्चात्य लोकतंत्र आज भी पीड़ित है। वे समस्त राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं को नैतिकतावादी दृष्टिकोण से देखते थे और प्राचीन मानवीय तथा नैतिक मूल्यों के प्रति उनका गहरा अनुराग भी था। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी आधार को ठुकरा कर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानवीय व नैतिक मूल्यों पर आधारित किये जाने पर बल दिया, ताकि भारत का लोकतंत्र दलगत, जातिगत, क्षेत्रगत तथा संप्रदायगत राजनीति से मुक्त रहे और लोक कल्याण को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने में बाधाएँ न आयें। प्रो. बिमल प्रसाद के अनुसार 'जयप्रकाश को भारत में पैदा हुए राजनीतिक चिंतकों में महानतम की संज्ञा दी जानी चाहिए जिन्होंने 25 वर्षों तक समाजवादी आंदोलन को देश में नेतृत्व प्रदान किया।'

12.2 उद्देश्य

इस अध्याय का उद्देश्य पाठकों को जय प्रकाश नारायण के राजनीतिक विचारों से परिचय कराना है। इसमें जय प्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन के मूल तत्व के साथ-साथ उनके विचार जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पुनर्रचना, नवीन राजनीतिक व्यवस्था एवं दलविहीन प्रजातंत्र, नवीन आर्थिक व्यवस्था, सर्वोदयी समाजवाद, राष्ट्रवाद की अवधारणा, साधन और साध्य, सम्पूर्ण क्रांति की अवधारणा आदि से सम्बंधित है, इन पर चर्चा से भी पाठकों का ज्ञानवर्धन होगा।

इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात् आपको -

- i. जय प्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन के मूल तत्व के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा।
- ii. साथ ही आप जय प्रकाश नारायण के नवीन राजनीतिक व्यवस्था एवं दलविहीन प्रजातंत्र सम्बन्धी विचारों के बारे में जान सकेंगे।
- iii. आप नवीन आर्थिक व्यवस्था, सर्वोदयी समाजवाद के सम्बन्ध के बारे में जान सकेंगे तथा

iv. सम्पूर्ण क्रांति की अवधारणा से भी आप अवगत होंगे।

12.3 जय प्रकाश नारायण का जीवन परिचय

जे.पी. अथवा 'लोक नायक' के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता थे। जयप्रकाश नारायणका जन्म बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा गाँव में (अब उत्तर प्रदेश में) 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। उनके पिता का नाम हरसू दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूल रानी देवी था। वो अपनी माता-पिता की चौथी संतान थे। जब जयप्रकाश 9 साल के थे तब वो अपना गाँव छोड़कर कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लेने के लिए पटना चले गए। स्कूल में उन्हें सरस्वती, प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने भारत-भारती, मैथिलीशरण गुप्त और भारतेन्दु हरिश्चंद्र के कविताओं को भी पढ़ा। इसके अलावा उन्हें 'भगवत गीता' पढ़ने का भी अवसर मिला। लेकिन 1921 में महात्मा गाँधी द्वारा चलाये जा रहे असहयोग आंदोलन के आकर्षण से वे बच नहीं पाये और पढ़ाई का बहिष्कार कर वे इस आंदोलन में कूद पड़े। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह अमेरिका के बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में 1930 तक अपना शोधकार्य किया। यहाँ उन्हें गम्भीर आर्थिक तंगी से भी जूझना पड़ा। शोधकार्य के दौरान उन्होंने मार्क्स तथा एंगल्स के अलावा उन्होंने लवस्टोन तथा मानवेन्द्रनाथ राय की रचनाओं का गहन अध्ययन किया और मार्क्सवाद के हिमायती बन गये। लेकिन यह सब बहुत दिनों तक नहीं चला और कालांतर में उनके चिंतन में मार्क्सवाद के प्रति रूझान में कमी आयी।

1930 में अमेरिका से भारत लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण भारतीय राजनीति में फिर सक्रिय हुए और जवाहर लाल नेहरू के निकट संपर्क में आये। दोनों एक-दूसरे से काफी प्रभावित हुए। भारत के स्वराज आन्दोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें 1932 में मद्रास में गिरफ्तार कर एक वर्ष की कठोर सजा के तौर पर उन्हें नासिक जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने 1934 में, आचार्य नरेन्द्रदेव, अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, एम.आर. मसानी, एस.एम. जोशी तथा एम.एल. दांतवाला जैसे अन्य भारतीय समाजवादी नेताओं के साथ मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अंग के रूप में 'कांग्रेस समाजवादी पार्टी' की स्थापना की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर हजारी बाग जेल में बंद कर दिया गया, जहाँ से वे 1946 में रिहा हुए। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उन्होंने कोई सरकारी पद स्वीकार न करने का निर्णय लिया। 1948 में जे.पी. ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया तदुपरांत 'भारतीय समाजवादी पार्टी' की स्थापना की। जल्दी ही इस पार्टी से भी उनका मोह टूट गया और 'प्रजा समाजवादी पार्टी' के रूप में उन्होंने एक नये राजनीतिक दल की स्थापना की। 1952 में वे विनोबा भावे के 'भूदान' और 'ग्राम दान' आंदोलनों से अत्यधिक प्रभावित हुए और सर्वोदयी समाजवादी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इन्हीं आंदोलनों के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने 'संपत्तिदान' और

‘जीवनदान’ जैसे आंदोलनों की शुरुआत की और 1954 में एक कर्मठ जीवनदानी के रूप में उभर कर लोगों के सामने आये। इसके पश्चात् 1970-72 में उन्होंने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चल रहे हिंसक नक्सलवाद की आग को खत्म करने के प्रयास किये। इतना ही नहीं, यह उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था कि 1972 में चम्बल घाटी के तकरीबन 400 कुख्यात डाकुओं ने उनके सामने आत्मसमर्पण किया तथा आम जनता की तरह जीवन जीने की कसमें खायी। 1974 में जे.पी. ने ‘समग्र क्रांति’ का नारा दिया और इंदिरा सरकार को अमान्य नीतियों के विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन का शुभारंभ किया, जिसमें छात्रों ने खुलकर भागीदारी की। 1975 के आपातकाल के दौरान उन्हें उनके सहयोगी सहित जेल में डाल दिया गया जहाँ से उन्हें पाँच महीने बाद गंभीर बीमारी की हालत में छोड़ा गया। 1977 में उन्होंने ‘जनता पार्टी’ के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा इसी वर्ष होने वाले चुनाव में मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं से उन्हें ‘लोक नायक’ के रूप में जाना जाने लगा। इस बीच उनका स्वास्थ्य लगातार कमजोर होता रहा और आखिरकार 8 अक्टूबर 1979 को इनकी मृत्यु हो गयी। भारत सरकार ने उन्हें सन 1998 में मरणोपरान्त देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘भारत रत्न’ से नवाजा। सन 1965 में उन्हें समाज सेवा के लिए ‘मैगसेसे’ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

12.4 जय प्रकाश नारायण की रचनाएँ

समाजवादी विचारक के नाते जय प्रकाश नारायण ने राजनीति के आर्थिक आधार पर विशेष बल दिया। उनकी प्रसिद्ध कृति ‘Towards Struggle -1946’ के अनुसार, समाजवाद सामाजिक-आर्थिक पुनर्निर्माण का विस्तृत सिद्धांत है। उनकी प्रमुख रचनाओं में India: Struggle for Freedom, Political, Social and Economic; Sky Darkens Over India; Towards Total Revolution: India and her problems; Prison diary तथा Why Socialism शामिल है।

12.5 जय प्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन के मूल तत्व

गांधी जी और विनाबा जी के अलावा यदि किसी भारतीय विचारक ने लोकतंत्र के नैतिक आधार के ऊपर ज्यादा बल दिया तो वे जयप्रकाश नारायण थे। यद्यपि जवाहर लाल नेहरू तथा राधाकृष्णन ने लोकतंत्र को एक जीवन पद्धति माना तथा उसकी सफलता के लिए आत्मनियंत्रण व सहिष्णुता जैसे नैतिक गुणों को आवश्यक माना, परन्तु उनमें कोई भी लोकतंत्र को मूलतः तथा सबसे ऊपर एक नैतिक समस्या नहीं माना, जैसा कि हमारा यह सर्वोदयी समाजवादी विचारक मानता है। यह भारतीय लोकतंत्र को उनकी एक अनूठी देन माना जा सकता है। उन्होंने लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्नलिखित गुणों को अपनाये जाने पर बल दिया-

(1) सत्यप्रियता, (2) हिंस से बचना, (3) स्वतंत्रता के प्रति लगाव तथा दमन व अत्याचार का प्रतिरोध करने का साहस, (4) सहयोग की भावना, (5) दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता, (6) मानवीय समानता में विश्वास, (7) कर्तव्य व उत्तरदायित्व की भावना, (8) स्वहित को जनहित के अनुरूप ढालने की तत्परता, (9) इच्छाओं पर नियंत्रण व भौतिकवाद का परित्याग तथा (10) सरल जीवन व्यतीत करने की क्षमता।

उपर्युक्त गुणों व नैतिक मूल्यों को जयप्रकाश नारायण ने एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हेतु आवश्यक माना है। उनकी मान्यता थी कि लोकतंत्र एक शासन प्रणाली न होकर, एक जीवन पद्धति है। लोकतंत्र का अभिप्राय यह नहीं है कि लोगों को सिर्फ राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो व उन्हें शासन-व्यवस्था में भागीदारी के अवसर प्राप्त हो। वस्तुतः लोकतंत्र एक जीवन-प्रणाली है जिसमें सभी को सामाजिक व आर्थिक न्याय, अवसरों की समानता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा कृषि व उद्योग धंधों के संतुलित विकास आदि की सुनिश्चितता जैसी बातों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र से अलग नहीं रखा जा सकता। दोनों मिलकर ही सार्वजनिक कल्याण को गत्यात्मकता प्रदान कर सकते हैं। यही कारण है कि जयप्रकाश नारायण ने क्षेत्रीय व व्यावसायिक जीवन के स्वविकास व स्वसंचालन की आवश्यकता पद बल दिया ताकि मानव का नैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन, राजनैतिक जीवन से जुड़ा रहे।

जयप्रकाश नारायण भारत में एक ऐसे नवीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे जो उन विसंगतियों व बुराइयों से मुक्त हो जिनसे कि पाश्चात्य लोकतंत्र आज भी पीड़ित है। वे समस्त राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं को नैतिक दृष्टिकोण से देखते थे और प्राचीन मानवीय व नैतिक मूल्यों के प्रति उनका गहरा अनुराग भी था। यही कारण था कि उन्होंने पाश्चात्य भौतिकवादी आधार को ठुकरा कर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानवीय व नैतिक मूल्यों पर आधारित किये जाने पर बल दिया, ताकि भारत का लोकतंत्र दलगत, जातिगत, क्षेत्रगत तथा संप्रदायगत राजनीति से मुक्त रहे और लोक कल्याण को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने में बाधाएँ न आयें। उन्होंने यह स्पष्ट लिखा है कि 'लोकतंत्र की समस्या मूलतः तथा सबसे ऊपर नैतिक समस्या है। लोकतंत्र के लिए संविधानों, शासन प्रणालियों, दलों एवं चुनावों-इन सब बातों का महत्व है। परन्तु जब तक जनता में समुचित नैतिक व आध्यात्मिक गुण विकसित नहीं होते, तब तक सर्वोत्तम संविधान व राजनीतिक प्रणालिया भी लोकतंत्र को सफल नहीं बना सकती।'।

12.6 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की पुनर्रचना

जयप्रकाश नारायण की दृष्टि में वर्तमान संसदीय लोकतंत्र का सबसे गम्भीर दोष इसका आत्यधिक केन्द्रीकृत चरित्र है। वास्तव में, स्वशासी संस्थाओं के अभाव और औद्योगीकृत सभ्यता की जटिलताओं ने केन्द्रीय सरकार को बहुत शक्तिशाली बना दिया जिसमें व्यक्ति की

महत्ता व भूमिका गौण हो गई है। पुनः राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप व नियोजित अर्थव्यवस्था के विचार पर बल दिये जाने के कारण केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति और तेज हुई है जिससे नौकरशाही की शक्ति में अपूर्व वृद्धि हुई है और इसने एक तरह से लोकसेवकों के अधिनायकवाद को जन्म दिया है।

दूसरे, जयप्रकाश नारायण वर्तमान संसदीय लोकतंत्र को बहुमत द्वारा निर्वाचित व समर्थित शासन-व्यवस्था मानने से भी इंकार करते हैं तथा इसे अल्पमत द्वारा निर्वाचित व समर्थित व्यवस्था मानते हैं जिससे अल्पमत सरकार का निर्माण हो पाता है। चूँकि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होते हैं, इसलिए इसमें आधे से अधिक लोग भाग नहीं ले पाते। मुश्किल से 50 प्रतिशत मतदाता मतदान प्रक्रिया में भाग ले पाते हैं। अतः जो चुन के आते हैं वे कुल मतों के बहुमत का प्रतिनिधित्व न कर केवल अल्पमत का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। इस तरह वर्तमान निर्वाचन-प्रणाली के अंतर्गत आमतौर पर अल्पमतीय सरकार बनती है।

जयप्रकाश नारायण आम चुनाव पद्धति के विरुद्ध इसलिए भी थे क्योंकि यह अत्यधिक खर्चीली होती है। इस व्यवस्था में पूँजीपतियों व श्रमिक संघों की इतनी गहन भूमिका होती है कि ऐसा लगता है चुनावों के द्वारा पूरी लोकतंत्रीय प्रणाली को इन हित समूहों के पास गिरवी रख दिया गया हो। यही कारण था कि जयप्रकाश नारायण ने आम चुनाव की व्यवस्था का विरोध किया तथा इस बात पर बल दिया कि कानून बनाने वाली विधानसभाएँ अस्थायी सदन न होकर एक स्थायी सदन हों, जिनकी एक निश्चित सदस्य संख्या का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के बाद हो, वे पूरे-के-पूरे सदन को आम चुनाव द्वारा बदले जाने की बात को अनुचित मानते थे, क्योंकि इसमें राजनीतिक शक्ति व संसाधनों के दुरुपयोग की संभावना अधिक रहती है और इसमें व्यक्तिगत व दलीय हितों को राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है, जो लोकतंत्रीय प्रणाली के लिए ठीक नहीं है।

तीसरे, जयप्रकाश नारायण के अनुसार संसदीय लोकतंत्र के संचालन में शक्ति का बहाव उल्टा होता है- अर्थात् इसकी स्थिति एक उल्टे 'पिरामिड' की भाँति है जो अपने सिर के बल खड़ा है, जबकि इसे आधार के बल खड़ा होना चाहिए। ऐसे में, शक्ति के केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, जो लोकतंत्र की मूल भावना के ही प्रतिकूल है।

इसके अतिरिक्त, जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक दलों के अस्तित्व को भी संसदीय लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण दोष के रूप में देखा तथा उसे लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध माना। उनके अनुसार राजनीतिक दलों का उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं वरन् सत्ता के ऊपर अपना अधिकार जमाना तथा दलीय व वर्गीय हितों की पूर्ति करना होता है। राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से नैतिकता का हास तथा बेईमानी, जोड़-तोड़ व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। वोट प्राप्त करना इनका इनका एकमात्र उद्देश्य होता है जिसके लिए वे अनैतिक साधनों का उपयोग करने से भी नहीं चूकते। महज अपना वोट बैंक बनाने के लिए वे जनता के आपसी मतभेदों को

उभार कर जातिवाद, अलगाववाद, भाषावाद व प्रान्तीयवाद जैसे पृथक्तावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। इस तरह राजनीतिक दलों ने राजनीति के स्वरूप को काफी विकृत बना दिया है और नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा का एक साधन बनने के बजाय उनकी कुशिक्षा का अवसर बन गया है। राजनीतिक दलों की इन्हीं विसंगतियों व कुप्रभावों को देखते हुए जयप्रकाश नारायण ने विनाबा जी की भाँति राजनीतिक दल को समाज के विरुद्ध एक षडयंत्र माना और 'दलविहीन लोकतंत्र' की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया।

इसलिए जयप्रकाश नारायण ने एक ऐसी राज-व्यवस्था की कल्पना की है जो सर्वोन्मुख व जनभिमुख हो तथा जो सामुदायिक समाज व विकेन्द्रीकरण पर आधारित हो। इस परिप्रेक्ष्य में वे सर्वप्रथम वर्तमान राज-व्यवस्था या संसदीय लोकतंत्र की दुर्बलताओं को स्पष्ट करते हैं तत्पश्चात अपने सुझाव प्रस्तुत करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जयप्रकाश नारायण की एक सच्चे संसदीय लोकतंत्र में गहरी निष्ठा थी और वे इस प्रणाली को एक अच्छी व प्रभावोत्पादक शासन-प्रणाली मानते थे, क्योंकि इसमें चुनौती व परिवर्तन की संभावनाएँ सदैव बनी रहती है, तथापि वे वर्तमान संसदीय लोकतंत्र को पुनर्गठित कर उसे सामुदायिक समाज व विकेन्द्रीकरण पर आधारित करना चाहते थे।

12.7 नवीन राजनीतिक व्यवस्था एवं दलविहीन प्रजातंत्र

जयप्रकाश नारायण ने केवल वर्तमान शासन-प्रणाली या संसदीय लोकतंत्र की कमजोरियों व दोषों की ओर ही संकेत नहीं किया, बल्कि उनको दूर करने के लिए नई राजनीतिक-व्यवस्था जो मुख्यतः एक विकेन्द्रीकृत एवं दल विहीन लोकतंत्र का प्रारूप है, की योजना भी प्रस्तुत की। इसे कुछ लोगों ने 'सहभागी लोकतंत्र' भी कहा है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार इस नयी राजनीति व्यवस्था में शासन की पहली व सर्वोच्च इकाई 'ग्रामसभा' होगी जिसमें संबंधित गाँवों के सभी वयस्क सदस्य माने जाएँगे तथा जो इस स्तर पर सत्ता व संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करेंगे। दिन प्रतिदिन के कार्यों के निर्वहन के लिए वे मतैक्य के आधार पर अथवा पचीं डालकर एक कार्यकारिणी की स्थापना करेंगे जिसे 'ग्राम पंचायत' कहा जायेगा। ग्राम पंचायत के सदस्य सर्वसम्मति व निर्दलीयता के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए चुने जायेंगे। इनमें से कोई दुबारा उसी पद के लिए नहीं चुना जायेगा। इससे अन्य लोगों को भी शासन-व्यवस्था में भागीदारी करने के अवसर प्राप्त होंगे। ग्राम पंचायत का मूलभूत कार्य लोगों की रोटी, कपड़ा, मकान, प्राथमिक शिक्षा तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना होगा। इसके अलावा, यह गाँव से बेरोजगारी व निरक्षरता दूर करने, न्यूनतम जीवन स्तर पर सुनिश्चित करने तथा सत्ता व संसाधनों के केन्द्रीकरण को रोकने आदि का भरसक प्रयत्न करेगी।

नयी शासन-व्यवस्था की दूसरी इकाई 'पंचायत समिति' होगी जो संलग्न ग्राम पंचायतों का एक क्षेत्रीय संगठन होगा, जिसके सदस्य ग्राम पंचायतों द्वारा सर्वसम्मति व निर्दलीयता के आधार पर चुने जाएंगे। हर पंचायत समिति को अपने स्तर के सभी कार्यों को सम्पन्न करने की पर्याप्त शक्ति व संसाधन प्रस्तुत होंगे। शासन-व्यवस्था को तीसरी इकाई के रूप में 'जिला परिषद' होगी जिसके सदस्यों का चुनाव संबंधित पंचायत समितियों द्वारा होगा न कि उसके सदस्यों के द्वारा व्यक्तिगत रूप से। उसके पास भी अपने कार्यों के संचालन के लिए पर्याप्त शक्ति व संसाधन उपलब्ध होंगे। इसी प्रकार चौथे स्तर पर विधान सभाएँ व पाँचवें स्तर पर लोकसभा होंगी। विधान सभाओं व लोकसभा के सदस्यों का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करेगा जिसमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की ग्रामसभा को दो सदस्य चुनकर भेजने का अधिकार होगा यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यह अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं है। यदि 'ग्राम सभा' में केवल दो ही नाम प्रस्तावित हो तो वे स्वतः ही निर्वाचक मंडल के सदस्य बन जाएंगे। यदि दो से अधिक नाम प्रस्तावित कर दिये जाएँ तो सभी नामों को एक पटल पर लिखकर प्रत्येक के लिए अलग-अलग वोट लेकर उनके नामों के सामने लिख दिया जाए। इस प्रकार मतदानों की पुनरावृत्ति तब तक की जाये जब तक कि दो उम्मीदवारों के अतिरिक्त शेष सब के नाम निकल न जायें। एक मतदान में सबसे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार का नाम छोड़ दिया जाये और शेष के लिए फिर मतदान कराया जाये। मतदान हाथ उठाकर किया जायेगा और वोट प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रचार नहीं किया जायेगा। इस प्रकार, निर्वाचक मंडल का निर्माण हो जाने पर वह राज्यों व केन्द्र के स्तरों पर विधानमंडलों को चुनेगा। इस प्रकार, यह पाँच स्तरीय व्यवस्था ग्राम सभा के स्थानीय स्तर से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर तक जाएगी और उसके बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसी ही विकेन्द्रकृत संघात्मक व्यवस्था होगी। जयप्रकाश नारायण ने इस योजना को स्तरीय सामाजिक संगठन का ऐसा सामाजिक प्रयोग माना है, जो मानव को स्वशासित समुदाय के अन्तर्गत संगठित कर स्वशासन का अवसर प्रदान करता है। वस्तुतः यह लोकतंत्र का वह आदर्श प्रारूप है जो मानव को आधुनिक सभ्यता के 'यांत्रिक-मानव' से बचा सकता है।

जयप्रकाश नारायण का यह मानना था कि यदि भारत में ऐसी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना होती है तो स्वशासन की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे-जैसे यह भावना बढ़ेगी, लोक सेवक या तो संबंधित विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे अथवा अनावश्यक हो जाएंगे। जब राजनीतिक सत्ता व आर्थिक संसाधनों का अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण होगा तो लोगों में अधिकाधिक आत्मनिर्भरता की भावना जगेगी और लोग स्वयं ही प्रत्यक्ष रूप से या संबंधित संस्थाओं के द्वारा अपने सभी कार्यों का कार्यान्वयन कर पायेंगे और ऐसी स्थिति में लोकसेवकों की प्रथा ही समाप्त हो जायेगी।

12.8 नवीन आर्थिक व्यवस्था

जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में भी विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता को बिल्कुल स्पष्ट किया है। उन्होंने जिस राजनीतिक व्यवस्था का प्रारूप ऊपर प्रस्तुत किया है, उसका आधार विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था ही हो सकती है। उनकी मान्यता थी कि यदि गाँवों को राजनीतिक रूप से स्व-शासक बनाना है तो उनको आर्थिक दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनना होगा। इसके लिए राजनीतिक क्षेत्र के साथ-साथ आर्थिक क्षेत्र में भी विकेन्द्रीकरण लाना होगा। केवल अर्थव्यवस्था ही नहीं, स्वामित्व का भी विकेन्द्रीकरण आवश्यक है, केवल उद्योगों के राष्ट्रीयकरण से एशिया के देशों में समाजवाद नहीं लाया जा सकता। वस्तुतः जयप्रकाश नारायण जिस अर्थव्यवस्था की अनुमोदन करते हैं, वह सीमित आवश्यकताओं से सिद्धान्त पर आधारित है, जबकि मौजूदा अर्थव्यवस्था असीमित आवश्यकताओं पर आधारित है। उनके अनुसार, 'यदि मनुष्य सही अर्थों में अपनी स्वतंत्रता तथा स्वशासन का उपभोग करना चाहता है, तो उसे अपनी आवश्यकताओं को कम करना सीखना ही होगा।'

जयप्रकाश नारायण आर्थिक क्षेत्रों व संसाधनों के अधिकाधिक विकेन्द्रीकरण को नवीन अर्थव्यवस्था के लिए परमावश्यक मानते थे। उनके अनुसार वर्तमान आर्थिक केन्द्रीकरण बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का परिणाम है। इसलिए आर्थिक विकेन्द्रीकरण के लिए यह आवश्यक है कि बड़े पैमाने पर घरेलु कुटीर व छोटे उद्योगों को स्थापित किया जाये। जिनका चरित्र बड़े उद्योगों की तरह प्रतिद्वन्द्वात्मक व शोषणात्मक न होकर सहयोगी व सहकारी होगा। इस प्रकार की नई अर्थ-व्यवस्था में पूँजी व श्रम के बीच संघर्ष व वर्ग संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ऐसी आर्थिक व्यवस्था सबके समान कल्याण और समस्त समाज के संतुलित विकास के लिए कार्य करेगी तथा अधिकाधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहेगी।

जयप्रकाश की नवीन आर्थिक व्यवस्था की योजना में 'नियोजित विकास' को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है जिसकी शुरुआत गाँव से होगी। सभी सम्बद्ध गाँवों को मिलाकर एक क्षेत्रीय योजना, सभी सम्बद्ध क्षेत्रों को मिलाकर जिला स्तरीय योजना तथा इसी प्रकार सभी जिलों को मिलाकर प्रदेश स्तरीय योजना तथा अन्ततः राष्ट्रीय स्तर की योजना बनायी जायेगी। योजनाबद्ध विकास का उद्देश्य मुख्यतः लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना, काम के अधिकतम व न्यूनतम घंटे निश्चित करना तथा लोगों के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक दशाएँ तैयार करना होगा।

वास्तव में, जयप्रकाश नारायण ने जिस नवीन अर्थ-व्यवस्था की योजना प्रस्तुत की है उसका संबंध विकेन्द्रीकृत उद्योग व्यवस्था से है जिसका स्वरूप केन्द्रकृत उद्योग व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न होगा। ऐसी अर्थव्यवस्था मात्र खादी अर्थव्यवस्था नहीं होगी, बल्कि एक अधिक आधुनिक प्रकार की अर्थव्यवस्था होगी जो कि आज कदाचित कहीं भी नहीं पायी जाती और

जिसकी स्थापना के लिए नवीन मशीनों तथा नवीन आर्थिक पद्धतियों की आवश्यकता होगी। यह नवीन अर्थव्यवस्था नियोजित विकास के लिए कार्य करेगी। इसमें नियोजन नीचे से ऊपर की ओर होगा, न कि मौजूदा सरकारी नियोजन की तरह ऊपर से नीचे की ओर।

12.9 सर्वोदयी समाजवाद

जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय की अवधारणा के चिंतन व विकास में विशेष योगदान दिया है। महात्मा गांधी व विनाबा जी की तरह जयप्रकाश नारायण ने भी सर्वोदय को लोकतांत्रिक समाजवाद का चरम आदर्श माना और 'बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय' के सिद्धान्त को बेंथम व मिल जैसे उपयोगितावादियों के 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख' के सिद्धान्त से श्रेष्ठ समझा। जयप्रकाश नारायण राजनीतिक शक्ति के स्थान पर लोकशक्ति की स्थापना को अधिक महत्व देते हैं। इस सर्वोदयी विचारक की यह मान्यता उन्हें साम्यवादियों व समाजवादियों से ठीक विपरीत स्थिति में प्रस्तुत करती है। क्योंकि समाजवादियों व साम्यवादियों ने सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन के संघर्ष में राजनीतिक शक्ति को एक महत्वपूर्ण तत्व माना है। उनके अनुसार राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर ही सर्वहारा वर्ग पूँजीपतियों, जमींदारों व शोषक तत्वों का सफाया कर सकते हैं। किन्तु जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय की अवधारणा के प्रतिपादन में लोकशक्ति के महत्व को काफी अहिमयत दी है। उनके अनुसार जन इच्छा की सकारात्मक व नकारात्मक अभिव्यक्ति पर ही सर्वोदय की सफलता निर्भर है। इसी परिप्रेक्ष्य में सर्वोदयवादियों ने लोकशक्ति को जागृत करने के उद्देश्य से निःस्वार्थ भावना से युक्त कार्यकक्षाओं की टोलियाँ तैयार की, जो जनसमुदायों में विचरण करती हुई उन्हें स्वतंत्र एवं स्वशासन का नव-जीवन प्राप्त कराने में सहायक हो सके। इस प्रकार, जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय संबंधी विचार ग्राम-स्वराज, विकेन्द्रीकरण तथा स्वावलंबन का महत्व स्पष्ट करते हुए एक नवीन सामाजिक व आर्थिक क्रांति की ओर संकेत करते हैं।

उनका सर्वोदय को सामाजिक दर्शन मानते हुए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं जिसमें राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो, राजनीति के स्थान पर लोकनीति तथा राज्य शक्ति के स्थान पर लोकशक्ति का बोलबाला हो। सर्वोदयी समाजवाद जिसे वे लोकतांत्रिक समाजवाद मानते हैं, एक ऐसा समाज होगा जिसमें न केवल स्वतंत्रता, न्याय व समता के अवसर प्राप्त होंगे बल्कि इसमें एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आधारित होगी जिसमें व्यक्ति अपनी शासन-व्यवस्था का निर्माता स्वयं होगा। यह व्यवस्था पूरी तरह विकेन्द्रित होगी जिसमें अधिकाधिक सत्ता व संसाधन शासन की प्राथमिक इकाई ग्राम सभा के पास होंगे जो लोगों के ज्यादा करीब होगी, जिन पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण निरन्तर बना रहेगा। यद्यपि सर्वोदयी समाज शहर व गाँवों के लिए समान रूप से है, फिर भी इसमें गाँवों पर इसलिए ज्यादा बल दिया गया है कि भारत के तकरीबन 70 प्रतिशत लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं।

इतना ही नहीं, सर्वोदयी समाजवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होगी जिसमें जाति-पाँति, ऊँच-नीच आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का शोषण होगा। केन्द्रीय सरकार के पास पंचायतों की तुलना में सत्ता व संसाधन कम होंगे जिससे उसकी निरंकुशता में कमी आयेगी। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान न होगा क्योंकि यह सत्ता व सत्ताधारी दोनों को समान रूप से भ्रष्ट करती, और न ही किसी प्रकार की संगठित व असंगठित हिंसा के लिए ही कोई स्थान होगा, क्योंकि हिंसा, हिंसा को बढ़ाती है और मानवता का हनन करती है। वस्तुतः सर्वोदय की मान्यता ही शक्ति के विरोध पर आधारित है। गांधी जी के आध्यात्मिक अराजकतावाद या रामराज्य की कल्पना में राज्य की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। किन्तु जयप्रकाश नारायण ने राज्य के लोप हो जाने की बात को असंभव माना। उनकी मान्यता थी कि राज्य पूर्णतया विलुप्त नहीं हो सकता, अतः राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के कामना करनी चाहिए। इस तरह गाँधी जी के समान जयप्रकाश नारायण ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है। सर्वोदय की मान्यताओं के आधार पर ही विनाबा भावे भू-दान तथा ग्राम दान, जिसमें साधन दान, बुद्धिदान, श्रमदान, प्रेमदान, आदि भी सम्मिलित हैं, आंदोलन की शुरुआत की थी। यहाँ दान का अभिप्राय मानसिक, आध्यात्मिक व भौतिक उपलब्धियाँ व संसाधनों के उस भाग के दान से है, जो अपने व अपने आश्रितों के जीवन निर्वहन के बाद लोगों के पास शेष बच जाते हैं। ऐसे दान से समस्त समाज के कल्याण व विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। जयप्रकाश नारायण ने अपने अंतिम चरण में विनाबा भावे के दान आंदोलन को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि उसमें 'संपत्ति दान' और 'जीवन दान' जोड़कर दोनों की श्रृंखला को समग्र रूप प्रदान किया और एक कर्मठ जीवनदानी के रूप में उभर कर अपना सारा जीवन समाज सेवा में लगा दिया।

12.10 राष्ट्रवाद की अवधारणा

जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय एकता को काफी महत्व दिया है। वह राष्ट्रवाद को भारत में पूर्णतः पुष्पित व पल्लवित होता देखना चाहते थे जैसा कि वह आधुनिक समय में पश्चिमी यूरोप में प्रकट हुआ। उनके अनुसार भारत न तो कभी राष्ट्र रहा था न आज ही एक राष्ट्र है। किसी भी देश में राष्ट्रीयता के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना की आवश्यकता होती है जिसका भारत में नितांत अभाव रहा है। राष्ट्रवाद के विकास के लिए एक उच्च सभ्यता के स्तर तक पहुँचना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रत्येक राष्ट्र के तीन निर्माणकारी तत्व होते हैं-

1. राष्ट्र की स्वयं की स्पष्ट भू-संपदा,
2. एक समान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक एकता तथा
3. अन्तर्राष्ट्रीय विधि तथा अन्य राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त पृथक संप्रभु राष्ट्र की स्थिति।

भारत आधुनिक अर्थों में कभी राष्ट्र नहीं रहा। यद्यपि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत में एकता थी, भारत नाम का एक प्रदेश था, उसकी स्पष्ट सीमाएँ थीं, किन्तु यह एकता आध्यात्मिक व सांस्कृतिक जनित थी, राष्ट्रवादी नहीं। राष्ट्रीय एकता के भाव का भान भारतीय लोगों को अंग्रेजी शासन स्थापित होने के पश्चात् होने के पश्चात् हुआ। चूँकि राष्ट्रीय एकता थोपी हुई थी, इसलिए इसके माध्यम से राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं हो सकती थी। यह सच है कि उग्र ब्रिटिश राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, किन्तु दुर्भाग्य से यह इतना शक्तिशाली नहीं था कि भारत को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक राष्ट्रीयता में बाँध सकता। फलतः भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिन्ना के 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' ने एक नवीन राष्ट्रीयता के विचार के रूप में इसे चुनौती थी। परिणामस्वरूप भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के रूप में एक अलग राष्ट्र बना। अगर हमें सच्चे अर्थों में भारत राष्ट्र की स्थापना करनी है तो यह कार्य राष्ट्रीय चेतना के विकास के बगैर सम्भव नहीं है। यदि राष्ट्रीय चेतना को राष्ट्रवाद का आधार माना जाये तो भारत को अभी अनेक कठिन परीक्षाओं से गुजरना है। केवल प्रादेशिक एकता से राष्ट्र की स्थापना नहीं होती। इसके लिए भावात्मक एकता की आवश्यकता होती है। इसउद्देश्यकी पूर्ति एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना से ही हो सकती है। जयप्रकाश नारायण ने द्विराष्ट्र सिद्धान्त व भारत विभाजन का घोर विरोध किया था। उनके अनुसार आज प्रत्येक राष्ट्र बहुराष्ट्रीय राज्य है। मिश्रित व 'समन्वित राष्ट्रवाद' की आधुनिक विश्व की समस्याओं का समाधान ढँढ सकता है। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रवाद के जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया वह है- 'समन्वित राष्ट्रवाद' का सिद्धान्त। उनका समन्वित राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण मुख्यतः दो परिस्थितियों पर आधारित है- एक तो उसका पूर्ण धर्मनिरपेक्ष आधार और दूसरा उसमें जनता को आवश्यकताओं तथा भावनाओं के अनुरूप राष्ट्र की राजनीति। इन दोनों आदर्शों के पश्चात् ही व्यक्ति राष्ट्रीय विकास का आभास प्राप्त कर सकता है।

चूँकि सही अर्थों में राष्ट्र का निर्माण जनजागरण व राष्ट्रीय चेतना के विकास के बिना संभव नहीं है, इसलिए देश के दो महान विभूतियों रवीन्द्रनाथ ठाकुर और महात्मा गाँधी ने हमारे समक्ष जिस राष्ट्रवाद का चित्र प्रस्तुत किया है, वह इस संदर्भ में अधिक कारगर हो सकता है। क्योंकि उनकी राष्ट्रवाद की अवधारणा आत्मा की उस एकता पद आधारित है जिसके द्वारा समस्त मानव जाति व्यक्तियों के एक राष्ट्र के अन्तर्गत आ जाती है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गाँधी जी ने संकीर्ण राष्ट्रवाद जो कि मुख्यतः आक्रमक राष्ट्रवाद है, का विरोध कर जिस विश्व बंधुत्व की बात कही है, वही वास्तविक राष्ट्रवाद है। वस्तुतः जयप्रकाश नारायण न समन्वित राष्ट्रवाद के जिस स्वरूप का प्रतिपादन किया है, उस पर रवीन्द्रनाथ ठाकुर और गाँधी जी की राष्ट्रवाद की अवधारणा की गहरी छाप है।

12.11 साधन और साध्य

मोहन दस करम चन्द गाँधी की तरह ही जयप्रकाश नारायण ने साधन एवं साध्य की पवित्रता पर बल दिया है। जयप्रकाश नारायण के अनुसार यदि साधन पवित्र होगा तो ही अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति होगी। समाजवाद की स्थापना हेतु अच्छे साधन सर्वोपरि हैं। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक दलों के अस्तित्व को भी संसदीय लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण दोष के रूप में देखा तथा उसे लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध माना। उनके अनुसार राजनीतिक दलों का उद्देश्य जनता की सेवा करना नहीं बल्कि सत्ता के ऊपर अपना अधिकार जमाना तथा दलीय व वर्गीय हितों की पूर्ति करना होता है। राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप से नैतिकता का हास तथा बेईमानी, जोड़-तोड़ व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। वोट प्राप्त करना इनका इनका एकमात्र उद्देश्य होता है जिसके लिए वे अनैतिक साधनों का उपयोग करने से भी नहीं चूकते। महज अपना वोट बैंक बनाने के लिए वे जनता के आपसी मतभेदों को उभार कर जातिवाद, अलगाववाद, भाषावाद व प्रान्तीयवाद जैसे पृथक्तावादी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं। इस तरह राजनीतिक दलों ने राजनीति के स्वरूप को काफी विकृत बना दिया है और नागरिकों की राजनीतिक शिक्षा का एक साधन बनने के बजाय उनकी कुशिक्षा का अवसर बन गया है। राजनीतिक दलों की इन्हीं विसंगतियों व कुप्रभावों को देखते हुए जयप्रकाश नारायण ने विनाबा जी की भाँति राजनीतिक दल को समाज के विरुद्ध एक षडयंत्र माना और 'दलविहीन लोकतंत्र' की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया।

सर्वोदयी समाजवाद एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था होगी जिसमें जाति-पाँति, ऊँच-नीच आदि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा और न ही किसी प्रकार का शोषण होगा। केन्द्रीय सरकार के पास पंचायतों की तुलना में सत्ता व संसाधन कम होंगे जिससे उसकी निरंकुशता में कमी आयेगी। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में दलगत राजनीति के लिए कोई स्थान न होगा क्योंकि यह सत्ता व सत्ताधारी दोनों को समान रूप से भ्रष्ट करती, और न ही किसी प्रकार की संगठित व असंगठित हिंसा के लिए ही कोई स्थान होगा, क्योंकि हिंसा, हिंसा को बढ़ाती है और मानवता का हनन करती है। वस्तुतः सर्वोदय की मान्यता ही शक्ति के विरोध पर आधारित है। गांधी जी के आध्यात्मिक अराजकतावाद या रामराज्य की कल्पना में राज्य की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। किन्तु जयप्रकाश नारायण ने राज्य के लोप हो जाने की बात को असंभव माना। उनकी मान्यता थी कि राज्य पूर्णतया विलुप्त नहीं हो सकता, अतः राज्य के कम से कम हस्तक्षेप के कामना करनी चाहिए। इस तरह गाँधी जी के समान जयप्रकाश नारायण ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वही सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करती है।

12.12 सम्पूर्ण क्रांति की अवधारणा

सामाजिक परिवर्तन के स्वरूप और सीमाक्षेत्र की परिभाषा देने के लिए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने संकेत किया कि सोवियत संघ में समाजवाद 'सत्तारूढ़ गुटों के बीच शक्ति के संघर्ष' में बदल गया है। इस विकृत और भ्रष्ट समाजवाद ने वहाँ राजनीतिक शक्ति के भारी जमाव के साथ-साथ आर्थिक शक्ति को भी एक ही जगह केंद्रित कर दिया है। सम्पूर्ण क्रान्ति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था जिसका आह्वान उन्होने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेकने के लिये किया था। लोकनायक ने कहा कि सम्पूर्ण क्रांति में सात क्रांतियाँ शामिल हैं - राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व आध्यात्मिक क्रांति। इन सातों क्रांतियों को मिलाकर सम्पूर्ण क्रान्ति होती है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। मैदान में उपस्थित लाखों लोगों ने जात-पात, तिलक, दहेज और भेद-भाव छोड़ने का संकल्प लिया था। उसी मैदान में हजारों-हजार ने अपने जनेऊ तोड़ दिये थे। नारा गूंजा था:

जात-पात तोड़ दो, तिलक-दहेज छोड़ दो।

समाज के प्रवाह को नयी दिशा में मोड़ दो।

सम्पूर्ण क्रांति की तपिश इतनी भयानक थी कि केन्द्र में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ गया था। जय प्रकाश नारायण जिनकी हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ता था। बिहार से उठी सम्पूर्ण क्रांति की चिंगारी देश के कोने-कोने में आग बनकर भड़क उठी थी। जेपी के नाम से मशहूर जयप्रकाश नारायण घर-घर में क्रांति का पर्याय बन चुके थे। लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी, आज के सारे नेता उसी छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का हिस्सा थे। पाँच जून 1974 के पहले छात्रों - युवकों की कुछ तात्कालिक मांगें थीं, जिन्हें कोई भी सरकार जिद न करती तो आसानी से मान सकती थी। लेकिन पाँच जून 1974 को जे. पी. ने घोषणा की— "भ्रष्टाचार मिटाना, बेरोजगारी दूर करना, शिक्षा में क्रांति लाना, आदि ऐसी चीजें हैं जो आज की व्यवस्था से पूरी नहीं हो सकती; क्योंकि वे इस व्यवस्था की ही उपज हैं। वे तभी पूरी हो सकती हैं जब सम्पूर्ण व्यवस्था बदल दी जाए और सम्पूर्ण व्यवस्था के परिवर्तन के लिए क्रान्ति, 'सम्पूर्ण क्रान्ति' आवश्यक है।"

समाजवाद के नाम पर 'सर्वाधिकारवाद' का यह धिनौना रूप हमें यह चेतावनी देता है कि 'लोकतंत्रीय समाजवाद' को सार्थक करने के लिए आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण और स्थानांतरण सर्वथा आवश्यक है। संपूर्ण क्रांति की संकल्पना यह व्यक्त करती है कि केवल शासन-व्यवस्था को बदल देने या एक सरकार की जगह दूसरी सरकार स्थापित कर देने से समाज का उद्धार नहीं होगा। इसके लिए संपूर्ण समाज-व्यवस्था को बदलना होगा; आर्थिक विषमता और सामाजिक भेदभाव को जड़ से मिटाना होगा, इस परिवर्तन को गति देने के लिए

जयप्रकाशजी ने युवा-शक्ति का आन किया जिसे जन-शक्ति को अपने साथ लेकर राज्य-शक्ति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा।

समाजवाद को मानवता के उद्धार का साधन बनाने के लिए जयप्रकाशजी ने विश्व समुदाय के संगठन का सुझाव दिया क्योंकि यही व्यवस्था-विशेषतः एशिया और अफ्रीका के उत्पीड़ित वर्गों को संगठित सैन्यवाद और सर्वाधिकारवाद के विनाशकारी प्रभाव से मुक्त करके न्याय दिला सकती है, और परस्पर-विरोधी शक्ति गुटों में बँटे हुए विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित कर सकती है।

अभ्यास प्रश्न

6. लोकनायक किसे कहा जाता है ?
7. जय प्रकाश नारायण का जन्म स्थान क्या है ?
8. सम्पूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया ?
9. भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी ?
10. सम्पूर्ण क्रांति का आह्वान किस शहर से हुआ ?

12.13 सारांश

जयप्रकाश नारायण भारत के समाजवादी आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ रहे हैं। उन्होंने समाजवादी विचारधारा का प्रयोग एक ओर जनसाधारण को साम्राज्यवादी आधिपत्य से स्वाधीनता दिलाने के लिए और दूसरी ओर उन्हें सामंतवादी शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए किया। अतः उन्होंने समाजवाद के अस्त्र को भारत के स्वाधीनता संग्राम और सामाजिक क्रांति- इन दोनों मोर्चों पर प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाने का प्रयत्न किया परंतु इन प्रस्तावों को व्यावहारिक रूप देने के लिए जिस स्वच्छ और त्यागमय राजनीति की आवश्यकता है, वर्तमान व्यवस्था से उसकी आशा करना सचमुच कठिन है।

12.14 शब्दावली

मार्क्सवाद - कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त ,

सर्वोदय - समाज के सभी व्यक्तियों के कल्याण पर आधारित विचारधारा ,

ढांचा - संरचना

सम्पूर्ण क्रांति - व्यवस्था में व्यापक आधार पर पूर्ण परिवर्तन , जय प्रकाश नारायण का एक सिद्धान्त ।

12.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. जय प्रकाश नारायण 2. सिताब दियारा 3. जय प्रकाश नारायण 4. 1977
5. पटना

12.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. उमा शंकर वर्मा , 2012, युगपुरुष जय प्रकाश नारायण , प्रभात प्रकाशन , दिल्ली .
2. जय प्रकाश नारायण , 1977, प्रिजन डायरी , पोपुलर प्रकाशन , दिल्ली .
3. वी.पी.वर्मा ,2000, आधुनिक भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक चिन्तक , लक्ष्मी नारायण, आगरा .

12.17 सहायक/ उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. ओ.पी.गाबा , 2012 ,राजनीतिक चिन्तन की रूपरेखा , मयूर पेपरबैक्स , नोएडा.
2. राजवीर सिंह , 2016, जय प्रकाश नारायण , पी.एम.पब्लिकेशन , नयी दिल्ली.

12.18 निबंधात्मक प्रश्न

1. जय प्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन के मूल तत्वों का वर्णन कीजिए I
2. जय प्रकाश नारायण के नवीन राजनीतिक व्यवस्था एवं दलविहीन प्रजातंत्र सम्बन्धी विचारों की समीक्षा कीजिए I
3. जय प्रकाश नारायण के नवीन आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी विचारों का वर्णन कीजिए।
4. सम्पूर्ण क्रांति क्या है ? विस्तार से वर्णन कीजिए।
5. जय प्रकाश नारायण के सर्वोदयी समाजवाद की अवधारणा का विश्लेषण कीजिए।

इकाई 13 आचार्य नरेन्द्रदेव (1889-1956)

इकाई की रूपरेखा

13.1 प्रस्तावना

13.2 उद्देश्य

13.3 आचार्य नरेन्द्रदेव के चिन्तन का दार्शनिक आधार

13.4 आचार्य नरेन्द्रदेव के राजनीतिक विचार

13.4.1 मार्क्सवाद के सम्बन्ध में विचार

13.4.2 समाजवाद पर विचार

13.4.3 कृषक पुनर्निर्माण तथा ग्रामीण विकास

13.4.4 साधनों की शुद्धता सम्बन्धी विचार

13.4.5 आर्थिक नियोजन

13.4.6 राष्ट्रीय आन्दोलन तथा समाजवादी आन्दोलन सम्बन्धी धारणा

13.4.7 आम हड़ताल सम्बन्धी विचार

13.4.8 धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद में आस्था

13.4.9 नवीन दृष्टिकोण से भारतीय धर्म की व्याख्या

13.4.10 गांधीवाद के सम्बन्ध में विचार

13.5 मानवतावाद में आस्था

13.6 सारांश

13.7 शब्दावली

13.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

13.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

13.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

13.11 निबन्धात्मक प्रश्न

13.1 प्रस्तावना

आचार्य नरेन्द्रदेव का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका परिवेश धार्मिक भावनाओं से ओत-प्रोत था फिर भी उनके ऊपर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वे जीवन भर कट्टर मार्क्सवादी विष्वासों को सहेजते रहे तथापि के कट्टर मानव प्रेमी भी बने रहे। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन बाल गंगाधर तिलक व अरविन्द घोष के अतिवादी राष्ट्रवाद के अनुयायी के रूप में आरम्भ किया था। 1904 ई. से ही उन्होंने राजनीतिक कार्यों में रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया था जिसका परिणाम रहा कि 1905 में वे दर्षक के रूप में कांग्रेस में शामिल हुए। इसी वर्ष घटित बंग-भंग (बंगाल विभाजन) की घटना ने उनमें अंग्रेजों की न्यायाप्रियता के प्रति अविष्वास की भावना उत्पन्न कर दी थी। इसीलिए जब 1931 में गांधी जी द्वारा असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया गया तो आचार्य नरेन्द्रदेव न केवल उसमें शामिल हुए बल्कि गांधीजी के सरकार से असहयोग के आह्वान पर वे वकालत करना छोड़ दिये। 1934 ई० में उन्होंने 'अखिल भारतीय समाजवादी दल' के उद्घाटन सम्मेलन का सभापतित्व किया तो 1939 ई० में उनके द्वारा किसान सभा के गया सम्मेलन की अध्यक्षता की गयी। रघुकुल तिलक के अनुसार उनके जीवन के दो ही आदर्ष थे- प्रथम शिक्षण कर्म तो द्वितीय राष्ट्र की स्वतन्त्रता के लिए एक कर्मठ योद्धा बनना। प्रथम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने गम्भीरता से बौद्ध धर्म के दर्शनका अध्ययन किया और पाली भाषा तथा प्राकृत के ज्ञान का अद्भुत पाण्डित्य प्राप्त किया तो द्वितीय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने समाजवादी दल एवं किसान सभाओं के माध्यम से राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक स्वतन्त्रता का प्रयास किया। किसान आन्दोलनों में रुचि के कारण ही दो बार उन्हें अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जीवन पर्यन्त के अपनी लेखनी व कार्यों से समाजवादी चेतना तथा किसान आन्दोलनों को धार देते रहे जिसके कारण कई बार उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। आचार्य नरेन्द्रदेव को भारतीय समाजवादी चिन्तन का प्रणेता कहा जा सकता है।

13.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त हम-

1. भारत में समाजवादी चिन्तन की पृष्ठभूमि जान सकेंगे।
2. आचार्य नरेन्द्रदेव के चिन्तन के दार्शनिक आधार के बारे में जान सकेंगे।
3. आचार्य नरेन्द्रदेव के सामाजिक तथा राजनीतिक विचारों को समझ सकेंगे।
4. आचार्य नरेन्द्रदेव के कृषक पुनर्निर्माण तथा ग्राम विकास की धारणा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

5. आर्थिक विकास हेतु नियोजन के महत्व को समझ सकेगें।

6. आचार्य नरेन्द्रदेव के समाजवादी धारणा को जान सकेगें।

13.3 आचार्य नरेन्द्रदेव के चिन्तन का दार्शनिक आधार

आचार्य नरेन्द्रदेव ने उस समय राजनीति में रुचि लेना प्रारम्भ किया था जबकि लाल, बाल, पाल और अरविन्द घोष ने उग्रवादी राष्ट्रवाद की हुंकार दी थी इसलिए उनके चिन्तन पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उन पर अपने पिता का स्पष्ट प्रभाव अंकित था और भारतीय संस्कृति में भी उनकी घोर आस्था थी। एक समाजवादी चिन्तक के रूप में आचार्य नरेन्द्रदेव के ऊपर कार्ल मार्क्स के भौतिक द्वन्द्ववाद व वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्तों का व्यापक प्रभाव पड़ा यद्यपि उनके द्वारा द्वन्द्ववादी भौतिकवाद के दर्शन की विषयव्याख्या नहीं की गयी फिर भी उन्होंने उसके सामान्य सिद्धान्तों की चर्चा की। उनका कहना था कि वास्तविकता जटिल है किन्तु द्वन्द्ववादी पद्धति वास्तविकता को उसके समग्र एवं जटिल रूप में समझने का प्रयत्न करती है। वे द्वन्द्ववाद के पद्धति की इस मान्यता से सहमत दिखायी देते हैं कि भौतिक जगत अर्थात् विश्व एक प्रक्रिया है जिसमें अनवरत परिवर्तन होते रहते हैं। वे एक वैज्ञानिक समाजवादी होने का दावा करते थे।

भारतीय संस्कृति व गांधीवादी दर्शन का प्रभाव भी उनके ऊपर स्पष्ट दिखायी देता है। इसलिए उन्होंने नैतिकता को समाजवाद का आधार बनाने का प्रयास किया। जिसके कारण उनको नैतिक समाजवादी भी कहा जाता है। नैतिक मूल्यों की प्राथमिकता में विश्वास के कारण वे समाजवाद को एक सांस्कृतिक आन्दोलन भी मानते थे। इसलिए उन्होंने समाजवाद के मानवतावादी आधार का समर्थन किया। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के बावजूद वे उनके अहिंसा के सिद्धान्त को समग्र रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। आचार्य नरेन्द्रदेव पर बुखारिन की पुस्तक 'एपेजवतपबंस 'Historical Materialism' (ऐतिहासिक भौतिकवाद) का भी प्रभाव पड़ा। उन्होंने बुखारिन की वर्गों की कसौटी तथा विभाजन के सिद्धान्त को स्वीकार किया। बुखारिन की भांति ही आचार्य नरेन्द्रदेव भी मानते थे कि समाज में पूँजीपतियों तथा सर्वहारा के अतिरिक्त अन्य वर्ग-मध्य वर्ग, संक्रमण वर्ग तथा मिश्रित वर्ग होते हैं। इसके अतिरिक्त लेनिन, मैजिनी, सिडनी बेव, ब्लंटश्री और रोजा लक्जम वर्ग की रचनाओं ने भी उनके विचारों को गम्भीर रूप से प्रभावित किया। तत्कालीन समय की कई घटनाओं जैसे बंगाल का विभाजन, रूस पर जापान की विजय और सोवियत संघ की साम्यवादी क्रान्ति ने भी उनके चिन्तन पर प्रभाव डाला।

13.4 आचार्य नरेन्द्रदेव के राजनीतिक विचार

आचार्य नरेन्द्रदेव के सम्पूर्ण राजनीतिक चिन्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व समाजवाद था। इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कार्ल मार्क्स के समस्त चिन्तन का गम्भीर अध्ययन किया और उनके विचारों का समर्थन करते हुए समाजवादी धारणा को भारत में स्थापित करने की पुरजोर कोषिष की। आचार्य नरेन्द्रदेव अपने को वैज्ञानिक समाजवादी मानते थे। उनका कहना था कि 'हमारे सामने जो काम हैं उसे हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हम समाजवाद के सिद्धान्तों एवं उद्देश्यों को अपने हृदय में उतार ले तथा परिस्थितियों के सही ज्ञान के लिए मार्क्स द्वारा प्रतिपादित द्वण्डात्मक पद्धति को समझें और उसे अपने क्रियाकलाप का आधार बनाने का प्रयत्न करें। इसके लिए हमें वैज्ञानिक समाजवाद का आश्रय लेना चाहिए। विद्यमान सामाजिक व्यवस्था का क्रान्तिकारी रूपान्तर ही परिस्थितियों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है उससे कम किसी चीज से काम नहीं चल सकता।'

विश्व की कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है। इतिहास एक निरन्तर गतिमान प्रवाह तथा सामाजिक घटनाक्रम है। इसलिए इसे गत्यात्मक ऐतिहासिक पद्धति के द्वारा ही समझा जा सकता है। मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्याख्या का समर्थन करते हुए उन्होंने यह स्वीकार किया कि पूंजीवाद के विकास की सम्भावनाएं समाप्त हो चुकी हैं। अतः मानव जाति को युद्ध की विभीषिका और आर्थिक संकट से बचाने के एक मात्र उपाय वैज्ञानिक समाजवाद को स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य नरेन्द्रदेव कार्ल मार्क्स के 'इतिहास की आर्थिक व्याख्या' को स्वीकार करते हैं इसलिए उस पर लगाये गये विभिन्न आरोपों का नकार दिया वे लिखते हैं 'मार्क्स की इतिहास की भौतिक व्याख्या को प्रायः गलत समझा जाता है। चूंकि इसदर्शनमें भौतिक शब्द का प्रयोग किया गया है अतः मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इस धारणा को भौतिकतावादी सिद्धान्त मान लिया जाता है। लोगो का यह भी कहना है कि मार्क्स भौतिक पदार्थ की उच्चता को स्थापित करता है और मानता है कि भौतिक पदार्थ ही इतिहास के निर्माता एवं नियोक्ता हैं, आध्यात्मिक मूल्य और विचार महत्वहीन हैं। इनका खण्डन करते हुए आचार्य नरेन्द्रदेव ने लिखा है कि मार्क्स इतिहास के विकास के कारकों में भौतिक पदार्थ तथा मानव मस्तिष्क दोनों की क्षमता को स्वीकार करता है। वास्तव में वह मनुष्य को ऐसा सक्रिय कर्ता मानता है जो जागृति की स्थिति में रहकर इतिहास की कायापलट कर देता है। कहने का आशय यह है कि इतिहास के निर्माण में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं परन्तु इसका कदापि यह अर्थ नहीं है कि वे ही सर्वेसर्वा हैं। इस सबसे मार्क्स हमारा ध्यान इस तरफ आकृष्ट करता है कि कोई भी विचार इतिहास की धारा को तभी बदल सकता है जबकि वह तथ्यपरक हो। आचार्य नरेन्द्रदेव मार्क्स को मानववादी मानते हैं। नरेन्द्रदेव ने मार्क्स के 'इतिहास की आर्थिक व्याख्या' की जो व्याख्या की है। डॉ. वी.पी. वर्मा उसे स्वीकार नहीं करते हैं। उन्होंने लिखा है कि मेरे विचार में नरेन्द्रदेव की धारणा सही नहीं है कि मार्क्स पदार्थ तथा मानवीय चेतना दोनों को समान महत्व देता था। मार्क्स के अनुसार

भौतिक वास्तविकता तथा चेतना इस दोनों में से पहली वस्तु निसन्देह प्राथमिक तथा आधारभूत है। नरेन्द्रदेव की व्याख्या तो वस्तुतः मार्क्स के मूल सिद्धान्त का संशोधन है।

13.4.1 समाजवाद पर विचार

आचार्य नरेन्द्रदेव समाजवादी धारणा के प्रबल पोषक थे। इसलिए उन्हें सामाजिक असमानता स्वीकार्य नहीं थी। वे समाज में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समानता लाना चाहते थे। उन्होंने भारतीय समाज के सम्बन्ध में कहा कि इसमें महान परिवर्तन होने वाले हैं परन्तु इस हेतु आदर्श पथ-प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज नये नेतृत्व की आवश्यकता है, समाजवाद ही नया नेतृत्व प्रदान कर सकता है। जनता के विस्तृत एवं व्यापक हित पर आधारित यह सम्पूर्ण सामाजिक सिद्धान्त ही हमारा पथ-प्रदर्शन कर सकता है। जन जागरण तथा जनक्रान्ति की नीति ही समाज को समुचित विकास का साधन बना सकती है। समाजवाद केवल रोटी का सवाल नहीं है बल्कि यह तो मानव स्वतन्त्रता की कुंजी है। समाजवाद ही मनुष्य के मनुष्यत्व को समाज में प्रतिष्ठित कर सकता है। समाजवाद ही श्रेणी नैतिकता तथा मत्स्य न्याय के स्थान पर जन प्रधान नैतिकता एवं सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकता है। समाजवाद ही स्वतन्त्रता, समानता तथा भ्रातृत्व पर आधारित एक सुन्दर सबल संस्कृति की सृष्टि कर सकता है। ऐसी सभ्यता तथा संस्कृति की स्थापना केवल उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की स्थापना करके नहीं की जा सकती बल्कि उसके लिए सामाजिक संरचना का पुनर्निर्माण समुचित रीति से करना होगा। मानव सम्मान एवं गरिमा की रक्षा के लिए नागरिक स्वतन्त्रता तथा उत्तरदायित्व पूर्ण प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था का होना आवश्यक है। सुन्दर और सम्पूर्ण मनुष्यत्व की सृष्टि तभी सम्भव है जबकि उसके साधन भी सुन्दर एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित हों। उद्देश्य तथा साधन दोनों परस्पर सम्बद्ध तथा परस्पर निर्भर होते हैं और दोनों का अपना-अपना महत्व है।

यहाँ पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि यद्यपि आचार्य नरेन्द्रदेव मार्क्सवादी धारणा में आस्था रखते थे फिर भी वे मानवतावादी एवं नैतिक मूल्यों के विरोधी नहीं थे। जीवन के प्रजातान्त्रिक मूल्यों में उनकी घोर आस्था थी। अतः वे प्रजातान्त्रिक तरीके से समाजवाद के स्थापना की हिमायत करते थे। आचार्य नरेन्द्रदेव ने समाजवाद के मानववादी आधारों पर अधिक बल दिया है। वे फ्रांत्स मेहरिंग के इस मत को स्वीकार करते थे कि मार्क्स आधुनिक युग का प्रोमेंथियुस था, वह मानववादी उत्साह से अनुप्रेरित था और शोषित तथा संतप्त मानवता के मुक्ति हेतु हर प्रकार के कष्टों को सहन करने के लिए उद्यत था। मानववाद से सम्बद्ध होने के कारण मार्क्सवाद ने वर्तमान युग में एक प्रचण्ड क्रान्तिकारीदर्शनका रूप धारण कर लिया है। उसने करोड़ों लोगों को नयीदार्शनिकज्योति प्रदान की है। आचार्य नरेन्द्रदेव ने उत्साह पूर्वक कहा कि मार्क्सवाद को क्रियान्वित करके एक नवीन समाज का निर्माण करना सम्भव है।

13.4.2 समाजवाद पर विचार

भारतीय किसानों तथा खेतिहर मजदूरों की स्थिति अत्यन्त दयनीय तथा उनकी समस्याएं अत्यन्त विकट थीं। वे गरीबी तथा भूखमरी से पीड़ित थे जिससे निजात दिलाने हेतु किसी क्रान्तिकारी योजना का निर्माण आवश्यक था। इसलिए आचार्य नरेन्द्रदेव ने भारत के कृषक पुनर्निर्माण का समर्थन किया। वे स्टालिन के इस बात से पूर्णतया सहमत थे कि “किसानों के विषाल समुदाय को समाजवादी विचारधारा से अनुप्राणित करना आवश्यक है।” इसलिए उनका आग्रह था कि सभी प्रकार के किसानों की शक्तियों को एकजुट किया जाय। बहुसंख्यक किसानों को देश के समाजवादी पुनर्निर्माण की योजना से सम्बद्ध करने के लिए सहकारी समितियों को संगठित करना तथा उन्हें सृदृढ़ करना आवश्यक था। उनका मानना था कि किसानों की दयनीय स्थिति से निजात दिलाने के लिए आवश्यक है कि ऋण निरस्त कर दिये जाय तथा उनको कम व्याज पर ऋण की व्यवस्था की जाय। भूमि व्यवस्था का क्रान्तिकारी रूपान्तरण किया जाय इसके लिए आवश्यक है कि वास्तविक किसानों और राज्य के बीच के विचौलियों को समाप्त कर दिया जाय। नरेन्द्रदेव राष्ट्रीय समस्याओं को किसानों के वर्गगत दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने कृषकवाद की निन्दा करते हुए भारतीय समाजवादियों को कृषकवाद के खतरों से आगाह करते हुए लिखा कि “मैं इस स्थल पर एक और खतरे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और वह आसन्न खतरा है कृषकवाद का! इस दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमी यह रही है कि इसके अन्तर्गत हर समस्या को एक संकीर्ण एवं तंगदिली कृषक हितों से जोड़कर देखा जाता है। यह मान्यता इस आदर्श से निःसृत हुई है कि हमारी राज्य व्यवस्था की तरह यहाँ का आर्थिक विकास का कलेवर भी कृषक जीवन के रंगों से पूरित होगा। इन लोगों का विश्वास एक ऐसे कृषक जनतन्त्र में केन्द्रित है जो किसानों के स्वामित्व की जनतान्त्रिक व्यवस्था होगी। वास्तव में देखा जाय तो यह विचार धारा उस मध्यम कृषक की विचारधारा है जो कि ‘पैटी बुर्जुवा’ अर्थशास्त्र की मान्यता को आधार मानता है तथा आधुनिक विचारों से प्रभावित बना रहता है।

आचार्य नरेन्द्रदेव का मानना था कि कृषकवाद मध्यम कृषक की विचारधारा है जबकि हमें भूमिहीन कृषक मजदूरों का भी ध्यान रखना होगा। उन्हें यह भय भी था कि किसानवाद से ऐसा न हो कि नगरों एवं देहातों के बीच हानिकर संघर्ष उत्पन्न हो जाय। वे इस पक्ष में थे कि ग्रामीण विकास के लिए साक्षरता का होना आवश्यक है। साक्षरता से किसानों में जागरूकता बढ़ेगी जिससे किसानों एवं मजदूरों के मध्य दुराव को कम किया जा सकेगा। आचार्य नरेन्द्रदेव किसानों और मजदूरों दोनों को एक साथ जोड़कर प्रगति और आधुनिकता की दिशा में आगे ले जाना चाहते थे। वे एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते थे जिससे गांवों में सहकारी व्यवस्था कायम हो सके और जो लोकतान्त्रिक ग्राम सरकार का मार्ग प्रशस्त करें। आर.ए.प्रसाद के अनुसार आचार्य नरेन्द्रदेव भारत में एक विकेन्द्रित प्रजातान्त्रिक राज्य की स्थापना का प्रबल समर्थन करते थे। उनके अनुसार ‘राज्य हर

खेतिहर को विभिन्न प्रकार की सहायता देगा तथा विकेन्द्रित समाजवादी राज्य में सामान्य मतपत्र के आधार पर चुनी हुई पंचायते ही गांवों में राज्य की शक्ति की प्रमुख नियन्ता होगी।

13.4.3 साधनों की शुद्धता सम्बन्धी विचार

आचार्य नरेन्द्रदेव मार्क्सवाद में आस्था रखने के बावजूद इस बात पर जोर देते थे कि साध्य तभी पवित्र होगा जबकि उसे प्राप्त करने का साधन भी पवित्र हो। उनकी यह धारणा गांधी के करीब दिखायी देती है। 1948 में गांधी की मृत्यु पर उन्होंने कहा ‘वास्तव में किसी भी जीवन का रास्ता जीवन में शान्ति, धर्म तथा सामाजिक-आध्यात्मिक पृष्ठों की स्थापना से जुड़ा हुआ है और हम इन मूल्यों के विरुद्ध अत्याचार, दुर्व्यवहार, घृणा तथा शत्रुता का वरण नहीं कर सकते हैं।’ उन्होंने लिखा कि “साधनों की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी की साध्यों की शुद्धता। बुरे रास्ते हमें कभी भी अच्छे लक्ष्यों तक नहीं पहुँचा सकते। अतः हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हमें तभी होगी जबकि हम जीवन व्यवहार में कुछ मूल्यों का कड़ाई के साथ पालन करते रहें।” आचार्य नरेन्द्रदेव भौतिकवादी मूल्यों के बजाय नैतिक मूल्यों को विशेष महत्व देते थे। नैतिक मूल्यों को तार्किक समर्थन देने के लिए ही उन्होंने हिन्दू तथा बौद्ध चिन्तन का गम्भीर अध्ययन किया। वे मार्क्सवादियों के इस धारणा से सहमत नहीं थे कि सषष्ठ विद्रोह ही समाजवाद को स्थापित करने का एकमात्र रास्ता है। उनके अनुसार लोकतान्त्रिक साधनों से भी समाजवाद की स्थापना की जा सकती है लेकिन लोकतान्त्रिक साधनों से उनका आशय कदापि यह नहीं था कि केवल संसदीय साधन (कानून निर्माण का मार्ग) ही अपनाया जाय। वे संसदीय साधनों के साथ-साथ अति संसदीय साधन जैसे सत्याग्रह, हड़ताल और आम हड़ताल को भी अपनाने के पक्षधर थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आचार्य नरेन्द्रदेव मार्क्स में भी मानव तलाशते हुए नजर आते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मार्क्स और गांधी दोनों ही भिन्न रास्तों से चलते हुए एक नैतिक प्राणी को खोजने का प्रयास करते हैं जो स्वतन्त्रता का उपभोग कर अपने अन्दर छुपी अनन्त क्षमताओं को उजागर कर देता है।

13.4.4 आर्थिक नियोजन

आचार्य नरेन्द्रदेव भारत में योजनाबद्ध आर्थिक विकास के पक्षधर थे। उनका मानना था कि राष्ट्र का समुचित आर्थिक विकास तभी सम्भव है जबकि हम योजनाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास के मार्ग पर चले अर्थात् नियोजन को अपनाना हमारा लक्ष्य हो। सेवियत संघ में प्रचलित आर्थिक नियोजन पद्धति की प्रशंसा करते हुए उन्होंने लिखा है “विश्व में सेवियत संघ ही एक ऐसा देश है जहाँ बेरोजगारी नहीं है। नियोजन विकास के व्यापक लाभों के प्रति सहमति तो अब पूंजीपति भी जताने लगे हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वे आर्थिक नियोजन का पक्षपोषण तो करते हैं परन्तु नियोजन के नाम पर सर्वाधिकारवाद का समर्थन नहीं करते हैं। आर्थिक नियोजन के माध्यम से समाज के लाखों ऐसे लोगों का कल्याण किया जा सकता है जो समाज में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कारणों से पिछड़े हुए हैं और जिनके विकास के वगैर समाज को आदर्श स्वरूप देना सम्भव नहीं है।

अभ्यास प्रश्न 1

निर्देश- 1. नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखें।

2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तर से मिलान कर अपने उत्तर की त्रुटियों को दूर करें।

1. आचार्य नरेन्द्रदेव ने वकालत क्यों छोड़ दी थी ?

2. आचार्य नरेन्द्रदेव ने किस वर्ष 'अखिल भारतीय समाजवादी दल' के उद्घाटन सम्मेलन का सभापतित्व किया ?

- | | |
|----------------|------------------------|
| (i) 1931 में | (ii) 1934 में |
| (iii) 1942 में | (iv) इनमें से कोई नहीं |

3. इतिहास एक निरन्तर गतिमान प्रवाह तथा सामाजिक घटनाक्रम है।

- | | |
|-------------|---------------|
| (i) सत्य है | (ii) असत्य है |
|-------------|---------------|

4. आचार्य नरेन्द्रदेव नियोजन के पक्षधर वही थे ?

- | | |
|-------------|---------------|
| (i) सत्य है | (ii) असत्य है |
|-------------|---------------|

13.4.5 राष्ट्रीय आन्दोलन तथा समाजवादी आन्दोलन सम्बन्धी धारणा

आचार्य नरेन्द्रदेव राष्ट्रीय आन्दोलन को समाजवादी आन्दोलन से जोड़कर उसे व्यापक बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक Socialism and National Revolution और 'राष्ट्रीयता तथा समाजवाद' की रचना की। उन्होंने लिखा कि देश में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विभेदीकरण की प्रक्रिया अधिकाधिक तीव्र गति से कार्य कर रही है जिसके परिणाम स्वरूप उच्च तथा मध्यम वर्ग के अधिकाधिक अंग राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक् होते जा रहे हैं। यह राष्ट्रीय स्वाधीनता की दृष्टि से शुभ संकेत नहीं है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उस एकता के लिए जिसका कोई आधार नहीं है विलाप करना छोड़ दे और उन तरीकों को ढूँढ़ निकाले जिससे राष्ट्रीय संघर्ष जो अब तक प्रधानतः मध्य वर्ग का आन्दोलन रहा है अधिक तीव्र बनाया जा सके। मेरी भावना है कि इसका एकमात्र उपाय यह है कि जन समुदाय को आर्थिक चेतना तथा वर्ग चेतना की बुनियाद पर संगठित करके राष्ट्रीय आन्दोलन को व्यापकता प्रदान की जा सकती है। प्रचार और संगठन ही ऐसे दो साधन हैं जिसके द्वारा किसी वर्ग को आत्म सचेत बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि जनसमुदाय को क्रियाशील बनाने तथा देश को लोकतन्त्र के लिए तैयार करने का एक मात्र उपाय यह है कि किसी लोकहितकारी आर्थिक विचारधारा को अंगीकार करके राष्ट्रीय संग्राम का समाजीकरण

किया जाय। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के वर्गीय संरचना को दृष्टिगत रखकर हमें ऐसी रणनीति बनानी पड़ेगी जिससे लोग राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय हों। उनका कहना था कि जनसाधारण प्राकृतिक अधिकारों की किसी धारणा या लोक प्रभुत्व के किसी सिद्धान्त से आकृष्ट नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ने का सबसे सरल उपाय यही है कि उनमें वर्गीय चेतना जागृत की जाय और आर्थिक हितों की भाषा बोलकर उनको वैचारिक रूप से एकजुट किया जाय। उन्होंने समाजवादियों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन से जुड़ने की सलाह दी और कहा कि यदि समाजवादियों ने अपने को देश में चल रहे राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन से पृथक् रखा तो उनका यह कार्य आत्म हत्या करने के समान होगा। वे स्वतन्त्रता आन्दोलन को अत्यधिक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने समाजवादियों से कहा कि एक औपनिवेशिक देश के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता समाजवाद के मार्ग में एक अपरिहार्य अवस्था है।

स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रति उनके लगाव का ही प्रतिफल था कि जब 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रस्ताव पारित किया तो उन्होंने उसका समर्थन करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव स्वतन्त्रता के समाजिक पहलू की व्याख्या करता है। यह खेतों तथा कारखानों की सम्पूर्ण शक्ति को श्रमिक वर्ग में निहित करना चाहता है। उनकी दृष्टि में इस प्रस्ताव का उद्देश्य जनसाधारण की सर्वोच्चता स्थापित करना था। वे चाहते थे कि जनसमुदाय की क्रान्तिकारी भावना को तीव्र किया जाय जिससे उसका उपयोग स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए किया जा सके। स्वयं उन्होंने जनता को क्रान्तिकारी कार्यवाही के लिए उत्तेजित करने के लिए कार्य भी किया। उनका कहना था कि 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक तथा आर्थिक मुक्ति हेतु जो कार्य वहां के पूंजीपतियों ने किया वही कार्य भारत में शोषित जनता के संगठनों द्वारा किया जाना चाहिए। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद देशी राजाओं, जमींदारों और पूंजीपतियों की सहायता से अपनी जड़े मजबूत कर रहा है। इस प्रकार शोषण की व्यवस्था के स्तम्भों को दृढ़ बनाया जा रहा था। पूंजीपतियों ने भी जमींदारों के साथ समझौता कर लिया था। प्रतिक्रान्तिकारी शक्तियों के इन गठबन्धनों ने शोषित जनता के कार्य को और भी अधिक दुरुह बना दिया था। उसे देश की राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार की मुक्ति के लिए संघर्ष करना था। ऐसी स्थिति में औद्योगिक मजदूरों, किसानों तथा निम्न मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा संयुक्त मोर्चा बनाया जाना आवश्यक हो गया था। इस प्रकार आर्थिक तथा राजनीतिक संघर्ष सफलता की अधिक आशा के साथ चलाया जा सकता था। नरेन्द्रदेव श्रमिक वर्ग को साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की अग्रगामी टुकड़ी तथा किसानों एवं बुद्धजीवियों को उसका सहायक मानते थे। उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार की मुक्ति के लिए संघर्ष है। अतः उन्होंने देश के मजदूरों, किसानों और निम्न मध्यम वर्ग को संगठित कर स्वतन्त्रता आन्दोलन के आधार को व्यापक बनाने पर बल दिया। उनकी दृष्टि में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के आधार को व्यापक बनाने के लिए जनता में रचनात्मक कार्यों का किया जाना भी आवश्यक है। उन्हें आशा थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरान्त संसार में अनेक जनक्रान्तियां होगी जो

समाजवाद की स्थापना व राष्ट्रों को स्वाधीनता दिलाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने माना कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता अर्थात् शोषक राष्ट्र से मुक्ति प्राप्त किये बिना समाजवाद के स्थापना की बात करना आकाश कुसुम के समान होगा। इसलिए समाजवादी आन्दोलन से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति एवं संगठन का यह दायित्व है कि वह स्वाधीनता आन्दोलन में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले।

13.4.6 आम हड़ताल सम्बन्धी विचार

आचार्य नरेन्द्रदेव आम हड़ताल के सम्बन्ध में जार्ज सोरेल द्वारा प्रतिपादित श्रम संघवादी सिद्धान्त से प्रभावित थे। उन्हें विश्वास था कि आम हड़ताल भावनात्मक विचारधारात्मक तथा कार्यनीतिक तीनों ही दृष्टियों से लाभदायक है। उनके अनुसार आम हड़ताल के दो परिणाम होंगे-प्रथम उससे देशकी अर्थव्यवस्था पूर्णतः जर्जर हो जायेगी जिससे विदेशी शोषक देशभाग जायेंगे। द्वितीय आम हड़ताल को सफलता पूर्वक संगठित करने से जनता में प्रचण्ड शक्ति का उदय होगा जो सामाजिक क्रान्ति की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। उन्होंने कहा “रूस के विपरीत भारत में अभी तक हड़ताल के श्रमजीवी अस्त्र को जनसमुदाय के लिए संकेत के रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया है किन्तु श्रमिक वर्ग अपने राजनीतिक प्रभाव को तभी बढ़ा सकता है जबकि वह राष्ट्रीय संघर्ष में आम हड़ताल का प्रयोग करके निम्न मध्य वर्ग को हड़ताल की क्रान्तिकारी सम्भावनाओं से अवगत करा दे। आम हड़ताल सम्बन्धी आचार्य नरेन्द्रदेव की यह धारणा महात्मा गाँधी की राजनीतिक विचारधारा के नितान्त विपरीत है।

13.4.7 धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद में आस्था

यद्यपि अपने विद्यार्थी जीवन में आचार्य नरेन्द्रदेव पर लाल, बाल, पाल (लाला लाजपत राय, बालगंगाधर तिलक तथा विपिन चन्द्र पाल) एवं अरविन्द घोष के धार्मिक पुनरुत्थानवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा था लेकिन 1930 तक आते-आते उन पर यह प्रभाव समाप्त हो गया। आचार्य नरेन्द्रदेव धर्म निरपेक्ष या लौकिक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। उनके अनुसार समाज के आर्थिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं और इसके साथ-साथ सांस्कृतिक जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। प्राचीन काल में सम्पूर्ण जीवन पर धर्म-मजहब का प्रभाव होता था। इसलिए संस्कृति के निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी परन्तु आज मजहब का प्रभाव कम हो गया है। हमारे देश में दुर्भाग्य से लोग संस्कृति को धर्म से अलग नहीं करते हैं। इसका प्रमुख कारण हमारी अज्ञानता एवं संकीर्णता है। वस्तुतः धर्म और संस्कृति दो अलग-अलग स्थितियाँ हैं। वर्तमान समय में संस्कृति के निर्माण में धर्म से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीयता ने प्राप्त कर ली है यदि ऐसा नहीं होता तो एक ही देश में रहने वाले विभिन्न धर्मों के अनुयायी उसे नहीं अपनाते। धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा कि राष्ट्रीयता की मांग है कि भारत में रहने वाले सभी मजहब के लोगों के साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। अब चार करोड़ मुसलमान हमारे देश के अधिवासी हैं तो हमारे लिए उनके सम्पर्क से बचने की बात सोचना घोर ना

समझी है ऐसी अवस्था में एकरूपता के अभाव तथा संकीर्ण बुद्धि से उनके साथ व्यवहार करने में सदा भय बना रहेगा और संघर्ष होता रहेगा। एक व्यापक तथा उदार बृद्धि से काम लेने तथा कानून और आर्थिक पद्धति की समानता से धीरे-धीरे विभिन्नता दूर होगी और इसदेशके सभी लोग समान रूप से इसदेशकी उन्नति में लगेगें। धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव करने की प्रवृत्ति का त्याग अर्थात् सभी धर्मों के लोगों के साथ समानता का व्यवहार राष्ट्रीय एकता की कड़ी को मजबूत करेगा। इससे समाज के लोगों के बीच की फूट रुकेगी जिससे विदेशी हुकुमत के खिलाफ जारी संघर्ष और अधिक प्रबल होगा।

13.4.8 नवीन दृष्टिकोण से भारतीय धर्म की व्याख्या

धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद सम्बन्धी अपनी विचारधारा को मजबूती प्रदान करने के लिए आचार्य नरेन्द्रदेव ने 'भारतीय धर्म' की एक नवीन धारणा का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार आज विविध धर्मों ने सम्प्रदाय विशेष की स्थिति प्राप्त कर ली है। इन विविध सम्प्रदायों में उदारता के साथ एक विशेष प्रकार की संकीर्णता भी है। इन विविध सम्प्रदायों के लोगों का सोचना है कि आध्यात्मिक जीवन के चरम लक्ष्य (स्वर्ग, मोक्ष अथवा आत्मकल्याण) की प्राप्ति का केवल एक ही मार्ग है और वह मार्ग केवल वही है जिसका अन्वेषण और निर्देश उस सम्प्रदाय विशेष के प्रवर्तक या पैगम्बर ने किया है किन्तु उनके अनुसार भारतीय धर्म इन सबसे भिन्न है क्योंकि उसका न तो कोई आदि प्रवर्तक है और न तो उसका कोई एक पवित्र ग्रन्थ ही है जिसको वह एक मात्र प्रमाण माने। वे इसे सनातन धर्म के नाम से भी नहीं पुकारना चाहते थे क्योंकि सनातन धर्म भी तो आज एक सम्प्रदाय विशेष के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसलिए वे इसे 'भारतीय धर्म' कहना ही पसन्द करते थे। उनका कहना था कि भारत की अधिकांश जनता इसी धर्म को मानती है। यद्यपि इस पर भी सम्प्रदायों का प्रभाव पड़ा है फिर भी यह अपनी मुख्य-मुख्य बातों के सम्बन्ध में आज भी उदार है। इस धर्म का विश्वास है कि आत्मकल्याण के अनेक मार्ग हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने सम्प्रदाय के अनुसार आचरण करते हुए आत्म कल्याण कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह साम्प्रदायिक दृष्टि नहीं हैं आचार्य नरेन्द्रदेव का कहना था कि भारतीय धर्म सभी सन्तों को मानता है और सबकी वाणी सुनता है वह किसी धर्म के विरुद्ध प्रचार नहीं करता, दूसरों को अपने धर्म में दीक्षा देने का प्रयत्न नहीं करता है।

आचार्य नरेन्द्रदेव के अनुसार भारतीय धर्म में समय-समय पर अनेक पंथों का उदय हुआ। भारतीय धर्म ने अपनी उदारता एवं समन्वय वादिता के कारण व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन सबकों अपने में समाहित कर लिया। परिणाम स्वरूप भारतीय धर्म की विजय हुई और समाज से अलग हुए ये सम्प्रदाय पुनः भारतीय धर्म के दायरे में आ गये। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि सिख सम्प्रदाय के दशम गुरु ने सिखों का संगठन किया और उनको कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की आज्ञा दी। जिससे धीरे-धीरे सिख समाज साधारण समाज से पृथक् होने लगा किन्तु हिन्दुओं ने सिख गुरुओं की उपासना शुरू कर दी और उन्हें समाज का रक्षक मानते हुए प्रत्येक संस्कार के अवसर पर

गुरु ग्रन्थ का पाठ भी कराया परिणाम स्वरूप पार्थक्य दूर होने लगा और सिख अपने को हिन्दू समझने लगे।

आचार्य नरेन्द्रदेव ने माना कि भारतीय धर्म का यह उदान्त भाव सब प्राणियों में अपने को और अपने में सब प्राणियों को देखने के लिए विवर्ष करता है। यही समन्वय का योग और उपनिषदों की शिक्षा है। उनके अनुसार यह जन जागरण का युग है। इस समय सब लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में जब तक एकता के नये साधन नहीं निकाले जायेंगे तब तक संघर्ष और विद्रोह की भावना बनी रहेगी। इसलिए उन्होंने शान्ति की रक्षा और युद्धों को रोकने के लिए भारतीय धर्म की महत्ता बताई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रों के मध्य सौहार्द और सहयोग स्थापित करने में भी इससे सहायता मिलेगी। उनके अनुसार भारतीय धर्म की इस उदार भावना को अपनाने की आज विशेष आवश्यकता है क्योंकि इसके अभाव में मानव समाज और विश्व दोनों की रक्षा सम्भव नहीं है। भारतीय धर्म भारत के सभी सम्प्रदायों का धर्म है यह सम्प्रदाय के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करता है। इसलिए सभी सम्प्रदायों के लोग इसमें अपनी-अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। भारतीय धर्म ने सभी सम्प्रदायों के लोगों को जोड़ने की एक ऐसी मजबूत कड़ी का काम किया है जो अटूट है। यह राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत बनाने का एक सबल साधन है।

13.4.9 गाँधीवाद के सम्बन्ध में विचार

यद्यपि आचार्य नरेन्द्रदेव का गांधी जी से घनिष्ठ सम्बन्ध था फिर भी गांधी जी के वर्ग सहयोग के सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किये अर्थात् उनके द्वारा वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त का परित्याग नहीं किया गया बल्कि वे इस बात का पक्षपोषण करते रहे कि समाज में वर्गों की उपस्थिति सदैव बनी रहती है। उन्होंने माना कि गांधी जी द्वारा कल्पित वर्ग विहीन समाज समाजवादी व्यवस्था में ही सम्भव है। जब तक समाज के लोगों में समानता की स्थिति नहीं होगी तब तक अहिंसावादी होना भी सम्भव नहीं होगा। आचार्य नरेन्द्रदेव गांधी के साधनों की शुद्धता या पवित्रता सम्बन्धी धारणा में आस्था रखते थे। इसलिए वे बार-बार कहते थे कि बिना साधनों की शुद्धता के अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। गांधीवाद का ही प्रभाव था कि आचार्य नरेन्द्रदेव नैतिकतावादी और मानवतावादी मूल्यों का समर्थन करते हुए दिखायी देते हैं।

13.5 मानवतावाद में आस्था

आचार्य नरेन्द्रदेव घोर मानवतावादी थे। उनके द्वारा अपनी रचनाओं तथा विचारों में मानव कल्याण तथा मानव मात्र की प्रतिष्ठा एवं गरिमा का भरपूर समर्थन किया गया। इसलिए कहा जाता है कि वे कार्ल मार्क्स में भी मानव तलाषते हुए नजर आते हैं। मार्क्स के सिद्धान्तों का समर्थक होने के बावजूद वे उनके व उनके समर्थकों के इस बात से सहमत नहीं थे कि समाजवाद व साम्यवाद को स्थापित करने का एक मात्र रास्ता सशस्त्र विद्रोह ही है। उनका मानना था कि लोकतान्त्रिक साधनों से भी

समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। अपनी मानवतावादी धारणा में आस्था के कारण ही वे गांधी के अहिंसा सम्बन्धी विचारों के सम्बन्ध में कहते हैं कि गांधीवादी अहिंसा अन्ततः वर्गविहीन समाज में पर्यवसित होने की क्षमता रखती है। अहिंसा व्रत के अपने इस अनुसंधान से इसे (गांधीवाद को) यह तथ्य मिला कि वर्गभेदों और सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को मिटाये बिना समाज में हिंसा का उन्मूलन नहीं हो सकता। अतः वर्गहीन समाज इसका ध्येय है और समत्वयुक्त समाज की एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था इसे करनी है जिससे जनतन्त्रता का भाव नष्ट न हो और मनुष्य की सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आचार्य नरेन्द्रदेव को यह विश्वास था कि मार्क्स और गांधी दोनों ही भिन्न रास्ते से चलकर भी एक 'नैतिक प्राणी' की स्थापना करना चाहते हैं जो स्वतन्त्रता का उपभोग कर अपने अन्दर छिपी अनन्त क्षमताओं को उजागर कर देता है। यह उनके मानवतावादी दर्शन का ही प्रतिफल कहा जा सकता कि वे मानव मात्र की प्रतिष्ठा और गरिमा को अक्षुण्ण मानते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

निर्देश- 1. नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखो।

2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तर से मिलान कर अपने उत्तर की त्रुटियों को दूर करें।

1. कांग्रेस ने भारत छोड़ो आन्दोलन का प्रस्ताव कब पारित किया था।
2. औपनिवेशिक देशों के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता समाजवाद के मार्ग में एक अपरिहार्य अवस्था है। सत्य है/असत्य है
3. 'राष्ट्रीयता और समाजवाद' पुस्तक की रचना की थी-

(i) गांधी ने	(ii) आचार्य नरेन्द्रदेव ने
(iii) जवाहर लाल नेहरू ने	(iv) इनमें से कोई नहीं
4. 'भारतीय धर्म' सम्बन्धी विचारों का प्रतिपादन किसने किया है ?
5. आचार्य नरेन्द्रदेव गाँधी जी के वर्ग सहयोग के विचार से सहमत थे- सत्य है/असत्य है

13.6 सारांश

आचार्य नरेन्द्रदेव को भारत में समाजवादी चिन्तन का आदि पुरुष कहा जा सकता है। एक समाजवादी विचारक के रूप में उनके उपर मार्क्स के वर्ग संघर्ष तथा इतिहास की भौतिक व्याख्या सम्बन्धी विचारों का व्यापक प्रभाव पड़ा। जिसके कारण उन्होंने माना कि इतिहास एक निरन्तर गतिमान प्रवाह है जो अपने गति से आगे बढ़ता रहता है लेकिन इतिहास निर्माण में केवल भौतिक तत्व ही सर्वोपरि नहीं हैं बल्कि इसको प्रभावित करने में मानव मास्तिष्क अर्थात् विचारों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। समाजवादी धारणा में घोर आस्था होने के कारण ही आचार्य नरेन्द्रदेव समाज में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समानता लाना चाहते थे। उनका मानना था कि बिना समानता अर्थात् समाजवाद को स्थापित किये समाज से श्रेणी नैतिकता तथा मत्स्य न्याय का उन्मूलन नहीं

किया जा सकता जो मानव मात्र के मनुष्यत्व एवं गरिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए आवश्यक है। भारत में किसानों व खेतिहर मजदूरों की दयनीय स्थिति से भी वे भली-भांति परिचित थे इसलिए उनका कहना था कि कृषि योग्य जमीन की मालिकाना व्यवस्था इस प्रकार की जाय जिससे सरकार और किसान के बीच के विचौलिया प्रथा को समाप्त किया जा सके।

आचार्य नरेन्द्रदेव के काल में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। वे इस गुलामी की व्यवस्था से भी व्यथित थे। यही कारण था कि उन्होंने समाजवादियों को राष्ट्रीय आन्दोलन में सहयोग करने की अपील की। उनका मानना था कि आर्थिक हितों के नाम पर समाज के वर्गों को संगठित कर उनका उपयोग स्वाधीनता संग्राम हेतु किया जा सकता है। किसानों, मजदूरों और निम्न मध्यम वर्ग का संगठन स्वतन्त्रता संघर्ष के आधार को विस्तृत करने का महत्वपूर्ण जरिया बन सकता है। जिससे भारतीय जनमानस को आर्थिक तथा राजनीतिक दोनों प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त हो सकेगी।

भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम की एक बड़ी बाधा अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति थी जिसमें भारत की धार्मिक विविधता सहयोग प्रदान कर रही थी। इसलिए आचार्य नरेन्द्रदेव ने 'धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद' व 'भारतीय धर्म' के धारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा कि राष्ट्रीयता की मांग है कि भारत में माने जाने वाले सभी धर्म के लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया जाय। इससे समाज के विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा और वेदेशकी उन्नति में समान रूप से लगेगा। अपने धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद को बल प्रदान करने हेतु उन्होंने भारतीय धर्म की नवीन अवधारणा का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका न तो कोई आदि प्रवर्तक है न ही उसका कोई विशेष कृत्य या अनुष्ठान है और न ही इसका कोई विशेष ग्रन्थ है बल्कि यह तो एक ऐसा उदार धर्म है जो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी अन्तरात्मा के अनुसार आत्म कल्याण (स्वर्ग व मोक्ष प्राप्त करने) का प्रयास कर सकता है। यद्यपि इसमें भी समय-समय पर अनेक पंथों का उदय हुआ फिर भी अपनी उदारता व समन्वयवादिता के कारण व उसे अपने में समेटता गया।

आचार्य नरेन्द्रदेव गांधी जी के विचारों से भी प्रभावित थे इसलिए समाजवाद का समर्थन करते हुए भी उन्होंने मानवतावादी मूल्यों की अनदेखी नहीं की। उनका मानना था कि समाजवाद का लक्ष्य मानव की प्रतिष्ठा का स्थापित करना होना चाहिए। गांधी जी भी अपने अहिंसावादी धारणा से मानवतावादी मूल्यों की प्रतिस्थापना करना चाहते थे। यद्यपि गांधी के प्रति विशेष लगाव के बावजूद आचार्य नरेन्द्रदेव उनके इस विचार से सहमत नहीं थे कि समाज में वर्ग सहयोग पाया जाता है बल्कि इसके विपरीत उन्होंने माना कि समाज में वर्गीय भेद सदैव रहा है।

13.7 शब्दावली

1. सर्वहारा वर्ग - उत्पादन के स्वामियों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग

2. समाजवाद - वह धारणा जो व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्वपूर्ण मानती है तथा समाज में आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि समानता पर जोर देती है।
3. नियोजन - योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना
4. संस्कृति - किसी भी राष्ट्र अथवा समाज व भौतिक विवेक
5. सर्वाधिकारवाद - राज्य को समस्त प्रकार के अधिकार सौंप देना या मानव जीवनको पूर्णतया राज्य के अधीन कर देना
6. पूँजीवाद- वह व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित हो
7. स्वतन्त्रता - व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास का समुचित अवसर प्राप्त होना
8. जनतन्त्र - शासन का वह स्वरूप जिसमें अन्तिम शक्ति जनता में निहित हो
9. औपनिवेशिक - किसी राज्य पर दूसरे राज्य के शासन की स्थापना
10. धर्म निरपेक्षता - राज्य द्वारा किसी धर्म को विशेष महत्व न देना अर्थात् सभी धर्मों को समान महत्व देना
11. अन्वेषण - खोज करना

13.8 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. गांधी जी द्वारा सरकार से असहयोग की मांग पर, 2. 1934 ई0 में, 3. (i) सत्य है, 4. (ii) असत्य है,

अभ्यास प्रश्न 2

1. 1942 ई0 में, 2. (i) सत्य है, 3. (iii) आचार्य नरेन्द्रदेव ने, 4. आचार्य नरेन्द्रदेव ने, 5. (ii) असत्य है

13.9 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. बी. एल. फाड़िया, भारतीय राजनीतिक चिन्तन, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा।
2. सुषमा गर्ग, भारतीय राजनीतिक चिन्तन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।
3. डॉ. बी. पी. वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।

13.10 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. ज्योति प्रसाद सूद, आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास, के. नाथ एण्ड कम्पनी मेरठ।
2. ए. अप्पादुराई, बीसवीं शताब्दी में भारतीय राजनीतिक चिन्तन, साउथ एशियन पब्लिशर्स प्रा. लि. नई दिल्ली।

13.11 निबन्धात्मक प्रश्न

1. आचार्य नरेन्द्रदेव के राजनीतिक विचारों की विवेचना कीजिए।
2. “आचार्य नरेन्द्रदेव के समाजवाद का आधार जनतन्त्र और मानवतावाद है।” इस कथन की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
3. “आचार्य नरेन्द्रदेव के चिन्तन में कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी, दोनों का प्रभाव देखा जा सकता है।” इस कथन की विवेचना कीजिए।
4. भारतीय समाजवादी चिन्तन को आचार्य नरेन्द्रदेव की देन पर निबन्ध लिखिए।
5. आचार्य नरेन्द्रदेव के समाजवादी विचारों का उल्लेख कीजिए। आप उनसे कहां तक सहमत हैं।

इकाई 14 राममनोहर लोहिया (1910-1967)

इकाई की संरचना

- 14.1 प्रस्तावना
- 14.2 उद्देश्य
- 14.3 राममनोहर लोहिया के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार
 - 14.3.1 समाजवादी चिन्तन
 - 14.3.2 इतिहास की व्याख्या
 - 14.3.3 चौखम्भा राज्य की परिकल्पना
 - 14.3.4 सप्तक्रान्ति का सिद्धान्त
 - 14.3.5 विश्व सरकार की स्थापना
 - 14.3.6 जाति और वर्गों में संघर्ष की धारणा
 - 14.3.7 धर्म और राजनीति
 - 14.3.8 जाति व्यवस्था व नारी के सम्बन्ध में विचार
 - 14.3.9 समानता, स्वतन्त्रता और न्याय सम्बन्धी धारणा
 - 14.3.10 हिन्दी का समर्थन
 - 14.3.11 परराष्ट्र सम्बन्ध
 - 14.3.12 समाजवादी सभ्यता
 - 14.3.13 सविनय अवज्ञा और लोकतन्त्र
- 14.4 राममनोहर लोहिया के आर्थिक विचार
- 14.5 सारांश
- 14.6 शब्दावली
- 14.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
- 14.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
- 14.10 निबन्धात्मक प्रश्न

14.1 प्रस्तावना

डॉ. राममनोहर लोहिया एक राजनीतिज्ञ ही नहीं बल्कि इतिहासकार, अर्थशास्त्री, दार्शनिक तथा महान लेखक थे। जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू होगा जिसे उन्होंने अपनी प्रतिभा से स्पर्श न किया हो। उनमें विद्वता तथा क्रान्ति का अद्भुत सम्मिश्रण था। उनके भाषण तथा रचनाओं में उनकी प्रतिभा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। उनका भाषण तथा उनकी रचनाएं तथ्य परक आकड़ों पर आधारित होती थीं। वे विद्यार्थी जीवन से ही राजनीतिक क्रियाकलापों में रुचि लेने लगे थे। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में भी उनकी भूमिका अग्रणी थी। भारत में समाजवादी आन्दोलन को लोकप्रिय बनाने तथा आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए समाजवादी चिन्तकों में उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। यद्यपि वे समाजवादी विचारों के उग्र प्रचारक थे फिर भी भारतीय संस्कृति में उनकी अटूट श्रद्धा थी। जिसके कारण वे समाजवाद के लोकतान्त्रिक स्वरूप को विशेष महत्व देते हैं। उनका चिन्तन मौलिकता से ओत-प्रोत है। उनका मानना था कि हमें किसी का भी अन्धानुकरण नहीं करना चाहिए। वर्तमान समस्याओं के सम्बन्ध में उनकी धारणा थी कि इन समस्याओं का कारण मानव प्रकृति अथवा कोई चिर स्थायी विश्व व्यवस्था नहीं है बल्कि इसकी जड़ में कुछ भ्रष्ट सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाएं हैं। वे जीवन पर्यन्त ऐसी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज बुलन्द करते रहे। उनका उद्देश्य ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कायम करना था जिनका उद्देश्य समाज में समानता स्थापित करने के साथ-साथ लोगों में सौहार्द्र कायम करना था। जिससे लोगों के बीच मनमुटाव व संघर्ष को कम किया जा सके।

14.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन करके हम-

1. भारतीय समाजवादी विचारकों में राममनोहर लोहिया की स्थिति का अवलोकन कर सकेंगे।
2. राममनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों से परिचित हो सकेंगे।
3. राममनोहर लोहिया के सामाजिक तथा आर्थिक विचारोंको जान सकेंगे।
4. चौखम्भा राज्य की व्यवस्था को समझ सकेंगे।
5. भारतीय राजनीतिक चिन्तन में लोहिया के योगदान को समझ सकेंगे।

14.3 राममनोहर लोहिया के सामाजिक एवं राजनीतिक विचार

यद्यपि राममनोहर लोहिया के विचारों में मौलिकता प्रखर थी तथापि वे समाजवादी कल्पनाओं में मार्क्स व गांधी के विचारों की अनदेखी नहीं कर सके। वे न तो पूर्णतया मार्क्सवादी और न ही गांधीवादी बन पाये बल्कि उन्होंने तो दोनों के बीच का रास्ता चुना जो समन्वयवादी धारणा थी। उनका कहना था कि हमें दोनों का अन्धानुकरण करने के बजाय उनके सिद्धान्तों के श्रेष्ठतम तत्वों का निचोड़ ग्रहण करना चाहिए। राममनोहर लोहिया के प्रमुख सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा सकता है-

14.3.1 समाजवादी चिन्तन

भारत का प्रत्येक समाजवादी चिन्तक समाजवाद के बारे में अपने ढंग से सोचता है। राम मनोहर लोहिया भी एक ऐसे समाजवादी चिन्तक हैं, जो न तो किन्हीं रूढ़ मान्यताओं से ग्रस्त थे और न ही इस बात के मोहताज थे कि किसी महत्वपूर्ण लेखक ने समाजवाद के बारे में क्या लिखा है बल्कि उन्होंने तो समाजवाद की एक ऐसी व्यावहारिक धारणा प्रस्तुत की जिसे 'व्यावहारिक राष्ट्रीय समाजवाद' की संज्ञा दी जा सकती है। वे मार्क्स और गांधी दोनों से प्रभावित थे लेकिन दोनों में से किसी के भी अन्धानुकरण का विरोध करते थे। वे कहा करते थे कि किसी भी मामले में हमारी पकड़ मूल बात में होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बात मार्क्स या गांधी ने कही है या नहीं।

राममनोहर लोहिया के द्वारा अपने निबन्ध 'दि डाक्ट्रीनल फाउण्डेशन ऑफ सोशलिज्म' में अपने समाजवादी विचारों को प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि समाजवाद की धारणा लम्बे समय से पूंजीवाद और साम्यवाद के दस्तों के पीछे चलती रही है और उधार की साँसों पर जीवित रही है। जिससे समाजवादियों के कार्यों में हिचक का भाव पैदा हो गया है। इसलिए एक ऐसे सुसंगत सिद्धान्त की आवश्यकता प्रबल हो गयी है जो समाजवाद को विचार तथा कर्म के क्षेत्र में स्वायत्त दिशा दे सके। स्वायत्त समाजवादी सिद्धान्त के सम्बन्ध में लोहिया की धारणा थी कि पूंजीवाद और साम्यवाद आधुनिक सभ्यता के संकुल के दो भाग हैं। जिसमें पूंजीवाद निरन्तर बढ़ते जीवन स्तरों के लिए स्वतन्त्र उद्यमों की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है तो साम्यवाद उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व पर। ये दोनों ही अल्प विकसित देशों में समाजवाद को स्थापित करने के दृष्टि से अप्रासंगिक हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें यूरोपीय समाजवाद के मॉडल से इतर एक ऐसे मॉडल को अपनाना पड़ेगा जो भारत सहित एशिया के पिछड़े देशों के लिए उपयोगी सिद्ध हो। 26 मार्च 1952 को 'एशिया समाजवादी कांग्रेस' की रंगून प्रारम्भिक सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 'एशिया में जहां आर्थिक समस्याएं मुंह बाये खड़ी हैं, पश्चिमी ढंग का समाजवादी प्रजातन्त्र कदापि उपयोगी नहीं हो सकता। एशिया के लोग रोटी के लिए अपने प्रजातान्त्रिक अधिकारों को बेचने के लिए सरलता से तैयार हो जायेंगे। परम्परागत तरीके से सोचने पर रोटी की समस्या के समाधान हेतु हमें

पूँजीवादी अथवा साम्यवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना ही अनिवार्य दिखायी देने लगती है किन्तु दोनों ही अर्थव्यवस्था एक जैसी हैं। दोनों में अन्तर सिर्फ इतना है कि पूँजीवाद यदि निजी संपत्ति को प्रोत्साहन देता है तो साम्यवाद सार्वजनिक संपत्ति को। पूँजी तथा संपत्ति का केन्द्रीकरण दोनों में समान रूप से है। आर्थिक विकेन्द्रीकरण अन्ततः बेरोजगारी को बढ़ा देता है।” एक बार उन्होंने कहा था कि “एक बार जहाँ आपने आर्थिक विकेन्द्रीकरण का रास्ता अपनाया तो उसके परिणामस्वरूप भारत तथा एशिया के देशों में लाखों-करोड़ों लोगो का बेकार हो जाना निश्चित है।”

राममनोहर लोहिया को पूर्ण विश्वास था कि समाजवाद का यूरोपीय मॉडल जो बड़ी-बड़ी मशीनों के उपयोग का समर्थन करता था, भारत व एशिया के देशों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस सम्बन्ध में उनकी धारणा महात्मा गांधी के उन विचारों के नजदीक दिखायी देती है जिसमें वे छोटी-छोटी मशीनों एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना पर बल देते हैं। लोहिया का मानना था कि छोटी-छोटी मशीनों तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना में जहाँ धन कम लगेगा वही इस से रोजगार बढ़ेगा तथा बेकारी कम होगी।

इस प्रकार लोहिया ने एक ऐसी विचार परम्परा को जन्म दिया जिसे ‘एशियाई समाजवाद’ की संज्ञा दी जा सकती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एशिया के समाजवादियों को मौलिक चिन्तन तथा अभिक्रम का अभ्यास डालना चाहिए। उन्हें अपनी नीतियां उस सभ्यता के सम्बन्ध में निरूपित करनी हैं जो शताब्दियों पुराने उद्देश्य तथा सामन्तवाद के कूड़े-करकट में उभरने का प्रयास कर रही हैं। यूरोपीय समाजवादियों ने समाज के राजनीतिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के जो तरीके सुझाये हैं वे एशिया के देशों विशेषकर भारत व इंडोनेशिया के लिए कदापि उचित नहीं हैं। एशिया के देशों भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि पर आधारित है। इसलिए वे लिखते हैं कि किसानों को गहन खेती के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ किसी न किसी प्रकार की सहायकारी कृषि के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भूमि का साम्यवादी पुनर्विभाजन केवल एक मजाक ही नहीं अपितु निरर्थक क्रूरता भी है। इसके विपरीत भूमि के समाजवादी विभाजन के साथ शक्ति का विकेन्द्रीकरण होने से न सिर्फ अच्छे आर्थिक परिणाम निकलेंगे वरन् जीवनयापन का नया स्वरूप भी विकसित होगा। लोहिया के अनुसार एशियन समाजवाद का मुख्य उद्देश्य-प्रशासन का प्रजातन्त्रीकरण, थोड़ी पूँजी लगाकर छोटी मशीनों का उपयोग, संपत्ति का समाजीकरण तथा अधिकाधिक आर्थिक एवं राजनीतिक समाजीकरण है।

राममनोहर लोहिया समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसक संघर्ष को स्वीकार नहीं करते थे बल्कि उनका मानना था कि सामाजिक अन्याय को दूर करने का एक महत्वपूर्ण साधन शान्तिपूर्ण प्रतिरोध के साथ रचनात्मक कार्यवाही हो सकती है। इसलिए सार्विक वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचन इसका एक साधन हो सकता है। उन्होंने माना कि समाजवादी दल के पास इतनी शक्ति और सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह किसी भी क्षण उपयुक्त कार्य के लिए उसका उपयोग कर सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि समाजवादी दल जनता का प्रवक्ता, उसकी राय का संगठक, अन्याय का प्रतिरोधी और पुनर्निर्माण का निपुण संचालक हो। उसे रचनात्मक कार्य में भाग लेने, लोकमत को

प्रशिक्षित करने तथा स्वयं उनसे शिक्षित होने तथा अन्याय का प्रतिरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुदाल, मताधिकार और जेल ये तीनों इन कार्यों के प्रतीक हैं। शान्तिपूर्ण तरीकों अर्थात् सत्याग्रह के माध्यम से अन्याय का प्रतिरोध आवश्यक है। समाजवाद को हिंसक संगठन और उसके समर्थन की सदैव निन्दा करनी चाहिए। यद्यपि पुराने की यन्त्रणा समाप्त करने तथा नये को जन्म देने के लिए जनता अन्तिम उपाय के रूप में अपनी शाही शक्ति के उपयोग को चुन सकती है। यह शक्ति केवल कुछ क्षणों के लिए प्रदर्शित जनता की स्वतः स्फूर्त हिंसा होगी। यद्यपि वे गांधी जी की समाजवादी व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते थे फिर भी उनका कहना था कि यदि गांधी जी के समाजवाद की कुछ बातें भारतीय ताने-बाने में बुन दी जाये तो भारतीय समाजवाद का स्वरूप वास्तव में निखर जायेगा। गांधी जी का सविनय अवज्ञा और असहयोग का सिद्धान्त, साधन और साध्य की सुचिता पर जोर, राजनैतिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण और जीवन में सादगी और कठोरता ऐसी बातें हैं जो समाजवादी धारणा की स्थापना का पवित्र साधन कही जा सकती हैं।

अपने जीवन के अन्तिम दिनों में लोहिया द्वारा नवीन समाजवाद की वकालत करते हुए कहा गया कि प्राचीन समाजवाद 'एक मरा हुआ सिद्धान्त तथा मरणशीलव्यवस्था' है। इसलिए समाजवाद के एक नवीन स्वरूप का अपनाया जाना आवश्यक है। लोहिया ने नवीन समाजवाद के लिए छः सूत्री योजना का निरूपण किया। उनके अनुसार आय और व्यय के क्षेत्र में अधिकतम समानता उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों, बैंकों तथा बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीकरण किया जाय। विश्व में आर्थिक अन्तरनिर्भरता बढ़ती जा रही है जिसके कारण समूचे विश्व के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास किया जाना चाहिए। वे लोकतान्त्रिक राजनीतिक समानता के पक्षधर थे इसलिए चाहते थे कि वाणी की स्वतन्त्रता, समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता तथा व्यक्तिगत जीवन की स्वतन्त्रता सुरक्षित हो और किसी भी सरकार को इसमें बलपूर्वक हस्तक्षेप का अधिकार नहीं हो। वयस्क मताधिकार पर आधारित विश्व संसद की स्थापना की जाय। सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए वैयक्तिक तथा सामूहिक सविनय अवज्ञा की प्रणाली का सहारा लिया जाना चाहिए।

14.3.2 इतिहास की व्याख्या

रामनोहर लोहिया इतिहास के चक्रीय सिद्धान्त के प्रस्तावक थे। उनके अनुसार इतिहास की गति चक्र के समान तथा अपरिवर्तनीय होती है। यह धारणा अरस्तू के चक्र-सिद्धान्त का स्मरण दिलाती है। यह सिद्धान्त इस धारणा पर आधारित है कि इतिहास कभी भी सरल रेखा की भांति आगे नहीं बढ़ता है बल्कि यह तो एक चक्र की भांति घूमते हुए अपने पथ पर अग्रसर होता रहता है। चक्रमण के दौरान विकास के शिखर पर पहुंचा हुआ कोई देश पतन के गर्त में जा सकता है तो एक समय ऐसा भी आ सकता है जबकि पतन के गर्त में गिरा हुआ देश पुनः उन्नति करते हुए विकास के चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़े। लोहिया स्पेन्गलर तथा नार्थट्राप आदि इतिहासकारों की भांति इस मत का समर्थन करते हैं कि राष्ट्रों तथा सभ्यता का उत्थान-पतन सदैव होता रहता है। ब्रिटिश साम्राज्य का उत्थान तथा पतन, गुप्त साम्राज्य का उत्थान तथा पतन इसके उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। इस प्रकार यह देखने को

मिलता है कि कोई देश इतिहास के चक्राकार गति से घूमता हुआ कभी अपने विकास और वैभव के चरमोत्कर्ष पर तो कभी पतन के अधोविन्दु तक पहुँच सकता है।

यद्यपि राममनोहर लोहिया मार्क्स के द्रष्टात्मक भौतिकवाद को स्वीकार करते हैं किन्तु परम्परावादी मार्क्सवादियों के मुकाबले वे चेतना को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। वे एक ऐसे सिद्धान्त की रचना करना चाहते थे जिसके अन्तर्गत आत्मा तथा सामान्य उद्देश्यों एवं द्रव्य तथा आर्थिक उद्देश्यों का ऐसा पारस्परिक सम्बन्ध हो कि दोनों अपने स्वतन्त्र अस्तित्व को कायम रख सकें। इस प्रकार लोहिया ने मार्क्सवादियों के भौतिकवाद को चेतनावेद में परिवर्तित कर दिया। उनका कहना था कि “एक ऐसे बौद्धिक यन्त्र का निर्माण किया जाना चाहिए जो आत्मा या सामान्य उद्देश्यों में स्वायत्त सम्बन्ध को स्थापित कर सके।” मार्क्स और हीगल के इतिहास की व्याख्या के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण है कि ये व्याख्याएं इतिहास का पूरा बोध नहीं करा सकती हैं। इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि “जो लोग इतिहास के नियम की बात करते हैं तथा जो इस प्रकार का संकेत करते हैं कि विभिन्न कालों में विभिन्न जाति के लोगो का किस प्रकार उत्थान होता है या हुआ। उन्हें यह भी बोध कराना चाहिए कि विभिन्न जातियों का उत्थान-पतन किन कारणों से हुआ और यदि वे इस प्रश्नका उत्तर देने में असमर्थ हैं तो फिर उनका इतिहास के सम्बन्ध में कुछ कहना कोरा प्रलाप है। लक्षणों के सम्बन्ध में संकेत करना कारणों का बताना नहीं है।”

अन्ततः लोहिया ने माना कि इतिहास में तीन तथ्य महत्वपूर्ण हैं- प्रथम इतिहास के कालखण्ड में देशों का उत्थान-पतन होता रहता है परिणामस्वरूप धन-वैभव का स्थान परिवर्तित होता रहता है जिससे समूह के बाहरी रिश्तों में भी उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है। द्वितीय समूह के अन्दर वर्गों एवं जातियों का संघर्ष चलता रहता है और तृतीय सभी समूह शारीरिक संस्कृति ढंग से मिलन भी करते रहते हैं। इसलिए इतिहास में कारणों के खोज का कोई अन्त नहीं है।

14.3.3 चौखम्भा राज्य की परिकल्पना

राममनोहर लोहिया समाजवादी धारणा के प्रबल समर्थक होते हुए भी समाजवादियों के राज्य विहीन धारणा को स्वीकार नहीं करते थे और न ही किसी ऐसी व्यवस्था के समर्थक थे जिसमें राज्य सर्वोपरि हो। वे राज्य को एक महत्वपूर्ण संस्था मानते थे जिसके द्वारा जनता के कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन सम्भव होगा। वे इस बात से भी भलीभांति परिचित थे कि राज्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर जन सामान्य के जीवन को कष्टमय बना सकता है। इसलिए उन्होंने सदैव इस बात का पक्षपोषण किया कि राज्य शक्ति का विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। उनकी ‘चौखम्भा राज्य’ की कल्पना इसका उदाहरण है। उनका मानना था कि शक्तियों का केन्द्रीकरण राज्य की प्रशासनिक क्षमता को कम कर देता है इतना ही नहीं इससे लोगों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भी बाधित होती है। इसलिए प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण आवश्यक है। राज्य शक्ति के विभाजन का पक्षपोषण करने के कारण लोहिया को बहुलवादी कहा जा सकता है। उनका मानना था कि राज्य की शक्ति को विभिन्न

केन्द्रों में विभाजित कर देने से जन सामान्य के राजनीतिक क्रियाकलापों में सहभागी बनने के अवसर बढ़ जाते हैं। इससे लोकतन्त्र को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जा सकता है।

राममनोहर लोहिया एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जिसमें चार स्तम्भ होंगे अर्थात् जिसमें शासन की शक्तियां चार स्तर की सरकारों में विभाजित होंगी। इस राज्य का उद्देश्य केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण की परस्पर विरोधी धाराणाओं को समन्वित करना था। इस व्यवस्था के अन्तर्गत गांव, मण्डल (जिला) प्रान्त तथा केन्द्रीय सरकार का गठन किया जायेगा तथा उन्हें एक कार्यमूलक संघवाद के अन्तर्गत एकीकृत कर दिया जायेगा। ऐसे राज्य में जिलाधीष का पद समाप्त कर दिया जायेगा क्योंकि वह प्रशासनिक शक्ति के केन्द्रीकरण की एक बदनाम संस्था है। ऐसे राज्य में गांव, मण्डल तथा नगरों की पंचायतें लोक कल्याणकारी नीतियों तथा कार्यों के सम्पादन का उत्तरदायित्वनिर्वहित करेंगी।

चौखम्भा राज्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित होंगी-

(क) सम्पूर्ण सरकारी एवं योजना व्यय का एक चौथाई ग्राम, मण्डल तथा नगर पंचायत के माध्यम से खर्च किया जायेगा।

(ख) पुलिस इन ग्राम, मण्डलों तथा पंचायतों के अधीन रहते हुए कार्य करेंगी।

(ग) जिलाधीष का पद समाप्त कर उसके समस्त कार्य जिले की विभिन्न संस्थाओं को सौंप दिये जायेंगे।

(घ) कृषि, उद्योग तथा अन्य प्रकार की संपत्ति का राष्ट्रीकरण कर दिया जायेगा और ये ग्राम, मण्डल तथा नगर पंचायतों के अधीन एवं उनके द्वारा शासित होंगी।

(ङ) छोटी मशीनों के अधिकाधिक उपयोग द्वारा आर्थिक विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ राजनीतिक तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में प्रयास किया जायेगा।

राममनोहर लोहिया का मत था कि अभी तक उदारवादी तथा साम्यवादी दुनिया दो स्तरीय राज्यों के बारे में ही जानती है। इसलिए राज्य के कार्यों अथवा शक्तियों का बंटवारा केन्द्र तथा राज्यों के बीच करने हेतु संवैधानिक सिद्धान्तों का निर्माण किया जा रहा है ताकि उनके व्यावहारिक स्वरूप को निखारा जा सके किन्तु प्रजातन्त्र सामान्य व्यक्ति को केवल तभी स्फूर्ति प्रदान कर सकता है जबकि ये संवैधानिक सिद्धान्त चौखम्भा राज्य के गठन से सम्बन्धित हों। समानता रूपी मांस और रक्त से पोषित इन चार स्तम्भों रूपी शारीरिक ढांचे वाले राज्य से ही प्रजातन्त्र की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है। शक्तियों का विभाजन जनता की राजनीतिक क्रियाकलापों एवं प्रशासन में सहभागिता को बढ़ायेगा, जिससे प्रजातन्त्र को भी उर्वरा शक्ति प्राप्त होगी और वह अधिक प्रभावी भूमिका हेतु तैयार होगा।

इस प्रकार राममनोहर लोहिया अपने चार स्तम्भ वाले राज्य में प्रशासन की शक्तियों को विकेन्द्रित कर उसे लोकतन्त्र के अनुरूप बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के

साथ-साथ विधायी विकेन्द्रीकरण भी आवश्यक है। इससे राज्य में नौकरशाही का गढ़ ध्वस्त होगा और शासन शक्ति का उपयोग जनता के प्रति उत्तरदाई संस्थाओं के द्वारा किया जायेगा।

14.3.4 सप्तक्रान्ति का सिद्धान्त

राममनोहर लोहिया का मानना था कि देश के राजनीतिक दलों के बीच ऐसा कोई सामान्य कार्यक्रम या सिद्धान्त नहीं है जिस पर वे आपस में सहमत हो। परिणामस्वरूप प्रतिपक्षी दल आपस में लड़ते रहते हैं जिसका स्पष्ट लाभ संपत्तिरुद्ध दल को होता है। इसलिए जनता का विश्वासार्जित करने तथा मजबूत विपक्ष की भूमिका स्थापित करने के लिए सामान्य कार्यक्रम और सिद्धान्त का होना आवश्यक है। इसके लिए राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में 1966 में संयुक्त समाजवादी दल द्वारा एक सात सूत्रीय प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। जिसे 'सप्त क्रान्ति सिद्धान्त' की संज्ञा दी जाती है। लोहिया का मानना था कि इन प्रस्तावों के व्यावहारिक क्रियान्वयन के बिना समाजवाद के सार्वभौम सिद्धान्तों को व्यावहारिक स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। सात सूत्रीय प्रस्ताव की रूपरेखा निम्नलिखित थी-

- क) स्त्री-पुरुष समानता का समर्थन
- ख) रंग भेद पर आधारित असमानताओं की समाप्ति
- ग) जन्म और जाति पर आधारित असमानताओं की समाप्ति
- घ) विश्व सरकार का निर्माण तथा विदेशियों द्वारा दमन का अन्त
- ङ) आर्थिक असमानताओं को विरोध
- च) व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण का विरोध
- छ) शस्त्र आधारित युद्धों का विरोध तथा सविनय अवज्ञा के सिद्धान्त को स्वीकृति

14.3.5 विश्व सरकार की स्थापना

राममनोहर लोहिया विश्व शान्ति के प्रबल पोषक थे। इसके लिए वे चाहते थे कि विश्व के झगड़ों को समाप्त करने के लिए विश्व संसद की स्थापना की जाय चाहिए। वे कहते थे कि देशमें समाजवाद की स्थापना के बाद इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। विश्व संसद के निर्माण एवं कार्य के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है कि “वयस्क मताधिकार पर चुनी विश्व सरकार का निर्माण हो जिसे सभी देशों के युद्ध बजट का चौथाई या पांचवा हिस्सा प्राप्त हो। यह विश्व पंचायत कैसे स्थापित की जाय इसके सम्बन्ध में उनका कहना था कि सत्याग्रह के द्वारा भी विश्व पंचायत सम्भव है। विश्व शान्ति के स्थापना के उद्देश्य से ही वे चार स्तम्भीय राज्य में विश्व सरकार के रूप में पांचवा स्तम्भ भी जोड़ना चाहते थे। विश्व व्यवस्था के माध्यम से विश्व शान्ति की यह कल्पना लोहिया के चिन्तन की ऊँचाइयों को प्रदर्शित करती हैं।

14.3.6 जाति और वर्गों में संघर्ष की धारणा

अपनी पुस्तक 'दी व्हील आफ हिस्ट्री' में राममनोहर लोहिया के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि इतिहास में जातियों एवं वर्गों का संघर्ष सदैव देखने को मिलता है। इस संघर्ष की आन्तरिक हलचल ही इतिहास को गतिशीलता प्रदान करती है। जाति और वर्गों के बीच घड़ी के पेण्डुलम की तरह आन्तरिक क्रिया होती रहती है। जैसे घड़ी के पेण्डुलम की आन्तरिक क्रिया से घड़ी की सूई अर्थात् समय आगे बढ़ता है वैसे ही जाति व वर्गों के आन्तरिक क्रिया से इतिहास भी अपने पथ पर अग्रसर होता रहता है। जातियों का रूप निश्चित होता है जबकि वर्गों की आन्तरिक रचना षिथिल होती है। जातियों में प्रायः गतिहीनता और निष्क्रियता पायी जाती है जबकि वर्ग सामाजिक गतिशीलता की प्रचण्ड शक्तियों के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार लोहिया ने माना कि अब तक का मानव इतिहास जातियों तथा वर्गों के बीच आन्तरिक गति का इतिहास रहा है। जातियां जब षिथिल होती है तो वर्गों में परिणत हो जाती हैं और वर्ग संगठित होकर जातियों का रूप धारण कर लेते हैं।

14.3.7 धर्म और राजनीति

राममनोहर लोहिया धर्म और राजनीति का समन्वित उपयोग करने के पक्षधर थे। उनका मानना था कि धर्म और राजनीति आपस में बहुत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और उनकी जड़ भी एक ही है। यद्यपि दोनों का अधिकार क्षेत्र पृथक-पृथक है परन्तु दोनों का गलत संयोजन दोनों को विकृत करता है। उनका यह भी विचार था कि राजनीतिक प्रणाली की आधारिक संरचना विकसित करने के लिए धर्म और राजनीति दोनों का प्रयोग तर्क संगत रूप से किया जा सकता है। आगे उन्होंने लिखा कि धर्म दीर्घ कालीन राजनीति तो राजनीति अल्पकालीन धर्म है। उनका मानना था कि धर्म का काम लोगों का कल्याण तथा अच्छाई की प्रशंसा करना है तो राजनीति का काम बुराई से लड़ना और उसकी निन्दा करना है। जब धर्म केवल कुछ अच्छा करने के बदले स्वयं की प्रशंसा करने तक सीमित हो जाय तो वह निष्प्राण हो जाता है जबकि राजनीति जब बुराई से लड़ने के बजाय केवल उसकी निन्दा करने लगती है तो वह कलही बन जाती है। परन्तु वास्तविकता यह है कि धर्म विशेष को किसी खास राजनीति से अपने को सम्बद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि यह साम्प्रदायिक धर्मान्धता को जन्म देता है। वर्तमान धर्म निरपेक्षता की अवधारणा के पीछे भी उद्देश्य यही है कि समाज या राज्य में साम्प्रदायिक कट्टरता को उत्पन्न न होने दिया जाय। एक मान्यता यह भी है कि राजनीतिक और धार्मिक दोनों व्यवस्थाओं में दण्ड देने का प्रावधान पृथक-पृथक हो क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो यह संरक्षणवाद व भ्रष्टाचार की जननी सिद्ध होगा। इसका आशय है कि लोहिया यह मानते थे कि धर्म और राजनीति एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए परन्तु उन्हें एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। उनके लिए सत्य का महत्व उसके आध्यात्मिक मूल्य के कारण नहीं बल्कि समाज के व्यवस्था के कारण था। वे राजनीति में अनैतिक तत्वों के उपयोग के विरोधी थे इसलिए कभी भी छल-कपट को राजनीतिक हथियार बनाने का पक्षपोषण नहीं किया। वे आलस्य

और अकर्मण्यता को भी अस्वीकार करते हुए इसे समाजिक और आर्थिक विकास के मार्ग में एक बड़ा रोड़ा मानते थे। धर्म और मानवता में आस्था के कारण ही वे जीवन भर दलित, शोषित, दरिद्र नारायण के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे। सामाजिक न्याय अर्थात् समानता उनके जीवन का ध्येय था।

अभ्यास प्रश्न 1

1. नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपना उत्तरलिखें।
2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तरसे मिलान कर अपने उत्तरकी त्रुटियों को दूर करें।
1. 'दी डाक्ट्रीनल फाउण्डेशन ऑफ सोसलिज्म' नामक निबन्ध की रचना की थी-

क) जवाहर लाल नेहरू ने	ख) महात्मा गाँधी ने
ग) राममनोहर लोहिया ने	घ) इनमें से किसी ने नहीं
2. राममनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद का यूरोपीय मॉडल भारत व एशिया के देशों के लिए उपयुक्त नहीं है।

(प) सत्य है	(पप) असत्य है
-------------	---------------
3. एशियाई समाजवाद की धारणा का प्रतिपादन किसने किया है ?
4. चौखम्भा राज्य की कल्पना किसने की थी ?
5. लोहिया के अनुसार धर्म का काम लोगों का कल्याण तथा अच्छाई की प्रशंसा करना है तो राजनीति का काम बुराई से लड़ना और उसकी निन्दा करना है।

(प) सत्य है	(पप) असत्य है
-------------	---------------

14.3.8 जाति व्यवस्था व नारी के सम्बन्ध में विचार

राममनोहर लोहिया भारत की सामाजिक संरचना में आच्छादित जाति व्यवस्था व पुरुष प्राधान्य के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ये दोनों सामाजिक संरचना की बुनियादी दुर्बलताएं हैं। इसलिए इनको येन केन प्रकारणें समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने माना कि देशके सभी राजनीतिक दलों में सहमति का बहुत बड़ा क्षेत्र अभिकल्पना व रीति रीवाजों के माध्यम से महिलाओं और शुद्रों को सामाजिक संरचना में नीचे रखना है जबकि इन दोनों की आबादी सम्पूर्ण जनसंख्या में तीन चौथाई से अधिक है। सामाजिक संरचना में व्याप्त इन बुराईयों को दूर करने के लिए लोहिया ने युवा वर्ग से सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में आगे आने की अपील की। उन्होंने लिखा है कि “मेरा यह विश्वास है कि जाति और महिलाओं का ये विभाजन मुख्यतया भावना के इस हास के लिए उत्तरदाई हैं इस विभाजन में जोखिम और प्रसन्नता के लिए सभी को समाप्त करने की पर्याप्त शक्ति है। भारत में व्याप्त गरीबी और सामाजिक विभाजन आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे की दुर्बलताओं के सहारे फल-फूल रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि गरीबी के समाप्ति के लिए लड़े

जाने वाले सभी युद्ध तब तक शर्मनाक है जब तक कि इन दोनों विभाजनों पर एक साथ सजग और वहनीय युद्ध नहीं होता है।

14.3.9 समानता, स्वतन्त्रता और न्याय सम्बन्धी धारणा

समाजवादी धारणा में विश्वासके कारण राममनोहर लोहिया स्वतन्त्रता, समानता और न्याय के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि सम्पूर्ण विश्व के जनमानस में समानता का होना आवश्यक है क्योंकि समानता के बिना स्वतन्त्रता कपोल कल्पना मात्र होगी तो स्वतन्त्रता और न्याय के बिना मिलने वाली समानता का कोई अर्थ नहीं होगा। लोहिया का कहना था कि असमानता अन्याय का सबसे बड़ा कारण है। असमानता के कारण ही समाज के लोगों में द्वन्द्व व टकराव होता है जिसे रोकने के लिए राज्य को हथियार की व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि असमानता आधारित अन्याय को समाप्त कर दिया जाय तो इन हथियारों की आवश्यकता भी समाप्त हो जायेगी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की समानता का होना आवश्यक है। लोहिया ने समानता के चार पक्ष माने थे- आन्तरिक, वाह्य, आध्यात्मिक और भौतिक। समानता वाह्य तथा आन्तरिक के साथ-साथ भौतिक और आध्यात्मिक भी होनी चाहिए।

जहां तक स्वतन्त्रता का प्रश्न है लोहिया नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलुओं पर बल देते हैं। वे स्वतन्त्रता का अर्थ केवल प्रतिबन्धों से मुक्ति नहीं बल्कि स्वतन्त्रता का आशय व्यक्ति को खुलकर जीवन जीने के अधिकार से मानते हैं। व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर राज्य हावी न होने पाये इसके लिए राज्य की शक्तियों पर नियन्त्रण भी होना चाहिए। लोहिया व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के कट्टर समर्थक थे। लोहिया का कहना था कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता न तो पूंजीवादीराज्य और न ही साम्यवादी राज्य में सम्भव है बल्कि यह तो केवल समाजवादी राज्य में ही मुमकिन हो सकती है।

इस प्रकार लोहिया ने माना की समाजवाद की मूल धारणा समानता ही न्याय की जननी है। स्वतन्त्रता और समानता के अभाव में व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अवसर प्राप्त नहीं होगा और जब तक ऐसा सम्भव नहीं हुआ न्याय की कल्पना करना कोरी बकवास होगी। समाजवाद की स्थापना के साथ ही लोगों को स्वतन्त्रता और न्याय की सहज उपलब्धता सम्भव हो जायेगी क्योंकि असमानता आधारित शोषण व अन्याय का स्थान भाई चारा और आपसी सौहार्द ले लेगा। जिससे न्याय की प्रतिस्थापना सम्भव होगी।

14.3.10 हिन्दी का समर्थन

राममनोहर लोहिया एक व्यावहारिक चिन्तक थे जो यह भली-भांति जानते थे कि भारत की बहुसंख्यक जनता न तो अंग्रेजी भाषा जानती है और नहीं इसे समझती है। इसलिए शासन-प्रशासन के निर्णयों को जनता के लिए सुलभ बनाने हेतु ऐसी भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए जिसे भारत की बहुसंख्यक जनता जानती एवं समझती हो। भारत की अधिकांश जनता की सुगम भाषा हिन्दी है। इसलिए राममनोहर लोहिया ने हिन्दी का जोरदार तरीके से समर्थन किया और कहा कि

अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा के रूप में अपनाना न सिर्फ लोगों को सुगमता प्रदान करेगा बल्कि इससे प्रशासन की भूमिका भी प्रभावी होगी। जब तक जनसामान्य प्रशासनिक निर्णयों से अवगत नहीं हो जाता उसका सही क्रियान्वयन सम्भव नहीं होगा और इसका माध्यम हिन्दी ही हो सकती है। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि भारत में लोकतन्त्र का स्वरूप तब तक वास्तविक नहीं हो सकता जब तक कि लोक प्रशासन अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी के माध्यम से न चलाया जाय क्योंकि अंग्रेजी आज भी भारत की बहुसंख्यक जनता के लिए गुप्त रहस्य ही है। हिन्दी को प्रशासनिक भाषा के रूप में स्थापित करना उनका एक प्रमुख उद्देश्य था।

14.3.11 परराष्ट्र सम्बन्ध

भारत की विदेशनीति के सिद्धान्तों पर भी राममनोहर लोहिया ने गहन मनन एवं चिन्तन किया। उनका मानना था कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध होना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के गुट निरपेक्षता की नीति के वे कटु आलोचक थे। उनका मानना था कि भारत के कल्याण के लिए हमें विदेशों में सच्चे मित्रों की तलाश करनी चाहिए। यह कार्य गुटनिरपेक्षता से सम्भव नहीं है। यदि हम ऐसे मित्र तैयार करते हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा हो तो राष्ट्र का मनोबल बढ़ेगा और हम बिना किसी डर के विश्व में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते रहेंगे। जब तक ऐसा नहीं होता हमें विश्व में महाशक्तियों से समानता के व्यवहार का अवसर प्राप्त नहीं होगा।

14.3.12 समाजवादी सभ्यता

राममनोहर लोहिया वर्तमान सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विप्लेषण करने के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक नयी सभ्यता की स्थापना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने समाजवाद रूपी नई सभ्यता की वकालत की जिसे मार्क्स के शब्दों में 'समाजवादी मानवतावाद' की संज्ञा दी जा सकती है। उन्होंने माना कि आज हमारे समक्ष दो तरह की सभ्यताएं देखने को मिलती हैं- पूँजीवादी और साम्यवादी! किन्तु इन दोनों में ही गरीबी, भय और युद्ध का खतरा बढ़ता है। इनका बढ़ना सभ्यता के विकास के दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है क्योंकि इससे लोगो की दशा बेहतर नहीं बल्कि बदतर होती जायेगी। उन्होंने माना कि आज विज्ञान और तकनीकी के विकास के कारण न सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र में बल्कि कृषि क्षेत्र में भी इनके उपयोग की प्रवृत्ति बढ़ी है। परिणामस्वरूप पूँजी का केन्द्रीकरण होने लगा है और पूँजीवादी व्यवस्था बलवती होती जा रही है। बढ़ती हुई संपत्ति से लोगों के जीवन स्तर के सुधरने की बात भी की जाती है परन्तु सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि क्या यह सभ्यता लोगों के बीच सुख-शान्ति और सामाजिक समरसता स्थापित करने में सफल होगी तो इसका उत्तरनकारात्मक ही होगा। इसलिए लोहिया ने कहा कि वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग अमेरिका या यूरोप में भले ही लाभदायक रहा हो लेकिन एशिया व अफ्रीका के देशों में यह राहत नहीं पहुँचा सकता। इसलिए लोहिया ने माना कि एक ऐसी नई सभ्यता की स्थापना आवश्यक है जिसमें काफी

कुछ समानता हो, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो, सामाजिक दायित्व हों, छोटे व मझले उद्योगों की स्थापना हो, बेहतर जीवन स्तर हो, व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतन्त्रता हो तथा इन सबकी रक्षा के लिए विश्व संसद एवं विश्व सरकार का अस्तित्व हो।

14.3.13 सविनय अवज्ञा और लोकतन्त्र

भारतीय स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत में यह कहने वाले बहुतायत हो गये थे कि लोकतन्त्र में सविनय अवज्ञा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। उदाहरण स्वरूप डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने संविधान सभा की बैठक में कहा कि अब भारत में प्रतिरोध के संविधानिक साधन मौजूद है इसलिए असहयोग, सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा कि इस तरह की बातें अराजकता उत्पन्न कर सकती है। इसलिए बेहतर यही होगा कि लोग जल्द से जल्द इसे भूल जायें। सत्याग्रह के सम्बन्ध में जवाहर लाल नेहरू ने भी 1954 में इसी तरह का दृष्टिकोण प्रदर्शित किया। इन विचारों ने राममनोहर लोहिया को अत्यन्त दुख पहुँचाया परिणामस्वरूप उन्होंने नैनी जेल में बन्द रहते हुए भारत के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कथन कि आजाद मुल्क में सविनय अवज्ञा बेहूदा है आश्चर्यचकित करने वाली बात है। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि किसी स्वतन्त्र एवं लोकतान्त्रिक देश में भी सविनय अवज्ञा का एक विशेष उद्देश्य है। अगर सत्याग्रह का रास्ता बन्द कर दिया गया तो जनता के समाने विरोध करने के लिए हिंसा के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि लोहिया ने न सिर्फ लोकतन्त्र में सविनय अवज्ञा को महत्वपूर्ण माना बल्कि अन्याय से लड़ने के मजबूत हथियार के रूप में इसे मान्यता प्रदान की और हर तरह के हिंसा की घोर निन्दा की।

14.3.14 व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

मिल की भांति राममनोहर लोहिया भी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रबल समर्थक थे। उनका कहना था कि मनुष्य को निर्वाध गति से विश्व के किसी भी कोने में भ्रमण करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। वे वर्तमान में प्रचलित पासपोर्ट पद्धति के विरोधी थे। इस सम्बन्ध में उनका तर्क था कि यदि हमारे देशका नागरिक दिल्ली, बम्बई या नागपुर में बस सकता है तो उसे यह आजादी भी होनी चाहिए कि वह लन्दन, न्यूयार्क या सिडनी में जाकर बस सके। चिन्तन और भाषा की स्वतन्त्रता भी प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होनी चाहिए। यद्यपि यह ठीक है कि कार्य व्यवहार उसी भाषा में हो जिसे बहुसंख्यक समुदाय चाहता है फिर भी अल्पसंख्यकों को अपनी बात करने की पूरी आजादी होनी चाहिए। लोहिया सत्याग्रह के समर्थक थे इसलिए उनका मानना था कि यदि राज्य के किसी कानून को व्यक्ति गलत समझे तो उसका विरोध करने का उसे पूरा अधिकार होना चाहिए। स्वतन्त्रता की रक्षा तभी सम्भव है जबकि व्यक्ति और समाज को गलत कानूनों के प्रतिरोध की खुली छुट हो। अन्याय पूर्ण कानूनों को न मानना कोई पाप नहीं है। इसलिए शासन के गलत नीतियों का विरोध करने हेतु व्यक्ति को सविनय अवज्ञा का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस अधिकार पर किसी भी तरह का न तो प्रतिबन्ध हो और न ही ऐसे आन्दोलन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही की

जानी चाहिए। लोहिया व्यक्ति के अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के भी कट्टर समर्थक थे तभी तो वे कहते थे कि बोलने की स्वतन्त्रता का आशय ऐसी बात बोलने से भी है जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में उनका मानना था कि क्या सही है और क्या गलत है इसका निर्णय लोगो द्वारा लिया जायेगा। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जब तक किसी राज्य की सुरक्षा को खतरा न हो किसी भी आदमी के बोलने की आजादी पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। यद्यपि लोहिया व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के प्रबल समर्थक थे तथापि इसका अर्थ यह कदापि नहीं है उन्होंने कि प्रत्येक को मनमानी करने की छूट का समर्थन किया बल्कि उन्होंने कहा कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता को राज्य या समाज के हित के विरुद्ध पाये जाने पर प्रतिबन्धित किया जा सकता है।

14.4 राममनोहर लोहिया के आर्थिक विचार

राममनोहर लोहिया संपत्ति की प्रचुरता और उसका न्यायपूर्ण वितरण- दोनों को आवश्यक मानते थे। न्यायपूर्ण वितरण से उनका आशय था निर्धनों की स्थिति में सुधार। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि न्याय से पहले संपत्ति में वृद्धि आवश्यक है, संपत्ति बढ़ाने के लिए धनिक वर्ग के व्ययों पर अंकुशलगाकर बचत की संचितपूंजीका विनियोग उत्पादन तथा जीविकोपार्जन के अवसर बढ़ाने हेतु लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए। भौतिकतावादी होने के कारण वे संपत्ति के वृद्धि को महत्वपूर्ण मानते थे।

उदारवादियों की यह मान्यता थी कि विखरा हुआ धन निष्प्रयोज्य हो जाता है जबकि पूंजीपतियों के हाथों में पूंजी का केन्द्रीकरण होने से जहां उत्पादन बढ़ता है वही रोजगार के साधनों में भी वृद्धि होती है। राममनोहर लोहिया उदावादियों की इस मान्यता को अस्वीकार करते हुए कहते थे कि यदि पूंजी के केन्द्रीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ते तो वे भी इसे मान लेते लेकिन पूंजीका व्यक्तिगत हाथों में केन्द्रीकरण तो भोग-विलास का साधन बन कर रह जाता है। जिससे उत्पादन या रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं होती है। इसलिए व्यय की सीमा पर अंकुश लगाना और उत्पादन के साधनों पर सामाजिक नियन्त्रण अर्थात् पूंजी पर राज्य का नियन्त्रण आवश्यक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साधन जुटाने के लिए नियन्त्रण, उत्पादन बढ़ाने के लिए औद्योगीकरण तथा समान वितरण के लिए राष्ट्रीकरण राममनोहर लोहिया के आर्थिक विचारों का मूल है।

अभ्यास प्रश्न 2-1. नीचे दिये गये रिक्त स्थान में अपना उत्तर लिखें।

2. इकाई के अन्त में दिये गये उत्तर से मिलान कर अपने उत्तर की त्रुटियों को दूर करें।

1. राममनोहर लोहिया समाज की जातीय व्यवस्था तथा पुरुष प्राधान्य के विरोधी नहीं थे।

(i) सत्य है

(ii) असत्य है

2. लोहिया के अनुसार अन्याय का सबसे बड़ा कारण क्या है ?

3. पासपोर्ट पद्धति के विरोधी थे-

(i) जवाहर लाल नेहरू

(ii) राममनोहर लोहिया

(iii) डॉ. भीमराव अम्बेडकर (iv) उपर्युक्त कोई नहीं

4. राममनोहर लोहिया ने भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना का समर्थन क्यों किया?

5. राममनोहर लोहिया हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने के विरोधी थे-

(i) सत्य है (ii) असत्य है

14.5 सारांश

राममनोहर लोहिया एक बुद्धिजीवी समाजवादी चिन्तक थे जिन्होंने जीवन के सभी पहलुओं पर सूक्ष्म चिन्तन एवं मनन किया। अन्याय का प्रतिकार उनके सिद्धान्तों की बुनियाद था। इसलिए उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि पहलुओं पर कठोर प्रहार किया और ऐसी व्यवस्था कायम करने पर बल दिया, जिसमें आवश्यक रूप से सामाजिक समानता हो। उनका कहना था कि भारतीय समाज में जब तक सामाजिक समानता स्थापित नहीं हो जाती तब तक आर्थिक समानता का कोई अर्थ नहीं है। जाति व्यवस्था को उन्होंने सामाजिक समानता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना। सामाजिक समानता की स्थापना के लिए ही उन्होंने पुरुष प्रधान समाज के स्थान पर स्त्री-पुरुष समानता का समर्थन किया। उन्होंने समाजवादी सभ्यता को एशियाई दृष्टिकोण से देखने का भी प्रयास किया और कहा कि समाजवाद का यूरोपीयन मॉडल भारत और एशिया के देशों में सफल नहीं हो सकता। वे समाजवाद की स्थापना के लिए हिंसक क्रान्ति का समर्थन करने के बजाय शान्तिपूर्ण तरीके या लोकतान्त्रिक तरीके का समर्थन करते थे।

लोकतन्त्र में लोहिया की घोर आस्था थी क्योंकि लोकतन्त्र में व्यवस्था परिवर्तन शान्तिपूर्ण तरीके से सम्भव होती है। लोकतन्त्र में शासन की गलत नीतियों का विरोध करने के लिए उनके द्वारा सत्याग्रह को स्वीकृति प्रदान की गयी लोकतन्त्र को मजबूत करने के दृष्टि से ही उनके द्वारा चौखम्भा राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया जिसमें शासन की शक्तियों को राष्ट्रीय, राज्य, मण्डल और गांव स्तर पर विभाजित करने की बात की गयी थी। उनका मानना था कि इससे न सिर्फ लोगों को शासन के क्रियाकलापों में सहभागी बनने का अवसर अधिक मिलेगा बल्कि लोगों की समस्याओं को शासन के क्रियाकलापों में सहभागी बनने का अवसर अधिक मिलेगा बल्कि लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी आसानी से हो सकेगा। वे धर्म और राजनीति के समन्वित उपयोग के पक्षधर थे। उनका कहना था कि राजनीति के बिना धर्म निष्प्राण हो जाता है तो धर्म के बिना राजनीति कलही बन जाती है। इतिहास की नवीन व्याख्या में उनके द्वारा चक्रीय सिद्धान्त का समर्थन करते हुए कहा गया कि उन्नति और पतन का क्रम एक चक्र के रूप में घूमता रहता है। पतन के गर्त में गया कोई देश विकासोन्मुख हो सकता है तो विकास के चरमोत्कर्ष को प्राप्त करने वाला कोई देश या सभ्यता पतन के गर्त में भी जा सकते हैं।

विश्व में शान्ति व सुरक्षा के दृष्टि से राममनोहर लोहिया द्वारा विश्व सरकार या संसद की स्थापना की बात कही गयी। इस सम्बन्ध में उनका कहना था कि विश्व संसद की स्थापना सार्विक वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतान्त्रिक तरीके से की जा सकती है। विश्व सरकार के प्रति उनके लगाव का ही प्रतिफल है कि अपने चौखम्भा राज्य के पांचवे स्तम्भ के रूप में वे विश्व सरकार की स्थापना करना चाहते थे।

14.6 शब्दावली

1. प्रजातन्त्र - शासन व जीवन की ऐसी पद्धति जिसमें सबको समानता प्राप्त हो
2. विकेन्द्रीकरण - शासन की शक्तियों का ऊपर से नीचे तक विभाजन
3. सत्याग्रह - सत्य के लिए आग्रह अर्थात् सरकार की गलत नीतियों का शान्तिपूर्ण तरीके से विरोध
4. उद्देश्य - ऐसी व्यवस्था जिसमें राज्य शक्ति पर किसी प्रकार का अंकुश न हो।
5. सामन्तवाद - ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ खास लोगो का सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित हो
6. भौतिकवाद - भौतिक तत्वों पर आधारित विचार परम्परा
7. चेतनावाद - वैचारिक तत्वों को महत्वपूर्ण मानने वाली विचारधारा
8. संघवाद - शक्तियों का केन्द्र व इकाईयों के विभाजन
9. राष्ट्रीकरण - पूंजी के साधनों पर राज्य या सरकार का नियन्त्रण
10. मानववाद - मानव की स्वतन्त्रता गरिमा को प्रतिष्ठित करने वाली विचार पद्धति

14.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1. (iii) राममनोहर लोहिया ने, 2. (i) सत्य है, 3. राममनोहर लोहिया ने, 4. राममनोहर लोहिया ने, 5. (i) सत्य है

अभ्यास प्रश्न 2

1. (ii) असत्य है, 2. असमानता, 3. (ii) राममनोहर लोहिया, 4. इससे अधिक से अधिक लोगो को रोजगार के अवसर मिलेंगे, 5. (ii) असत्य है

14.8 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. वी.पी. वर्मा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिन्तन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा।
2. डॉ. बी.एल. फाडिया, भारतीय राजनीतिक चिन्तन साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
3. सुषमा गर्ग, भारतीय राजनीतिक चिन्तन, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा।

14.9 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1. ज्योति प्रसाद सूद, आधुनिक राजनीतिक विचारों का इतिहास, के.नाथ एण्ड कम्पनी, मेरठ।
 2. ए. अप्पादुराई, बीसवीं शताब्दी में भारतीय राजनीतिक चिन्तन, साउथ एशियन पब्लिशर्स प्रा.लि. नई दिल्ली।
-

14.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. राममनोहर लोहिया के राजनीतिक विचारों का संक्षिप्त उल्लेख करें।
2. राममनोहर लोहिया के समाजवादी चिन्तन पर प्रकाश डालिए।
3. राममनोहर लोहिया के चौखम्भा राज्य एवं सप्त क्रान्ति सम्बन्धी विचारों का उल्लेख कीजिए।